खण्ड-27, अंक-02
मंगलवार, 01 पौष, शक संवत् 1931
(22 दिसम्बर, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 27 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1-76
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2009 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	76
उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 (3) के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2008-09 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रथम प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	76-77
संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	77
संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम (रा०ग्रा०स्वा०मि०) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	77
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	78
नियम-300 की सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	78
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के संकलन (सदन के पटल पर रखा गया)	78-79
नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	79

राज्य में ए०डी०बी० योजना के अन्तर्गत चतुर्थ एवं पंचम चरण के लिये ब्लॉक भगवानपुर में विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हेतु चयन किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना 79-80

जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना 80-81

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) 81

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) 81-82

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) 82

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) 82-83

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) 83-84

नियम-310 के अन्तर्गत उठाये गये विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग 84-86

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 87-118

वित्तीय वर्ष, 2009-10 का अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुतिकरण) 118

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत) 118-143

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) 144-145

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) 146-147

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) 147-149

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) 149-157

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) 157-167

उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 (पारित) 167-171

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 (पारित) 171-176

राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों के निरन्तर जलस्राव की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में दिनांक 15 जुलाई, 2009 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-01 के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चर्चा	175-190
प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में दिनांक 20 जुलाई, 2009 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-10 के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चर्चा	190-198
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं	198
हरिद्वार में कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज तथा गिरफ्तारी की सूचना पर नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा	198-204
नत्थियाँ	205-221

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह राणा
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड़
25. श्री दिनेश अग्रवाल
26. श्री दिवाकर भट्ट
27. श्री दिवान सिंह
28. श्री नारायण पाल
29. काजी मौ0 निजामुद्दीन
30. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31. श्री प्रकाश पन्त
32. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलवीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बंशीधर भगत
39. श्री बृज मोहन कोटवाल
40. श्री शेर सिंह
41. मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मनोज तिवारी
44. श्री मयूख सिंह
45. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
46. श्री मातबर सिंह कण्डारी
47. श्री कुलदीप कुमार
48. श्री यशपाल आर्य
49. श्री यशपाल बेनाम
50. चौ0 यशवीर सिंह
51. श्री रणजीत रावत
52. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
53. श्री राजकुमार
54. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
57. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58. श्री शहजाद
59. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61. श्री सुरेन्द्र राकेश
62. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63. श्री सुरेश चन्द जैन
64. डा0 हरक सिंह रावत
65. श्री हरभजन सिंह चीमा
66. श्री हरिदास
67. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

नॉन प्लॉन बजट के वचनबद्ध व्यय के लिये राज्य में पर्याप्त धन की उपलब्धता

**1. काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि नॉन प्लान बजट के वचनबद्ध व्यय (कमिटेड एक्सपेन्डीचर) के लिये राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है ?

यदि नहीं, तो इस स्थिति से निबटने के लिये सरकार यथाशीघ्र क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जवाब आया कि 'जी हाँ' और 'प्रश्न नहीं उठता'। तो अगर सरकार का उत्तर सही है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की सही है, नॉन प्लान के कमिटेड एक्सपेन्डीचर सही टाईम पर सही तनख्वाह दे रहे हैं तो इस माह दिसम्बर में सैलरी 10 दिन क्यों ढिले हुई और पेंशन देने में क्यों ढिले हुआ ? मैं आपके माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि 30 प्रतिशत एरियर देने का एलान सरकार ने किया है, घोषणा की है, तो 30 प्रतिशत के हिसाब से कितनी धनराशि बनती है और उसका सरकार ने कितना भुगतान किया है जो कि नॉन प्लान का हिस्सा है ?

संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आज यह विषय रखा है, तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2009–2010 की कुल प्राप्तियाँ 6461.91 करोड़ की हैं और कमिटेड एक्सपेन्डीचर की बात, वचनबद्ध व्यय की

बात आपके माध्यम से पूछी गई तो वर्ष 2009-2010 का वचनबद्ध व्यय कुल नवम्बर तक जो हुआ है वह 5026.22 करोड़ था, तो इस तरह से नवम्बर माह तक जो कुल प्राप्तियाँ थी उसके सापेक्ष जो व्यय हुये हैं, उन व्ययों में कहीं ऐसी स्थिति नहीं थी कि वचनबद्ध व्यय देने की स्थिति में न रहे हों, इसलिए प्रश्न के दूसरे पार्ट में आया कि 'प्रश्न नहीं उठता'।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया कि अगर संसाधन सही हैं तो तन्ख्वाह और पेंशन देने में विलम्ब क्यों हुआ ? जो वृद्ध हैं, जो पेंशन पर निर्भर है, जिसके पास कोई दूसरा जरिया आमदनी का नहीं है, उन्हें 10 दिन गुजारना कैसे भारी पड़ता है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हम आप नहीं लगा सकते हैं, तो विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, विलम्ब नहीं हुआ है, कतिपय कारणों से किसी स्थान विशेष पर अगर ऐसा विषय हुआ हो तो अलग बात है, सामान्य प्रक्रिया में हमारे आय-व्यय की स्थिति की वजह से ऐसा विलम्ब होने वाला विषय नहीं है और जहाँ तक पेंशन और एरियर से संबंधित 30 प्रतिशत भुगतान की बात रखी है, उसका समय पर भुगतान हो ऐसा सुनिश्चित कराया जा रहा है। ऐसी कहीं पर कोई शिकायत नहीं आई है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

माननीय अध्यक्ष जी, जब लेखानुदान आया था उसमें भी एरियर देने का प्रॉविजन था, उसके बाद सरकार की तरफ से एक जी0ओ0 सारे जनपदों को, सारी ट्रेजरी को गया कि वोट ऑन एकाउण्ट से न दिया जाये जनरल बजट से दिया जाए। फिर जनरल बजट पास होने के बाद आज दिसम्बर माह होने के बाद भी क्यों नहीं दिया गया, जब आपके बजट में प्रॉविजन है तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि जब छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू की गई तो उसमें प्राविधान किया गया कि हम प्रथम वर्ष में 30 प्रतिशत एरियर का भुगतान करेंगे और वह किया गया, पूरे एरियर का भुगतान करने का कमिटमेंट नहीं था, 30 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया गया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

माननीय अध्यक्ष जी, इस वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपकी बात का मैं संज्ञान लेकर परीक्षण करा लूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन जी, आज नियम–58 के अन्तर्गत भी आपकी सूचना इसी विषय से सम्बन्धित लगी है, आपकी पूरी बात उसमें आ जायेगी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सम्मानित विधायकों का विधायक निधि का पैसा जनपदों के अंदर गया हुआ है, क्या वह पैसा ट्रेजरी से विधायकों के जो कार्य स्वीकृत किये हैं, उनके लिए जा रहा है या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण धनराशि जितनी स्वीकृत की गयी है वह प्रत्येक जनपदों को अवमुक्त कर दी गयी है और शनैः–शनैः उसका व्यय किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आज तक कई–कई दिन हो गये हैं, जनपद ऊधमसिंह नगर के सभी विधायकों का पैसा रिलीज नहीं हुआ है। लगभग हर जिले के विधायकों की स्थिति यही है और कई दिनों से ट्रेजरी में बिल पड़े हुए हैं, वे पास नहीं हो रहे हैं। (घोर व्यवधान)

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन जी भी अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये और सभी एक साथ अपनी बात कहने लगे। (व्यवधान)]

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आज सारे विधायकों के बिल ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा कुम्भ के मद का पैसा वेतन पर खर्च किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर चूंकि मैंने जैसा कहा है कि विधायक निधि जितनी स्वीकृत की गयी है, वह सभी जनपदों को अवमुक्त कर दी गयी है। स्पेसिफिक कोई प्रकरण हो तो बतायें। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, कितनी विधायक निधि दी गयी है, पहले यह तो पता चले। (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, अभी तक 13 जनपदों में कितनी विधायक निधि दी गयी है, यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, समाचार-पत्रों में छपता है कि हम लोग विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि सरकार के पास पैसा बहुत अधिक है तो विधायक निधि में क्यों नहीं देती है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी कुछ बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सदाशयता से हम सब परिचित हैं। चूंकि यह विषय कमिटेड एक्सपेंडिचर से सम्बन्धित था, लेकिन आपने सदाशयता का परिचय देते हुए इस विषय को पुछवाया है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि विधायक निधि पर कहीं से कहीं तक कोई रोक नहीं है। चूंकि अभी श्रीमन्, आपने विनिश्चय दिया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी आपने नियम-58 के अन्तर्गत विनिश्चय दिया है तो उस समय मैं जिलेवार आंकड़े स्पष्ट रूप से आपके सामने दे दूंगा। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या कुम्भ के मद से वेतन दिया गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वेतन किसी अन्य मद से नहीं दिया गया है। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर था, वह कमिटेड एक्सपेंडिचर हमने दिया है और कहीं से कहीं तक हमने विधायक निधि पर रोक नहीं लगायी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत प्रथम मंगलवार हेतु स्थगित तारांकित प्रश्न

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता एवं उसके सापेक्ष उपलब्ध पेयजल की मात्रा तथा पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

*1. काजी मो0 निजामुद्दीन–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः कितना–कितना पेयजल प्रति नगर प्रतिदिन की आवश्यकता है और इसके सापेक्ष विभाग द्वारा प्रति नगर कितना–कितना पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है ?

क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई कार्ययोजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता एवं उसके सापेक्ष उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की मात्रा का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	नगर का नाम	प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता (एमएलडी) (प्रतिदिन)	वर्तमान में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की मात्रा (एमएलडी) (प्रतिदिन)
01	02	03	04
चमोली	1. श्री बद्रीनाथ	4.00	1.00
	2. (a) गोपेश्वर	3.20	1.48
	(b) चमोली	0.51	0.10
	3. कर्णप्रयाग	1.67	0.26
	4. गौचर	1.57	0.23
	5. जोशीमठ	3.04	1.82
	6. नन्दप्रयाग	0.50	0.15
रूद्रप्रयाग	7. रूद्रप्रयाग	2.18	1.65

01	02	03	04
रुद्रप्रयाग	8. श्री केदारनाथ	1.35	1.35
हरिद्वार	9. हरिद्वार	75.00	63.60
	10. रुड़की	19.98	16.13
	11. मंगलौर	8.91	3.74
	12. लण्ढौर	3.34	4.32
	13. झबरेड़ा	2.02	3.26
	14. लक्सर	3.92	3.84
देहरादून	15. देहरादून	133.81	111.25
	16. हरबर्टपुर	2.2	1.92
	17. विकासनगर	3.3	2.88
	18. ऋषिकेश	15.7	11.62
	19. मसूरी	12.40	7.51
	20. डोईवाला	2.10	1.53
पौढ़ी	21. पौढ़ी	4.55	3.50
	22. श्रीनगर	4.80	4.23
	23. कोटद्वार नगर	10.10	7.30
	24. दुगड्डा नगर	0.80	0.50
टिहरी	25. मुनिकी रेती	2.328	1.61
	26. नरेन्द्र नगर	1.165	0.525
	27. देवप्रयाग	0.875	0.36
	28. कीर्तिनगर	0.27	0.24
	29. चम्बा	2.70	0.80
	30. नई टिहरी	5.12	5.25
उत्तरकाशी	31. उत्तरकाशी	5.85	5.67
	32. बड़कोट	2.22	1.17
	33. गंगोत्री	0.58	0.13
पिथौरागढ़	34. पिथौरागढ़	10.12	5.75
	35. डीडीहाट	1.40	0.53
	36. धारचूला	1.74	0.87
चम्पावत	37. लोहाघाट	1.63	0.62
	38. चम्पावत	1.04	0.57
	39. टनकपुर	3.49	3.44

01	02	03	04
नैनीताल	40. नैनीताल	17.02	15.74
	41. भीमताल	1.86	1.74
	42. भवाली	0.63	0.48
	43. हल्द्वानी	26.00	27.00
	44. लालकुआँ	1.31	1.30
	45. रामनगर	10.04	8.50
	46. कालाढूंगी	2.17	1.00
ऊधमसिंह नगर	47. शक्तिनगर, टीएससी	1.00	2.40
	48. सितारगंज नगरपालिका परिषद्	5.80	2.88
	49. रूद्रपुर नगरपालिका परिषद्	17.75	4.85
	50. खटीमा नगरपालिका परिषद्	3.50	2.40
	51. किच्छा नगरपालिका परिषद्	7.85	3.65
	52. जसपुर	7.06	3.00
	53. काशीपुर	18.02	9.00
	54. गदरपुर	2.17	2.63
	55. बाजपुर	2.50	1.68
	56. सुल्तानपुर पट्टी	1.46	1.18
	57. केलाखेड़ा	1.15	1.36
	58. दिनेशपुर	1.894	1.556
	59. महुवाखेड़ा	1.62	0.66
	60. महुआडाबरा	0.81	0.52
अल्मोड़ा	61. अल्मोड़ा	7.5	4.5
	62. द्वाराहाट	0.418	0.418
बागेश्वर	63. बागेश्वर	1.26	1.26

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

काजी मौ० निजामुद्दीन--

मान्यवर, पहला सवाल था, सरकार के पास पैसा न होने का और दूसरा सवाल है, सरकार के पास पानी न होने का। सरकार अपने मुँह से खुद मान रही है कि पेयजल की भारी कमी है। मुख्य रूप से बद्रीनाथ, हरिद्वार में, (व्यवधान) सभी जगह महत्वपूर्ण हैं। मैं उन जगहों के बारे में कह रहा हूँ, जिनकी वजह से उत्तराखण्ड देवभूमि कहलाता है। (व्यवधान) सरकार खुद मान

रही है कि बद्रीनाथ में 04 एम0एल0डी0 पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है और 01 एम0एल0डी0 पानी सरकार उपलब्ध करा रही है। मान्यवर, दूसरी तरफ आज का जो ज्वलंत विषय है, वह हरिद्वार है। पता नहीं किस तरह से इन्होंने मानक मान कर 75 एम0एल0डी0 वहाँ मान लिया, जबकि कुंभ हमारे सामने है, बल्कि एक हद तक कहें तो कुंभ शुरू हो चुका है। इस 75 एम0एल0डी0 में से भी 63 एम0एल0डी0 सरकार वहाँ उपलब्ध करा रही है। मान्यवर, 63 और 75 में काफी फर्क है। मान्यवर, खास तौर पर हरिद्वार के बारे में प्वाइंटेड सवाल है कि फौरी तौर पर सरकार क्या कदम उठा रही है, जिससे कि कुंभ में पर्याप्त पेयजल मिल सके ? इसके अलावा जो और जगहों में कम पेयजल उपलब्ध कराने की बात आपने बतायी है, उन पर भी जरा प्रकाश डालने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर भाषण में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी है कि हरिद्वार में जो प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता है, वह 75 एम0एल0डी0 है, उसके सापेक्ष हम 63.60 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह 75 एम0एल0डी0 के लिए आपने आधार क्या माना है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रति व्यक्ति जितने पेयजल की आवश्यकता होती है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या फ्लोटिंग पॉपुलेशन को नहीं मानेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी इसमें सम्मिलित है। इसके आधार पर हम आकलन करते हैं कि नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी पेयजल की आवश्यकता होगी और कितनी अन्य उपयोग की होगी, उसके आधार पर यह आकलन लगाया जाता है मान्यवर, हरिद्वार जनपद के जिन क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है, उनमें लंढौरा, झबरेडा, लक्सर है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं हरिद्वार शहर की बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिए।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह बात सही है कि चौधरी साहब के क्षेत्र झबरेडा में ज्यादा पानी है।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप इतना उतावलापन न दिखाईये। मैं पूरी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। आप स्पैसिफिक हरिद्वार शहर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 75 एम0एल0डी0 की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष हम 63.80 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं और जो हमारा हरिद्वार क्षेत्र है, इसमें हमने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धनराशि प्राविधानित की है, जिसके तहत वहाँ योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक कस्बा मंगलौर है, जिसमें बहुत ही कम पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वहाँ पर प्रतिदिन लगभग 9 एम0एल0डी0 की आवश्यकता है और आप लगभग पौने चार एम0एल0डी0 उपलब्ध करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी सरकार ने सभी विधायकों से पेयजल से सम्बन्धित प्रस्ताव भी मांग रखे हैं, इसको पूरे दो साल होने को आए। क्या सरकार उन प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में पृथक्–पृथक् व्यवस्था वर्तमान में संचालित हैं। (व्यवधान) मुझे बोलने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं दे रहे। मान्यवर, नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य की सरकार वचनबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था वर्तमान में स्वैप पद्वति के तहत हो रही है। माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर मंगलौर क्षेत्र की जानकारी चाही है श्रीमन्, मंगलौर में अभी 8.91 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है और उसके सापेक्ष 3.74 एम0एल0डी0 पानी वहाँ पर अभी उपलब्ध हो रहा है, जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संतोषजनक नहीं है। इसमें सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं और जो नई योजनाओं के प्रस्ताव आपने दिये हैं, उन प्रस्तावों का हम परीक्षण करा रहे हैं।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े अभी बताए कि देहरादून जनपद में 133.81 एम0एल0डी0 के सापेक्ष 11.25 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मलोगी पेयजल योजना पिछले वर्ष शुरू हुई थी, उससे कितना एम0एल0डी0 पानी हमें मिल रहा है तथा इस योजना से जो पानी की सप्लाई हो रही है, क्या वह डाइरेक्ट लाइन पर दी जा रही है ? उस योजना के लिये एक फिल्टर प्लांट भी स्वीकृत हुआ था, वह कब तक बन जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले अवगत कराया था कि देहरादून शहर में प्रतिदिन 133.81 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है और इसके सापेक्ष 111.25 एम0एल0डी0 पानी हमें उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में दो तरह की योजनायें देहरादून में चल रही हैं, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत 70 करोड़ रुपया प्राविधानित किया गया है और इसके माध्यम से जो नलकूप बनाये जाने हैं, उससे 43.20 एम0एल0डी0 पानी की वृद्धि होगी और इस वृद्धि के बाद हमारी स्थिति काफी हद तक देहरादून में ठीक हो जायेगी। इसके अलावा देहरादून में पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिये ए0डी0बी0 के माध्यम से ट्रेंच वन में भी योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं। इन योजनाओं को 2008 से शुरू होकर 2012 में समाप्त होना है, इन योजनाओं के बन जाने के बाद देहरादून शहर में पेयजल की समस्या समाप्त हो जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट शहर की पेयजल की स्थिति जो दर्शायी गई है, उसके अनुसार आवश्यकता 1.53 एम0एल0डी0 प्रतिदिन की है और इसके सापेक्ष 0.62 एम0एल0डी0 पानी ही उपलब्ध हो रहा है। यह स्थिति वर्तमान के दिनों की है, गर्मियों के दौरान यह 0.25 एम0एल0डी0 ही रह जाती है। इस शहर के लिये पिछली सरकार के द्वारा सरयू लिफ्ट योजना स्वीकृत हुई थी, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस स्वीकृत योजना का कार्य पूरा होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है श्रीमन्, लोहाघाट नगर में 1.53 एम0एल0डी0 के सापेक्ष हम मात्र 0.62 एम0एल0डी0 पेयजल ही उपलब्ध करा पा रहे हैं और चम्पावत नगर में 1.04 एम0एल0डी0 के सापेक्ष 0.57 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट क्षेत्र के लिये सरयू नदी से लिफ्ट योजना का प्राक्कलन विरचित किया जा चुका है और चम्पावत को ए0डी0बी0 के ट्रेंच थ्री में शामिल किया गया है और उनसे हम इनकी योजनाओं का निर्माण करायेंगे।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत सिंचाई कार्य मण्डल द्वारा वर्ष 2004 से सीमेन्ट सामग्री की खपत तथा विभिन्न जिलों की कार्य योजनाओं में सीमेन्ट खपत का दोहरा मापदण्ड

*2. श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल नैनीताल के अन्तर्गत वर्ष 2004 से सीमेन्ट सामग्री की खपत का अनुपात सिंचाई निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा व गढ़वाल मण्डल के सिंचाई कार्यों से अधिक था ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बलियानाला योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट सामग्री की बढ़ी हुई खपत के दोहरे मापदण्ड के कारण राज्य सरकार को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ?

क्या सरकार सीमेन्ट सामग्री की खपत के दोहरे मापदण्ड को राज्य स्तर पर एकीकरण करवाने व बढ़े हुए मापदण्ड की जाँच करवायेगी व दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

बलिया नाले के निर्माण में शासन को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। उपरोक्त कार्य का आगणन आई0आई0टी0, रुड़की से परीक्षित कराया गया तथा भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न था कि "क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल नैनीताल के अन्तर्गत वर्ष 2004 से सीमेन्ट सामग्री की खपत का अनुपात सिंचाई निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा व गढ़वाल मण्डल के सिंचाई कार्यों से अधिक था ?" इसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया "जी नहीं"। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नैनीताल में सिंचाई विभाग द्वारा बलिया नाले की योजना का निर्माण किया जा रहा था, उसमें खपत का अनुपात क्या था, उसकी दरें क्या थी ? क्या वह गढ़वाल मण्डल के समान थी या उसे अलग तरीके से किया गया था ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, बलिया नाले का ट्रीटमेंट राष्ट्रीय झील निर्माण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ है, जिसके लिये बाकायदा भारत सरकार को आगणन भेजा गया और इसके लिये 2.58 सीमेन्ट का कट्टा एक घन मीटर के लिये स्वीकृत हुआ है। यह भारत सरकार का आगणन है और उन्होंने स्वीकृत किया तथा उसी के अनुसार कार्य किया गया। यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था, वहां पर पहाड़ टूटता था, इसलिये वहां पर सीमेन्ट की खपत ज्यादा हुई है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहले जब इस बलिया नाले का निर्माण हुआ था तो उस समय सीमेन्ट की खपत का जो अनुपात था वो अल्मोड़ा और गढ़वाल से विपरीत था। मैं आपके सम्मुख रख देता हूँ। अल्मोड़ा में जो स्टोर मैशनरी सीमेन्ट रेश्यो था वह आर0आर0 1.4

में 2.30 था और उसी में जो नैनीताल में स्टोर मैशनरी सीमेन्ट का कार्य हुआ आर0आर0 1.4 में 3.20 और गढ़वाल में ही वही आर0आर0 1.4 में 2.30 था, जब ये प्रकरण पिछली बार मेरे द्वारा विधान सभा में रखा गया जिसमें स्थगित हुआ और उसके बाद जो कमेटी बनी और उसके माध्यम से पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उसका एकीकरण कर दिया गया और उसके बाद जो भी बलिया नाले का निर्माण हुआ, उसी नये शिड्यूल के तहत हुआ तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछला जो करीब 53 लाख रुपये का नुकसान हुआ उसकी पूर्ति कहां से होगी ? क्या जो उस समय का अधिकारी, जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, क्या उसने इस पूर्ति को कम करने का प्रयास किया ? उस समय इसमें जांच भी की गयी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रांक संख्या, जो माननीय एन0डी0 तिवारी जी के कार्यकाल का है, पत्रांक संख्या 1586/दिनांक 09.03.2005, 100416/दिनांक 27.03.2005 द्वारा जांच का उल्लेख शीघ्र प्रस्तुत किया और उसमें जो जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे, पी0के0 टम्टा जी, जो अल्मोड़ा में एस0ई0 वर्तमान में थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लगभग 53 लाख रुपया बचाया जा सकता था, ये उन्होंने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में लिखा था तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि उस समय जो क्षति हुई थी, सीमेन्ट की आपूर्ति ज्यादा हुई थी जबकि भौगोलिक परिस्थिति गढ़वाल और कुमाऊं की समान है और एक ही शिड्यूल रेट होने चाहिए थे। क्या उस समय जो अधिकारी वहां का पदेन अध्यक्ष था, जो एस0ई0 था, उसने बलिया नाले में सीमेन्ट का अनुपात बढ़ाया, क्या उस पर कार्यवाही की जायेगी, उससे वसूली की जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि बलिया नाला अपने में एक बड़ा काम था और मैंने कहा कि एक अनुपात पाँच का जो रेश्यो था उसका रेट 2.58 कट्टा सीमेन्ट निर्धारित कर दिया गया, ठेकेदार के साथ अनुबंध है मान्यवर, और फिर भारत सरकार से यह अप्रूव्ड भी है, अनुमोदित है तो मेरा निवेदन है कि सीमेन्ट की दरें अलग–अलग होती हैं जैसे मान लीजिए हम जल विद्युत परियोजना का काम करेंगे तो वहां तो बहुत ज्यादा सीमेन्ट खपत होती है 08 कट्टा सीमेन्ट भी लगता है एक घन मीटर में, कहीं चार कट्टे सीमेन्ट लगते हैं तो ये अलग–अलग है और दूसरा मेरा निवेदन है कि रेट दर अनुसूची समिति इसका निर्णय करती है। वो जो निर्णय करती है, उसी के अनुसार काम होता है।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एक है, समान है और उसी रेट पर गढ़वाल मण्डल में काम हो रहा है और उसी में कुमाऊं में अल्मोड़ा में हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बलिया नाले की बात उन्होंने बताया न, अलग है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, नैनीताल के बलिया नाले में उतने की खपत हो रही है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूँ कि रेट दर अनुसूची समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है समिति ही सीमेन्ट की खपत निर्धारित करती है और बाकायदा रेट अनुसूची समिति ने निर्णय तय कर रखा है, उसी आधार पर काम हुआ है।

*3. श्री नारायण पाल–

द्वितीय स्थगन।

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड में भूमिगत जल स्तर की गिरावट की समस्या का निदान

*1. मनोज तिवारी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में भूमिगत जल स्तर तेजी से घट रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ, उत्तराखण्ड में भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है लेकिन तेजी से जल स्तर में कोई गिरावट नहीं हो रही है।

पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित स्रोतों के आस–पास वृक्षारोपण, चैक डैम, कन्टूर ट्रेंच, वर्षा जल संग्रहण टैंक, रिसावदार कुऐं एवं चाल–खाल आदि बनाकर स्रोत संवर्द्धन के कार्य करवाये जा रहे हैं तथा स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन/प्रस्तावित योजनाओं के प्राक्कलन में कैचमेन्ट ऐरिया प्रोटेक्शन से सम्बन्धित कार्य का प्राविधान किया जा रहा है। जिससे वर्षा जल को रोककर स्रोत संवर्द्धन हो सके। पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जल संवर्द्धन मिशन का गठन किया गया है तथा केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एवं राज्य सरकार की सहायता से वर्षा जल के माध्यम से कृत्रिम रूप से रिचार्ज किये जाने हेतु जिला तकनीकी समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पेयजल, वर्तमान में जिसके लिए पूरा प्रदेश चिंतित है और लगातार जल स्तर घटता जा रहा है, क्या इसके लिए विभाग द्वारा कोई स्थाई समाधान किया जा रहा है ? निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि उसके लिए जल संरक्षण, लेकिन मेरा कहना है कि क्या उसके लिए कोई स्थाई समाधान स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए, दूसरा जो हमारे चाहे यूकेलिप्टस हैं, चाहे हमारे अन्य चीड़ के पेड़ हैं, उसकी वजह से लगातार पानी के स्रोतों को खत्म किया जा रहा है उसके लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहा था कि भूगिगत जल स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। मैंने इस विषय के संबंध में अपने उत्तर में कहा है कि तेजी से जल स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन गिरावट आई है। उसके पक्ष में मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमने 1997 से लेकर के 10 वर्ष के भूगर्भीय जल स्तर का सर्वेक्षण कराया, इसके तहत जनपद देहरादून में 1997 में भूतल से जो जल उपलब्ध है वह 57 मीटर में था और वर्तमान में यह लगभग 60 मीटर पर पहुँचा है। जनपद हरिद्वार में 14 मीटर में था और वर्तमान में भी वह 14 मीटर में ही उपलब्ध है। जनपद ऊधमसिंह नगर में यह लगभग 05 मीटर में था और वर्तमान में भी 05 मीटर में है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में ये लगभग 135 मीटर में था जो आज लगभग 140 मीटर पर है अर्थात् बहुत अधिक गिरावट भूगर्भीय जल स्तर पर होनी प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में आई है, वह बड़ी समस्या यह आई है कि हमारे जो जल स्रोत हैं, उनमें क्षरण हो रहा है। जल स्रोतों में क्षरण की वजह से काफी हद तक पेयजल योजना के निर्माण कार्य में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत हमने अभी नवम्बर मास तक एक योजना के तहत जो योजना वर्ष 2007 में बनाई गई थी, जिसके तहत उत्तराखण्ड राज्य में जल सम्बर्द्धन मिशन की स्थापना की गई। जल सम्बर्द्धन मिशन का जो मूल काम होगा वह पेयजल स्रोतों के संरक्षण और सम्बर्द्धन और उनको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसका मुख्य कार्य होगा। उसके तहत मैं जानकारी देना चाहूँगा कि राज्य स्तरीय जल सम्बर्द्धन मिशन का गठन किया गया और इसी तरह से ब्लॉक स्तरीय जल सम्बर्द्धन मिशन का गठन किया गया। ये मिशन अपने-अपने क्षेत्र में सूख रहे जल स्रोतों के संरक्षण और उसके सम्बर्द्धन के लिए कार्य करेंगे। ये दो तरह से कार्य करेंगे, एक तो तात्कालिक कार्य करेंगे और दूसरा दीर्घकालिक कार्य करेंगे। तात्कालिक महत्व के जो कार्य होंगे उन कार्यों में हमारा प्रयास यह रहेगा कि किस तरह से हम वर्षा के जल को संरक्षित कर सकें, जिससे उसका उपयोग बेहतर हो सके। क्योंकि आज उत्तराखण्ड में जो वर्षा के जल का आंकड़ा है वह लगभग 1600 मिलीमीटर

एवरेज है। अगर हमने 3 प्रतिशत भी वर्षा के जल का उपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से हमारी पेयजल की समस्या का निराकरण होगा। तो ये जल सम्बर्द्धन मिशन जो गठित किया गया, इसके दो प्रमुख कार्य हैं, एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना और दूसरा जलाभाव वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर जल संरक्षण करवाना। श्रीमन्, जल संरक्षण और सम्बर्द्धन की योजना तैयार किये जाने हेतु कार्य योजना बनाई गई और हमारे पेयजल विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक 112 डिग्गियों का निर्माण, 10623 चालखाल का निर्माण और चौड़ी पत्ती के 57753 वृक्षों का रोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना के तहत 25 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये गये, कन्ट्रोल ट्रेन्च 8883 और चैक डेम 998 बनाये गये। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, हम इसके स्थाई समाधान की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया पूरी बात तो आने दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्षा के जल को रोके जाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, किस तरह से हम वर्षा के बहते हुए जल को रोक पायें, यह हमारी कार्ययोजना में शामिल है। यह पेयजल सम्बर्द्धन मिशन जो गठित किया गया है, इसका काम यही है यही इसका स्थाई समाधान है। श्रीमन्, दो तरह की योजनाएं हैं एक तो तात्कालिक व्यवस्था क्या हो सकती है, और दूसरा दीर्घकालिक व्यवस्थायें क्या हो सकती हैं क्योंकि जब हम वर्षा के जल को संरक्षित करेंगे तो उसमें चैक डैम वगैरह स्वतः आ जाते हैं और उन चैक डैमों के माध्यम से बहते हुए जल को रोकें ताकि उसके माध्यम से हमारा जल सम्बर्द्धन हो। यह हमारी उस कार्य योजना का हिस्सा है और उसी के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक हम 815 लाख अकेले इसी जल सम्बर्द्धन में खर्च कर चुके हैं। जिसके माध्यम से हमने गाँव–गाँव में इस तरह की व्यवस्था की है, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय श्री मनोज तिवारी जी, जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में कोसी नदी बहती है और कोसी नदी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि कोसी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज थी, जिनके माध्यम से इसका जल सम्बर्द्धन होता था वह आज सूख गई हैं। लगभग केवल दो नदियां बची हैं और 300 गाँव जो इसके कैचमैंट एरिया में थे, उन पूरे गाँवों में हम योजनाबद्ध तरीके से जल सम्बर्द्धन का कार्य कर रहे हैं। आप तो उस बैठक में उपस्थित थे, एक पूरी बड़ी कार्ययोजना बनाने के लिए डी०एम० को निर्देशित किया। उन्होंने यह कार्ययोजना सभी विभागों के माध्यम से बनाई। यह तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मनोज तिवारी जी, आपको अवसर मिला है, फिर अवसर देंगे।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पेयजल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तेजी से जो जलस्तर घट रहा है, इसके सम्बर्द्धन के लिए आपने बहुत सारी योजनायें चलाई हैं, बहुत अच्छी बात है और चलानी भी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो अधिकारी उस प्लॉन को बनाता है कि वर्षा के पानी को कैसे रोकना है, चैक डैम कहाँ पर बनाने हैं या जो कैचमैंट एरिया प्रोटैक्शन के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, क्या कभी उस कार्य की मॉनिटरिंग भी हुई है ? क्या कभी सम्बन्धित अधिकारी ने उस सम्बन्धित क्षेत्र में जाने की जरूरत समझी है, जहाँ पर चैक डैम बना रहे हैं, जहाँ पर इनकी चाल–खाल बन रही है। मान्यवर, आज सम्बन्धित विभाग को जहाँ पर पत्थर मिल रहे हैं, वहीं पर वे काम कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ओम गोपाल जी, प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मानमीय अध्यक्ष जी, चैक डैम गलत जगह पर बन रहे हैं। चाल–खाल गलत जगह बन रहे हैं, जिससे इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पानी का जो हमको सम्बर्द्धन करना है, उसमें हम उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ओम गोपाल जी, प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि उन सम्बन्धित कार्यों की जाँच हो।

श्री अध्यक्ष–

आप यह तो बताइये किसकी जाँच हो ?

श्री ओम गोपाल–

जितने चैक डैम बने हैं, जितनी चाल खाल बनी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, क्या आप जाँच करायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि जितनी भी यह प्रक्रिया है, इसमें आम सहभागिता के तहत हम इसको करते हैं। किसी स्पैसिफिक विषय के बारे में माननीय सदस्य अवगत करायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है। अनुपूरक में दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो प्रयास जल सम्वर्द्धन के किये गये हैं, उनका नतीजा क्या है ? कितने ऐसे स्रोत हैं, जो रिचार्ज हो चुके हैं और उनका विधान सभावार विवरण बतायें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सभी स्रोतों का विधानसभावार विवरण तो एक बहुत बड़ा डाक्यूमेन्ट मुझे आपके सुपुर्द करना पड़ेगा उचित रहेगा कि आप हम दोनों बैठ करके उस डाक्यूमेन्ट का अध्ययन कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ तो बता दें कि ये–ये जल स्रोत हमारे रिचार्ज हो गये हैं। आपने बताया कि 815 लाख रूपये खर्च कर दिये। 803 लाख में नतीजा क्या रहा वह तो बता दें। एक स्रोत, दो स्रोत, दस स्रोत.................

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो भूगर्भी जल स्तर है, यह हजारों सालों से संरक्षित जल, जो जमीन के अन्दर स्थापित है और जिसका दोहन विकास के साथ किया गया है। हमारे विकास की बढ़ती हुई प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि उस जल का संवर्द्धन किया जाय और उसको रिचार्ज किया जाय। उस प्रक्रिया के अन्तर्गत हमने जहाँ इंजेक्शन वेल की भी बात कही है और बरसात का पानी, उस इंजेक्शन वेल के माध्यम से वापस उसे रिचार्ज करें और इसी का परिणाम है श्रीमन्, यह जो आँकड़े आपके सामने मैंने रखे हैं, यह हमारे आंकड़े दस वर्षों के अन्दर उस स्तर से नहीं गिरे हैं। यही सब उसका एक उदाहरण है कि हमारी प्रक्रिया या जो प्रयोजन है वह सही है।

प्रस्तावित मार्गों पर बस सेवाएं संचालित किए बिना अलाभकारी घोषित किये जाने का आधार तथा लाभकारी मार्गों का विवरण

*2. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–03 के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रस्तावित मार्गों पर बस सेवाएं संचालित किए बिना ही किसी मार्ग को अलाभकारी घोषित किए जाने का आधार क्या है ?

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के जिन–जिन मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवाएं संचालित होती आ रही हैं, क्या वे सभी मार्ग लाभकारी हैं ?

यदि हाँ, तो प्रत्येक मार्ग पर प्रतिमाह हो रहे औसतन लाभ का विवरण क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

नवनिर्मित एवं विस्तारित मार्ग, पर्वतीय मार्ग हैं तथा राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं हैं। ये मार्ग मुख्य मार्ग न होकर, मुख्य मार्गों से हटकर अन्य दूरस्थ मार्ग हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण बसों के लम्बी दूरी चलने पर भी पर्याप्त यात्री नहीं मिलते हैं, जिससे बसों की आय कम रहती है। आय की तुलना में व्यय अधिक होने के कारण इन मार्गों पर संचालन अलाभकारी होता है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम लाभकारी एवं अलाभकारी मार्गों पर बस सेवाएं संचालन कर रहा है परन्तु वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण नये अलाभकारी मार्गों पर बस सेवा संचालन करना उपयुक्त नहीं होगा। नये पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन करने से निगम को वर्तमान में हो रही हानि में वृद्धि होगी।

जी नहीं।

सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मार्गों में बस सेवा संचालन अलाभकारी रहता है वर्ष 2008–09 में विभिन्न मार्गों पर बस सेवा संचालन से अनुमानित ₹ 14.19 करोड़ की हानि हुई है।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न के जवाब में आपने उत्तर दिया कि जिन–जिन मोटर मार्गों में लाभ नहीं मिलता वहाँ पर मोटर नहीं चलायी जाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि आपने किन–किन मोटर मार्गों का सर्वे कराया और किन–किन मोटर मार्गों में कितने–कितने दिनों या एक महीने, दो महीने या तीन महीने उन पर बसें चलायीं और उसका जो रिजल्ट आया कि कितना हमको लाभ हुआ या लाभ नहीं हुआ ? किसी भी मोटर मार्ग की यहाँ पर जानकारी दे दें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जी ने कहा कि जो अलाभकारी मोटर मार्ग हैं, उनमें बसें नहीं चलती हैं। पूरे प्रदेश में 254 मोटर मार्ग ऐसे हैं जो अलाभकारी हैं। उन क्षेत्र में हम बसें चला रहे हैं। आपने कहा की प्रत्येक मोटर मार्ग का .... (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आप सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र का ही बता दें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कुल 201 मोटर मार्गों में बस सेवा संचालित की जा रही है। जिनमें से 194 मोटर मार्गों में बसें लाभ में नहीं चल रही हैं और 07 मोटर मार्गों में बसें लाभ में चल रही हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, केवल लाभ नहीं होगा तो क्या पर्वतीय क्षेत्र की जनता को हम बसों का लाभ नहीं देंगे ? (व्यवधान) मैंने अपने यहाँ कितने मार्गों में बस चलाने हेतु आपको पत्र दिये थे। उन मार्गों में से एक भी मार्ग में आपने बस सेवा शुरू नहीं करायी है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पर्वतीय क्षेत्र में निरन्तर बसें चलायी हैं, यदि आपकी जानकारी में ऐसा कोई मार्ग है तो आप बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या का प्रश्न पूरा आने दीजिए।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैंने आपको जितने भी पत्र दिये हैं उनमें से एक में भी बसें नहीं चलायी गयी हैं। मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे देहरादून–हरिद्वार–कोटद्वार–सतपुली–बैंजोली–बीरोंखाल, दूसरी चौबटाखाल–कुंजखाल, तीसरी कोटद्वार–सतपुली–नौगाखाल–गवाड़ी–पोखड़ा, चौथी ललितपुर–बन्दरपोट, उसके बाद देहरादून–देवप्रयाग–सतपुली जो पौढ़ी में पड़ती है। दिल्ली, कोटद्वार, किन्खू, धारकों, गौरों पैठानी, स्योली, नौटी, कोटद्वार, स्योली, हरिद्वार, कोटद्वार, सेराघाट, मकुमट पंगठंडी, देहरादून जो की सारी पौढ़ी जिले की हैं। इसमें से एक भी मार्ग में आपने बसें नहीं चलायी हैं। केवल विभाग के द्वारा यह जवाब आ जाता है कि लाभकारी नहीं है। आपने इनमें देखा की कितने दिन इनमें बस चलायी है ? उसका क्या आपने सर्वे कराया कि उसमें आपको कितना लाभ हुआ या नहीं ? आपका बस चलाने का आधार क्या है ? क्या पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बस का लाभ मिलेगा ही नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप बता दें कि उसका आधार क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, हमने 254 मार्गों पर बस सेवा संचालित की है। जो हानि पर चल रही है, जैसा कि मा० सदस्य ने कहा, कुछ बसों का परीक्षण करने के बाद, फिर भी इनमें निरन्तर बस सेवा चला रहे हैं और उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

कितने समय में करवा देंगे ? इसके परीक्षण का कोई तो आधार होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। परीक्षण करवाके बता देंगे आपको।

चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हरिद्वार में कितने अलाभकारी मार्ग हैं और कितने लाभकारी मार्ग हैं ? जो बसें यहाँ से दिल्ली के लिए संचालित होती हैं उसमें कुछ बसें, झबरेड़ा, इकबालपुर से शुरू की गयी थी, वह लाभकारी मार्ग था या नहीं था, उसका सर्वे क्या हुआ ? वह बस केवल दो दिन चली तीसरे दिन नहीं आई। फिर उसको क्यों शुरू किया गया था।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि हरिद्वार में, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में 197 मार्ग हैं, जिनमें से 137 मार्ग पर हम लाभ पर चल रहे हैं और 60 मार्ग जो हैं, उस पर हानि है।

चौ० यशवीर सिंह–

हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, हरिद्वार के बारे में हम आपको अलग से बता देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, स्पेसिफिक चीज तो आपको मिल नहीं पायेगी। अगर आप चाहें तो वे अलग से इसको बाद में बता देंगे। माननीय मंत्री जी, बाद में इसको बता दें।

प्रदेश में अनाथ बच्चों के भरण–पोषण और शिक्षा हेतु सरकार की कार्य योजना

*3. श्री यशपाल बेनाम–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में अनाथ बच्चों के भरण–पोषण शिक्षा हेतु किसी योजना का निर्धारण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अनाथ बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा हेतु पूर्व से ही कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 10 वर्ष आयु तक के अनाथ बच्चों (बालक–बालिका) के लिये राजकीय शिशु सदन अल्मोड़ा तथा राजकीय शिशु सदन, देहरादून संचालित हैं। इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष आयु तक की बालिकाओं के लिये राजकीय बालिका निकेतन, अल्मोड़ा तथा राजकीय बालिका निकेतन, देहरादून संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि 0 से 10 वर्ष आयु तक के अनाथ बालक–बालिकाओं के लिए राजकीय शिशु सदन, अल्मोड़ा तथा राजकीय शिशु सदन, देहरादून संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष आयु तक की बालिकाओं के लिए राजकीय बालिका निकेतन, अल्मोड़ा तथा देहरादून संचालित किया जा रहा है, यहाँ बालक का जिक्र नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन चारों संस्थानों में कितने अनाथ बच्चे भरण–पोषण और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्या 18 वर्ष की आयु के ऊपर हो जाने के बाद भी सरकार इनके रोजगार की जिम्मेदारी लेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय शिशु सदन, अल्मोड़ा की क्षमता है 100 और वर्तमान में 31 बालक–बालिकाएँ यहाँ पर रहते हैं, उनके खाने–पीने की व्यवस्था है। जिनमें बालक 8 हैं और बालिकाएँ 12 हैं और 1 से 10 वर्ष तक 8 हैं और 11 से 18 वर्ष तक 11 हैं और देहरादून शिशु सदन में बालक 1 और बालिकाएं 2 हैं। राजकीय बालिका निकेतन, अल्मोड़ा में क्षमता 100 की है, 53 बालिकाएं यहाँ पर रहती हैं और बालिका निकेतन, देहरादून में 30 बालिकाएं रहती हैं और जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि इनके रोजगार के लिए तो मान्यवर, अल्मोड़ा में एक बालिका को रोजगार दिया गया और देहरादून में भी दो बालिका को रोजगार दिया गया और इनके खाने–पीने की व्यवस्था है और कोई गोद लेना चाहे इनको तो उसकी भी व्यवस्था अल्मोड़ा में की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि 18 वर्ष के बाद भी क्या उन्हें रोजगार देने का प्राविधान है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ, वैसे तो नियम 18 तक है, मगर जैसे कि देहरादून में 3 बालिकाएं हैं, जिनकी आयु 20 वर्ष की है और वे ओ०एन०जी०सी० में पॉलिटेक्निक का प्रशिक्षण ले रही हैं, उनको रखा जाता है। यह मजबूरी है, कहाँ डालें इनको।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के साथ–साथ क्योंकि कुछ बेसहारा भी होते हैं, कुछ विकलांग भी होते हैं, कुछ मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी होते हैं, तो जो राजकीय कानून, 2000 किशोरों को न्याय और संरक्षण और सुविधा देने के लिए बनाया गया है, क्या उस कानून के प्रति राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है और उस कानून के तहत राज्य सरकार क्या नियमावली तैयार कर चुकी है या कर रही है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बालिका निकेतन में जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो मानसिक रूप से ग्रसित हैं, उनको भी साथ रखा जाता है। हमारी सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि जो मानसिक रूप से ग्रसित हैं उनकी अलग से व्यवस्था की जाए।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। मान्यवर, जो निकेतन में बच्चे हैं, वह तो ठीक है, लेकिन बहुत से अनाथ बच्चे ऐसे हैं, जिनके चाचा, मामा, ताऊ हैं, वे उन बच्चों को निकेतन में नहीं भेजना चाहते हैं, वे गरीब हैं तो क्या उनके लिए सरकार कुछ व्यवस्था करेगी या सरकार उनके लिए कुछ करने जा रही है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय श्री किशोर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तो कह रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे बच्चों की संख्या 100 है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारी सरकार जितने भी अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं, उनको रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है और पूरा प्रचार–प्रसार कर रही है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि जो गाँव में हैं और जिसके माँ–बाप नहीं है और उनके सगे संबंधी नहीं भेजना चाहते हैं, वह किस तरह से अपना जीवन–यापन कर रहे हैं ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, राष्ट्रीय कानून जो 2000 का एक्ट है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किशोरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या राज्य सरकार कोई नियमावली तैयार कर रही है और जो जिले में चाईल्ड वेलफेयर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था तो क्या चाईल्ड वेलफेयर कमेटी हर जिले में स्थापित की गई है ?

श्री अध्यक्ष–

आपने अनाथ बच्चों के भरण–पोषण की बात की है और इसमें नियमावली की कोई बात नहीं आई है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, इसका जवाब नहीं आया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य, काजी मो0 निजामुद्दीन एवं श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना मूल प्रश्न देखिये, माननीय श्री यशपाल बेनाम जी, आपका प्रश्न अनाथ बच्चों के भरण–पोषण का है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(सभी माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर चले गये।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने अनाथ और बेसहारा बच्चों की बात कही है और हमने कहा कि इनके लिए व्यवस्था की है। जैसे माननीय

किशोर उपाध्याय जी ने कहा, जो नहीं आना चाहते हैं तो जबर्दस्ती तो हम ला नहीं सकते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, गाँव में जो अनाथ हैं जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं है, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि बेसहारा, मानसिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से बेसहारा बच्चे हैं और कुछ बच्चों से जबर्दस्ती कार्य भी कराया जाता है। उनके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्पेसिफिक प्रश्न करें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस विषय को गम्भीरता से लें। जो अनाथ बच्चे हैं। यह ठीक है कि हमने अनाथ कह कर इस शब्द को बहुत छोटा कर दिया है मान्यवर, अनाथ के साथ बेसहारा बच्चे भी हैं, मानसिक रूप से कमजोर एवं विकलांग बच्चे भी हैं और जो अपना बोझ न खुद उठा सकते हैं और न दूसरा उनका बोझ उठा सकता है, इसमें ऐसे बच्चे भी है। इनके लिए जो हमारा कानून 2000 है, जो न्याय, सुरक्षा और संरक्षण देता है इसके तहत क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह नियमावली तैयार करे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य राष्ट्रीय कानून, 2000 जिसकी ओर इंगित कर रहे हैं, इसकी नियमावली बन गयी है या नहीं यह बतायें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नियमावली तैयार हो गयी है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, यदि नियमावली तैयार है तो उसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि नियमावली तैयार हो गयी है और जल्द से जल्द लागू की जायेगी।

प्रदेश में बढ़ते हुये ट्रैफिक और पर्यटन को बढ़ावा हेतु यात्रा–रूट पौढ़ी से होकर भी किये जाने पर विचार

*4. श्री यशपाल बेनाम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते हुये ट्रैफिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये यात्रा–रूट पौढ़ी से होकर भी किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य यात्रा मार्ग हरिद्वार/ऋषिकेश से प्रारम्भ होकर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ होकर बद्रीनाथ तक जाता है इसके साथ ही यदि कोई यात्रा वाहन, हरिद्वार से वाया कोटद्वार यात्रा करना चाहता है तो वह दुगड्डा, सतपुली, पौढ़ी एवं श्रीनगर होकर मुख्य यात्रा मार्ग पर मिल जाता है।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते हुए ट्रैफिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये यात्रा–रूट पौढ़ी से होकर भी, मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा हूँ कि 'पौढ़ी से'। मेरा प्रश्न तो ट्रैफिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। इसमें मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार की प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति नहीं है। इसमें सरकार ने सीधे मना कर दिया है इसमें यह हो सकता था कि जिस तरह से पौढ़ी से देवप्रयाग, श्रीनगर, जैसा कि श्रीनगर में जो पुल है। अगर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अगर इसका डाईवर्जन देवप्रयाग पुल से पौढ़ी और श्रीनगर होते कर दिया जाय या आते समय खाँकरा–पौढ़ी से कोटद्वार या देवप्रयाग से ऋषिकेश–हरिद्वार भी किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने माननीय श्रीमती अमृता रावत के जवाब में कहा कि जहां पर लाभ हो रहा है, उस यात्रा–रूट पर आप बस लगा रहे हैं। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ

कि क्या सरकार यात्रा–रूट को जाते समय या आते समय जो तमाम रूट हैं उनका चार्ट तैयार करेगी ? और यह यात्रा रूट हमारे प्रदेश की आय में वृद्धि करता है और लाभ देता है तो लाभ को देखते हुए क्या सरकार इस रूट को यात्रा रूट लागू करने पर विचार करेगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, पौड़ी के लिए पर्यटन के क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं है, चूंकि पौड़ी के लिए हमारे यहां हरिद्वार से और ऋषिकेश से भी बसें संचालित हैं। आपने कहा कि जो हमारा यात्रा–रूट है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा यात्रा रूट हरिद्वार से ऋषिकेश से प्रारम्भ होकर देवप्रयाग–श्रीनगर जाता है। चूंकि यदि हम पौड़ी से यात्रा रूट को लागू करेंगे तो वहां पर हमें 30 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी होगी। यानि के आना–जाना 60 किलोमीटर बढ़ जायेगा। इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है यदि कोई पौड़ी होकर जाना चाहता है तो वह जा सकता है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो सरकार सड़कों पर करोड़ों रूपये लगा रही है। सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है, पैंटिंग कर रही है मान्यवर, इन रोडों को बनाने से क्या फायदा हुआ है ? मान्यवर, माननीय शैलेन्द्र रावत जी जानते हैं, पहले कोटद्वार से पौड़ी की दूरी 4 घण्टे थी। अब रोड बनने के बाद वह 2 घण्टे हो गयी है। क्या सरकार इन तमाम चीजों को देखते हुए, मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूँ कि मैं जबरदस्ती अपनी बात को नहीं मनवा रहा हूँ, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम सर्वे करते हुए, निरीक्षण करते हुए, यदि फायदा लगता है तो क्या सरकार डायवर्जन करने का काम करेगी ? यात्रा–रूट एक तरफ से हो, जिससे दुर्घटनाएं भी बचेंगी। जैसा कि चारों धामों के अध्यक्षों ने भी यह कहा है कि कुंभ के दौरान चारों धामों के रूट खोले जाएं, इसलिए जरूरी है कि यात्रा मार्ग डायवर्ट हो और दुर्घटनाएं न हों। यदि सारी संभावनाएं सही रहती हैं, राज्य हित में, राजस्व हित में, तो क्या इसे लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यात्रा रूट के बारे में बात आयी। यात्रा रूट, हमारे रामनगर से नैनीडांडा, पौड़ी होते हुए श्रीनगर तक यात्रा रूट है, का सर्वे किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं और दूरी ज्यादा है, इसलिए इनका परीक्षण करा लीजिए कि अगर वन–वे बना

लिया जाय तो उससे पर्यटन को भी लाभ मिलेगा और यात्रियों को भी सुविधा होगी। क्या यह संभव है ? इसको दिखवा लीजिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने भी सदन में सहमति दी। दुर्घटनाएं जो दिन–प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इनको रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त सड़कें हैं। जैसे दिल्ली से कोटद्वार, कोटद्वार से पौड़ी, पौड़ी से बद्रीनाथ, केदारनाथ सब तरफ के लिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब तक ये सड़कें पर्यटन मानचित्र पर अंकित नहीं होंगी, तब तक पर्यटकों का आवागमन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

यशपाल जी का जो अनुपूरक प्रश्न था, उसमें इस बात का उत्तर आ गया है। पहले परीक्षण करवा लेंगे, यदि संभव होगा तो कर देंगे।

जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर पाँच पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं स्वीकृति धनराशि का विवरण

*5. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या–09 के उत्तर के क्रम में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 को हरिद्वार में जिन पाँच पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु एक सौ करोड़ की केन्द्रीय सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है, उन योजनाओं को स्वैप मोड में गठित करवाए जाने का औचित्य क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 100 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही और किए गये ठोस प्रयासों का विवरण क्या है ?

तथा वर्ष 2006 से अभी तक इन योजनाओं का प्राक्कलन स्वैप मोड में गठित न किए जाने के कारण क्या हैं तथा कब तक प्राक्कलन गठित किया जायेगा ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त तारांकित प्रश्न संख्या–09 के उत्तर में वर्णित कतिपय पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो इन योजनाओं तथा उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है तथा स्वीकृत धनराशि अभी तक अवमुक्त न किए जाने के कारण क्या हैं तथा कब तक स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

11/2006 से प्रदेश में विश्व बैंक सहायतार्थ स्वैप कार्यक्रम लागू हो जाने के फलस्वरूप जिन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था अथवा जिन योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई थी, को स्वैप मोड में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजनाओं की स्वीकृति/धनावंटन हेतु शासन स्तर से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। सचिव, पेयजल के अर्द्ध शा० पत्र संख्या 245, दिनांक 02.11.2006 एवं प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम के पत्र संख्या 817, दिनांक 23.03.2007 द्वारा भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति/धनावंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

गुण्डेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन आउट ऑफ स्वैप स्वीकृत है। डाँडानागराजा पम्पिंग पेयजल योजना के प्राक्कलन स्वैप मोड में गठित किये जाने के फलस्वरूप सक्षम एवं उचित प्लानिंग फेज, उपभोक्ता द्वारा अंशदान की धनराशि निश्चित न हो पाने, अनुबन्ध एवं ग्राम स्तर पर समितियों के गठन न हो पाना मुख्य कारण रहे हैं। शेष योजनाओं के प्राक्कलन शाखा स्तर पर गठित कर लिये गये हैं।

जी हाँ, गुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

गुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना अनु० लागत ₹ 1196.65 लाख के सापेक्ष ₹ 323.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है शेष योजनाओं के स्वैप मोड में गठित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूँ कि जिन 5 योजनाओं की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरिद्वार में की गयी थी और उनके लिए 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता दिये जाने की भी उन्होंने घोषणा की है। मैं जानना चाहती हूँ कि उन 5 योजनाओं को स्वैप में डालने का क्या आधार है और क्या औचित्य है ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि स्वैप मोड के अन्तर्गत प्रदेश में किन–किन योजनाओं में कार्य शुरू हो गया है और उनकी क्या प्रगति है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह बात भी जानना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश की जनता विवश,

विकलांग, वृद्धावस्था पेंशनों पर आधारित हैं, उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे गाँवों से क्या आप आशा करते हैं कि स्वैप में धनराशि एकत्रित की जाएगी, तब जाकर वहाँ की पेयजल योजनाओं का निर्माण होगा ? यह बिल्कुल आधारहीन है। स्वैप में डालने के कारण पहाड़ में कोई भी योजना नहीं बन पायी है।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछ लिया है। माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने वर्ष 2006 में माननीय प्रधानमंत्री जी के भ्रमण के दौरान जिन 5 योजनाओं की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी थी, उनकी वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी चाही है। ये 5 योजनाएं डांडानागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, मुंडनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, घंटाकरण पम्पिंग पेयजल योजना, सरयू बैलखेत दन्या ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना और दोड़म ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना थीं। चूंकि इन सभी योजनाओं में तत्कालीन सरकार के माध्यम से जो स्वीकृतियां प्रदान की गई, वह केवल प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान की गई और यह स्वीकृति 19 अक्टूबर, 2006 को प्रदान की गई, इस प्रशासकीय स्वीकृति के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति की जानी थी, लेकिन वह नहीं की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक सहायतित सेक्टर परियोजनाओं को भारत सरकार ने उत्तराखण्ड सरकार के पक्ष में एक एम०ओ०यू० किया और उस एम०ओ०यू० की शर्तों के आधार पर जो भी नई परियोजनायें बनाई जायेंगी, उन सभी परियोजनाओं का कार्य इस पद्धति से ही हो, ऐसी बाध्यता हो गई।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणायें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जी हाँ, सभी योजनायें इसमें शामिल हो गई, केवल नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र इसमें कवर हो गये। केवल उन योजनाओं को छूट दी गई, आउट ऑफ स्वैप वही योजनायें हुई, जिनमें कुछ धनराशि अवमुक्त

हो चुकी थी या उन पर कार्य चल रहा था। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद 19 अक्टूबर, 2006 को केवल प्रशासकीय स्वीकृति की गई। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार का इसमें उल्लेख है, इसलिये मैं भी इसको उल्लेखित कर रहा हूँ और इसी समय जब स्वैप के तहत सेक्टर पद्धति के माध्यम से योजनायें प्रारम्भ हुईं तो उसके चलते हुये हम राज्य सेक्टर से कोई भी धनराशि दिये जाने का प्रावधान नहीं कर पाये। उसके पश्चात् जो स्वीकृति हुई, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे आपको उपलब्ध करा दूं या चाहें तो मैं इसे पढ दूं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आप इसे मुझे उपलब्ध करा दीजिये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं इसे आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि इन पांचों योजनाओं के सम्बन्ध में पिछले सत्र में भी प्रश्न उठाया था, इसलिये इसे हमने काफी गंभीरता से लिया है। इसमें प्रोग्रेस हुई है और आगे थोड़ा सा सहयोग मुझे आपसे भी चाहिये होगा। आपसे सहयोग इस आधार पर चाहिये होगा कि यह योजना है, डांडा नागराजा, इस योजना के अन्तर्गत 28 ग्राम पंचायतें और 88 बस्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें से 85 बस्तियों में अध्ययन की कार्यवाही हो चुकी है और 28 ग्राम पंचायतों में प्लानिंग फेज की कार्यवाही हेतु एन०जी०ओ० द्वारा 15 ग्राम पंचायतों का अनुबन्ध कर गठन की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन जो बचे हुये 13 गांव हैं, उन क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा। क्योंकि जब तक हम यह नहीं करेंगे, तब तक इसके प्लानिंग फेज और प्राक्कलन विरचन का कार्य संभव नहीं हो पायेगा। इसमें हमारा प्रयास हो रहा है कि यदि उस जनपद में हमें एन०जी०ओ० नहीं मिला तो हम बाहर के जनपद से एन०जी०ओ० लेंगे, ताकि हम तत्काल और शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्माण करा पायें।

दूसरा विषय आपने पूछा कि कितनी योजनाओं पर स्वैप पद्धति लागू होने के बाद कार्य हुआ है। इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारी 1800 सिंगल विलेज स्कीम इसके तहत प्रक्रियाधीन हैं और 650 मल्टी विलेज स्कीम हैं और 572 पुनर्गठन के प्रस्ताव हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, कितनी योजनाओं में कार्य शुरू हो चुका है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, कुल कितनी हैं, पहले उसे बता दूं, तो 2822 कार्य प्रारम्भ किये हैं और जिनमें फंड ट्रांसफर हुआ है तथा जिनमें सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है ....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो–जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनसे अवगत करा दीजिये।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यदि आप कहें तो यह सारे डाक्यूमेंट मैं माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा और आपके साथ चर्चा कर लूंगा।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पेयजल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन 06 योजनाओं की घोषणा की थी योजना बनाने की, उनमें से एक मेरे क्षेत्र की घंटाकरण पम्पिंग योजना भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि 2006 में एक जी०ओ० पास हुआ भारत सरकार से कि स्वैप योजना से अब नई स्कीमें बनेंगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 3–3 बार सर्वे हुआ। 2003 से जो सर्वे है स्वैप योजनाओं का उनमें से सारे गाँव एफ०सी०में दिखा दिये। जबकि हमारे यहाँ ऐसे–ऐसे क्षेत्र हैं, जहां खच्चरों से पानी की ढुलाई हो रही है और उसको उन्होंने एफ०सी० में दिखा रखा है। तो मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूँगा कि क्या आप दुबारा सर्वे करवा के उन गाँवों का एन०सी०पी०सी० में करवाने की कोशिश करेंगे ? इससे फिर वह वंचित हो जायेगा, वह फिर कभी बन नहीं पायेगी। क्योंकि टोटल उन्होंने एफ०सी० में दिखा रखी है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो गाँव बिल्कुल पानी से वंचित हैं, उनका एन०सी०पी०सी० में कराये जाने के लिए सर्वे करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने घंटाकरण पेयजल योजना के संबंध में जानकारी चाही है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा, श्रीमन्, ये जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके प्राक्कलन की अनुमानित लागत 50 करोड़ 61 लाख रुपया है श्रीमन्, और इस योजना के अन्तर्गत 62 राजस्व गाँवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत 31 स्कूल, 211 बस्तियाँ हैं और इसका आधार वर्ष 2011 और

अभिकल्पित वर्ष 2026 रखा गया है। जिसके आधार पर 2011 में 34,959 जनसंख्या लाभान्वित होगी और 2026 तक जो प्रोजेक्शन किया गया है तो 45,457 है श्रीमन्। (व्यवधान) इसकी प्रारम्भिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब इसके जांचोपरान्त धन आवंटन हेतु अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि दुबारा सर्वे क्या सम्भव है इसमें ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर नहीं, इसमें जो एफ०सी० गॉंव हैं इसमें सहमति बनी है कि जो ऐसे एफ०सी० गॉंव हैं जो 2003 राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत दर्शाए गए थे, इस पर कार्यवाही समिति बनाकर की जानी है और सहमति दे दी है विश्व बैंक ने, इसके आधार पर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

राज्य योजना आयोग में कार्यरत् शोध अधिकारी को वरिष्ठता सूची में सर्वोच्च स्थान दर्शाने एवं विनियमितीकरण का आधार

*6. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य योजना आयोग में कार्यरत शोध अधिकारी का विधिवत् पुनर्गठन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटन हुआ है ?

यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारी को उत्तराखण्ड में नियोजन विभाग के साथ वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर दर्शाने का क्या आधार है ?

क्या यह भी सत्य है कि पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के बाद दिनांक 29.06.2001 को 8 माह के बाद, ऐसे अधिकारी जिन्होंने विभाग में कार्य ही नहीं किया है, उनका सचिव समन्वय, उ०प्र० शासन के द्वारा जारी विनियमितीकरण के आदेशों को उत्तराखण्ड शासन, नियोजन विभाग द्वारा नियम विरूद्ध पाये जाने पर अमान्य कर दिनांक 04.08.2001 को संसूचित किया गया है ?

यदि हॉं, तो 8 वर्ष के पश्चात् उसी विधि विरूद्ध व निरस्त आदेश को वर्तमान सचिव, नियोजन द्वारा मान्य करने के क्या आधार हैं जिस कारण मूल कार्मिकों की ज्येष्ठता में विवादास्पद स्थिति पैदा की गई ?

क्या सरकार विनियमितीकरण के विधि विरूद्ध आदेश को निरस्त कर विभाग के मूल कार्मिकों के साथ न्याय करेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हॉं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 29 जून, 2001 द्वारा सम्बन्धित वरिष्ठ शोध अधिकारी का संविलयन क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरांचल विकास विभाग, अल्मोड़ा में शोध अधिकारी के पद पर किया गया था। तत्कालीन सचिव नियोजन द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु उत्तर प्रदेश समन्वय विभाग को पत्र दिनांक 04.08.2001 प्रेषित किया गया, किन्तु उत्तर प्रदेश समन्वय विभाग द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29.06.2001 को निरस्त नहीं किया गया और उक्त आदेश के क्रम में ही उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 03 जनवरी, 2008 द्वारा उक्त अधिकारी का संविलयन उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि से नियोजन निदेशालय तथा राज्य योजना आयोग के गठन की तिथि अर्थात् दिनांक 09 सितम्बर, 2005 से कार्यालय ज्ञाप सं0–561/48(2002)–XXVI/2005, दिनांक 09 सितम्बर, 2005 के प्रस्तर–6 के अनुपालन में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड में किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा संविलयन के आदेश नियमानुसार किए गए हैं, जिसमे पुनर्विचार का अब कोई अवसर नही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के क्रम में उत्तर दिया है, क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य योजना आयोग में कार्यरत शोध अधिकारी का विधिवत पुनर्गठन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटन हुआ है ? माननीय मंत्री जी ने कहा 'जी हाँ'। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि इनका आवंटन विधिवत् रूप से हुआ है, तो आवंटन सूची आपके पास उपलब्ध होगी, उसमें किस क्रम में इनका नाम अंकित है, नम्बर–1 और ये नियोजन विभाग के कार्मिक थे या किसी निगम के कार्मिक थे नम्बर–2, ये मैं जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो 29 जून, 2001 को वरिष्ठ शोध अधिकारी की सेवाओं के संबंध में कार्मिक विभाग की सहमति से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था और वो आदेश क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा में शोध अधिकारी के पद पर तैनात इस कार्मिक से संबंधित संविलयन करने का ......। (व्यवधान) मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिये। (व्यवधान) जो मैं बता रहा हूँ, वो उत्तर में नहीं दे रखा है। ये आदेश उससे संबंधित था और इस आदेश के पश्चात् श्रीमन्, इनको राज्य योजना आयोग में शोध अधिकारी के पद पर संविलयन करने का आदेश निर्गत किया गया। श्रीमन्, और इनको उत्तरांचल विकास विभाग में संविलयन विषयक आदेश 29 जून, 2001 को निरस्त किया गया। श्रीमन्, इसके पश्चात् शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की व्यवस्था के तहत इनके संविलयन के

पुनः आदेश दिये गये। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि इनकी वरीयता क्रम में इनकी स्थिति क्या थी, उस वरीयता क्रम के हिसाब से ये ज्येष्ठता क्रम में सबसे ऊपर थे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी, मैं आवंटन सूची की बात कर रहा हूँ वरीयता क्रम नहीं पूछ रहा हूँ। आवंटन सूची में किस क्रम में हैं ? अगर आवंटन सूची आपके पास नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मेरे पास आवंटन सूची है जिस क्रम में इनका विनियमितीकरण हुआ था और अन्तिम आवंटन सूची उत्तर प्रदेश से अविभाजित उत्तरांचल में आयी थी, वही तो विवाद हुआ था, जिस विवाद के चलते हुए चूँकि 2001 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका आवंटन निरस्त कर दिया गया था, इनका संविलयन आदेश निरस्त कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत इनके पुनः संविलयन के आदेश दिये गये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपका उत्तर आया है 'जी हाँ' मैं पूछ रहा हूँ कि आवंटन सूची में किस क्रम में हैं ? मेरे पास सूची उपलब्ध है, यदि माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से जानकारी दे सकता हूँ। इसमें इस अधिकारी का नाम किसी भी क्रम में अंकित नहीं हैं मान्यवर, उत्तर बिल्कुल भ्रामक दिया गया है और सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी उत्तर बिल्कुल गलत और असत्य दे रहे हैं। मेरे पास आवंटन सूची है, यह उत्तर बिल्कुल गलत है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में आने वाले कार्मिकों की जो प्रक्रिया थी उसके तहत भारत सरकार के माध्यम से अन्तिम आवंटन किया गया। उस आवंटन में जिन कर्मियों के नाम थे, चूँकि उत्तर प्रदेश से आने वाली सूची में निश्चित रूप से इनका नाम नहीं था। क्योंकि यह उत्तरांचल की परिधि के अन्तर्गत उत्तरांचल विकास विभाग में कार्यरत थे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि आवंटन हुआ या नहीं हुआ ? आपने कहा, 'जी हाँ'। जब आवंटन हुआ ही नहीं तो आपका उत्तर बिल्कुल भ्रामक है और सदन को गुमराह करने वाला है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, किस तरह का भ्रामक है, इस तरह का आरोप आप किस तरह लगा रहे हैं। उत्तर बिल्कुल सही है, आप अपना प्रश्न तो पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी, आपके चेहरे पर गुस्सा कतई अच्छा नहीं लगता। आप इतने होनहार और अच्छे मंत्री हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मुझे गुस्सा नहीं आता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे पास सूची है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप पूरी सूची लीजिए। आप आधी सूची लेकर सवाल कर रहे हैं। जिसने आपको फीडबैक दिया है, वह गलत दिया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे पास पूरी सूची है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति दें तो इस प्रश्न को एक बार पुनः देख लिया जाय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। राज्य योजना आयोग में कार्यरत शोध अधिकारी का विधिवत् पुनर्गठन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटन हुआ है तो वह आवंटन विधिवत हुआ है, यह राज्य की कार्मिकों के अन्तिम आवंटन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इनका संविलयन किया गया। कतिपय कारणों से तत्कालीन सरकार के समय में वह संविलयन निरस्त किया गया। मान्यवर, उस संविलयन को तुरन्त पुनर्विचार व्यवस्थाओं के अनुसार नियमों के परिधि में संविलयन के आदेश दिये गये और संविलयन हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं। अब अनावश्यक आप एक सूची लेकर अपनी बात को कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं तो आवंटन की बात कर रहा हूँ। मैं आवंटन पूछ रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आवंटन हुआ है तो किस क्रम में हुआ है ? मुझे केवल इतना बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

जो सूची लेकर के आप घूम रहे हैं, उसमें नहीं है नाम। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

बात तो आने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, क्रम बता दें। एक लाईन का जवाब है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिस आदेश के तहत संविलयन किया गया और संविलयन के चलते हुए स्वतः ज्येष्ठता क्रम में ऊपर आ गये और इस आदेश के तहत जो पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में कार्मिकों के उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य अन्तिम आवंटन से सम्बन्धित हैं आप जिस आवंटन को दिखा रहे हैं, वह आवंटन की सूची है, लेकिन उसके पश्चात् यह अन्तिम आवंटन हुआ है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी घुमा रहे हैं। आवंटन किस क्रम में अंकित है, केवल इतना बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो सूची (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं सूची की बात ही कर रहा हूँ। आप के पास जो सूची है उसमें बता दें कि किस क्रम में है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ज्येष्ठता सूची में क्रमांक एक पर है। सबसे ऊपर हैं तो अपने आप ही पदोन्नति हो गई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वह सूची कहाँ है ? कृपया सूची उपलब्ध करा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सूची आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मुझे नहीं, सूची सदन को उपलब्ध करा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन को उपलब्ध करा दी जायेगी। जो आपकी सूची है, वह अन्तिम आवंटन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अगला सवाल मेरा यह है कि क्या पुनर्गठन के बाद उत्तर प्रदेश के सचिव को यह अधिकार है कि किसी की ज्येष्ठता सूची निर्धारण करने का ? यदि अधिकार है तो वह कौन सा कार्यादेश या शासनादेश है, उसे माननीय मंत्री जी उपलब्ध करा दें। क्योंकि यदि अधिकार नहीं है तो पूर्व तत्कालीन सचिव महोदय ने निरस्त कर दिया था उत्तर प्रदेश के आदेश को, यह कहकर कि उत्तर प्रदेश को वह अधिकार पुनर्गठन के बाद नहीं है। जो सूची बनाई है, उसे मैं निरस्त करता हूँ। लेकिन उसे निरस्त करने के बावजूद भी जो वर्तमान में सचिव हैं, उन्होंने पता नहीं किन कारणों से इस अधिकारी को पुनः उत्तर प्रदेश के आदेश को, जिसे तत्कालीन सचिव ने निरस्त किया था, [×××] पुनः शोध अधिकारी बना दिया। क्यों बना दिया, किस आधार पर बना दिया ? न तो ज्येष्ठता सूची में आते हैं, न उस विभाग के कर्मचारी हैं। दूसरे विभाग से लिये गये हैं। कैसे ज्येष्ठता सूची में आ जायेंगे ? माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के सचिव को अधिकार है, यहाँ आदेश जारी करने का ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के सचिव ने न तो निरस्त किया है और न ही संविलयन किया है ?

श्री अध्यक्ष–

किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि वह मौजूद नहीं है और न ही वह आपकी बात का जवाब दे सकता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नाम वापस ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। नाम हटा दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, न तो संविलयन उत्तर प्रदेश ने निरस्त किया है और नहीं उन्होंने संस्तुति की है। लेकिन चूँकि इस प्रकरण में उस संविलयन को निरस्त करने की प्रक्रिया की गई थी। जिसके तहत पुनः संविलयन किया गया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, निरस्त क्यों किया गया ? महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है न। (बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान) बात तो आने दीजिए।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, घोर व्यवधान)

नोट–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे रहा हूँ। वरिष्ठ शोध अधिकारी के क्षेत्रीय कार्यालय में उत्तरांचल विकास विभाग के संविलयन विषयक आदेश 29 जून, 2001 को निरस्त किये जाने हेतु तत्कालीन सचिव, नियोजन द्वारा पत्र प्रेषित कर उक्त आदेश निरस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के सम्यक् विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर यह भी उल्लेख किया जाना असंगत नहीं होगा कि तत्कालीन सचिव, नियोजन द्वारा उत्तर प्रदेश सम्यक् विभाग से पत्राचार और कोई भी जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके आधार पर यह निरस्त करने सम्बन्धी एक पत्र निकल गया था। मान्यवर, चूँकि संविलयन निरस्त नहीं हुआ था, उसको हमने पुनः पुनर्गठन अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप नियमों की परिधि में लाकर संविलयन किया है। इस तरह से कोई भी संविलयन गलत तरीके से नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के सचिव को अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के सचिव ने कहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं। (घोर व्यवधान) इस तरह से कोई भी संविलयन निरस्त नहीं हुआ है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन को छोड़कर सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में एजेन्सी के माध्यम से ठेके पर चालक/परिचालकों की भर्ती में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों की संख्या तथा भुगतान दर

*7. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम में एजेन्सी के माध्यम से ठेके पर चालक और परिचालकों की भर्ती की जा रही है, जिन्हें 50 पैसे प्रति कि0मी0 की दर से भुगतान किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इनमें उत्तराखण्ड के कितने मूल निवासियों को अब तक भर्ती किया गया है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में चालक/परिचालक एजेन्सी के माध्यम से ठेके पर रखे गये हैं। वर्तमान में एजेन्सी को परिचालन आपूर्ति हेतु 48 पैसा प्रति कि0मी0 एवं चालकों की आपूर्ति हेतु मैदानी मार्ग पर कि0मी0 के अनुसार 70 पैसे से 50 पैसे प्रति कि0मी0 तक तथा पर्वतीय मार्गों पर 93 पैसे से 200 पैसे प्रति कि0मी0 तक का भुगतान किया जा रहा है।

एजेन्सी द्वारा आपूर्ति किये गये चालकों/परिचालकों के आवेदन–पत्रों में लिखित पते के अनुसार 527 चालक तथा 503 परिचालक उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं।

उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों में कार्यरत मजदूरों का न्यूनतम वेतन एवं शोषण रोकने हेतु कारगर कदम

*8. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों द्वारा न्यूनतम वेतन एवं फैक्ट्री कानून का अक्षरशः पालन किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के शोषण को रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

श्रम विभाग के प्रवर्तन तन्त्र द्वारा उत्तराखण्ड में स्थापित विभिन्न कारखानों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने पर न्यूनतम वेतन एवं फैक्ट्री कानून का पालन कारखाना प्रबन्धकों से सुनिश्चित कराया जाता है और दोषी सेवायोजकों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

*9. श्री शेर सिंह–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की मासिक आय सीमा ₹ 1000 से बढ़ाकर ₹ 3000 करने पर विचार

*10. श्री कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में "अन्य पिछड़ा वर्ग" छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा अभिभावकों की मासिक आय ₹ 1000 प्रतिमाह तय की गयी है ?

क्या सरकार उक्त अर्हता की आय सीमा में वृद्धि कर ₹ 1000 से बढ़ाकर ₹ 3000 करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

वर्तमान में शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तराखण्ड जल संस्थान में वर्ष 2002 से पूर्व सेवा निवृत कर्मचारियों तथा विधवाओं को दी जा रही पेंशन में विसंगति

*11. श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जल संस्थान उत्तराखण्ड में वर्ष 2002 से पूर्व 20 से 30 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मात्र 150/ से 199/ प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है ?

एवं मृतक आश्रितों को विधवा पेंशन भी नहीं दी जा रही है ?

क्या यह सत्य है कि वर्ष 2002 के उपरान्त सेवानिवृत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन मय महंगाई भत्ते के व पारिवारिक पेंशन भी दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं। अधिसूचना संख्या 1470/IV(1)/2008–20(आश्वासन)/2004 शहरी विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 से "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984) (संशोधन) विनियमावली, 2008" उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अंगीकृत की गयी है। इस विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था में अधिकतम मासिक देय पेंशन ₹ 1000.00 को संशोधित कर ₹ 3,500.00 एवं पारिवारिक पेंशन हेतु पूर्व व्यवस्था में अधिकतम धनराशि ₹ 150.00 को संशोधित कर ₹ 1,000.00 अनुमन्य की गयी है।

जी नहीं। पूर्व व्यवस्था पारिवारिक पेंशन हेतु 10 वर्ष अथवा पदधारी के 65 वर्ष की आयु सीमा का प्राविधान था जिसे संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन मृतक के आश्रित की विधवा/पारिवारिक सदस्यों को अनुमन्य है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जल संस्थान के अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984) (संशोधन) विनियमावली, 2008" के प्राविधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य सुविधायें देय हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित नानक सागर, धौरा जलाशय व तुमड़िया डाम इत्यादि जलाशयों का सुधारीकरण

*12. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानक सागर, शारदा सागर, बैगुलडाम, धौरा जलाशय और तुमड़िया डाम को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित कर दिया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन जलाशयों के सुधारीकरण हेतु विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। मात्र तुमड़िया डाम, उत्तराखण्ड, सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन है।

तुमड़िया डाम के सुधारीकरण की एक योजना लागत 1982.00 लाख की, बनाकर केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले महानुभावों/अतिथियों के आवागमन हेतु वाहनों की व्यवस्था के मानक तथा विगत 3 वर्षों में किये व्यय का विवरण

*13. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या प्रोटोकाल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले महानुभावों/अतिथियों के आवागमन हेतु वाहनों की व्यवस्था के क्या मानक हैं तथा वाहन किराये पर लेने हेतु किस–किस एजेन्सी को अनुबन्धित किया गया है ?

क्या अनुबन्धन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वाहनों के किराये पर विगत 03 वर्षों में किये गये व्यय का विवरण क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले महानुभावों/अतिथिगणों, जिन्हें राज्य अतिथि नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुसार राज्य अतिथि घोषित किया गया हो, उनके आवागमन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन व्यवस्था सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वाहनों के किराये पर वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 में हुए व्यय का विवरण संलग्नानुसार है। †

केन्द्र पोषित त्वरित सिंचाई योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों पर गूल निर्माण हेतु प्रस्ताव एवं स्वीकृति

*14. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र पोषित त्वरित सिंचाई लाभ योजना ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के निजी नलकूपों पर गूल निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में मैदानी जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–205 पर)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

केन्द्र पोषित त्वरित सिंचाई लाभ योजना ए०आई०बी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा गाईड लाईन्स निर्गत की गयी हैं, जिसमें निजी नलकूपों पर गूल निर्माण किये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

जी नहीं।

केन्द्र पोषित त्वरित सिंचाई लाभ योजना ए०आई०बी०पी० के सम्बन्ध में निर्गत गाईड लाईन्स में निजी नलकूपों पर गूल निर्माण किये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा में कृत्रिम झील के निर्माण हेतु सरकार द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव

1. श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में रई झील, चम्पावत में कालीढ़ेक झील, बागेश्वर में बागनाथ झील, रानीखेत में विमाण्डलेश्वर झील, रुद्रपुर में कल्याणी झील, आदि विभिन्न झीलों का पर्यटन की दृष्टि से निर्माण कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या जनपद अल्मोड़ा में भी कोई कृत्रिम झील के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जिला पिथौरागढ़ में रई झील, चम्पावत में कालीढ़ेक झील के निर्माण की योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बागेश्वर में बागनाथ झील का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। रानीखेत में विमाण्डलेश्वर झील एवं रुद्रपुर में कल्याणी झील का निर्माण कराया जा रहा है।

जनपद अल्मोड़ा में कोसी नदी पर कृत्रिम झील का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, किन्तु पेयजल हेतु बर्शिमी नामक स्थान पर बर्शिमी बांध एवं कोसी नदी पर बैराज का प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में कृषि योग्य क्षेत्रफल तथा सिंचाई विभाग का अंश

2. श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है तथा इसमें कितना अंश सिंचाई विभाग का है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि योग्य क्षेत्रफल, 8.73282 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 2.999 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि सिंचाई विभाग के कमाण्ड क्षेत्र में है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2008–09 में 2.756 लाख हैक्टेयर सींच सिंचाई विभाग द्वारा अर्जित की गयी है।

प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत कच्ची गूलों को पक्का करने हेतु योजनाओं की लागत

3. श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में नाबार्ड वित्त पोषित कितनी योजनाएं कच्ची गूलों को पक्का करने हेतु चल रही हैं तथा इन योजनाओं की लागत क्या है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नाबार्ड से 8% की दर से उपरोक्त योजनाओं हेतु ऋण लिया जाना राज्य हित में आवश्यक था ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत कच्ची गूलों को पक्का करने की कुल 14 योजनायें स्वीकृत हैं। जिनकी कुल लागत ₹ 1622.38 लाख है।

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत नाबार्ड मद में कुल 13 योजनायें स्वीकृत हैं, इन योजनाओं में गूलों को पक्का करने की लागत ₹ 1634.39 लाख है।

प्रदेश में वित्तीय संसाधन सीमित होने तथा कृषकों के व्यापक हित/लाभ एवं सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु नाबार्ड से ऋण लिया जाना आवश्यक था। नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं पर नाबार्ड द्वारा वर्तमान में 6.5% ब्याज दर पर राज्य सरकार को ऋण दिया जा रहा है।

उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग तथा श्रम विभाग द्वारा संचालित आई०टी०आई० के अधीक्षकों के वेतन में विसंगति के कारण

4. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आई०टी०आई० के अधीक्षकों का वेतनमान ₹ 5,500–9,000 तथा श्रम विभाग द्वारा संचालित आई०टी०आई० के अधीक्षकों का वेतनमान

₹ 8,000–13,000 है, जबकि समान कार्य, समान वेतन नीति के अन्तर्गत दोनों विभागों के आई०टी०आई० अधीक्षकों का वेतनमान समान होना चाहिए ?

यदि हाँ, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार समाज कल्याण द्वारा संचालित आई०टी०आई० अधीक्षकों का वेतनमान श्रम विभाग द्वारा संचालित आई०टी०आई० अधीक्षकों के वेतनमान के बराबर करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। उत्तराखण्ड में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनजाति निदेशालय के अधीन संचालित आई०टी०आई० के कार्यशाला अधीक्षकों का वेतनमान ₹ 5,500–9,000 है, जबकि श्रम विभाग द्वारा संचालित आई०टी०आई० में अधीक्षक का पद ही स्वीकृत नहीं है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनजाति कल्याण निदेशालय के अधीन संचालित आई०टी०आई० में कार्यशाला अधीक्षकों द्वारा संस्थाध्यक्ष का कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला अधीक्षकों द्वारा इस आधार पर ही श्रम विभाग के प्रधानाचार्य के पद के समान ही वेतनमान की माँग की जा रही है।

समाज कल्याण के अन्तर्गत जनजाति कल्याण निदेशालय के अधीन संचालित आई०टी०आई० के कार्यशाला अधीक्षकों का वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने का प्रकरण वित्त विभाग की "वेतन विसंगति समिति" के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। समिति के निर्णयानुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार के लालढांग–चित्तरखाल वन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

5. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लालढांग-चित्तरखाल वन मोटर मार्ग के निर्माण का आगणन शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल में प्रस्तावित हैण्डपम्पो के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही व परिणाम

6. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल अन्तर्गत 18 स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने के सम्बन्ध में आपके पत्रांक 9579, दिनांक 24.12.2008 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, पौढ़ी को त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ?

यदि हॉ, तो प्रस्तावित 18 स्थानों पर हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक इन 18 स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हॉं।

प्रस्तावित 18 स्थानों में से 09 स्थानों क्रमशः सिन्दूढी, पस्तोली (अनु0 बस्ती के पास), ककरोड़ा, सुकई (शिव मन्दिर के पास), मैठाणाघाट (मानसिंह के घर के पास), सिरोलीगॉव, नौगॉव (बीरा की दुकान के पास), नौगावखाल एवं सीला दुन्दरकोटी में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं तथा 04 स्थानों क्रमशः बढ़ैथ, नाकुरी गुण्डिण्डा एवं थापला बैण्ड में ड्राईबोर किया जा चुका है। शेष 5 स्थानों क्रमशः कुमेला तल्ला, प्रावि0 ग्वीनखाल, बीरोंखाल सामु0 स्वा0 केन्द्र के पास, नागराजाखाल में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौढ़ी स्थित कोट अन्तर्गत साधन सहकारी समिति व्यासचट्टी के भवन निर्माण की स्थिति तथा व्यय धनराशि

7. श्रीमती अमृता रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान व्यासचट्टी (व्यास घाट) में साधन सहकारी समिति व्यासचट्टी का भवन कब और किसकी भूमि पर निर्मित किया गया है तथा इस भवन के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

क्या यह सत्य है कि व्यासचट्टी में साधन सहकारी समिति का यह भवन बिना उपयोग के क्षतिग्रस्त होता जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा विभाग द्वारा इस भवन की सुरक्षा, अनुरक्षण एवं उपयोग की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, लखनऊ द्वारा राज्य गठन से पूर्व ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये ऋणों की मांग सम्बन्धी सूची में साधन सहकारी समिति लि०, व्यासचट्टी के विरूद्ध ₹ 179262.21 का भुगतान अवशेष होने का मामला प्रकाश में आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी स्थित राजकीय सम्प्रेषण गृह (किशोरी) का संचालन तथा निर्मित भवन पर व्यय धनराशि

8. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के द्वितीय गुरूवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0–18 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी), पौड़ी का संचालन कहां और किसके भवन पर कब से किया जा रहा है और उस भवन का मासिक किराया क्या है तथा अब तक भवन किराये के रूप में कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

और राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के निर्मित होने के पश्चात् भी सम्प्रेक्षण गृह का संचालन किराये के मकान पर किये जाने का कारण एवं औचित्य क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भवन किराये के रूप में राजकीय धन के अपव्यय के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी), पौड़ी का संचालन मोटाढांक में श्री बद्रीविशाल उप्रेती, सुमन मार्केट, कोटद्वार के भवन में माह अगस्त, 1990 से संचालित है। भवन का मासिक किराया ₹ 2,398.00 प्रतिमाह की दर से ₹ 5,37,152.00 का भुगतान किया गया है।

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी), पौड़ी, कोटद्वार का भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस कारण संस्था किराये के भवन में संचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत क्षतिग्रस्त जिबई हाईड्रम का मरम्मत कार्य की प्रगति तथा कृषकों को सिंचाई सुविधा

9. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तर के क्रम में क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिबई–विरगना मोटर मार्ग निर्माण के मलवे से क्षतिग्रस्त जिबई हाईड्रम की मरम्मत कर योजना चालू करने/करवाने की दिशा में हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

तथा कब तक क्षतिग्रस्त हाईड्रम योजना से कृषकों को सिंचाई सुविधा मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जिबई–विरगना मोटर मार्ग निर्माण के मलवे से क्षतिग्रस्त जिबई हाईड्रम योजना को चालू कराने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी मोटर मार्ग निर्माण कार्य जारी है और मलवा आने की सम्भावना बनी है।

हाईड्रम योजना के क्षतिग्रस्त मुख्य हैड एवं 100 मीटर गूल को ठीक करने हेतु लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है, मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात् योजना की मरम्मत यथाशीघ्र करा दी जायेगी तत्पश्चात् कृषक पूर्व की भांति पुनः लाभ ले सकेंगे।

जनपद पौढ़ी के कलजीखाल अन्तर्गत थनगड–चोपड़ा नहर का विस्तार तथा अनुरक्षण पर व्यय राशि

10. श्रीमती अमृता रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत सतपुली–व्यासघाट मोटर मार्ग पर स्थित थनगड गधेरे में थनगड–चोपड़ा नहर का विस्तार खाण्डासैंण तक कर ग्राम के अनुसूचित जाति के परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध किये जाने की योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो थनगड–चोपड़ा नहर का खाण्डासैंण तक विस्तार करने तथा उसके अनुरक्षण पर अब तक कब–कब कितनी–कितनी धनराशि किस–किस मद में व्यय की गई है ?

क्या यह सत्य है कि थनगड–चोपड़ा नहर के विस्तार तथा उसके अनुरक्षण पर व्यय की गई धनराशि का लाभ ग्राम खाण्डा के अनुसूचित जाति के परिवारों को आज तक नहीं मिल पाया है ?

यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन अनुसूचित जाति के परिवारों को स्थान खाण्डासैंण में स्थित समतल कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा मिल जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

आयोजनागत मद के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 से 92–93 तक धनराशि ₹ 5.32 लाख, वर्ष 1993–94 में स्थाई परिसम्पत्ति निर्माण कार्य मद में ₹ 0.93 लाख। कुल ₹ 6.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

जी हाँ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भाग में सड़क का चौड़ीकरण कार्य प्रगति में होने के कारण नहर नहीं चलाई जा सकी। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ाई का कार्य प्रगति पर है। सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने पर नहर का पुनर्निर्माण कर ग्रामवासियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

जनपद पौड़ी के श्रीनगर स्थित वैराणीनाद तोक से पतरखण्डी तक सिंचाई नहर का विस्तारीकरण तथा परिणाम

11. श्रीमती अमृता रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर (गढ़वाल) के अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 21/1/सि0का0म0श्री0/एम–5 (लो0नि0), दिनांक 05 जनवरी, 2009 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल) द्वारा वैराणीनाद तोक से पतरखण्डी तक सिंचाई नहर का विस्तारीकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वैराणीनाद तोक से पतरखण्डी तक गवाणी नहर के टेल भाग में 405 मीटर लम्बाई में लागत ₹ 4.45 लाख का विस्तारीकरण का कार्य प्रगति में है, जिसे वित्तीय वर्ष 2009–10 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत मरोड़ा हाईड्रम योजना द्वारा पुनः सिंचाई की सुविधा पर विचार

12. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–11 के उत्तर के क्रम में क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मरोड़ा हाईड्रम योजना से वर्ष 2004–05 के बाद अब तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्या है ?

क्या सरकार उक्त हाईड्रम योजना से पुनः सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

नयार नदी में आयी बाढ़ से मरोड़ा हाईड्रम योजना वर्ष 2004–05 से बन्द है, जिसके कारण इस योजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा पा रही है।

जी हाँ। मरोड़ा हाईड्रम योजना से पुनः सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद में वर्तमान वर्ष में बजट स्वीकृत किया जा चुका है तथा योजना यथाशीघ्र पुनः चालू कर दी जायेगी।

पौढ़ी के बीरोंखाल में वर्ष 2008–09 व 2009–10 तक अधिष्ठापित हैण्डपम्पों से नियमित जलापूर्ति का विवरण तथा विचाराधीन हैण्डपम्प

13. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में (अब तक) किन–किन विकास खण्डों के किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए गये हैं और सभी हैण्डपम्पों से नियमित जलापूर्ति हो रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या पेयजल मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत किन–किन विकास खण्डों में किन–किन स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए जाने की माँग विचाराधीन है तथा इन मांगों पर कब तक सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में (अब तक) संलग्न सूची के अनुसार विकास खण्ड बीरोंखाल के 11 एवं पोखड़ा के 10 तथा विकासखण्ड एकेश्वर के 4 अर्थात् कुल 25 स्थानों पर हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। जिनसे नियमित जलापूर्ति हो रही है। †

प्रश्न ही नहीं उठता।

विकासखण्ड पोखड़ा के झड़पाली, मझगाँव एवं किमनदी, विकास खण्ड बीरोंखाल के भगवती तलैया, बमराड़ी, रणपेरा, कसणखेतू, चौपडियू, तलाई बाजार में हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने की माँग विचाराधीन है। जिनमें से विकास क्षेत्र पोखड़ा के झड़पाली एवं मझगाँव तथा बीरोंखाल के भगवती तलैया एवं बमराड़ी में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। शेष पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–206 पर)

14. श्रीमती अमृता रावत–

स्थगित।

अल्मोड़ा के मानिला बरकिढा, बमनचौना बैल–नैकणा में लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति

15. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मानिला बरकिढा, बमनचौना बैल–नैकणा पेयजल योजनाओं पर स्वैप मोड के तहत सभी कार्यवाही ग्राम समिति द्वारा पूर्ण करने के बाद भी इन योजनाओं की अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने के क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल की गम्भीरता को देखते हुए इन लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में आरम्भ कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

मानिला बरकिढा पेयजल योजना का प्रथम चरण स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना का द्वितीय चरण तथा बमनचौना नैकाना को नौला कमराड ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना में सम्मिलित करते हुए स्वैप मोड में गठित प्राक्कलन विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। फलस्वरूप इन योजनाओं के प्राक्कलन अभी शासन में प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति नही हो पाई है।

प्राक्कलन शासन में प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्मोड़ा के भिक्यासैंण के मासी स्थित आई०टी०आई० हेतु भवन का निर्माण

16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र के मासी नामक स्थान पर आई०टी०आई० खोलने की स्वीकृति प्राप्त है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भवन का आगणन शासन में काफी समय से विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

जी हाँ।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मासी के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2009 तक स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या तथा बन्द पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत की कार्यवाही

17. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण के अन्तर्गत वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09 में किन–किन स्थानों पर कुल कितने हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं एवं उनमें से कुल कितने हैण्डपम्प बन्द पड़े हुए हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बन्द पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण के अन्तर्गत वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09 में कुल 2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये। (स्थानवार सूची संलग्न)† इनमें से 06 स्थानों क्रमशः दयोना मिनार, मलमरा, तुराचौरा, जाली, सिनार एवं तल्ला धनेटा कल्याणपुर के हैण्डपम्प बन्द पड़े हैं।।

बन्द पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कर चालू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के भिक्यासैंण में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहरों से सिंचित भूमि तथा तुराचौरा–डुगरी–सदीगाँव एवं चौखुटिया के थापला में सिंचाई की योजना

18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कितनी नहरों का निर्माण किया गया है एवं निर्मित नहरों से कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है ?

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–207–209 पर)

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि तुराचौरा–दुगरी–सदीगांव सिंचाई योजना व चौखुटिया विकास खण्ड में थापला गाँव की कोई सिंचाई योजना निर्माण हेतु विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की कुल 15 नहरें निर्मित हैं, जिनसे कुल 828 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है।

तुराचौरा–दुगरी की कोई सिंचाई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। सदीगांव लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण उपादेय होने के कारण इसके निर्माण की योजना का प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है चौखुटिया विकास खण्ड के अन्तर्गत थापला लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार योजना उपादेय नहीं पाई गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत विनायक से दिल्ली तक परिवहन निगम द्वारा बन्द बस सेवा को बहाल करने की योजना

19. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत विनायक से दिल्ली तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन विगत अनेक वर्षों से पूरी तरह बन्द है जिससे ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बन्द बस सेवाओं को बहाल करने की कोई योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

वर्ष 1999 में जालली–मौंसी–विनायक–दिल्ली बस सेवा रानीखेत होकर लगभग 8 माह संचालित हुई थी, जो वर्तमान में बन्द है।

वर्तमान में उक्त सेवा को बहाल करने की कोई योजना नहीं है।

उक्त बस सेवा के संचालन में आय अत्यधिक कम होने के कारण इस बस सेवा का संचालन बन्द किया गया है।

जनपद पौढ़ी के भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु स्वीकृत तथा व्यय धनराशि

20. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सांसद, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के पत्रांक 991/सम/23–पेयजल/2009–10, दिनांक 30 जून, 2009 कब प्राप्त हुआ है और प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मा० सांसद जी का सन्दर्भित पत्र शासन में अप्राप्त है। योजना पर मार्च, 2009 तक ₹ 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसके सापेक्ष योजना के इन्टेक वेल का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण करते हुए ₹ 72.71 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

योजना का निर्माण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत पोखड़ा में प्रश्नकर्ता के पत्रानुसार भालू के हमले से घायल के उपचार पर की गई कार्यवाही

21. श्रीमती अमृता रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 12.12.2007 को जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत भालू के हमले से घायल के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 25.07.2008 तथा दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के पत्र के साथ पीड़िता का प्रत्यावेदन प्रभागीय परगनाधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल को कब प्राप्त हुआ ?

क्या सरकार यह भी बतायेंगे कि पीड़िता के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रश्नकर्ता के उल्लिखित पत्रों के साथ पीड़िता के प्रत्यावेदन प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल को क्रमशः दिनांक 29.07.2008 एवं 16.12.2008 को प्राप्त हुए हैं।

पीड़िता को उपचार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा नियमानुसार ₹ 15,000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) की अनुग्रह राशि का भुगतान चैक सं0–634888, दिनांक 13.03.2008 के द्वारा किया जा चुका है।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत संचालित साधन सहकारी समितियों द्वारा किये गये कार्यों व आय–व्यय तथा लाभ–हानि का समितिवार विवरण तथा विस्तार हेतु योजना

22. श्रीमती अमृता रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत संचालित साधन सहकारी समितियों द्वारा किये गये कार्यों तथा आय–व्यय एवं लाभ–हानि का समितिवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन समितियों को सुदृढ़ बनाने तथा कारोबार का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की गयी है ?

यदि हाँ, तो योजना का विवरण क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

(धनराशि रू0 लाख में)

समितियों के नाम	ऋण व्यवसाय	अन्य व्यवसाय	कुल व्यवसाय	आय	व्यय	साल का लाभ/हानि	क्रमिक लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
बैजरो	2.79	19.69	22.48	2.64	2.08	0.56	–0.94
मैठाणाघाट	1.43	10.45	11.88	4.79	1.17	3.62	+1.18
गढ़कोटचमराड़	0.58	8.75	9.33	1.44	1.37	0.07	–3.28
कांडामल्ला	–	12.60	12.60	2.94	0.41	2.53	–8.28
स्यूसीबैंगार	1.81	16.65	18.46	2.91	3.15	–0.24	–11.29
कोटाकस्याणी	4.81	7.80	12.61	1.46	1.57	–0.11	–3.05
बीरोंखाल	–	17.76	17.76	2.50	2.30	0.20	–3.94
धरोलीखाल	6.71	16.61	23.32	1.43	1.25	0.18	–9.19
गुरकली	–	8.40	8.40	1.48	0.95	0.53	–4.19

1	2	3	4	5	6	7	8
कनलिया	5.11	14.00	19.11	2.17	1.44	0.73	−1.06
गंडगांव	5.32	4.21	9.53	2.32	0.93	1.39	−1.61
कोलाखाल	3.51	2.79	6.30	0.98	0.50	0.48	−1.54
नवाणी	16.22	17.07	33.29	3.70	2.89	0.81	−4.13
देवराजीदेवी	8.31	7.26	15.57	1.72	1.79	−0.07	−7.19
पक्षोली	6.00	5.30	11.30	0.80	2.27	−1.47	−8.24
तिलखोली	0.52	0.52	1.04	1.11	0.64	0.47	−10.65
नौगावखाल	3.17	5.31	8.48	2.30	1.69	0.61	−16.35
मथाणा	7.65	8.91	16.56	4.80	1.58	3.22	−10.50
पराशू	3.14	3.67	6.81	0.72	0.81	−0.09	−9.80
कोटा	—	0.31	0.31	0.25	0.18	0.07	−8.51
योग	83.83	195.35	279.18	43.88	30.40		

जी हाँ।

जनपद स्तर पर सहकारी समितियों के व्यवसाय वृद्धि के लिये व्यवसाय वृद्धि योजना प्रतिवर्ष बनाई जाती है जिसमें उनके ऋण वितरण एवं अन्य व्यवसाय के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। समितियों के माध्यम से लघु/सीमान्त कृषकों को सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत मूल्य ₹ 50,000/- तक का कृषि ऋण 6 प्रतिशत एवं उससे अधिक मूल्य का ऋण 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा है समितियों के माध्यम से सदस्यों को ₹ 25,000/- तक का ऋण शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति एवं अन्य सूक्ष्म व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहकारी समितियों में मिनी बैंक चरणबद्ध रूप में स्थापित किये जा रहे हैं। ग्रामीण परिवारों का जीवन बीमा भी सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है।

जनपद पौड़ी में साधन सहकारी व अन्य सहकारी समितियों तथा सचिव विहीन समितियों का विवरण

23. श्रीमती अमृता रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कितनी और कौन–कौन सी साधन सहकारी एवं अन्य सहकारी समितियाँ हैं ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन साधन सहकारी समितियों में कौन–कौन सी ऐसी समितियाँ हैं, जिनके कार्य संचालन हेतु सचिवों की तैनाती नहीं है तथा इन सचिव विहीन समितियों में सचिवों की तैनाती कब तक सुनिश्चित करदी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2009 तक 352 विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां निबन्धित हैं, जिनमें 132 साधन सहकारी समितियां, 29 ब्लॉक यूनियन, 103 औद्योगिक सहकारी समितियां, 20 वेतनभोगी सहकारी समितियां, 3 केन्द्रीय सहकारी समितियां, 11 श्रम सहकारी समितियां एवं 54 अन्य प्रकार की सहकारी समितियां निबन्धित हैं।

उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत 180 सहकारितायें निबन्धित हैं।

जनपद में 36 साधन सहकारी समितियों में पूर्णकालिक सचिव नियुक्त नहीं हैं, जिनमें से 8 समितियां परिसमापन के अधीन हैं एवं 28 समितियों में कम व्यवसाय होने के कारण निकटवर्ती समिति के सचिव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

परिसमापनाधीन 8 समितियों में सचिव की तैनाती नहीं की जायेगी। शेष 28 समितियां कम व्यवसाय के कारण सचिव के वेतन व्यय भार को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इन समितियों में पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों में जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार) अधिनियम के तहत गठित अधिकार समितियां

24. श्री केदार सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार) अधिनियम के तहत वन अधिकार समितियाँ गठित कर दी गई हैं।

कितनी समितियों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रदेश में व्यवस्थित कुल 7541 ग्राम पंचायतों में से 7507 ग्राम पंचायतों में वन अधिकार समितियाँ गठित की गई हैं।

7507 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

प्रदेश में जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार) अधिनियम के तहत प्रशिक्षित वन अधिकार समितियाँ

25. श्री केदार सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार) अधिनियम के तहत वन अधिकार समितियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कितनी समितियों को ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

835

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत मुण्डेश्वर, भिन्वाड़ी, डाण्डा, कोटना–पाट व श्रीनगर–ढिकालगाँव पम्पिंग योजनाओं को स्वैप से बाहर रखने पर विचार

26. श्री यशपाल बेनाम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मुण्डेश्वर, भिन्वाड़ी डाण्डा कोटना–पाट एवं श्रीनगर–ढिकालगाँव पम्पिंग पेयजल योजनाओं को स्वैप से बाहर रखने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

राज्य सेक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना स्वैप कार्यक्रम से बाहर है। सिर्फ् ढिकवाल गाँव, कोलापातल एवं भिन्वाड़ी डाण्डा पम्पिंग पेयजल योजनाओं को स्वैप से बाहर रखने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

30 अक्टूबर, 2006 से सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) लागू हो जाने के फलस्वरूप ऐसी योजनायें जिन पर धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है, को अब स्वैप पद्धति के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार को प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्रानुसार वन गूजरों को स्थायी निवास की अनुमति प्रदान करने पर की गई कार्यवाही

27. श्रीमती अमृता रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन गूजरों को स्थायी निवास करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 30.05.2009 के पत्र के साथ प्रधान ग्रामसभा लोकमणीपुर, कोटद्वार (गढ़वाल) का पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार (गढ़वाल) को कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30.05.2009 के साथ प्रधान, ग्रामसभा, लोकमणीपुर कोटद्वार, गढ़वाल का पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडान वन प्रभाग को दिनांक 17.07.2009 को प्राप्त हुआ है।

पत्र में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाही के विवरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रभाग के अन्तर्गत वन गूजर परिवारों को शीतकाल में चरान–चुगान की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जाती है एवं उक्त वन गूजरों को अन्यत्र पुनर्स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है।

देहरादून–व्यासघाट–सतपुली तथा देहरादून से देवप्रयाग–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा तक बस सेवाओं के संचालन हेतु की गई कार्यवाही व परिणामों का विवरण

28. श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 4424/एस0टी0ए0/दस–39/2007, दिनांक 05/07 मई, 2007 तथा महाप्रबन्धक (संचालक), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1853/नि0मु0/संचालन–सामान्य–शासन/07, दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 के द्वारा देहरादून–व्यासघाट–सतपुली तथा देहरादून से देवप्रयाग–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा तक बस सेवाओं के संचालन हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 4424/एस0टी0ए0/दस–39/2007, दिनांक 05.05.2007 तथा महाप्रबन्धक (संचालन),

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1853/नि0मु0/संचालन-सामान्य-शासन/07, दिनांक 07 अक्टूबर, 2007 के द्वारा देहरादून-व्यासघाट-सतपुली तथा देहरादून-देवप्रयाग-बडेथखाल-टांडानागराजा तक बस सेवाओं के संचालन हेतु विचार करने के लिए कहा गया था। वर्तमान में निगम बस बेड़े में बसें एवं क्रू सीमित मात्रा में हैं एव मार्गों पर संचालित हैं, जिसके कारण उक्त मार्ग पर वर्तमान में बस संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत बस सेवाओं के नियमित संचालन के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के पत्रानुसार सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही

29. श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बस सेवाओं के नियमित संचालन के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या 4423/एस0टी0ए0/दस-24/2007, दिनांक 07.06.2007, पत्र संख्या 5368/एस0टी0ए0/दस-24/2007, दिनांक 17.08.2007 तथा पत्र संख्या 5788/एस0टी0ए0/दस-24/2007, दिनांक 09.10.2007 के द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को दिए गए निर्देशों का विवरण क्या है तथा उनके अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-4423, दिनांक 07-05-2007 में श्री नयाल पूर्व प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, कोट जिला पौड़ी के पत्र दिनांक 16-04-2007 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में, परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या-5368, दिनांक 17-08-2007 में श्री नयाल के पत्र दिनांक 22-06-2007, 07-07-2007 एवं 25-07-2007 के परिप्रेक्ष्य में तथा अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-5788, दिनांक 09-10-2007 में श्री नयाल के पत्र दिनांक 04-09-2007 व 26-09-2007 के परिप्रेक्ष्य में पौड़ी जनपद के मार्गों पर नियमित बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

परिवहन आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त के पत्रों के अनुपालन में प्रश्नगत मामले में विचार विमर्श हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा दिनांक 29-11-2007 को आहूत बैठक में पूर्व प्रमुख क्षेत्र पंचायत, कोट (श्री नयाल) के प्रतिनिधि के रूप में कनिष्ठ उप प्रमुख (श्री वीरेन्द्र सिंह नयाल) विकास खण्ड-कोट द्वारा भी प्रतिभाग किया

गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मार्गों पर बस संचालन के लिये आग्रह किया गया :-

1-पौड़ी-जामलाखाल-चराकोट सर्विस को संचालित किया जाय।

2-पौड़ी-डाण्डानागराजा बस सेवा का विस्तार धिन्डवाड़ा तक किया जाय।

3-कोटद्वार से प्रातः 6.00 बजे चलने वाली सेवा को नियमित किया जाय।

4-पौड़ी-बनेख बस सेवा का विस्तार द्यूसी तक किया जाय।

5-श्रीनगर-रामपुर बस सेवा का विस्तार मुण्डयाली तक किया जाय।

6-पौड़ी-व्यासघाट वाया कांसखेत बस सेवा को बन्द कर दिया गया है इस सेवा को पुनः प्रारम्भ किया जाय।

इस सम्बन्ध में प्रत्येक मार्ग की स्थिति इस प्रकार है-

1-पौड़ी-जामलाखाल पूर्व से निर्मित मार्ग है। जामलाखाल-चराकोट नवनिर्मित मार्ग है। इस नवनिर्मित मार्ग को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी द्वारा दिनांक 18-06-2007 को स्वीकृत करने के पश्चात् दिनांक 01-07-2008 से श्रीनगर से बस सेवा प्रारम्भ की गयी। लेकिन मार्ग पर लोड फैक्टर न होने के कारण बस सेवा संचालित नहीं हो पायी पुनः दिनांक 04-11-2008 से पौड़ी की तरफ से पौड़ी-जामलाखाल-चराकोट-मुण्डयाली सर्विस चलाई गई, जनसमर्थन के अभाव में सेवा संचालित नही हो पाई है।

2-पौड़ी-डाण्डानागराजा मार्ग पर समय सारणी के अनुसार बस सेवा संचालित हो रही है। लेकिन डाण्डानागराजा से धिन्डवाड़ा नवनिर्मित मार्ग है लोक निर्माण विभाग से मार्ग के उपयुक्त होने की सूचना प्राप्त न होने के कारण मार्ग को परमिटों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है अतः बस सेवा डाण्डानागराजा तक ही संचालित है जिसकी समय सारणी निम्न प्रकार है-

पौड़ी से प्रस्थान 1.00 बजे अपराह्न पहुंच 3.30 बजे अपराह्न।

वापसी दूसरे दिन डाण्डानागराजा से प्रातः 7.00 बजे पहुंच 9.30 बजे पूर्वाह्न।

3-कोटद्वार से पूर्व में प्रातः 6.00 बजे डाण्डानागराजा के लिये बस सेवा संचालित थी लेकिन लोड फैक्टर के अभाव में बस सेवा का संचालन प्रातः 6.00 बजे नियमित रूप से नहीं हो पाया। वर्तमान में

समय परिवर्तन कर कोटद्वार से प्रातः 4.00 बजे सेवा का संचालन निम्न सारणी के अनुसार किया जा रहा है–

कोटद्वार से प्रस्थान पूर्वाह्न 4.00 बजे डाण्डानागराजा पहुंच 11.30 बजे रात्रि विश्राम।

दूसरे दिन डाण्डानागराजा से वापसी प्रातः 7.30 बजे।

4–पौड़ी–बनेख, सतपुली–कांसखेत–पौड़ी मुख्य मार्ग का भाग है बनेख–दमूसी 08 कि0मी0 नवनिर्मित मार्ग है यद्यपि मार्ग को अनुमति पत्रों में सम्मिलित कर दिया गया है, लेकिन बरसात में मार्ग के अन्तम छोर पर धारक दीवार के टूट जाने के कारण जनसुरक्षा की दृष्टि से वाहन को मोड़ने के लिये स्थान नहीं है इसलिए बस सेवा प्रारम्भ नहीं हो पाई है, लोक निर्माण विभाग से धारक दीवार निर्माण की प्रगति आख्या अपेक्षित है।

5–श्रीनगर–मुख्याली क्रमांक 01 पर अंकित मार्ग का भाग है। रामपुर मुख्य मार्ग से लगभग 300 मी0 शाखा मार्ग है इस मार्ग पर श्रीनगर से चराकोट तक बस सेवा 01–07–2008 से प्रारम्भ की गई थी, लेकिन लोड फैक्टर न होने के कारण बस सेवा संचालित नहीं हो पाई है। इस मार्ग पर जीप टैक्सी/मैक्सी संचालित हो रही है।

6–पौड़ी–व्यासघाट वाया कांसखेत मार्ग पर दिनांक 02–12–2008 से बस सेवा प्रारम्भ की गई थी लेकिन लोड फक्टर के अभाव में बस सेवा बन्द हो गई है इसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में पौड़ी–कोटद्वार मार्ग का विस्तारीकरण/चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर होने के कारण अधिकाधिक वाहनों का संचालन पौड़ी–कांसखेत–सतपुली मार्ग से हो रहा है। फलतः पौड़ी–व्यासघाट सेवा लोड फैक्टर के अभाव के कारण बन्द है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत डांडा नागराजा–बहेड़ाखाल–सतपुली–कोटद्वार–दिल्ली तक बस सेवा का संचालन

30. श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने जनपद पौड़ी अन्तर्गत डांडा नागराजा–बहेड़ाखाल–सतपुली–कोटद्वार–दिल्ली तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या जीइ0/5633/2007(1) के द्वारा प्रमुख सचिव परिवहन को संदर्भित किए जाने की जानकारी दी गई है ?

क्या यह भी सत्य है कि अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 143/IX/सी0एम0/2007, दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि निकट भविष्य में परिवहन निगम की छोटी बस मिल जाने तथा क्रू की भर्ती हो जाने पर डांडानागराजा–बहेड़ाखाल मार्ग पर भी बस संचालन नियमित कर दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक डांडानागराजा–बहेड़ाखाल–सतपुली–कोटद्वार–दिल्ली तक बस सेवा का संचालन किया जायेगा ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में भी निगम बस बेड़े में बसें एवं क्रू सीमित संख्या में हैं एवं मार्गों पर संचालित हैं। इसलिए उक्त कारणों से बस संचालन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

31. श्रीमती अमृता रावत–

स्थगित।

उत्तर प्रदेश के राज्य नियोजन संस्थान व मूल्यांकन निदेशालय से आये कार्मिकों के समायोजन हेतु आमेलन नियमावली

32. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 में राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) व मूल्यांकन निदेशालय पृथक्–पृथक् संवर्ग होने के फलस्वरूप उनके पदनाम व शैक्षिक योग्यता भिन्न होने पर आवंटन सूची भी पृथक्–पृथक् प्राप्त हुई थी ?

यदि हाँ, तो पृथक अधिष्ठानों/संवर्गों से उत्तराखण्ड में आये कार्मिकों को नियमों के विपरीत राज्य योजना आयोग के एक ही ढांचे में समायोजित किए जाने से पूर्व क्या आमेलन नियमावली बनायी गयी ?

यदि हाँ, तो क्या इससे प्रभावित भिन्न संवर्ग के कार्मिकों की सहमति ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या ज्येष्ठता व अलाभकारी परिस्थितियों सम्बन्धी विवादों के समाधान हेतु पृथक मूल्यांकन निदेशालय के गठन पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों तथा सीमित संसाधनों के दृष्टिगत राज्य के एक ही विभाग के अन्तर्गत पृथक अधिष्ठानों/संवर्गों के सृजन की आवश्यकता नहीं पाई गई। किसी भी विभाग का पुनर्गठन/एकीकरण एक नीति विषयक निर्णय है। राज्य योजना आयोग के संगठनात्मक ढांचे का गठन शासन द्वारा मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदनोपरान्त किया गया है। इस प्रकार शासन द्वारा विभागीय ढांचे एवं समायोजन के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

33. श्री गगन सिंह–

द्वितीय सोमवार के अता0–1 में स्था0।

जनपद टिहरी स्थित क्षतिग्रस्त चमियाड़ी पेयजल योजना बहाल करने की योजना

34. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1994–95 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल–बगवान मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण चमियाड़ी पेयजल योजना से जलापूर्ति बन्द पड़ी हुई है ?

यदि हाँ, तो चमियाड़ी पेयजल योजना से जलापूर्ति बहाल न किये जाने के कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और कब से उक्त पेयजल योजना से जलापूर्ति बहाल की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

चमियाड़ी पेयजल योजना का निर्माण स्वजल परियोजना प्रथम चरण के अन्तर्गत माँग आधारित पद्धति पर उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा ग्रामीण सहभागिता से वर्ष 2001–02 में किया गया था। योजना निर्माण के पश्चात् वर्ष 2003–04 में ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दी गयी हैं। योजना के संचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी उपसमिति की होने के कारण जलापूर्ति बहाली एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का कार्य उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा किया जायेगा।

प्रदेश में भूमिहीन राजी जनजाति परिवारों के पुनर्वास की योजना

35. श्री गगन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में भूमिहीन राजी जनजाति के परिवारों के लिए पुनर्वास की कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार से उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्गों हेतु बसों का संचालन तथा बस अड्डों को पक्का करने पर विचार

36. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार शहर से उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्गों हेतु बसों का संचालन किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि इस शहर का बस अड्डा पूर्णतया कच्चा है और बरसात में यहां पर बड़ी मात्रा में पानी भरा रहता है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त बस अड्डे को पक्का करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

जी नहीं। कोटद्वार डिपो का बस अड्डा पूर्णतया पक्का है तथा यहाँ पर बरसात में पानी नहीं भरा रहता है। कोटद्वार बस स्टेशन एवं कार्यशाला एक ही परिसर में है। कार्यशाला की सतह बस स्टेशन की सतह से नीचे होने के कारण बरसात में केवल कार्यशाला भाग में कुछ समय के लिये जल भराव होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

हरिद्वार में राज्य स्तरीय मोटर मार्गों पर परिवहन विभाग द्वारा बस संचालन व्यवस्था

37. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में राज्य स्तरीय मोटर मार्गों पर परिवहन विभाग की बसों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य स्तरीय मोटर मार्गों पर परिवहन विभाग की बसों का संचालन करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

वाहनों के संचालन के दृष्टिगत राज्य स्तरीय मोटर मार्ग के रूप में मार्ग विनिर्दिष्ट नहीं है। जनपद हरिद्वार के मार्गों का वह भाग जो मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत है, उनमें से अधिकांश पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की तथा ऐसे मार्ग जो राष्ट्रीयकृत नहीं हैं पर निजी बस आपरेटरों के वाहन संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में एस0सी0पी0 योजना अन्तर्गत बजट निर्धारण का मापदण्ड तथा विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं खर्च का विवरण

38. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत बजट निर्धारण करने का क्या मापदण्ड है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप विगत तीन वर्षों में कितना बजट आवंटित एवं खर्च हुआ है ?

क्या प्रदेश सरकार द्वारा योजना आयोग भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या (18%) के अनुपात में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत परिव्यय निर्धारित किया जाता है तथा परिव्यय के अनुरूप ही बजट व्यवस्था विभागों द्वारा कराये जाने के निर्देश हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों (वर्ष, 2006–07, वर्ष, 2007–08 तथा 2008–09) में आवंटित एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
वर्ष, 2006–07	43462.75	36879.00
वर्ष, 2007–08	42165.17	35019.29
वर्ष, 2008–09	35748.90	30066.97

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन विभाग के मानचित्रकारों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों पर कार्यवाही

39. श्री मनोज तिवारी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग के मानचित्रकारों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

वन विभाग के मानचित्रकारों के पदोन्नति हेतु प्रधान मानचित्रकार के रिक्त पदों के सापेक्ष अर्ह कार्मिकों के पदोन्नति आदेश दिनांक 15–10–2009 को निर्गत किये जा चुके हैं।

वन विभाग के मानचित्रकारों के वेतनमान में केन्द्र सरकार में उपलब्ध पद के सापेक्ष कथित वेतन विसंगति के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 14–12–2009 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून से अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है।

मानचित्रकारों की पदोन्नति विषयक आदेश दिनांक 15–10–2009 को निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ शहर में निर्मित सीवर लाईन का सम्पन्न कार्य तथा समय निर्धारण

40. श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ शहर हेतु बन रही सीवर लाईन का कार्य कितना प्रतिशत सम्पन्न हुआ है ?

क्या यह योजना निर्धारित समय में बन जायेगी ?

यदि हाँ, तो यह निर्धारित तिथि क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त–

पिथौरागढ़ शहर हेतु बन रही सीवर लाईन का कार्य 26 प्रतिशत सम्पन्न हुआ है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

पिथौरागढ़ के धारचूला में स्वीकृत बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी का भवन निर्माण कार्य की प्रगति

41. श्री गगन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी का भवन निर्माण कार्य स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

बालिका आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण की योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में सीमित आय वाले परिवारों को कन्याधन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष बजट की व्यवस्था

42. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में सीमित

आय वाले परिवारों से प्राप्त आवेदन के सापेक्ष बहुत कम परिवारों की कन्याओं को कन्याधन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में सभी सीमित आय वाले परिवार की कन्याओं को लाभ प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन के सापेक्ष बजट उपलब्ध कराएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

पिथौरागढ़ में नारायण नगर, अस्कोट तथा भीगीचौरा (गर्खा) कस्बे के लिए पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति तथा चर्मा नाले से लिफ्ट योजना पर विचार

43. श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में नारायण नगर, अस्कोट तथा भीगीचौरा (गर्खा) कस्बे के लिए कुल कितनी पेयजल योजनाओं में जल सुचारू रूप से चल रहा है ?

क्या उक्त क्षेत्र में पानी की कमी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के लिए चर्मा नाले से लिफ्ट योजना बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

पिथौरागढ़ में नारायण नगर एवं अस्कोट कस्बे हेतु एक–एक तथा भागीचौरा (गर्खा) कस्बे हेतु अब तक दो योजनायें निर्मित हैं। जिनमें सुचारू जलापूर्ति है।

नारायण नगर एवं अस्कोट क्षेत्र में मानकानुरूप जलापूर्ति नहीं हो रही है।

नारायण नगर हेतु चर्मा नाले से स्लैप मोड में लिफ्ट योजना प्रस्तावित है।

योजना का प्राक्कलन गठित कर दिसम्बर, 2012 तक निर्मित की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अटल आवास योजना वितरण का प्रारम्भ तथा लाभार्थी के बी0पी0एल0 धारक की अनिवार्यता

44. श्री मयूख सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अटल आवास योजना वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या लाभार्थी को बी0पी0एल0 धारक होना अनिवार्य है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी जनपद पिथौरागढ़ के प्रत्येक वि0ख0 के लाभार्थियों के नाम तथा बी0पी0एल0 नम्बर सूची उपलब्ध करायेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

बी0पी0एल0 क्रमांक एवं आय प्रमाण पत्र दोनों मान्य हैं।

संलग्न। †

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विकलांग वाहन उपलब्ध कराने पर विचार

45. कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि विकलांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा विकलांग वाहन (इन्वेलिड कैरियर ऑटो रिक्शा) उपलब्ध कराया जाता है ?

यदि हाँ, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक म–8020, दिनांक 25.10.2009 में उल्लिखित पत्र पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

क्या सरकार जनहित में 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता पर विकलांग वाहन उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या–210–217 पर)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित खानपुर तथा लक्सर अन्तर्गत सौलानी नदी के तट पर बसे गाँवों की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की अद्यतन स्थिति

46. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित, खानपुर तथा लक्सर विकास खण्डों के अन्तर्गत सौलानी नदी के बायें तट पर, मोहम्मदपुर खादर से शेरपुर खादर तक तटबंध निर्माण व सौलानी नदी के बायें तट पर बसे ग्राम हस्तमौली की बाढ़ सुरक्षा योजना, गंगा नदी के बांये तट की ओर बालावली रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में बसे ग्राम दुमनपुरी की बाढ़ सुरक्षा योजना, बालावाली बन्ध से खानपुर बन्ध तक मार्जिनल बन्ध के निर्माण की योजना एवं सौलानी नदी पर बसे ग्राम जौरासी, शिकारपुर एवं लादपुर की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है ?

क्या सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं को जनहित में शीघ्र पूर्ण किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित, खानपुर तथा लक्सर विकास खण्डों के अन्तर्गत सौलानी नदी के बांये तट पर मोहम्मदपुर खादर से शेरपुर खादर तक 8.00 कि0मी0 लम्बाई में तटबन्ध निर्माण की योजना ₹ 299.69 लाख, एवं सोलानी रतमऊ पथरी रो नदी पर, 12 ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 680.46 लाख के अन्तर्गत सम्मिलित है, जो कि शासन के पत्र संख्या 1626/II–2008–04(08)/2008 दिनांक 22.7.2008 द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

सौलानी नदी के बांये तट पर बसे ग्राम हस्तमौली की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 9 नं0 वायरक्रेट स्पर के निर्माण योजना ₹ 27.39 लाख, तथा गंगा नदी के बांये तट की ओर बालावली रेलवे पुल के डाउनस्ट्रीम में बसे दुमनपुरी की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹ 5.69 लाख वर्ष 2009–10 की अनुमोदित जिला योजना में सम्मिलित है।

बालावली बन्ध से खानपुर बन्ध तक तटबन्ध निर्माण की 10 कि0मी0 लम्बाई में ₹ 1412.94 लाख की योजना शासन के पत्र संख्या 150/II–2008–04(08)/2008, दिनांक 19.01.2009 द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

जी हाँ।

धनराशि की उपलब्धता के आधार पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना में प्राविधानित धनराशि तथा व्यय का अनुश्रवण

47. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों को वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना में कुल कितनी धनराशि प्राविधानित की गयी है ?

विभागवार कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना की धनराशि को शत्–प्रतिशत् व्यय का अनुश्रवण किस प्रकार किए जाने की योजना है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वर्ष 2009–10 में विभिन्न विभागों के द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना में प्राविधानित कराई गई कुल धनराशि निम्नवत् है:–

(लाख रुपये में)

मद	कुल प्रस्तावित धनराशि
अनुसूचित जाति उपयोजना	55004.26
जनजाति उपयोजना	11700.84

विभागवार बजट प्राविधानित आवंटित धनराशि एवं व्यय की माह नवम्बर, 2009 तक की स्थिति का विवरण संलग्न है। †

वर्ष 2009–10 के अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना में प्राविधानित धनराशि का शतप्रतिशत व्यय विभागों द्वारा किया जा सके, इसका विभिन्न विभागाध्यक्ष तथा शासन स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 15.12.2009 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भी विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी तथा प्रत्येक विभाग में एक–एक नोडल अधिकारी शासन स्तर पर एवं एक–एक नोडल अधिकारी विभागाध्यक्ष स्तर पर नामित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है जो कि विभागीय स्तर पर अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी रहेगा।

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या–219–221 पर)

विकलांगजन कानून, 1995 की धारा–33 के अनुसार प्रदेश के विकलांगों को विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में आरक्षण की अनिवार्यता

48. श्री गणेश जोशी

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि विकलांगजन कानून, 1995 जो कि 1996 से अस्तित्व में आया की धारा–33 के अनुसार प्रत्येक सरकारी मंत्रालय, विभाग तथा उनके अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों में 3 प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के लिये अनिवार्य हो, जो कि 1 प्रतिशत के हिसाब से दृष्टिहीनों, अस्थि विकलांगों एवं श्रवण विकलांगों में बांटे जाने का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो क्या मा० मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में न तो धारा–33 के प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश निर्गत हुये हैं, न ही वर्तमान में उनका पालन हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों में 3 प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के लिये अनिवार्य करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1388/XXX–2/2004, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 के अनुसार धारा–33 के प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश निर्गत हुए हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत नागधूणा के तोक पीपरतोला में सिंचाई हेतु जलाशय निर्माण योजना हेतु स्वीकृति

49. श्री जोगाराम टम्टा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत रैतोला, तहसील व विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम नागधूणा के तोक

पीपरतोला में सिंचाई हेतु पीपरतोला व ग्राम कैणा के बीच जलाशय निर्माण हेतु सर्वेक्षण तथा विभागीय मानकों का परीक्षण कर लिया गया है ?

यदि हां, तो वह क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परीक्षण एवं योजना की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

पानी की उपलब्धता मापने के उपरान्त विभागीय मानकों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

विभागीय मानकों के अनुसार योजना उपादेय पाये जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण स्थित नौला जल निगम में अभियन्ता स्टाफ की समुचित व्यवस्था

50. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विकास खण्ड में नौला नामक स्थान पर जल निगम के डिवीजन में जूनियर इंजीनियर के 14 पदों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 3 जूनियर इंजीनियर ही कार्यरत हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त डिवीजन में स्टाफ आदि की समुचित व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ। जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विकास खण्ड में नौला नामक स्थान पर जल निगम का निर्माण शाखा का कार्यालय स्थापित है जिसमें वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के 12 पदों के सापेक्ष 4 जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं, जिसमें से 01 जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण निर्माण इकाई, रामनगर में किया गया है परन्तु प्रतिस्थानी न होने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है।

जी हाँ।

उक्त शाखा हेतु अगामी स्थानान्तरण सत्र में ही विभाग में उपलब्धतानुसार समुचित जूनियर इंजीनियर्स की व्यवस्था की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में गहरे नलकूप एवं उथले नलकूप हेतु बजट का प्राविधान

51. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर में गहरे नलकूप एवं उथले नलकूप पर दिये जाने वाले अनुदान मद में कोई बजट उपलब्ध नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के हित में उक्त जनपदों में नलकूपों हेतु बजट उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनपद हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में गहरे नलकूप एवं उथले नलकूप पर दिये जाने वाले अनुदान मद में कोई बजट प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को निविदा द्वारा सम्पन्न कराये जाने पर विचार

52. श्री प्रीतम सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों को निविदाओं द्वारा सम्पन्न कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 875/II–2009–14(05)/2005, दिनांक 01 जून, 2009 के द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2009 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2009 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8 (3) के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2008–09 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रथम प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा (3) के अन्तर्गत वर्ष, 2008–09 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष, 2008–09 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को जो उत्तर आपने दिया है, उससे अपने कक्ष में बुलाकर संतुष्ट करा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। मैं समस्त अभिलेख दिखाकर इनको संतुष्ट कर दूंगा। (हँसी)

('वेल' में आये सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम (रा0ग्रा0स्वा0मि0) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम (रा0ग्रा0स्वा0मि0) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट कोसदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम–300 की सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था आ गयी है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो नियम–300 की सूचनाएं हैं। उनमें आपके द्वारा बार–बार सदन में निर्देश दिये जा रहे हैं कि इनके उत्तर पर कार्यवाही की जाय, लेकिन नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, इनमें कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

जब आज नियम–300 की सूचनाएं लेंगे, उस समय इसका भी निस्तारण कर देंगे।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के संकलन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के निम्नलिखित संकलनों को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(1) वितरण अनुज्ञापी द्वारा एच0टी0/ई0एच0टी0 संयोजनों के संविदाकृत भार में वृद्धि/कमी करवाने के लिए कार्य प्रभार।

(2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये ई0एच0टी0 व एच0टी0 संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2008

(3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग [पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें (प्रथम संशोधन)] विनियम, 2008।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(4) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन का नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008।

(5) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008।

(6) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (जल उत्पादन की दर से अवधारणा हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004।

(7) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण दर अवधारणा हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004।

(8) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (पारेषण दर अवधारणा हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004।

(9) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009।

नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती अमृता रावत तथा काजी मौ० निजामुद्दीन की कुल 3 सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र राकेश तथा काजी मौ० निजामुद्दीन की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचना अस्वीकार हुई।

राज्य में ए०डी०बी० योजना के अन्तर्गत चतुर्थ एवं पंचम चरण के लिये ब्लॉक भगवानपुर में विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हेतु चयन किये जाने की माँग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में ए०डी०बी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय चरण में सड़कों का चयन कर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में कितनी सड़कों का चयन चतुर्थ चरण के अन्तर्गत किया गया है ? हरिद्वार जनपद का ब्लॉक भगवानपुर अति पिछड़ा क्षेत्र है। चतुर्थ चरण एवं पंचम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों का चयन किया जाना अनिवार्य एवं आवश्यक है।

1. जी0टी0 रोड खुब्बनपुर से ढाढा जलालपुर से हसनपुर मदनपुर से मण्डार तक।

2. बिनारसी से भलस्वागाज से मानकपुर से भीलना से बेढ़े की सैदाबाद तक।

3. इकबालपुर से अमरपुर बालेकी से कुन्जा से सरढ़ेढ़ी से बुढियाला तक

4. सिकन्दरपुर से दोकबरी से खेलपुर से रूहालकी दलालपुर से खानपुर भगवानपुर मोड़ तक।

5. रामपुर मोड़ से बुढियाला से कुन्जा से सुनहेडी बालकी व भगवानपुर मोड़ तक।

इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

[मान्यवर, कस्बा मंगलौर के आसपास घनी आबादी है हाल ही में 15 कि0मी0 के दायरे में औद्योगिक विकास काफी तेजी से हुआ है। काफी बड़े नए उद्योग स्थापित हुए हैं। इन्डियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एच0पी0सी0एल0 जैसे तेल एवं गैस के प्लांट भी इसी क्षेत्र में हैं। आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र में यथाशीघ्र फायर स्टेशन की आवश्यकता है। थाना मंगलौर के परिसर में पर्याप्त स्थान है।

बढ़ते उद्योगों के कारण थाना मंगलौर में फायर स्टेशन खोलने के लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।.

श्री अध्यक्ष–

जैसाकि माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है कि जो नियम–300 के उत्तर हैं वह समय से नहीं मिल पा रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया व्यवस्था कर दीजिए। नियमानुसार समय से उपलब्ध करवा दीजिए।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, वह अगले सत्र में मिलता है ताकि हम प्रश्न न कर पाएं जबकि 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में आप सम्बन्धित को निर्देश दे दें कि इसको ठीक करा दें।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

मान्यवर, मद सं0–11 में मेरे द्वारा 6 माह पूर्व सूचना दी गयी थी, अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसका संज्ञान लेना बहुत अनिवार्य है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसके उत्तर का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जल्द से जल्द करा देंगे।

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, 310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कृपया आसन ग्रहण करें, अभी कर लेते हैं।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21–12–2009 की बैठक में दिनांक 22 दिसम्बर के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>दिसम्बर, 2009</u>

22 (मंगलवार)

1. विधायी कार्य

   (1) उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

   (2) उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

   (3) उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

   (4) उत्तराखण्ड (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

   (5) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

   (6) उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

   (7) उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. वित्तीय वर्ष 2009–10 की अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण। (04:00 बजे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–310 के अन्तर्गत उठाये गये विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई है, उसमें से पहली सूचना प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री करन मेहरा, श्री तिलक राज बेहड़, डा० हरक सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री राजेश जुवाँठा, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी की है, इसे मैं नियम–58 में सुन रहा हूँ और दूसरी सूचना प्रदेश में घोर वित्तीय संकट के लिए श्री दिनेश अग्रवाल, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री गोपाल सिंह राणा की है, इसे भी नियम–58 के अन्तर्गत सुन रहा हूँ और तीसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री शहजाद, श्री नारायण पाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, श्री तस्लीम अहमद की है, इसे भी नियम–58 में सुन रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह था कि हमारी सूचना नियम–310 में सुनी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। 1123 पद आरक्षित वर्ग के लिए जल संस्थान में खाली हैं तो इतना बड़ा वर्ग, इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ जायेगी, अगर नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, प्रमोशन हुए हैं, एक भी अनुसूचित जाति के कर्मचारी का प्रमोशन नहीं किया गया। जितना भेदभाव अनुसूचित जाति के साथ हुआ है, उतना किसी के साथ नहीं हुआ है, पूरे भारत वर्ष के अन्दर इस प्रदेश में हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा नेता बसपा से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सूचना को कृपया नियम–310 के अन्तर्गत सुन लिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय शहजाद, माननीय प्रेमानन्द महाजन, माननीय नारायणपाल और माननीय सुरेन्द्र राकेश 'वेल' में आ गये और जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

माननीय शहजाद जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इससे सहमत हूं और नियम-58 के अन्तर्गत आपका उत्तर आ जायेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य द्वारा उक्त बात 'वेल' में कही गयी।)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर इसे सुन रहा हूं। इसमें सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं आ जायेंगी। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

ग्राह्यता पर आपकी पूरी बात आ जायेगी। आप चर्चा के लिए इसे नियमों के अन्तर्गत लिख कर दे दें। मैं इसका परीक्षण करा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें सभी लोग चाहते हैं, चर्चा हो जाय। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य द्वारा उक्त बात 'वेल' में कही गयी।)

श्री अध्यक्ष–

मैं भी चाहता हूं। आप लिख कर दे दें। किस नियम के अन्तर्गत चर्चा कराना चाहते हैं। इस समय चर्चा नहीं हो सकती है। यदि आप चर्चा कराना चाहते हैं तो लिखकर दे दें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, आप इसमें चर्चा करा दें। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य द्वारा उक्त बात 'वेल' में कही गयी।)

श्री अध्यक्ष–

मैं किस नियम के अन्तर्गत इसमें चर्चा कराऊँ। मैं सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूँ। किन नियमों के अन्तर्गत इसमें चर्चा होनी है, वह आप मुझे लिखकर दे दें। किस नियम के अन्तर्गत इसमें चर्चा करानी है, नियम–105 या किसी और के अन्तर्गत करानी है। मैं इसमें चर्चा करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, 310 के अन्तर्गत चर्चा करा दीजिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य द्वारा उक्त बात 'वैल' में कही गयी।)

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 के अन्तर्गत इसमें चर्चा नहीं होती है। (व्यवधान)

('वैल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय शहजाद, माननीय प्रेमानन्द महाजन, माननीय नारायण पाल और माननीय सुरेन्द्र राकेश नारे बाजी करने लगे।)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी मो० निजामुद्दीन एवं चौधरी यशवीर सिंह जी तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी सदन से उठकर बाहर चले गये।)

('वैल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय प्रेमानन्द जी, कृपया आप लिख कर दे दीजिए, मैं चर्चा करा दूँगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) नियम–310 में चर्चा नहीं होती है। (व्यवधान) ठीक है, ग्राह्यता पर सुन लेंगे और उसके बाद निर्णय ले लेंगे कि इस विषय पर चर्चा होनी है या नहीं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

('वैल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गए।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी की सूचना, जो राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों, तकनीकी कर्मियों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों की कमी के सम्बन्ध में है, को 310 में नहीं सुन रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप जिला अस्पताल में चले जाइये, राजकीय अस्पताल में चले जाइये, कहीं डॉक्टर नहीं है।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो नियम–58 की सूचना है, उसको सुन लेंगे। आज नियम–58 के अन्तर्गत (1) श्री प्रेमानन्द महाजन, (2) श्री हरिदास, (3) श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री शहजाद, (4) श्री तिलक राज बेहड़, (5) श्री किशोर उपाध्याय, (6) श्री दिनेश अग्रवाल, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री जोत सिंह गुनसोला, (7) काजी मो0 निजामुद्दीन तथा (8) श्रीमती अमृता रावत की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री हरिदास की सूचना, जो उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की अधिकतम आय ₹ 45,000 के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री जोत सिंह गुनसोला की, जो महा कुम्भ के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत 400 करोड़ से प्रदेश सरकार द्वारा बिना निविदायें आमंत्रित कर निर्माण कार्य सम्पादित कराने एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना काजी मो0 निजामुद्दीन की, जो प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विकास कार्यों में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा श्री किशोर उपाध्याय जी की सूचना, जो महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूरी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, को ग्राह्यता के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है, चीनी मिल कर्मचारियों के बारे में एक कमेटी गठित है, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। इसको नियम–310 में ले लें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, चीनी मिल के सम्बन्ध में मैंने भी सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में माननीय तिलक राज बेहड़ जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमने जिला प्लॉन के सम्बन्ध में नियम–58 में सूचना दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मुझे सीमित सूचनाएं सुननी हैं, क्या करूँ ? कुछ नियम भी हैं, उनका पालन भी करना है और उनके अनुरूप सदन भी चलाना है सूचनाओं के लिए सीमा निर्धारित है कि कितनी सूचनायें मैं ले सकता हूँ, उसी के अन्तर्गत मैं सूचनायें लूँगा। आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इसे कल दे दीजिये, मुझे नियमों के अन्तर्गत सदन को भी तो चलाना है, सीमा का भी ध्यान रखना है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, दिनांक 17–11–2009 को जनपद नैनीताल के रामनगर में सात वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई और आज एक माह से ऊपर का समय बीत चुका है। अभी तक न तो हत्यारे पकड़े गये हैं और ना ही पुलिस उन हत्यारों का कोई सुराग ढूंढ पाई है। इतना ही नहीं, इस घटना के विरोध में रामनगर की जनता लगातार कई दिन तक बाजार बन्द करके सड़कों पर अपना रोष प्रकट कर रही है और बड़े–बड़े आन्दोलन कर रही है। सात वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या हो जाय और हत्या के एक माह के बाद भी कोई कार्यवाही न हो, पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी है और सरकार की ओर से न तो उस परिवार को कोई आश्वासन दिया गया, न ही उस परिवार के पास सरकार का कोई प्रतिनिधि गया। जबकि माननीय मंत्रिगण रामनगर होकर नैनीताल या कुमाऊँ और गढ़वाल के दौरों पर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस परिवार के पास नहीं गया।

मान्यवर, इसी प्रकार से कालाढूंगी कांड हुआ, वहां पर जिस तरह से थाना जला दिया गया और उसके बाद पुलिस पर अत्याचार हुआ तथा ब्लॉक प्रमुख की हत्या तक वहां पर कर दी गई। प्रदेश के अन्दर लूट और हत्या की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं, माफिया सक्रिय है और जितनी भी लूट और हत्या की घटनायें हुई हैं, उनमें से किसी भी घटना का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था का राज होगा, कानून व्यवस्था कायम होगी, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की स्थिति जर्जर होती चली जा रही है। हर घटना में दोषी को पकड़ने में या तो पुलिस असफल हो जाती है, यदि पुलिस सफलता प्राप्त करना चाहती है तो केसों को सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंप दिया

जाता है। इस तरह की एक नहीं अनेक घटनायें हो रही हैं, कल ही मैं एक प्रश्न के उत्तर में देख रहा था कि 27 मुकदमें इस साल सी०बी०सी०आई०डी० को सौंप दिये हैं और उसमें से 17 मुकदमें तो ऐसे हैं, जो सामान्य प्रवृत्ति के हैं। जिनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर सकती थी, उनको पकड़ सकती थी, लेकिन उनको भी सी०बी०सी०आई०डी० को सौंप दिया गया। एक ओर तो कहते हैं कि हमको पुलिस पर भरोसा है और जब हम कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा है तो कहते हैं कि नहीं इसकी जांच सी०बी०सी०आई०डी० से होगी। सी०बी०सी०आई०डी० को केस देने का मतलब है कि जो गुनहगार हैं, जिन्होंने हत्यायें की हैं, जिन्होंने लूट की है या जिन्होंने धमकियां दी हैं या जो पैसा वसूल रहे हैं, उनको सरकार ऐसे संरक्षण दे देती है। वे इतना ही नहीं करते, घटना घटित होने के बाद जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो वह सीधे देहरादून आ जाते हैं और देहरादून आने के बाद वह लोग या तो किसी माननीय मंत्री के कमरे में बैठे दिखाई देते हैं या कभी-कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां भी चाय पीते हुये दिखाई देते हैं। जब तक सी०बी०सी०आई०डी० की जांच नहीं करा लेते, वहां पर पुलिस के डी०जी०पी०, आई०जी० आदि सभी अधिकारी उन्हें देख रहे होते हैं कि वे लोग वांटेड हैं, इन्हें पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन जिस दिन तक सी०बी०सी०आई०डी० जांच वहां से नहीं हो जाती, वे लोग वहां से वापस नहीं जाते और जब तक सी०बी०सी०आई०डी० जांच का फैक्स डी०एम० और एस०पी० के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक वे राजधानी को नहीं छोड़ते हैं।

मान्यवर, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय खंडूड़ी जी भी बैठे हैं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कम से कम उनके रहते यह सब नहीं हो रहा था, इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। पर आजकल सी०बी०सी०आई०डी० जांच के अलावा इस सरकार में कोई काम नहीं है। कम से कम आप अपनी पुलिस पर भरोसा तो करते थे, यहां तो सरकार का पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। आप कोई भी अपराध करके आओ और सी०बी०सी०आई०डी० जांच करवा लो, कोई यदि अपने मकान पर ताला लगाकर जाता है तो ताला टूट जाता है ....।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बेहड़ जी, अन्य माननीय सदस्यों की भी बात आनी है, आप कृपया सीमित कर लें।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब हैं, महिमा की हत्या हो गई, सोनू नाम के बच्चे की हत्या हो गई, जो 20-22 साल का था। इनका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। आखिर खुलासे क्यों नहीं हो रहे हैं, इनको

कौन रोक रहा है ? मुझे नहीं लगता कि सरकार कानून राज का पालन करा पायेगी। मान्यवर, खनन माफिया, अब इसके ऊपर मैं क्या कहूं। खनन माफिया पूरे जनपद के अन्दर ऊधमसिंह नगर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

और भी माननीय सदस्यों को मौका दीजिए।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो शाम को उसको आदेश मिल जाता है जाओ, अगर एस0एस0पी0 रोकता है, डी0एम0 रोकता है तो मान्यवर मैंने तो कल भी कहा एक ओर तो खनन की बात है और दूसरी ओर अवैध खनन, कौन है उसके पीछे, कौन माफिया है, क्यों नहीं सरकार जांच करती ? क्यों अवैध खनन ट्रक के ट्रक जा रहे हैं और पुलिसवाले रोकते हैं तो पुलिस वालों को निर्देश होता है कि ट्रक के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अन्य माननीय सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है।

श्री तिलकराज बेहड़–

तो मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार इस प्रदेश के अन्दर राज नहीं कर सकती, सरकार इस प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था को नहीं देख सकती तो इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं संभाल सकती तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो महिमा सेठ हत्याकांड हुआ है रामनगर में, उसको लेकर और अन्य विषयों, जो बड़े भाई माननीय तिलकराज बेहड़ जी ने अपनी बात रखी, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस कानून व्यवस्था में हमारे राज्य के 13 जिलों में से 10 जिले पर्वतीय क्षेत्र के हैं और उसमें 80 प्रतिशत हमारी जो जनसंख्या है, वो कानून और अन्य विषयों पर राजस्व पुलिस पर निर्भर है और लम्बे समय से हमारे पटवारी हड़ताल पर हैं। वे पुलिस कार्यों से बहिष्कृत हैं और ये सरकार के एक माननीय सदस्य के तहसीलदार के साथ जो घटना घटी उसकी परिणति के तौर पर हुआ और सदन में आश्वासन दिया गया था चर्चा करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरान्त इस विषय को सुलझा लिया जायेगा। आज हमारे गांवों में यह हालत है मान्यवर, कि अगर किसी की हत्या कर दी जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बॉडीज को, उनकी लाशों को हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कैसे उसका निस्तारण किया जाय, यह समझ में नहीं आ रहा है। कुंभ हमारे सिर पर खड़ा है और कुंभ में कहा जा रहा है कि केवल नहान के दिन एक करोड़ लोगों के आने की संभावना इस राज्य में है और पूरे कुंभ के दौरान लगभग 06 करोड़ लोगों के हमारे हरिद्वार क्षेत्र में आने की संभावना है, जिसमें सम्भवतः उत्तराखण्ड की पूरी पुलिस हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ को संभालने में लगी होगी। जब पटवारी हमारे हड़ताल में हैं, पुलिस कार्य से बहिष्कृत हैं, उस स्थिति में ये सारी चीजें जो माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने कहीं, इतनी गम्भीर स्थिति कानून की है, इस स्थिति में जब पटवारी भी हड़ताल में होंगे तो कौन हमारे पर्वतीय अंचल के क्षेत्रों में जो कानून की व्यवस्था है, उसकी देख–रेख करेगा ? बहुत गम्भीर प्रश्न इस राज्य के ऊपर आ गया है और कुंभ के दौरान अगर कोई अप्रिय घटनाएं घटेंगी और पर्वतीय क्षेत्र में कानून की व्यवस्था ध्वस्त होगी, अपराधी निरंकुश होकर कार्य करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, अपराध करेंगे, लूट खसोट करेंगे, उसके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है, हमारी समझ से परे है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले माह जो रामनगर में दो हत्याकांड हुए, वो कांड मैं समझती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य में सबसे घृणित और सबसे जघन्य अपराध हुए हैं। जो संस्कृति यहां की जानी जाती है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" और उत्तराखण्ड तो हमारी देवभूमि है। यहां नारियों की पूजा की बात तो छोड़ दीजिए, जहां एक अबोध बालिका के साथ एक ऐसा जघन्य अपराध किया जाता है, यह निश्चित ही हमारे इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए बेहद शर्मसार और सबसे घृणित अपराध है। जो पहले 17 तारीख को घटना होती है महिमा सेठ के साथ, उसका बलात्कार करने के बाद, और 06 दिन के बाद उसकी लाश को थाने के पीछे ही फेंक दिया जाता है। ये और बड़ा अपराध है कि थाने के पीछे ही उसको फेंक दिया गया। यानि कितना उस अपराधी का हौसला है या कितनी उसको शह प्राप्त होगी उसने उस बालिका के शव को थाने के पीछे डाला और उसके 06 दिन के बाद ही फिर एक बालक, सोनू वर्मा की हत्या कर दी जाती है। इतना अपराध होने के बावजूद भी, एक महीना पूरा होने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कोई कार्यवाही अभी तक सामने नहीं आई है। पूरे रामनगर क्षेत्र में वहां पर महिलाएं, वहां पर पुरुष, भाई, बहन सब लोग अपने घरों से, दुकानों से निकल आए हैं और निरंतर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज पुलिस विभाग के कानों में जूं नहीं रेंगी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि तत्काल अपराधी को पकड़ा जाय।

*श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपनी बात कही, मैं उनसे अपने आप को जोड़ता हूँ। अभी जो रामनगर में 07 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ, यह बड़े दुःख की बात है कि इतनी छोटी बालिका के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद जो उसका शव था, उसे पुलिस थाने के पीछे फेंक दिया गया और अभी तक उसके अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। आज पूरे प्रदेश की स्थिति हमारे सामने है, चाहे कुछ माह पहले हरबर्टपुर की बात हो, वहाँ पर दिन दहाड़े दो भाईयों को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े उनकी दुकान लूट ली गई, विकास नगर में कई चोरियाँ हुई, डाकपत्थर में कई चोरियाँ हुई। उत्तरकाशी के एक अधिकारी का अभी तक पता नहीं है, वह लापता है। पूरे प्रदेश की स्थिति आज बहुत खराब बनी हुई है, प्रदेश की जो आम जनता है, वह अपने घरों में सहमी हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चरमरा गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी जानना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में तीन-चार साल से जो अपराध हो रहे हैं, कितने अपराध हुए हैं, क्या यह आंकड़ा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, बाहर बोलते हैं तो पुलिस लाठियाँ भाँजती है, अन्दर बोलने से आप मना करते हैं, कल वहाँ पर बोलना चाहा तो लाठियाँ खाई। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था बनी रहे, जिससे प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित समझे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम-58 पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है चाहे वह रणवीर फर्जी एन्काउन्टर का मामला हो, चाहे कालाढूँगी काण्ड हो, या रामनगर का महिमा सेठ काण्ड हो। एक दो नहीं अगर गिनाने लग जाय तो सैकड़ों ऐसी घटनायें हैं जो अपने आप में साफ प्रमाण है कि

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज एक तरह से कायम हो गया है। राजनीतिक कार्यकर्ता, जो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर मुकदमा लगाया जा रहा है, चाहे सोमेश्वर का मामला हो, अल्मोड़ा का मामला हो, सल्ट का मामला हो। मान्यवर, आज राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न पुलिस द्वारा किया जा रहा है और जो अपराधी हैं, वह खुलेआम अपराध कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप यहाँ पर कालाढूंगी जैसे, महिमा सेठ जैसे और रणवीर हत्याकाण्ड जैसे और कई मामले हैं, जो प्रदेश में घटित हुए हैं, जिससे प्रदेश की जनता में असुरक्षा का भाव आ गया है। कहीं इन्सपेक्टर की वर्दी फाड़ी जा रही है तो कहीं पुलिस वाले की आँख फोड़ी जा रही है और कहीं मंत्री लोग थाने में जा करके अपराधियों को छुड़ा कर ला रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रत्यक्ष है। इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है। अपराधी सरेआम अपराध कर रहे हैं और घूम रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि एक विधायक को जान से मारने की धमकी देने में आरोपित व्यक्ति, जिसके कोर्ट से वारंट थे, वह प्रदेश की राजधानी में प्रेस कांफ्रेन्स करता है और जब मामला सदन में उठता है तो वह अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रमाण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त ही खराब है।

*श्री मनोज तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में जिन बिन्दुओं को रखा गया उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अन्दर कानून के सम्बन्ध में या शान्त क्षेत्र के बारे में अगर कहीं पर भी बात आती थी तो उसमें उत्तराखण्ड राज्य का नाम अवश्य ही लिया जाता था। लेकिन जब से इस प्रदेश के अन्दर तीन साल से, जो यह सरकार यहाँ पर विराजमान है तब से लगातार प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो कानून की जो बिगड़ती व्यवस्था है, अपराधों की जो लगातार वृद्धि हो रही है, हत्यायें हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 17.11.2009 को एक बालिका जो अपना शुरूआती जीवन जी रही थी, महिमा सेठ, उसकी हत्या की गई, बलात्कार किया गया। निश्चित रूप से उससे पूरे उत्तराखण्ड की जो सांस्कृतिक नगरी के रूप में पहचान थी, शान्त नगरी के रूप से जाना जाता है, इस घटना से पूरा प्रदेश कलंकित हुआ है। निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की जनता आंदोलन करने को मजबूर हुई। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने लगातार यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त भी किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दे पर और तात्कालिक मुद्दे पर आपने नियम–58 में सदन के सम्मुख प्रदेश की जनता की पीड़ा को रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय श्री तिलक राज बेहड़, माननीया श्रीमती अमृता रावत जी, माननीय करण सिंह जी, माननीय रणजीत सिंह रावत जी, माननीय मनोज तिवारी जी ने जो भावनायें और विचार उत्तराखण्ड की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में व्यक्त किये हैं, निश्चित रूप से केवल सरकार को ही नहीं इस सदन को सोचने के लिए विवश करते हैं। इस तरह के हालात प्रदेश में उत्पन्न हो गये हैं। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की, किसी भी व्यवस्था की, किसी भी प्रशासन की पहली जिम्मेदारी प्रदेश में अमन–चैन पैदा करना, उस प्रदेश के उस क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराना, भय का वातावरण दूर करना है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार अपनी पहली नैतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मानवता की जिम्मेदारी से विमुख हो चुकी है। आज ऐसा वातावरण प्रदेश में बन गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून जैसी कोई व्यवस्था और परम्परायें भी धूल–धूसरित हो गयी हैं। इस प्रदेश का नागरिक अपने आप को असुरक्षित, भयभीत, असहाय और असमर्थ महसूस कर रहा है। श्री शैलेन्द्र जी ने बहुत अच्छी याद दिलायी, मैं असमर्थ शब्द भूल गया था। उन्होंने भी अपने आप को असमर्थ महसूस किया है। जब किसी प्रदेश का नागरिक अपने आप को भयभीत व असमर्थ महसूस करे। माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसे सहृदय व्यक्ति की और इस सदन में बैठे हुए सहृदय व्यक्ति की भी आत्मा रो पड़ती है। ऐसा लगता है कि यह क्या हो रहा है ? क्या हमने इस दिन के लिए इस उत्तराखण्ड की मांग की थी ? क्या हमने इस दिन के लिए नारा लगाया था कि "बद्री, केदार, गंगोत्री, यमनोत्री से आयी ये आवाज, उत्तराखण्ड दे यह सरकार।" क्या इसलिए यह नारा लगाया था कि "देवभूमि बनायेंगे, उत्तराखण्ड राज्य लेकर रहेंगे।" जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन में टेलीविजन में बोलते हुए देखते हैं 'भारत माता', 'भारत की ढाल' और 'देवभूमि'। माननीय अध्यक्ष जी, क्या यही देवभूमि है, जिस देवभूमि में सात वर्ष की लड़की का अपहरण होता है और बलात्कार होता है और हत्या होती है ? गोपेश्वर में भी एक बच्चे का अपहरण और हत्या होती है। जब व्यापारी और लड़की के पिता जी थाने का घेराव करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है बाजार बन्द करने का। माननीय अध्यक्ष जी, सोनू की हत्या होती है इस प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की हत्या थाने में होती है और फिर एक एस0आई0 की हत्या थाने पर होती है और थाना जला दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल कहा था कि जब अहिंसा के तरीके से लोकतांत्रिक हितों की रक्षा के लिए प्रदेश के असहाय, गरीब, विकलांग, बेरोजगार नौजवानों की आवाज को देने के लिए कांग्रेस के हजारों कार्यकर्त्ता आपके सम्मुख और इस सदन के सम्मुख अपनी आवाज को रखना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र, की रक्षा के लिए इन असहाय, विकलांग लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिए लाठियां बरसायी जा सकती हैं और उन हत्यारों और अपराधियों पर नहीं। इस सरकार की पुलिस, जिसका मनोबल यह सरकार तोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुकी है। मैं बार-बार कहता हूं कि पुलिस का मनोबल गिरा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जिस प्रदेश में पुलिस का मनोबल गिर जाये। यह मनोबल माननीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह रावत ने नहीं तोड़ा है न ही रणजीत सिंह रावत ने तोड़ा है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जब विधायकों का अपमान हुआ, पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी कि पुलिस का मनोबल टूट रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का मनोबल तब नहीं टूटा था जब कालाढूंगी थाना जलाया गया था, क्या पुलिस का मनोबल तब नहीं टूटा था, जब हरिद्वार के थाने के अन्दर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद, साधुओं के भेष में, धन्य हो साधुओं और धन्य हो विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं....(व्यवधान)

*शिक्षा मंत्री (गोविन्द सिंह बिष्ट)-

मान्यवर, कालाढूंगी काण्ड में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी आये हैं। वहाँ तो जिला अध्यक्ष ने किया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, कालाढूंगी काण्ड की सी0बी0आई0 से जाँच करायी जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखिये।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की पुलिस का मनोबल इसलिए गिर रहा है कि जैसे माननीय रणजीत सिंह रावत जी ने कहा कि चौराहे पर पुलिस के ट्रैफिक के सिपाही की वर्दी फाड़ दी जाती है। इस पुलिस का मनोबल इसलिए गिर रहा है कि सब इंस्पेक्टर की आँख फाड़ दी जाती है और जिन लोगों ने आँख फोड़ी उनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा वापस कर दिया जाता है। पुलिस का मनोबल इसलिए गिरता है, माननीय अध्यक्ष जी, कि देहरादून पर जब पुण्डीर पर प्राणघातक हमला होता है और सत्तापक्ष का एक कार्यकर्ता जो प्राणघातक हमला करता है, मैंने जिले के कप्तान से कहा कि या तो तुम्हारी इन्टेलीजेंस इतनी फेल्योर है कि तुम अपराधी को नहीं पकड़ पाए, मुख्यमंत्री के घर में अपराधी है, जब उस मोहल्ले के लोग मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन देने जाते हैं तो वह अपराधी मुख्यमंत्री के घर में चाय की चुस्कियां लेता दिखाई पड़ता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*मुख्यमंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")-

श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, लेकिन कभी-कभी वो अपने धाराप्रवाह में इतना बह जाते हैं कि रास्ते का ही पता नहीं चलता कम से कम मैं इधर बैठा हूँ, मेरे पीछे बोल लेते तो ठीक था, झूठ भी चल जाता लेकिन मैं इधर बैठा हूँ, सामने तो झूठ न बोलें।

डा० हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, पीछे हमेशा बुराई करनी चाहिए, नहीं तारीफ करनी चाहिए (हँसी) संशोधन कर रहा हूँ, तारीफ करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप बार-बार कहते हैं कि मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहते थे। (हँसी) कल भी आप सुना रहे थे कुछ न कुछ इसी तरह से।

डा० हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, हमेशा पीछे तारीफ करनी चाहिए। जो अच्छे काम हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए और सामने आईना दिखाना चाहिए निशंक जी, मैं आपको आईना दिखाने का कम कर रहा हूँ और मेरा काम भी है विपक्ष के नेता के रूप में इस सरकार को, निशंक को नहीं, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को हमेशा आईना दिखाने का काम है कि ये तुम्हारी सरकार का असली चेहरा है और मैं निशंक जी, आपकी सरकार के असली चेहरे को दिखाने का काम कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी, मत देखो असली चेहरा, अगर इसी तरह असली चेहरा नहीं देखोगे तो पाँचों पार्लियामेन्ट सीटें हार गये और 2012 के चुनाव में इस प्रदेश की जनता आपका असली चेहरा दिखा देगी। माननीय अध्यक्ष जी, आप कहेंगे कि मैं समय देखूँ, इस समय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जब सत्ता पक्ष व्यवधान डालते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपके माननीय सदस्य ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही है। अब आप उसका निचोड़ बता दें।

डा० हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बिन्दु रह गये हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री करन मेहरा जी ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल है, मैं भी राजस्व मंत्री रहा हूँ, 60 परसेण्ट इस प्रदेश की कानून व्यवस्था आज भी पटवारियों के हाथों में है और 2 परसेण्ट इस प्रदेश के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पटवारी हड़ताल पर हैं और इस सरकार को सुध नहीं है। मुकदमें नहीं लिखे जा रहे हैं, नायब तहसीलदार कितने मुकदमें लिखेगा, लेकिन इस सरकार को कोई सुध नहीं है। यह शर्मनाक बात है कि इस प्रदेश के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में कोई अपनी पीड़ा को या उसके साथ कोई ज्यादती हुई है, उसके लिए पटवारी के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है तो कहते हैं कि हम हड़ताल पर हैं। नायब तहसीलदार मिलता नहीं है और यह सरकार चैन की नींद सो रही है, बंशी बजा रही है। माननीय निशंक जी, आप और हम भी गाँव की पृष्ठभूमि से आये हैं, गाँव में पैदा हुये हैं और गाँव में पढ़े हैं। अगर इस तरह सरकार गूँगी-बहरी हो जायेगी, ठीक है पटवारियों की कुछ समस्या है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वार्ता करती, कुछ कदम सरकार आगे बढ़ती और कुछ कदम पटवारी आगे बढ़ते, लेकिन प्रदेश की जनता को ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अभी हमारे साथी श्री राजेश जुवांठा जी ने कहा कि श्री आनन्द कुमार पिछले 3 माह से लापता हैं, उत्तरकाशी के हैं, मैंने एस0एस0पी0 से कहा, उनकी पत्नी माननीय मुख्यमंत्री से मिली, उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल पाया कि आखिर वह ए0ई0 कहाँ गया, तमाम लोगों ने इस घटना का उल्लेख किया।

मान्यवर, आज दिन-दहाड़े चेनें लूटी जा रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। ऋषिकेश में एक बुजुर्ग की हत्या होती है, बुजुर्ग नहीं वह 50-60 साल का व्यक्ति था, जिसकी हत्या होती है क्या हो रहा है इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में हत्या हो रही है, लूट-डकैतियाँ हो रही हैं और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने कल वीडियो देखी है, काँग्रेस कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज की, उसमें कहीं लाठीचार्ज का उल्लेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, रणबीर हत्याकाण्ड में भी पुलिस का काम अखबारों और चैनलों में देखा होगा कि कोई फर्जी एन्काउण्टर नहीं हुआ है, जब सी0बी0आई0 जाँच हो रही है तो असलियत सामने आ रही है। अगर पुलिस का पक्ष सही होता, रणबीर हत्याकाण्ड में पुलिस ने सही बात का उल्लेख किया होता तो सी0बी0आई0 की जाँच होने पर क्यों जेल जा रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो रही है, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि सही पक्ष नहीं रखा जा रहा है। मान्यवर, बड़कोट में भी एक सेवानिवृत्त अधिकारी पिछले एक माह से लापता है, आज भी पुलिस उसकी खोज नहीं कर पाई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हमको सचमुच इस देवभूमि को देवभूमि बनाये रखना है, हम उत्तर प्रदेश का सम्मान करते हैं, हम बड़े भाई के रूप में उत्तर प्रदेश को लेते हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि यह हमारा दुर्भाग्य है, जब मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके साथ उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मैं मंत्री के रूप में काम करता था, मान्यवर, वर्ष, 1993 में जब मैं विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में था तो उस समय मैंने एक प्रेस कांफ्रेन्स के माध्यम से कहा था कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा हमारे लिए

(उत्तराखण्ड) अर्थहीन है। चूंकि जब भी कोई विषय आता था हत्या, डकैती और लूट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कोई विकास की चर्चा नहीं हो पाती थी।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारी आत्मा फिर रो रही है कि इस उत्तराखण्ड की विधान सभा में भी, जब भी विधान सभा सत्र होगा, केवल हत्या की चर्चा होगी, लूट की चर्चा होगी, डकैती की चर्चा होगी, लड़कियों के अपहरण की चर्चा होगी, क्या हम उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं ? क्या इस उत्तराखण्ड को हम झारखण्ड, बिहार के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं ? या सचमुच हम इस उत्तराखण्ड को देवभूमि बनाना चाहते हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है , यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हम इस प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। इस प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। हम इस प्रदेश की जनता को अमन–चैन और उनकी सुरक्षा स्थापित करें। सुरक्षित जीवन जीने के लिए एक माहौल बनायें। मैं निश्चित रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार अपनी बात को रखे, तो पूरी ईमानदारी के साथ रखे। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हम प्रतिपक्ष में हैं, इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी बात को इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारी बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए कि हमने प्रदेश की तमाम घटनाओं का उल्लेख किया है तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए इसमें सार्थक कदम उठाने चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम–58 में माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष, श्री हरक सिंह रावत जी, श्री करन मेहरा जी, तिलकराज बेहड़ जी, श्रीमती अमृता रावत जी इत्यादि माननीय सदस्यगणों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त एक सूचना के आधार पर, ग्राह्यता पर माननीय सदस्यगणों द्वारा अपने विचार रखे गये। इस सूचना में जिस प्रमुख घटना को आधार बनाया गया है, उसके सम्बन्ध में जो जानकारियां एकत्रित की गई हैं, उसके आधार पर जनपद नैनीताल के थाना रामनगर में दिनांक 18–11–2009 को श्री संजय सेठ, निवासी शांतिपुर लखनपुर, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि उनकी पुत्री कुमारी महिमा सेठ, जिसकी उम्र 07 वर्ष, दिनांक 17–11–2009 को रात्रि साढ़े 10 बजे सांस्कृतिक पर्वतीय मंच पैठ पड़ाव, रामनगर में विवाह समारोह में गयी थी, घर वापस नहीं आयी। इस तरह की रिपोर्ट थाना रामनगर में पंजीकृत की गयी है। इसकी जॉच और पूछताछ में अज्ञात अभियुक्त द्वारा कुमारी महिमा सेठ का अपहरण कर लेने का संदेह होने पर, उक्त प्रकरण दिनांक 21–11–2009 को धारा–364 के तहत पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। मान्यवर, दिनांक 23–11–2009 को अपहृत कुमारी

महिमा सेठ का शव विक्षप्त अवस्था में भवानीगंज के पास नवनिर्मित मकान के पास स्थित खाली प्लॉट के गड्ढे में प्राप्त होने पर अभियुक्त को धारा-301 और 201 के तहत पंजीकृत बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 27-11-09 को उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, रामनगर को सुपुर्द कर दी गयी है। क्योंकि इसको अत्यन्त गम्भीरता के साथ लिया गया और इसमें तत्काल पाँच टीमें गठित की गयीं और अभियोग का अनावरण क्षेत्राधिकारी रामनगर के नेतृत्व में प्रारम्भ किया गया।

श्रीमन्, इस अभियोग के अनावरण में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पायी है। इस अभियोग के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये का ईनाम देने की भी घोषणा की गयी है। लेकिन चूँकि यह एकदम ब्लाइंड केस है, किसी भी तरह का कोई सुराग इस केस में नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इसको खोले जाने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। श्रीमन्, प्रयास जारी है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसको खोलने में हम सफल होंगे। जहाँ तक सामान्य रूप से राज्य के अन्दर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में यहाँ पर विषय उठाए गये थे, जिसमें सम्मानित राजेश जुवांठा जी ने आनन्द कुमार की गुमशुदगी का प्रकरण रखा था। चूँकि आनन्द कुमार की गुमशुदगी का केस एकदम ब्लाइंड था, इसके चलते इस प्रकरण की विवेचना करने के उपरान्त सरकार ने यह तय किया कि इसको सी0बी0आई0 के सुपुर्द किया जाय। इसके तहत राज्य सरकार ने सी0बी0आई0 को संस्तुति कर दी है और यह प्रकरण सी0बी0आई0 को संदर्भित कर दिया गया है। लेकिन इस मध्य जब से हमारे उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान सरकार स्थापित है, यदि हम केवल इस वर्ष के प्रकरणों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 01-01-2009 से 30-11-2009 तक जो पंजीकृत हत्या के अभियोग हैं, उनमें 16.56 प्रतिशत की कमी आयी है बलवे के केसों में 11.11 प्रतिशत की कमी आयी है। श्रीमन्, इसी तरह से जो अन्य अपराध हैं, उन सभी में निरन्तर कमी आ रही है। इनमें 7507 अभियोग कायम हुए और इसके तहत अभी तक 8183 अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं।

इसी के सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा, अभी हरिद्वार में कांवड़ मेला सम्पन्न हुआ था। पूरे देशभर में ऐसा वातावरण बनाया गया था कि कांवड़ मेले में इतने अधिक तीर्थयात्री आते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी घटना होने वाली है। कांवड़ मेला, जो 4 जुलाई, 2009 से 27 जुलाई, 2009 तक सम्पन्न हुआ था, उसमें 76 लाख श्रद्धालु आये थे। इस सम्पूर्ण मेले को बहुत ही शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से वर्तमान सरकार ने सम्पन्न कराया।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, हत्याएं हो रही हैं, मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं जनपद के अन्दर और उनमें विवेचनाएं घुमा दी जा रही है, सी0बी0सी0आई0डी0 को दी जा

रही हैं और आप मान रहे हैं कि महिमा सेठ की हत्या हुए एक महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। तो मान्यवर, इस मामले को आप सी0बी0आई0 को सौंप दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब माननीय मंत्री जी की बात आने दीजिए। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि सी0बी0सी0आई0डी0 को प्रकरण सामान्य तौर पर सौंप दिये जा रहे हैं। (व्यवधान) जो विषय आपने कहा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि सामान्य प्रकरण भी सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंप दिये जा रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मात्र 27 अभियोग अभी तक सी0बी0सी0आई0डी0 के सुपुर्द किये गये हैं। जिनों से 18 अभियोग गम्भीर प्रकृति के हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस बेहतर तरीके से अपना काम कर रही है। कोशिश कर रही है कि इस प्रकरण को खोला जाय। यह एकदम ब्लाइंड केस है, जिसके चलते इसको खोलने में विलम्ब हो रहा है। (व्यवधान)

('वेल' में कई माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा0 हरक सिंह रावत, माननीय करन मेहरा, माननीय तिलक राज बेहड़, माननीय अमृता रावत, माननीय रणजीत सिंह रावत, माननीय मनोज तिवारी, माननीय राजेश जुवांठा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 03:00 बजे तक के लिये।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलकराज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक सी0बी0आई0 वाला मामला था। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, सदन में चर्चा के बाद सरकार ने तत्काल हरिद्वार में लाठीचार्ज करवा दिया। 12-13 लोगों के खिलाफ वहां मुकदमें लिखे जा रहे हैं।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) आपकी प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना है कि प्रदेश में घोर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रदेश का विकास अवरूद्ध हो गया है तथा प्रदेश सरकार असमर्थ है। (घोर व्यवधान) कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। किसी नियम के अन्तर्गत कोई सूचना देंगे आप लोग या नहीं ? (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) तात्कालिक घटना की सूचना देने का भी नियम है। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रदेश के वित्तीय संकट के ऊपर आप लोगों की सूचना है और कल से आप आग्रह कर रहे हैं। अगर प्रदेश के वित्तीय संकट पर चर्चा नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं। (घोर व्यवधान) माननीय बेहड़ जी, आप उपनेता हैं, कोई सूचना तो देंगे आप। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय बेहड़ जी, कृपया अपने सदस्यों को व्यवस्थित करें। कोई सूचना तो देंगे आप। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(वेल में मौजूद माननीय सदस्यगण ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। वित्तीय संकट के बारे में आपकी सूचना है कल से आप आग्रह कर रहे हैं। ('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहे जाने पर।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय करन मेहरा जी, आपको कोई धमकी दे सकता है ? (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज वित्तीय संकट के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की सूचना है, इसके बारे में आप कल से आग्रह कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही तात्कालिक विषय है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय सदस्य सदन के संज्ञान में तात्कालिक विषय को लाये हैं, लाठी चार्ज के विषय को, गिरफ्तारी के विषय को। सदन में इस पर चर्चा के बाद सरकार का इस पर जवाब आ जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा की बात तो मैं नहीं कर सकता। आज माननीय सदस्य बसपा की भी बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें हैं, उनको पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। अभी तो मेरे पास सूचना भी नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन उठने से पहले इस पर सरकार की रिपोर्ट आ जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पहले सूचना तो आ जाने दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कुछ लिखित नोटिस तो आना चाहिए, आप किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, आप सीधे आकर के नारे लगाने लग जाते हैं। श्रीमन्, यह तो उचित बात नहीं है। मान्यवर, आपका संरक्षण जितना प्रतिपक्ष के सदस्यों को है उतना ही हमको भी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' से अपने–अपने स्थानों पर चले गये।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह विषय सदन के सम्मुख उठा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, लिखित में नोटिस तो आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास तो कोई सूचना ही नहीं आई तो मैं क्या निर्णय दूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह विषय सदन के सम्मुख उठा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन के सम्मुख कोई विषय नहीं उठा है, सदन से बाहर कोई विषय हो उसका संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब लिखित नोटिस आवे और तब उस पर नियमों के आधार पर विचार किया जायेगा। ऐसा नियमों में प्राविधान है, परम्परायें हैं। (व्यवधान) सदन के अन्दर कोई घटना घटित हो जाय उसका विषय अलग है यदि बाहर घटना घटित होती है तो उसका विषय अलग है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, महिमा सेठ वाले मामले में सी0बी0आई0 की जाँच होनी चाहिए। एक माह हो गया, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। कोई पकड़ा नहीं गया, पुलिस केस खोल नहीं पा रही है। (व्यवधान) खुद सरकार ने माना तो सी0बी0आई0 को देने में क्या जा रहा है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, मैं समझता हूँ कि उससे हम सब लोग बहुत चिन्तित हैं। प्रदेश के अन्दर जो घोर वित्तीय संकट उत्पन्न

हो रहा है, उससे पूरा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ने की नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में जनमानस का विश्वास किस तरह सरकार पर रह जायेगा, यह बहुत चिन्ता का विषय है। यह चिन्ता खाली मेरे ही द्वारा व्यक्त नहीं की जा रही है, यह चिन्ता इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्त की है। हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, कई बार उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, आप पुराने सदस्य हैं और विद्वान सदस्य हैं, सब नियमों के ज्ञाता हैं, एडवोकेट भी हैं। आप भली-भाँति जानते हैं कि अखबार की बात का संज्ञान सदन नहीं लेता। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश के प्रति जो चिन्ता है, उसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जी भी अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। आज जो स्थिति है, अभी पिछले ही दिनों जो स्थिति सामने आई, हमारे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को दिसम्बर माह में वेतन पाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। हर जगह से सूचना प्राप्त हो रही थी कि प्रदेश के अन्दर वेतन देने में कठिनाई आ रही है। उससे लगता है कि इस प्रदेश के अन्दर वित्तीय प्रबन्धन की बात, प्रदेश के अन्दर नई संस्कृति की बात, प्रदेश के अन्दर नई बयार की बात, खाली पोस्टरों में नजर आ सकती है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वे तो कला के प्रेमी हैं, वे कवि भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कला और संस्कृति से बहुत प्रेम है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूँगा कि आज प्रदेश के अन्दर यदि यहाँ पर कोई फिल्म की बात हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमारे एक युवा और बहुत सफल कलाकर के रूप में भी यदि वे जायें तो प्रथम अभिनेता का पुरस्कार वे निश्चित रूप से पा सकते हैं। आज हम उनके जो बड़े-बड़े पोस्टर्स देखते हैं। आज जो हमारे होर्डिंग्स नजर आते हैं, हमको तो लगता है कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है कि जितना पैसा जहाँ खर्च करना चाहें, जैसे भी चाहें खर्च करें, राज्य को कोई वित्तीय दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश वित्तीय स्थिति में बहुत सुदृढ़ है। लेकिन देखकर बड़ा ताज्जुब होता है, मैंने पिछले दिनों पी०डब्लू०डी० के अधिकारियों से बात-चीत की थी। मैंने कहा कि जो पूर्व में योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो पिछले मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी के समय स्वीकृत हैं, उससे पहले की बात तो छोड़ ही दीजिए। उससे पहले में तो शायद रैड लाईन सी फिरी हुई है, जो तिवारी जी के समय में योजनाएं स्वीकृत हुई थी, उसमें तो पैसा देना ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि साहब पूरे साल में 150 करोड़ रुपया पी०डब्लू०डी० के बजट में अभी तक मिला है। इससे अनुमान लगाइये कितनी सुदृढ़ स्थिति है कि पी०डब्लू०डी० विभाग को मात्र 150 करोड़ रुपये निर्गत कर पाये। पिछले दिनों

जिला योजना की बैठक थी, जो माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं, हम वहाँ पर बैठक में थे। त्रिवेन्द्र जी इस समय सदन में नहीं हैं। हमने जब कहा कि 10 प्रतिशत से बढ़कर जिला योजना का आकार आना चाहिए तो आपने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी विकट हो गई है कि हम योजना का आकार नहीं बढ़ा सकते हैं। जो पिछली बार की योजना है, उसी के अनुरूप हम योजना को रखेंगे। अब राज्य योजना का स्वरूप, मान्यवर, मैं इंदु पाण्डेय जी का वर्जन पढ़ रहा था। उसमें भी उन्होंने यही निर्देश दिया कि राज्य योजना का स्वरूप भी 2009–10 के समान ही रखा जाए। तो मान्यवर, किस प्रकार से आज इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कही जा सकती है ? आप देखेंगे कि कई–कई विज्ञापन आप दे रहे हैं, एक ही विज्ञापन एक ही अखबार में दो–दो बार छप रहा है मतलब कितनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है कि हम कह रहे हैं कि हम आपको एक विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, हम दो विज्ञापन दे रहे हैं। एक कलर्ड में और एक ब्लैक एण्ड व्हाईट में दे रहे हैं। मेरे पास है वह। अब आपने कहा है कि अखबारों का संज्ञान नहीं लेंगे। इस तरह से जो भुगतान हो रहा है, जिस तरह से प्रदेश का पैसा व्यक्तिगत एक अपनी छवि को दर्शित करने के लिए लुटाया जा रहा है। कहीं पर भी हम जायें करोड़ों–करोड़ों रुपये की योजनाओं का हम खाली बखान करें कि हम योजनाएं देंगे, हम उसकी घोषणायें प्रदेश में करें और हमारे पास पैसा है नहीं और जो पुरानी योजनायें हैं, उसमें एक रुपया भी न दें। हमारी वित्तीय स्थिति का जो आकलन है। दूसरी तरफ हम केन्द्र सरकार पर यह आरोप लगायें कि हमारी खराब वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम अपनी बात रखें कि हम केन्द्रीय योजना आयोग में गये और पाँच हजार पाँच सौ पच्चहत्तर करोड़ रुपये ले आये। मान्यवर, इस विकट स्थिति पर हमको सोचना पड़ेगा। हमारी चिन्ता सामूहिक है, हमारी चिन्ता व्यक्तिगत नहीं है। इस राज्य के प्रति हमारी चिन्ता है। राज्य का सर्वांगीण और समुचित विकास हो और राज्य तेजी से आगे बढ़े। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। पूर्ववर्ती सरकार के समय विभिन्न योजनाओं में जहाँ पर भी कार्यान्वयन करने की बात थी, किया गया। मान्यवर, आज स्थिति ये हो गयी कि छठा वेतन आयोग की आड़ लेकर, सरकार कहे कि हम छठा वेतन आयोग की वजह से विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम विकास कार्यों में कहीं शिथिलता नहीं आने देंगे। सारे विकास कार्य त्वरित गति से होंगे और सरकार विकास कार्यों में नम्बर एक रहते हुए भागी चली जा रही है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि विभाग के लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं और विभाग के लोगों के अन्दर क्यों तत्परता नहीं है ? कोई भी विभाग काम करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपके पास पैसा है तो विभाग के लोगों को काम करना चाहिए। जिलों में पुराने जिला योजना के काम पूरे नहीं हो रहे हैं। जो वर्तमान के जिला योजना का पैसा है वर्ष 2009–10 का, जिसमें

अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे जनपद में कार्य नहीं हो रहा है। मैं अन्य जनपद की बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे जनपद में कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। जिला योजना में काम नहीं और राज्य योजना में पैसा नहीं, फिर भी विकास का ढोंग और विकास का नारा और विकास का एक स्वरूप दिखाने की चेष्टा की जा रही है। विकास खाली पोस्टरों के माध्यम से होगा, इस तरह से ? प्रदेश में निश्चित रूप से छठे वेतन आयोग का बोझ पड़ा होगा, यह सत्य है बोझ बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा जब हमको छठा वेतन देना होगा तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा। लेकिन उस वित्तीय बोझ की जो वास्तविकता है, आज श्वेत पत्र की मांग इसलिए की जा रही है, उन आंकड़ों को बताने की जरूरत है, जनता जानना चाहती है, विधान मण्डल जानना चाहता है। वित्तीय स्थिति में हम कहाँ पर खड़े हैं। मान्यवर, एक वह कह रहे हैं कि तेरहवां वित्त आयोग आने दीजिए, हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी हो जायेगी। तेरहवां वित्त आयोग मार्च के बाद आयेगा या अप्रैल में आयेगा और कितना मिलेगा आप उसी पर आधारित हैं और उसी पर आपकी निगाहें टिकी हैं कि तेरहवां वित्तीय आयोग, आये तो हमारी स्थिति ठीक होगी। बारहवां वित्तीय आयोग तो खत्म हो गया है, आप उसकी स्थिति के बारे में जनता को बतायें। इसलिए हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर है, हम प्रदेश के विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। हम प्रदेश के अन्दर विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सत्यता को कहने में सरकार अपनी बात को क्यों छुपा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश जी, आप की बात आ गयी है, आप अपनी बात को अब समाप्त करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी वाह–वाही लूटने के लिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए खाली विज्ञापनों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से और बड़े–बड़े होर्डिंग के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वित्तीय स्थिति बहुत ही विकट है और सरकार विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं दे पा रही है। प्रदेश के अन्दर सारे के सारे विकास कार्य ठप्प हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसमें श्वेत पत्र जारी हो और जनता के बीच में जितनी भी वित्तीय स्थिति है उसको लायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुनसोला जी, वैसे तो श्री दिनेश अग्रवाल जी ने सब कुछ कह दिया है इसमें थोड़ा कुछ रह गया है तो बता दीजिए।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे बोलने पर हमेशा आप ....। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर वित्तीय स्थिति पर किसी भी प्रदेश की स्वयं में चर्चा करना, उसको बल प्रदान करता है। जब हम वित्तीय स्थिति पर विचार-विमर्श करते हैं और श्वेत-पत्र की बात करते हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि कहाँ पर हम लोग कैसे हैं और किस वित्तीय स्थिति में हैं। प्रदेश कैसे चल रहा है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। तभी कहा जाता है कि बजट तो आप सभी ने पारित किया है मैं यह देख रहा था, शायद कल ही सरकार का जवाब आया था, उस जवाब को देखने के बाद ऐसा लगा, जो प्रश्न शायद हमारे एक साथी राकेश जी का था। उस पर यह लिखा गया कि इस पुस्तिका के आधार पर हमने बजट तो प्रस्तुत कर दिया, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और हो गया। यह उसका जवाब था। इसको देखने के बाद भी मान्यवर, यह लगता है, जब हम यह देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है तो पुस्तिका में बना यह चक्र दर्शा रहा है कि रुपया कहाँ-कहाँ से आता है, यह दस्तावेज है आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ। दस्तावेज कहता है कि स्वयं का कर राजस्व प्रदेश का 23.90 प्रतिशत, करेत्तर राजस्व 9.71 प्रतिशत है और फिर आता है, कहाँ से आ रहा है और केन्द्रीय करों में राजस्व 10.51। फिर केन्द्र से सहायता एवं अनुदान, जिसका बहुत बड़ा प्रतिशत है 30.91। फिर लोक लेखा का शुद्ध 5.44 प्रतिशत है और ऋणों और अग्रिम की वसूली 2.77 है। लोक ऋण, जो हमने वहाँ से लिए हैं 17.377 है, यह रुपया इस तरह से आपके बजट के लिए आया और जब इसकी जाने की स्थिति को देखते हैं कि रुपया जाता कैसे है, तो मान्यवर, वेतन और भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान पर व्यय जो जा रहा है, वह 34.08 है। फिर निवेश की बात आती है कि निवेश का ऋण कितना है तो निवेश का ऋण आता है 12.78 प्रतिशत, फिर आता है कि किस मद में सहायक अनुदान और अंशदान राजसहायता 11.56। फिर हमने जो लिया हुआ है उसका ब्याज और लाभांश 10.25 प्रतिशत, तब बचता है हमारे पास मान्यवर, वृहत् निर्माण और लघु निर्माण के लिए कितना बचता है कुल बजट का 12.22 प्रतिशत। पूरे प्रदेश के विकास के लिए लघु निर्माण और वृहत् निर्माण के लिए 12.22 बचता है अन्य व्यय भी हैं जिसमें 10.31 का प्रतिशत अन्य व्यय में चला जाता है। पेंशन और आनुतोषिक व्यय भी जो है 8.80 है। तो यह चक्र साफ बता रहा है कि हमको प्रदेश के विकास के लिए कितनी आवश्यकता है और कहाँ-कहाँ से यह पैसा आ रहा है, केन्द्र कितनी सहायता करता है, केन्द्र के जो कर हैं उसमें हमको कितना अंशदान मिलता है, यह चक्र आप ही के द्वारा निर्गत किया गया है। हमारा यह

मानना है मान्यवर, एक श्वेत-पत्र के रूप में कि इसका समय पर कितना-कितना और किस-किस मद में कितना उसका उपयोग कर दिया गया है, किन कार्यों में कितना पैसा खर्च हो चुका है और क्या सम्भावनाएँ हैं। आने की सम्भावनाएं तो कम हैं क्योंकि इस प्रदेश की ही माननीय सरकार ने कहा, नेता सदन ने कहा कि हम कोई कर नहीं लगायेंगे और कर नहीं लगा, वह हमारे सामने है। फिर यह कहा कि एक रुपया हम वैट में घटाकर रख देंगे वह भी घट गया। आज यह चिन्ता का विषय पूरे सदन का है कि इस सदन को चलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं कहाँ से आयेंगी ? एक कर्मचारी जो रिटायर हो रहा है, साधारण कर्मचारी तो रिटायर होकर अपने घर चला जायेगा, लेकिन इसी प्रदेश के बड़े-बड़े पदों पर होने वाले रिटायर अधिकारी बड़े-बड़े मदों में तनख्वाह पाने वाले लोग किन्हीं न किन्हीं कारणों से रिटायर नहीं हो रहे हैं, पुनः उनका जो है जन्म हो रहा है, उनको रखा जा रहा है और नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। हो सकता है कि किसी मद में उसका लाभ बेहतर हो सकता है, लेकिन यह अगर खर्च बता रहा है तो उसमें उन नियुक्तियों का भी नेता सदन जी को और सरकार को एक परीक्षण और कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ यह पहली सरकार है प्रदेश की, जहाँ कोई रिटायर नहीं हो रहा है, सिवाय कर्मचारियों के। यह आंकड़े हैं, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, यह आंकड़े सबके सामने हो सकते हैं, वह सरकार के पास हैं। हमारा यही मानना है मान्यवर, कि हमको विकास के लिए अब मात्र 12.22 में ही लघु निर्माण और वृहद् निर्माण को संचालित करना है और वह पूर्व सरकार की ढाई साल, एक साल, दो साल पहले की और उससे पहले की भी पूर्व स्वीकृतियाँ हैं। मान्यवर, अभी जैसा हमसे पूर्व माननीय अग्रवाल जी ने कहा, तो क्या इन सबकी व्यवस्था के लिए एक श्वेत पत्र की आवश्यकता नहीं है ? मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें निसंकोच श्वेत-पत्र जारी कर देना चाहिए और उसमें भी मदों के हिसाब से श्वेत-पत्र जारी कर दें। जिस तरह से आपके बजट के अभिलेख बनते हैं उसी तरह बनाते चले जायें कि कितनी हमारे पास क्या व्यवस्था है और कितना हमने उपयोग किया है, उपयोग की स्थिति, दशा-दिशा आपके सामने है। जिला प्लॉन 56 से 58 प्रतिशत का उपभाग हुआ यह भी इसी में आंकड़े बताते हैं, मैं कहीं से लाया नहीं। कहीं-कहीं बता रहे हैं 40 है और हमारे यहाँ हो सकता है 56 हो। तो यह उपयोग की स्थित है और ऐसी स्थिति में सरकार के पास पैसा न हो और तब हम यह कहें सरकार से, हमारे लिए बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। आज जितनी भी बातें, विकास की बातें आपके सामने रखते हैं तो यही एक मात्र उत्तर होता है कि व्यवस्थायें नहीं हैं, व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन बाजारों से भी उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं की धन बाजारों से नहीं उठाया जा रहा है। सरकार को अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए बाजारों से ऋण लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। लेकिन इन सब की स्थिति हम देख रहे हैं कि 16 हजार करोड़ से ऊपर ऋण की स्थिति जा चुकी है, यह दस्तावेज बता रहे हैं और फिर भी हम लोग समय रहते अपनी इस स्थिति को देखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हमें अपने संसाधनों को भी बढ़ाना है और संसाधनों

को बढ़ाने के लिए जहाँ एक ओर आई०टी० की मद में इस प्रदेश के अन्दर राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी, आई०टी० पर हमने उदासीनता दिखाई। उदासीनता यहाँ दिखा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक जिलों में उद्योग लग गये होते तो उद्योग लगने से दोनों तरह की राहत मिलती, आर्थिक सम्पन्नता भी बढ़ती और हाथों को काम भी मिलता। तो हमारा आपसे आग्रह यही है कि इस पर एक श्वेत–पत्र जारी कर दिया जाए, हम लोग इन सब मदों को प्रसारित कर सकते हैं क्योंकि जब हम अपनी अच्छाई को प्रसारित कर सकते हैं तो अपनी कमजोरी को अच्छाई में तब्दील करने के लिए उसकी जानकारी को लेना और उसको प्रसारित करना आवश्यक होगा। अगर हमको अपनी वित्तीय स्थिति का ही ध्यान और ज्ञान नही होगा तो हम समझते हैं कि हम अंधेरे में रह जायेंगे और आने वाले समय में सब लोग हमको श्री प्रकाश जी की तरह प्रकाश दिखायेंगे, तो कहेंगे कि 5 सालों मे कुछ नहीं किया। हम कहते चले गये, आप सुनते चले गये और हम लोग भी जनता के पास जाते चले गये, तो मेरा आग्रह है कि इस पर श्वेत पत्र निर्गत कर दिया जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सुझाव की आवश्यकता होगी तो सुझाव भी दिये जायेंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आज 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्लीमेण्ट्री बजट रखना है, तो मैं घड़ी देखते हुये बहुत कम वक्त में अपनी बात कहूँगा। हमारे माननीय नेता सदन इस समय सदन में उपस्थित हैं, वित्तीय स्थिति पर प्रदेश की बहुत सारी बातें मेरे सम्मानित साथी कह चुके हैं। मान्यवर, मैं जब भी उस कुर्सी पर बैठे इस प्रदेश के मुखिया को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में उस मुखिया की तरफ से सिर्फ एक बात आती है–

ए जिन्दगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन,

पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सिर लगता है।

मान्यवर, वाकई आपकी स्थिति मुझे ऐसी प्रतीत होती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उस कुर्सी पर बैठकर आप ऐसा महसूस करते है या नहीं। मेरी दिली ख्वाईश है कि कम से कम आप भी ऐसा महसूस करें। जब सीमित संसाधन की बात हम करते हैं, कम आमदनी की बात करते हैं तो उसी हिसाब से हम खर्चे की बात भी करें। नये प्रस्तावों की बात उसी हिसाब से करें। हमारे सामने जब कभी कोई बात आती है तो सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारी घोषणाएं पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जब ये घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं, आप खुद अन्दर डिमोरलाईज महसूस करते हैं, बाहर निकलकर आदमी चाहे अपने को कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन चेहरे पर भाव आ जाते हैं। हम लोग खुद सदस्य विधान सभा के तौर पर डिमोरलाईज महसूस करते हैं। आपके जितने अधिकारी/कर्मचारी हैं वे डिमोरलाईज महसूस करते हैं। आज की तारीख में सभी बहुत डिमोरलाईज हैं, सभी के दिमाग में एक बात है

कि हमारे संसाधन सीमित हैं और कई बार चाहे सरकार माने न माने, सुबह-शाम की, दिन-रात की जो मॉनीटरिंग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की आपके एकाउण्ट्स के ऊपर है, उनको जब आपके फाईनेंस ऑफीसर निगाह में रखते हैं तो कितनी ही बार उनको जरूरी पेमेंट्स भी रोकनी पड़ती हैं और इन सब चीजों का असर नीचे तक आता है। मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने बजट पर बोलते हुए भी कहा था कि योजनाएं कम और क्रियान्वयन ज्यादा शुरू करना चाहिए। हमें योजनाओं की जरूरत फिलहाल नहीं है। हमें क्रियान्वयन करने की जरूरत है। मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ, फुलफ्लैश मुख्यमंत्री के साथ-साथ फुलफ्लैश वित्त मंत्री भी हैं। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, प्रदेश वित्तीय क्राइसेस में है। अभी हाल फिलहाल गन्ने का बहुत बुरा हाल चल रहा था, यह केवल प्रदेश में ही नहीं था, बल्कि पूरे देश में था। हालांकि हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पायी, लेकिन काफी कुछ क्राईसेस से हमारे गन्ना मंत्री जी ने हमें निकाला है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। चाहें तो ऐसे क्राईसेस से निकालने वाले मंत्री को आप अपना वित्त मंत्री बना दें तो शायद हो सकता है कि आप अपनी वित्तीय क्राईसेस से बाहर निकल जायं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने इस पर मुझे बड़ी गम्भीरता से सुना। इसके साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।

*श्री गोपाल सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी उम्मीद जगी थी जब हमारे नौजवान और युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के बने थे तो जनता को उम्मीद थी कि नये मुख्यमंत्री प्रदेश को बहुत आगे ले जायेंगे, लेकिन आशा बहुत ही जल्दी घोर निराशा में बदल गयी। आज वित्त के मामले में हमारा प्रदेश बहुत संकट से गुजर रहा है। वित्तीय प्रबन्धन की अर्थ व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी है। आज विकास की जितनी भी योजनाएं थी, वे भी सारी ठप हो गयी हैं। विकास की किसी भी योजना में कोई धन नहीं मिल पा रहा है। आज चाहे सड़कें हों, चाहे स्कूल हों, कहीं पर भी कार्य नहीं हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि इन तीन सालों में एक ईंट भी नयी योजना की नहीं रखी गयी है। मान्यवर, सारी योजनाओं में कटौती की गयी है, चाहे वह जिला प्लॉन हो, चाहे स्टेट प्लॉन हो या चाहे अन्य कोई और योजनाएं हों, किसी की हालत अच्छी नहीं है। मान्यवर, जिला प्लॉन में हमने सड़कों के जो प्रस्ताव दिये थे, उनमें कटौती की गयी। मान्यवर, आज बार-बार विधायक निधि के सम्बन्ध में बातें आती हैं कि विधायक बहुत कंजूस हो रहे हैं। विधायकों ने अपनी विधायक निधि खर्च नहीं की है। लेकिन हो क्या रहा है माननीय अध्यक्ष जी, हमने सारे प्रस्ताव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे दिये हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हमारी ट्रेजरी में पैसा नहीं है। धन अवमुक्त नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें। कार्यदायी संस्था कार्य नहीं कर पा रही है। (घोर व्यवधान)

*बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

माननीय दिनेश जी,जिन माननीय विधायकों ने जो प्रस्ताव दिये थे, उनकी विधायक निधि रिलीज हो गयी है। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, टी0एस0पी0 और एस0सी0पी0 प्लॉन के अन्तर्गत किसी मद में पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि चार प्रतिशत पैसा ट्राईबल सब प्लॉन में दिया जाना चाहिए था, जोकि उसमें नहीं दिया जा रहा है और जो पैसा इसमें दिया भी गया है, उसको खर्च नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े हमारे पास हैं, बताने में समय लगेगा। (व्यवधान) हमने योजनाएं दे रखी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपस में बात मत करिये। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रस्ताव दे रखे हैं, आप इन्क्वायरी करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में बात मत करिये।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने 65 लाख रुपया बिजली विभाग को दिया है, वह पैसा अन्य मदों में खर्च कर दिया गया है। जो पैसा हमने विधायक निधि से दिया है, वह बिजली खरीदने में खर्च किया जा रहा है। यह मैं आपको बता रहा हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, ट्राइबल सब प्लॉन, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। (व्यवधान) जो पैसा मिला भी है, उसको ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। योजनाएं हमारी जैसी की तैसी धरी की धरी रह गयी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अरविन्द जी, आपस में बात मत कीजिए।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो उम्मीदें हमारे नौजवानों ने लगायी थी। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड़ जी, माननीय उप नेता जी, आपस में बात मत कीजिए।

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, बार-बार कहा जा रहा है प्रस्ताव नहीं दिये गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात का संज्ञान क्यों ले रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

*पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, तिलक जी कह रहे थे कि गलती से प्रस्ताव गलत जगह भेज दिया। अब सही करूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि हम 50-50 लाख रुपये और विधायक निधि बढ़ायेंगे। पता नहीं कैसे बढ़ाएंगे। (व्यवधान) बढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को नहीं मिल पा रही है। वहाँ भी यही बात है कि बजट नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेम चन्द जी, कृपया आपस में बात मत करिये।

श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, अब सारा पैसा तो दायित्वधारियों में चला जा रहा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने में सरकार असमर्थ है, तो इस वित्त के मामले में एक श्वेत पत्र जारी हो। मान्यवर, मैं सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री दलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम-58 के अन्तर्गत मुझे अपने विचार रखने का सुअवसर दिया। श्रीमन्, प्रदेश की आय का 57.65 प्रतिशत भाग कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में ही खर्च हो रहा है। छठे वेतमान में

वित्तीय स्थिति का और बट्टा बैठा दिया है। इससे 3825 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। श्रीमन्, ऊर्जा क्षेत्र 1000 करोड़ रु० के घाटे में है। श्रीमन्, ऋण जमा अनुपात की हालत बहुत बुरी है। यह 60 होनी चाहिए थी। मगर यह 43 है। जबकि देश का ऋण जमा अनुपात 75 है। श्रीमन्, औद्योगिक निवेश की हालत भी यही है। 90 प्रतिशत निवेश मैदानी क्षेत्रों में हुआ है और पूरे पर्वतीय क्षेत्र बहुत पिछड़ गये हैं। एक भी उद्योग पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर आज तक नहीं लगे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार केन्द्र सरकार के सरकारी पैसे के वेंटीलेटर से बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है। (शेम-शेम की ध्वनि) श्रीमन, इस सरकार की ऐसी हालत हो गई है, जैसे एक चमन लाल की कहानी में हुई थी। जैसी चमन लाल की कहानी है, वैसी ही कहानी इस सरकार की भी है, वित्तीय संकट पर। श्रीमन्, चमन लाल लाटरी के खेल में बर्बाद हो चुके थे, भविष्य दृष्टा ज्योतिषी ने उनकी बरबादी का कारण शनि का दुष्प्रभाव बताया और उसको कहा कि भगवान शंकर की आराधना से ही, उनकी साधना से ही शनि का यह दुष्प्रभाव खत्म हो सकता है। तो चमन लाल ने भगवान शंकर की रात-दिन साधना और आराधना शुरू कर दी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेगी जी, चमन लाल जी का परिचय तो दे दीजिये। (हँसी)

श्री बलबीर सिंह नेगी-

श्रीमन, एक दिन खुश होकर भगवान शंकर साक्षात रूप में चमन लाल के सामने आ गये और कहा कि कहो क्या वर मांगते हो ? तो चमन लाल ने कहा कि भगवान अगर आप मेरी 10 लाख रुपये की लाटरी निकाल दो, तो बड़ी कृपा होगी। भगवान शंकर ने कहा कि चलो, ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है कि तुमको लाटरी का एक टिकट खरीद कर लाना पड़ेगा, तो चमन लाल कातरता भरे शब्दों में कहा कि भगवान मेरे पास लाटरी का एक टिकट के लिये भी पैसे नहीं हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक लाटरी का टिकट के भी पैसे नहीं हैं तो शनि भी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, जाओ, जाकर ऐश करो। (हँसी) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में वित्तीय स्थिति की यही हालत है। पूरे प्रदेश में जो विकास कार्यों की योजनायें हैं, वह लम्बित पड़ी हुई हैं, फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी हुई हैं, उन पर वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिल पाई हैं और इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि लालबत्ती प्रकरण में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था, आज वह स्वयं उस कटघरे में खड़ी हो गई है।

मान्यवर, इन्होंने आठ हजारी, दस हजारियों को जितनी सुविधायें दी हैं, वह कांग्रेस के शासन काल से कई गुना अधिक हैं। यह आठ हजारी और दस हजारी प्रदेश के खजाने पर बोझ बनकर टूट रहे हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि

प्रदेश की विकास योजनायें जो पिछले एक–दो साल से लम्बित पड़ी हैं, पूरे प्रदेश के अन्दर विकास का पहिया जाम हो गया है, बहुत भयंकर वित्तीय संकट पैदा हो गया है इसलिये मैं इस पर श्वेत–पत्र जारी करने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, आपकी कहानी तो खत्म हो गई, यह तो बता दीजिये कि यह चमन लाल जी कौन हैं। (हँसी)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, वे सामने ही बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, चमन लाल तो प्रदेश के हर खम्भे पर टंगे हुये हैं, आप कहीं पर भी देख लीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जर्जर हालत, कमजोर वित्तीय स्थिति पर इस सदन में चर्चा के दौरान तमाम सदस्यों ने बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की है, उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और एक वाक्य मुझे कुछ वर्ष पहले सुनने को मिला था कि "पैसा सब कुछ नहीं, खुदा से कम भी नहीं"। यह वाक्य भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रिश्वत लेते हुये कहा था, जिसे हम सभी ने तमाम चैनलों पर देखा था।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हो रही है, उसकी ग्राह्यता पर बात हो रही है। जो सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उसको (व्यवधान) इंगित करना भी सदन की मर्यादा के विपरीत है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे एक मिनट का समय मांगा है, इसलिए बिना कुछ कहे हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि विकास के लिए, वेतन के लिए और हमारी सांसों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है और जो वित्तीय स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत लम्बी–चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। बड़ी–बड़ी बातें हुई थी कि वार्षिक योजना में वृद्धि हुई है 5575 करोड़ की। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी और ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। 30 नवम्बर तक ये सरकार के आंकड़े हैं, मैं विभागवार नहीं रख रहा हूँ। कुछ विभागों की स्थिति इतनी जर्जर है। कृषि विभाग, कृषि मंत्री नहीं हैं, सिर्फ

41 लाख रुपया व्यय हुआ है। 37.38 लाख रुपया 30 नवम्बर तक कृषि विभाग में व्यय हुआ है। कृषि शोध पर बजट में प्राविधान था माननीय अध्यक्ष जी, 8 करोड़ 82 लाख का और खर्च जीरो प्रतिशत हुआ है, न स्वीकृत हुआ, न खर्च हुआ। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी विभागों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 2–3 विभागों की स्थिति रख रहा हूँ और ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, सरकार के आंकड़े हैं। अभी विज्ञान की बात हमारे किसी माननीय सदस्य ने की, विज्ञान टेक्नोलॉजी की बात की 5 करोड़ 70 लाख का प्राविधान था बजट में, स्वीकृतियाँ 33.33 लाख हुयी थी, व्यय सिर्फ 8 लाख हुआ है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी में माननीय अध्यक्ष जी, 15 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था थी और सिर्फ 35.98 लाख खर्च हुआ है और सभी विभागों में जो वार्षिक योजना है, सभी विभागों में, सारे विभागों में अगर ये कन्क्लूजन निकाले तो देखेंगे आप कि स्थिति यह है कि 56 लाख 75 हजार की वार्षिक योजना भारत सरकार के योजना आयोग ने हमारी स्वीकृत की। आपने बजट में प्राविधान उसके विरुद्ध 4522 लाख का किया, स्वीकृतियाँ आपने उसके विरुद्ध लगभग ढाई हजार करोड़ की और उसके विरुद्ध जो व्यय हुआ है वह सिर्फ 1172 करोड़ के आस–पास हुआ है। अब ये वार्षिक योजना का 30 नवम्बर तक माननीय अध्यक्ष जी, जो वार्षिक योजना हमारे प्रदेश की 5575 करोड़ रुपया, उसके विरुद्ध अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो सिर्फ 23 प्रतिशत 30 नवम्बर तक वार्षिक योजना का विकास कार्मों में आप खर्च कर पाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी सरकार ने शासनादेश जारी किया है कि 28 फरवरी के बाद ट्रेजरी से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 माह बचे हैं, जनवरी और फरवरी। जब आप माननीय अध्यक्ष जी, 30 नवम्बर तक केवल 23 प्रतिशत खर्च कर पा रहे हैं। 2 माह में आप प्रदेश की वार्षिक योजना का 77 प्रतिशत कैसे खर्च कर पाओगे। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति जर्जर नहीं होती, प्रदेश की वित्तीय हालत खराब नहीं होती तो माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से शायद स्वीकृतियाँ भी अधिक होती और व्यय भी अधिक होता। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करना चाहता हूँ, अभी तमाम सदस्यों ने भी कहा कि कर्मचारियों के वेतन, विधवा पेंशन, विकलांगों को पेंशन पिछले एक साल से नहीं मिली है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं मिली है। कहीं 06–06 माह हो गये हैं, कहीं एक–एक साल हो गया उन्हें पेंशन नहीं मिली है। हमारे बहुत सारे माध्यमिक शिक्षकों को वेतन दो–दो माह से नहीं मिला है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सरकार ने स्वयं महसूस किया है कि वित्तीय स्थिति खराब थी, मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि स्टाम्प ड्यूटी और ट्रेड टैक्सों में वृद्धि करके दूसरे टैक्सों में वृद्धि करके सरकार ने एक हजार करोड़ रुपया जुटाने का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। तमाम जो मेले थे मैंने पर्यटन मंत्री से पूछा है,

लगभग ढाई सौ, तीन सौ मेलों के लिए 10 हजार, 50 हजार रुपया इनके आयोजन के लिए खर्च किया जाता था। मैंने मंत्रियों से जब पूछा तो उन्होंने कहा बजट में वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण, छठे पे कमिशन को लागू करने के कारण, इन मेलों में कटौती कर दी गई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं सरकार स्वीकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करना चाहता हूँ कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, इस पर श्वेत–पत्र सरकार को जारी करना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता यह महसूस कर सके कि इस समय हमारी हालत क्या है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी ने मुझसे एक बार मेले के लिए पूछा था, मैंने कहा आप जितना चाहो भेज दीजिए, आपने एक के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस साल तो रह गया, अगले साल भेज देना।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपने इस सदन में चर्चा करवाई है और इस पर बहुत महत्वपूर्ण विचार माननीय सदस्य के आये हैं। स्वाभाविक है कि यह सदन इस राज्य की विकास के बारे में भी चिन्ता करेगा, वित्तीय स्थिति के बारे में भी चिन्ता करेगा और बहुत सारे सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आये हैं। श्रीमन्, मैं दो–तीन बिन्दुओं को भाषण नहीं बल्कि आंकड़ों के माध्यम से रखना चाहूँगा। यहाँ पर नॉन प्लान की बात आई है, यहाँ पर प्लान की बात आई है और यहाँ सड़क इत्यादि के विकास की बात भी आई हैं, वैसे तो श्रीमन्, लम्बी चर्चा हो, आप अनुमति देंगे तो मैं एक–एक आंकड़ा करके बताने का प्रयास भी करूँगा, लेकिन संक्षिप्त में। यदि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को एक खाके में देखा जाय तो मैं पहले नॉन प्लान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बहुत पीछे नहीं वर्ष 2005–2006 में इस प्रदेश में नॉन प्लान का जो व्यय हुआ है, वह 4748 करोड़ रुपये हुआ, वर्ष 2006–07 में जो व्यय हुआ वह 5893 करोड़ हुआ, वर्ष 2007–08 में जो नॉन प्लान पर एरा व्यय हुआ वह 6300 करोड़ हुआ, वर्ष 2008–09 में जो नॉन प्लान पर व्यय हुआ वह 8865 करोड़ रुपये हुआ, जब कि जो यह वर्ष चल रहा है वर्ष 2009–10 में, नॉन प्लान पर व्यय होगा, वह 10214 करोड़ रुपये होगा। (मेजों की थपथपाहट) जो अभी तक यह कह रहे हैं कि वेतन नहीं दिया गया, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी सदन में सभी माननीय सदस्य हैं, सबको पूरा हक है बात रखने का, लेकिन प्रदेश की जनता तथ्यों पर सही चीज सुनना भी चाहेगी और जानना भी चाहेगी। केवल अनुमान के आधार पर सरकार के बारे में मान्यवर, कदाचित इस महत्वपूर्ण सदन में टिप्पणी करना उचित

नहीं है। इसकी गरिमा बनाये रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ वर्ष 2009–10 में दस हजार दो सौ चौदह करोड़ का हमारा परिव्यय होगा। इस समय तक श्रीमन्, छः हजार करोड़ रुपया हम वेतन पर दे चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह छः हजार करोड़ जब कि पिछले वर्ष का ही है टोटल, पूरे वर्ष का देखा जाए 6,665 करोड़ रुपये था। आपकी सरकार में देखा जाए वर्ष 2006–07 में जो पाँच हजार करोड़ था, मैं दोनों बिन्दुओं पर बोल रहा हूँ। वेतन समय–समय पर दे रहे हैं। उसके भी हमारे पास आंकड़े हैं। अगर जरूरत पड़ेगी इस सदन को तो पिछली सरकारों के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले डिमांड्स और विभागवार आंकड़े भी प्रस्तुत कर दूँगा, उसको मैं करना नहीं चाहता हूँ। यह तो हुआ नॉन प्लान का, अब बात करें प्लान की। मान्यवर, विकास कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ श्रीमन्, वर्ष 2002–03 में वार्षिक योजना 1452 करोड़ थी। जब आपकी सरकार शुरू हुई और जब सरकार आपकी गई तो 2006–07 में 3250 करोड़ का टोटल व्यय आपने किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वर्ष 2007–08 में हमारा जो कुल व्यय हुआ है, 3944 करोड़ रुपया, लगभग 4 हजार करोड़ रुपया हुआ है, कहाँ श्रीमन्, 3250 पर छोड़कर गये थे। हमने एक साथ जम्प मारा। इसके बाद मान्यवर, 2008–09 में 3653 करोड़ रुपये व्यय हुए और वर्ष 2009–10 में श्रीमन्, अभी तक लगभग 2800 करोड़ रुपये हम व्यय कर चुके हैं। यदि तुलना करेंगे पिछले सालों की दिसम्बर की और उस समय की सरकारों की और यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसका भी तुलनात्मक चार्ट हमने रखा है। लेकिन मैं इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मान्यवर, 2002 का पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूँगा। उसके बाद भी कोई माननीय सदस्य डिटेल में जानना चाहेंगे तो वह भी हम बता देंगे, मेरे पास सब आंकड़े हैं। अब श्रीमन्, अभी जो सड़कों की बात आई थी उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि सड़कों पर बहुत बात आई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ, यदि आप राज्य सैक्टर की और जिला सैक्टर की बात करना चाहते हैं तो जिला सैक्टर के बारे में बता रहा हूँ श्रीमन्, 2002–03 में कुल 37 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च हुए, जब कांग्रेस की सरकार थी और लास्ट में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 55 करोड़ 58 लाख 2006–07 में व्यय हुए हैं। श्रीमन्, 2007–08 में लगभग 60 करोड़ रुपया, उनसठ करोड़ सन्नहत्तर लाख और 2008–09 में भी 60 करोड़ हुए हैं। जबकि श्रीमन्, अभी तक हम इस समय 28 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। क्योंकि अब लगातार टेण्डर्स हैं, उस पर काम होना है श्रीमन्, लम्बाई और चौड़ाई की भी बात करेंगे, पैदल मार्ग की भी बात करेंगे, सेतु पर भी बात करेंगे, पक्के मार्ग की भी बात करेंगे तो उसका भी मेरे पास पूरा चार्ट है। अब आप जिला सैक्टर से स्टेट सैक्टर में आ जायें।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह सब आई वाश है। आपने कहा कि दो साल पहले चार हजार करोड़ रुपया प्लान में खर्च किया उसके अगले साल आपने 36 सौ करोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया करा। इस बार 28 सौ करोड़ करा आप अपनी उपलब्धियाँ बता रहे हैं। जब कि प्लान में आपका खर्चा कम होता जा रहा है (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) जबकि राईस मिल्स को लेवी के भुगतान की जो 165 करोड़ रुपया सी0सी0एल0 लिमिट थी, उन्हें मिलना चाहिए था उसका अधिकांश भाग भी आप अन्य मदों में खर्च कर रहे हैं। वे वेतन नहीं दे पा रहे हैं। (घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आपने राईस मिल को पैसा नहीं दिया, आप केवल वाह-वाही लूटना चाह रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2009-2010 का अनुपूरक अनुदान

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित की जायं। (प्रतियाँ वितरित की गयी।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")-

मान्यवर, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब माननीय सदस्यों के विचार आ रहे थे, तो हमने उनके विचारों को गंभीरता पूर्वक सुना। किसी भी माननीय सदस्य को मुझसे बाद में बात करनी होगी तो बात कर सकते हैं। लेकिन श्रीमन्, आंकड़े तो आने दीजिए। राज्य सेक्टर की बात करना चाहता हूँ, सड़क की, पूरे पाँच वर्ष की वर्षवार आंकड़ा देखा जाय कि कितनी सड़कें बनी हैं। ये आंकड़े तो पूरे प्रमाणित तरीके से हैं कि कितने किलोमीटर कहाँ बना है और कौन सा मार्ग कितना बना है। माननीय गुनसोला साहब, मैंने तो आपको अच्छी तरह से सुना है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2002-03 में.................. (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, जिस प्रकार से आपका नॉन प्लान में बजट बढ़ा है, उस सापेक्ष आपका प्लान का बजट नहीं बढ़ा है। जिस हिसाब से आप नॉन प्लान का बजट 13 हजार 6 सौ 63 बता रहे हैं। इनके बीच में बड़ा भारी अन्तर है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

मान्यवर, दोनों की थोड़ी तुलना तो आने दीजिए, जिस विकास की सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं उसको तो रोका नहीं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आप किस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, मैं जिला सैक्टर के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ वर्ष 2002-03 में रुपया 17 करोड़ 17 लाख का व्यय जिला सैक्टर में हुआ है, वर्ष 2003-04 में रुपया 27 करोड़ का व्यय हुआ है। वर्ष 2004-05 में रुपया 225 करोड़ का हुआ, वर्ष 2005-06 में रुपया 339 करोड़ का हुआ, वर्ष, 2006-07 में रुपया 411 करोड़ का व्यय हुआ। श्रीमन्, इसके विपरीत वर्ष 2007-08 में रुपया 570 करोड़ 69 लाख का हुआ, वर्ष 2008-09 में रुपया 522 करोड़ हुआ। इस तरीके से यदि आप तुलनात्मक रूप में भी देखेंगे श्रीमन्, वर्ष 2009-10 में रुपया 210 करोड़ खर्च हो चुका है। इसमें जो हमने चार सौ करोड़ रुपये का परिव्यय तय किया है, वह पूरा होना है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में लगातार पूछा जाता है। जिसमें राज्य अंश होता है, उसके आंकड़े माननीय सदन के सामने मैं रखना चाहता हूँ। श्रीमन्, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तुलना में, जिसमें राज्य अंश भी होता है और सेन्टर का भी होता है वर्ष 2002-03 में रुपया 38 करोड़ खर्च, वर्ष 2003-04 में रुपया 32 करोड़ खर्च, वर्ष 2004-05 में रुपया 26 करोड़ खर्च, वर्ष 2005-06 में रुपया 28 करोड़ खर्च, वर्ष 2006-07 में रुपया 67 करोड़ खर्च, इसके बाद आ जाता है वर्ष 2007-08 में रुपया 99 करोड़ 72 लाख खर्च हुआ, लगभग सौ करोड़, वर्ष 2008-09 में रुपया 152 करोड़ खर्च हुआ, इस समय हम इसमें रुपया 85 करोड़ खर्च कर चुके हैं।

श्री रणजीत रावत

मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय नेता सदन जी, यह भी बता दीजिए कि 2005-06 में 1 किलोमीटर मोटर रोड बनाने में क्या व्यय हो रहा था और आज 1 किलोमीटर बनाने में क्या व्यय हो रहा है ? आप किलोमीटर में बता दें। उस समय अगर 40 लाख में बन रहा था तो इस समय और ज्यादा में बन रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

ठीक है दोनों बात, मैं इसको किलोमीटर में बता देता हूँ। श्रीमन्, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2002-03 में बनी 147 किलोमीटर, 2003-04 में बनी 171 किलोमीटर, 2004-05 में बनी केवल 99 किलोमीटर, 2005-06 में बनी 92 किलोमीटर और 2006-07 में बनी 105 किलोमीटर जबकि 2007-08 में बनी 842 किलोमीटर। उसके बाद श्रीमन्, 2008-09 में 845 किलोमीटर और श्रीमन्,

अभी तक इस सत्र में श्रीमन, हम 360 किलोमीटर तक पहुँच गये हैं (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, एक बार मैं और कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत

मान्यवर, 2007–08 में इन्होंने बताया 842 किलोमीटर, जो शुरूआत कर गये थे 2006–07 में हम लोग और अब इनको पूरा वर्ष मिला 2008–09 में अभी यह आधे में ही नहीं पहुँचे हैं। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अगर माननीय सदस्य की बात से टोटली सहमत होता भी हूँ तो, यदि ये कहते हैं कि पाँच साल तक कुछ नहीं किया इन्होंने, शिलान्यास किया और इनके शिलान्यास थे और जब हम आए तो उसको बनाया और आज 800 किलोमीटर हो गये तो समझ मे आता है कि इन्होंने काम शुरू किया और हम एकाएक बढ़ गए तो श्रीमन्, 2007–08 में तो है ही, 2008–09 में भी 845 किलोमीटर एक साथ और जम्प किया। (व्यवधान) श्रीमन्, मुझे आश्चर्य यह होता है कि जब हम सामान्य सी बात करते हैं तब कहते हैं कि आंकड़ों के साथ रखें और जब हम विधान सभा में आंकड़ों के साथ आये तो अभी कहा कि पैसा उस समय क्या था और इस समय क्या है तो जब सड़क का भी बता दिया तो श्रीमन्, मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं। क्या ये चाहते हैं कि जैसे बोला जाए वैसे किया जाए ?

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आखिर क्या चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, हम यह चाहते हैं, हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करते, प्रदेश की राजधानी देहरादून है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, उससे पूरे प्रदेश की सड़कों की स्थिति, पुलों की स्थिति का परिदृश्य हमारे सामने आ जायेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन तीन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ________।

श्री अध्यक्ष–

आप पार्टी से पूछ रहे हैं या सरकार से, नहीं तो चुफाल जी खड़े हो जायेंगे। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

नहीं, सरकार से, मैंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से, भाजपा से नहीं कहा मैंने, ये यह बताएं कि हमारी सरकार आने के बाद रिस्पनापुल का जी0ओ0 हुआ है, नेहरू कॉलोनी का जी0ओ0 हुआ है, शासनादेश और ये शासनादेश हमारी सरकार आने के बाद देहरादून नगर निगम क्षेत्र की राजधानी में हुआ है और ये तीन वर्षों में हमने पूरा कर दिया है वे केवल ये बता दें कि तीन वर्षों में देहरादून में क्या किया ? मैंने इसलिए कहा कि जब प्रदेश की राजधानी का चित्रण यह होगा तो प्रदेश का क्या होगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का आभारी हूँ कि उन्होंने फिर यह कहा कि इनकी सरकार में कितना काम हुआ है और हमारी सरकार में कितना हुआ है, जो मोटर मार्ग वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07 में इन 5 वर्षों में राज्य सेक्टर के अन्दर जो सड़क का निर्माण हुआ है वह 1685 किलोमीटर है और अभी हमारे इन सिर्फ ढाई–तीन सालों में 1929 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, नई स्वीकृतियाँ बतायें।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, रुड़की का पी0डब्लू0डी0 डिवीजन है उसमें लगभग डेढ़ साल से 16–17 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये हैं, जिसमें से अभी तक मुश्किल से 4 करोड़ भी नहीं मिले हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जरूरत पड़ेगी तो खण्डवार भी, जिलेवार भी और विधान सभा वार भी बता देंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, राज्य सेक्टर में विधान सभा वार बता दें। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, बता देंगे, विधान सभा वार भी दे देंगे। श्रीमन्, जब आप प्रदेश की बात करते हैं तो 'बेल' में आ जाते हैं। आप प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करें। श्रीमन्, मैंने प्लान, नॉन प्लान एक विकास का उदाहरण जो भी, जिस रूप में दिया, जितने उदाहरण चाहेंगे, दे देंगे। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप बार–बार कहते हैं कि आर्थिक स्रोत नहीं बढ़ रहा है, वित्तीय संसाधन नही बढ़ रहे हैं तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो कर था हालांकि आपके आशीर्वाद से मुझे इस राज्य के प्रथम वित्त मंत्री होने के नाते काम करने का सौभाग्य मिला और जिस दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था उस दिन की करों की स्थिति का आकलन हमने जो किया था वह सम्भवतः 165 करोड़ के आस–पास था, जबकि हमने नीति उस समय जो कर राजस्व की बनाई तो उसका परिणाम है कि आज पूरे हिमालयी बैल्ट में हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि मणीपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरूणाचल, हिमाचल और यहाँ तक कि जम्मू–कश्मीर भी, आज इन राज्यों में हमारा राज्य करों की स्थिति में सबसे ऊपर है, लेकिन मैं वर्षवार फिर भी उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्ष 2005–06 में जो कर राजस्व आया मान्यवर, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि

105 करोड़ से जब 1 हजार 700 करोड़ पर आया तो उससे पहले हम लोगों ने दो वर्ष में कितना आकलित किया होगा। वर्ष 2006–2007 में 2513 करोड़ हुआ और वर्ष 2007–2008 में 2738 करोड़ आया। मान्यवर, वर्ष 2007 और वर्ष 2008 देखें तो लगातार यह बढ़ रहा है। वर्ष 2008–2009 में 3053 करोड़ आया और इस समय वर्ष 2009–2010 में 3528 करोड़ का राजस्व आया। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जब इतना कर संग्रह हो रहा था तो आज 'वैट' क्यों बढ़ा रहे हैं ? (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह तो राजस्व कर है। डॉ0 साहब आप थोड़ा धैर्य रखिये। इस समय यहां पर कोई 'वैट' पर चर्चा नहीं हो रही है इस समय राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हो रही है। मुझसे पूछा गया है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन की ओर से प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि टोटल राजस्व की वित्तीय स्थिति का आकलन करें तो श्रीमन्, वर्ष 2006–2007 में 7 हजार 383 करोड़ था, वर्ष 2007–2008 में 7 हजार 881 करोड़ था और वर्ष 2008–2009 में 8 हजार 764 करोड़ था, जबकि इस समय वर्ष 2009–2010 में 10 हजार 948 करोड़ है। मान्यवर, बार–बार कहा जाता है ऋण ग्रस्तता। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जब यह राज्य बना था तो उस दिन उत्तर प्रदेश से 78 हजार करोड़ का कर्जदार था। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2000 के तहत 5 प्रतिशत के हिसाब से जो हम पर उसका भार आया था, वह लगभग 3 हजार करोड़ का हम पर कर्ज था। मान्यवर, दिनांक 31–03–2001 को 3 हजार वहां से कर्ज आया था और जिस समय हमने छोड़ा था, जिस समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो ऋण था। मैं इस सदन के माध्यम से आंकड़ों के माध्यम से प्रदेश की पूरी जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मान्यवर, 31–3–2001 को 3 हजार 4 सौ करोड़ का ऋणग्रस्त था यह राज्य और इसके बाद यह अभी 31–3–2007 के बाद, इसमें वर्ष 2002 में चुनाव हुए, मान्यवर, वर्ष 3,4,5,6 और 7 इन पांच वर्षों में श्रीमन्, इस राज्य को 12 हजार 145 करोड़ के ऋणग्रस्तता में खड़ा कर दिया है। मान्यवर, यह सदन की चिंता का विषय है। हमने 2 साल में केवल 4 सौ करोड़, इन्होंने 8 हजार करोड़ का ऋणग्रस्त बनाया। श्रीमन्, आखिर ये 8 हजार करोड़ का कर्जदार उन पांच वर्षों में अतिरिक्त बनाया है, जोकि 12 हजार 145 करोड़ तक गया है। मान्यवर, मैंने सड़कों की स्थिति का आंकड़ा दिया है। जिस–जिस आंकड़े के बारे में कहना चाहेंगे उन पांच वर्षों के आंकड़े को मैं देना चाहता हूं। (व्यवधान) मान्यवर, वर्ष 31–03–2009 तक 14 हजार 605 करोड़ के कर्जदार बने हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्,

यह सरकार अच्छा वित्तीय नियोजन कर रही है। करोत्तर में आगे है। श्रीमन्, कर्मचारियों के वेतन के बारे में हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश के अन्दर यह दूसरा राज्य है, जिसने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इसलिए कर्मचारियों का समय पर पूरा वेतन जा रहा है। श्रीमन्, विकास के कार्यों का एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आंकड़ों के साथ दिया है, ये कहेंगे कि यह केवल आर्थिक आंकड़े हैं, तो मैंने प्रमाणित आंकड़े भी दिये है। सड़कों के आंकड़े भी दिये। (व्यवधान) श्रीमन्, विधायक निधि शत-प्रतिशत जारी है सभी जिलों में विधायक निधि शत-प्रतिशत जारी है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि इस सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इस सदन में अनुमानों के आधार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस सदन में जनता का फेवर करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य के विकास के बारे में विचार करना चाहिए। हमने कहा है कि इस राज्य को एक आदर्श राज्य बनाएंगे और हर हालत में बनाएंगे। (व्यवधान) इसलिए चर्चा आंकड़ों के साथ की है, समय-समय पर यह बात आती है कि गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। इसलिए हमने आंकड़ों के साथ चर्चा की है। (व्यवधान) आप बोल लीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा।

डा0 हरक सिंह रावत-

मानीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में यह प्रदेश डूब गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश होते हैं कि जो प्रदेश की अल्प बचत योजनाएं हैं, जो नेशनल सेविंग हैं, उससे लोन लेना प्रदेश की बाध्यता होती है। ये जो 8 हजार करोड़ रुपया ऋण हमारी माननीय तिवारी जी की सरकार ने लिया, उसमें से 50 प्रतिशत ऋण प्रदेश की अल्प बचत योजनाएं, जो नेशनल सेविंग योजनाएं हैं, उनसे लिया गया है। ये रिजर्व बैंक के डायरेक्शन होते हैं क्योंकि अगर प्रदेश सरकार लोन नहीं लेगी तो उन उपभोक्ताओं को, जिन्होंने नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश किया है, उनको लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए यह प्रदेश सरकार की बाध्यता होती है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, पहले स्पष्टीकरण आ जाए। भाषण बाद में हो जाए। श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, दायी से पेट छुपाने का काम न करो।

श्री अध्यक्ष–

किशोर जी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष को और माननीय नेता बसपा को कि इस सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए जो भी इस सरकार से अपेक्षा करेंगे, इसमें पूरी तरह से सरकार का सहयोग है। श्रीमन्, इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से जो भी सार्थक सुझाव होंगे, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। यह सदन ही प्रदेश के विकास के लिए चलता है। केवल आलोचना और प्रत्यालोचना न हो। कोई ठोस सुझाव होंगे तो मैं उनको आमंत्रित करूँगा, हमारी सरकार आमंत्रित करेगी। आपका मार्ग दर्शन चाहेगी उसमें। लेकिन आपका क्या सुझाव है और कैसे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है ? आखिर पूरे देश के अन्दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति आयी, मैं जानता हूँ कि हमारे राज्य में बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियाँ हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि बर्फ भी पड़ जाती है, उन्होंने तो बर्फ देखी भी कम होगी और वहाँ पर रहे भी कम होंगे। लेकिन मंगलौर में बैठकर भी बर्फ का अहसास कर रहे हैं। तो श्रीमन्, जो लोग उस बर्फ में काम करते हैं, उनकी क्या परिस्थितियाँ होती होंगी ? यह बात सही है कि नवोदित राज्य था। कठिनाई इस राज्य के सामने थी, लेकिन फिर भी यह इस राज्य का माद्दा है कि अपने राज्य के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया, ताकि इस राज्य की प्रगति में उनको भी मील का पत्थर बना सकें। बहुत सारे बिन्दुओं पर हम समय–समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन यदि सार्थक चर्चा होगी तो समय भी बचेगा और सरकार का मार्गदर्शन भी होगा। मैं आपके माध्यम से आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करेगी। जो भी अच्छे सुझाव होंगे, ऐसा नहीं है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो हमें नहीं मानना है, ऐसा कतई नहीं है। यदि, माननीय सदस्यों के भी सुझाव इस राज्य के हित में आयेंगे तो हम बैठकर, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होंगे, उनके आधार पर काम आगे बढ़ायेंगे। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, एक सुझाव है, यह मेरा व्यक्तिगत नहीं है, सदन के सभी विधायकों का है। विधायक निधि को डेढ़ करोड़ से दो करोड़ करने का सुझाव है, इसे आप कर दीजिये, इस पर आपकी पूर्व में सहमति भी है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, जिन सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आज से जो यह शंका है, उस शंका के लिये मैं चाहता हूँ कि सभी लोग निशंक हो जायं। ताकि इस प्रदेश का विकास तेजी से हो सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल, माननीय जोत सिंह गुनसोला, माननीय बलबीर सिंह नेगी, माननीय गोपाल सिंह राणा, माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन, डा0 हरक सिंह रावत एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास एवं हाजी तस्लीम अहमद जी की है, जो उत्तराखण्ड जल संस्थान निगम व आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ0बी0सी0 के बहुत से पद विभिन्न विभागों में वर्षों से खाली पड़े हैं। सरकार गम्भीर नहीं है कि इन वर्गों के लोगों को आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिल सके। उसी के क्रम में उत्तराखण्ड जल संस्थान निगम में कुल चार हजार एक सौ कुछ पद हैं, जिनमें से 1105 पद रिक्त हैं और उन 1105 पदों में से, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि यह सरकार गूंगी–बहरी है, इसे दलितों की कोई परवाह नहीं है, इसे ओ0बी0सी0 की कोई परवाह नहीं है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि 1105 पदों में से 1050 पद अनुसूचित जाति और ओ0बी0सी0 के, लगभग 95 प्रतिशत पद खाली हैं मात्र जल संस्थान निगम में, पूरे उत्तराखण्ड में लगभग आठ हजार पद खाली हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यह सरकार दलितों का शोषण कर रही है, पिछड़ी जातियों का शोषण कर रही है। मान्यवर, उन्हें उनका हक भी नहीं देना चाहती। मैं कहना चाहता हूँ कि इस उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के कर्मचारी, अनुसूचित जाति

के लोग, ओ0बी0सी0 के कर्मचारी, ओ0बी0सी0 के लोग पीड़ित हैं और उनकी उपेक्षा हो रही है। यदि कहीं प्रमोशन किया जाता है, जब जल संस्थान में प्रमोशन किया जाता है, 97 लोगों का प्रमोशन होता है तो एक भी दलित व्यक्ति का प्रमोशन नहीं किया जाता है। केवल सामान्य जाति के लोगों को उसमें प्रमोशन दे दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो विषय रखा है, उसी पर बात करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। मैं जल संस्थान पर बोल रहा हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, विषय मेरा गम्भीर इसलिए है पीड़ा होती है कि जब अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जो दबे, कुचले लोग हैं, उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है और जो उनका हक है, वो हक भी उनका नहीं मिलता है। तो पीड़ा होती है, दर्द होता है। जब दर्द होता है तो इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप तो इतने नम्र दिल हैं, आप तो हमेशा दलितों के हितैषी रहे हैं, आप तो हमेशा पिछड़ों के हितैषी रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार के कानों को खोलना चाहता हूँ कि इन दलितों को, इन शोषित लोगों को, इनका हक दिया जाय। मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2006 में सरकार ने विज्ञप्ति जारी की कि इन लोगों की नियुक्ति की जाय, उत्तराखण्ड जल संस्थान में नियुक्ति दी जाय। तो 2006 में बहुत से बेरोजगार साथियों ने, मेरे नौजवान साथियों ने अपने फार्म भरे, फार्म भरने के बाद जमा कर दिये गये। दुर्भाग्य से माननीय अध्यक्ष जी, 2006 के बाद 2010 चल रहा है, आज तक भी उनके इन्टरव्यू और उनकी परीक्षा नहीं की गयी है। क्यों नहीं की गयी है, जब 2006 में इनके फार्म भरे गये ? इसलिए नहीं की गयी कि दलित वर्ग की आरक्षित सीटें हैं, इन्हें न्याय न मिल सके, इन्हें रोजगार न मिल सके। बैकवर्ड की सीटें हैं, इन्हें न्याय न मिल सके, इन्हें रोजगार न मिल सके। 95 प्रतिशत पद ओ0बी0सी0, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं उन लोगों की पीड़ा आपके माध्यम से सरकार को व्यक्त कराना चाहता हूँ कि आज लोग आन्दोलित हैं। आज विधान सभा के बाहर 20 तारीख से लगातार धरना–प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि हमें प्रमोशन मिलना चाहिए। जब अन्य लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, जब हम योग्यता रखते हैं और योग्यता रखने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है, उन लोगों को प्रमोशन दे दिया जाता है जो योग्यता भी नहीं रखते, इंटर पास हैं और जो बी0काम0 और एम0काम0 हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें उनका प्रमोशन नहीं दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम

रो, जिन अधिकारियों ने ऐसा कृत्य किया है, जिन अधिकारियों ने हमारा शोषण किया है, अनुसूचित जाति का शोषण किया है, ओ०बी०सी० का शोषण किया है, जनजाति का शोषण किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। आपके माध्यम से निर्देश दिये जाने चाहिए सरकार को। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि ये बहुत ही गम्भीर विषय है, इस पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ और कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आपके आदेश में नियम–310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने जो बयान दिया उस पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि खाली जल संस्थान नहीं हमारे प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ०बी०सी० के पद रिक्त हैं। सभी विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओ०बी०सी० के अभ्यर्थियों के साथ सौतेलापन किया जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार तक इसकी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर तत्काल से तत्काल इन पदों को भरा जाय क्योंकि यह विषय बहुत ज्वलनशील है, लोक महत्व का है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ। धन्यवाद।

*हाजी तस्लीम अहमद

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जल संस्थान पर नोटिस दिया गया है, एक विभाग जिसमें चर्चा की गई है, इसमें जो पद रिक्त हैं वह 1050 कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछड़ा वर्ग के हैं। इन पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं दी गई हैं। ऐसे ही सभी विभागों में घोर अन्याय हो रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है। जहाँ आरक्षण नियमानुसार है, संविधान के तहत है इसके बाद भी सरकार गम्भीर नहीं है, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जो केन्द्र सरकार की भी योजना है जो दलित वर्ग है, दबा कुचला है उसको उबारने के लिए अन्य योजना चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं पर, जो उनका हक है वह भी उन्हें नहीं मिल रहा है तो इससे बढ़कर और ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी ? यह तो एक विभाग की नोटिस है इसी पर भी अगर हम गम्भीर होकर ध्यान देंगे तो सभी विभागों में चाहे वह शिक्षा विभाग हो, मैंने पहले भी कहा था कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियाँ पूरी नहीं की गई हैं। आज जो बच्चे बेरोजगार भटक रहे हैं, कहीं अगर एलान भी होता है कि फलाँ दिन नियुक्तियाँ दी जायेंगी उसके बाद पता नहीं कैसे टल जाती हैं। फिर उनका टैस्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जो परीक्षा ली जाती है, उसके बाद भर्ती लटका कर उन बच्चों को कोर्ट भेज दिया जाता है और वह कोर्ट में घूमते फिरते हैं। अगर किसी बच्चे के परिवार के पास पैसा है तो उनको कोर्ट के आधार पर सरकार नियुक्तियाँ देती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। गरीब आदमी कहाँ कोर्ट के चक्कर काटेगा, मुझे तो इतना ही कहना है। मान्यवर, सरकार इस पर गम्भीर हो और जिन लोगों का हक है, उनको उनका हक दिलाये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना और है उस पर बोलना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्यों ने आज अनुसूचित जाति के रिक्त पदों से सम्बन्धित सूचना की ग्राह्यता पर अपने विचार रखे और सम्मानित सुरेन्द्र राकेश जी ने बड़े भावुक शब्दों में उसको भावुक कहें, जो चिल्ला करके बोलते हैं, उसको क्या शब्द कहा जाय ?

श्री अध्यक्ष–

उनके लिये सामान्य बात है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो ग्राह्यता पर आपने विचार रखे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। आपने जल संस्थान की बात कही, जल संस्थान में इस समय पूरे विभाग में 4267 पद सृजित हैं, इन 4267 पदों के सृजन के सापेक्ष वर्तमान में 3115 कर्मी नियुक्त हैं, जिसमें से सामान्य श्रेणी के 2625, अनुसूचित जाति के 367, अनुसूचित जनजाति के 27 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 96 कर्मी कार्यरत हैं। क्योंकि जल संस्थान के अन्तर्गत भर्ती की प्रक्रिया के तहत अभियंत्रण संवर्ग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं के जो पद रिक्त है श्रीमन्, उन पदों में 54 पद सहायक अभियंताओं के और 98 पद कनिष्ठ अभियंता के रिक्त हैं और इन सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति का जो प्रतिनिधित्व होता है 11 पदों पर और अनुसूचित जनजाति का दो पदों पर और अन्य पिछड़ा वर्ग का 8 पदों पर। यह इस 54 पदों के अन्तर्गत सम्मिलित है। इसी के साथ कनिष्ठ अभियंता के 98 पद रिक्त हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 27 पद और अनुसूचित जनजाति के 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद चयन हेतु सम्मिलित हैं। इसके लिए लोक सेवा आयोग को अध्याचन पूर्व में भेजा जा चुका है और लोक सेवा आयोग से हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें तत्काल परीक्षा ली जाए और उम्मीद है कि उसकी परीक्षा सम्पादित हो जायेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अध्यक्ष लोक सेवा आयोग से बात

करूँगा कि शीघ्र ही इसकी परीक्षा ली जाए।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, रोस्टर के अनुसार 8 होने चाहिए, 7 हैं। अनुसूचित जनजाति के 8 होने चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाकी तो कार्यरत हैं। जो हमारे पास रिक्त पद हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग से बाहर के पद भी हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बता रहा हूँ। लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर अनुसूचित जाति के 175, अनुसूचित जनजाति के 20 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं चूँकि इन पदों पर जो हमारी सेवा नियमावली है, उसके आधार पर अर्ह कार्मिक उपलब्ध न होने से वह हम नहीं कर पा रहे थे। इसको हम जल्दी से जल्दी सम्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं। 233 सीधी भर्ती के अन्य पद हैं, चूँकि इस समय सेवा नियमावली में प्राविधान हुआ है कि उसमें सभी पदों पर साक्षात्कार खत्म किया गया है, जो समूह–ग के पद हैं। साक्षात्कार खत्म होने के कारण सेवा नियमावली में संशोधन के चलते हुए उसकी प्रक्रिया भी हम सम्पादित करवा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसको पूरा कर लेंगे, परीक्षा सम्पादित करने के बाद। मान्यवर, जहाँ तक अनुसूचित जाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व न देने का विषय आपने रखा, वह उचित नहीं है। क्योंकि हमने तो जल निगम के एम०डी० के पद पर भी अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को नियुक्त किया है मान्यवर, अनुसूचित जाति को पूरा सम्मान और उसको पूरा अधिकार देने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार के अन्दर है। इसी के तहत मैं आपसे श्रीमन्, आग्रह करता हूँ कि इस सूचना को अग्राह्य करें। चूँकि हम स्वयं भी संजीदा हैं और इस प्रकरण को हम निस्तारित करना चाहते हैं।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, टाइम बॉण्ड करें, कब तक ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग पर मैं कैसे टाइम बॉण्ड कर सकता हूँ ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, टाइम बॉण्ड उनके लिए जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं। आपके विभाग द्वारा 97 लोगों के प्रमोशन किये गये। इसमें एक भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, जबकि उसमें पात्र व्यक्ति भी हैं। बी० कॉम, एम० कॉम भी हैं और विभाग में इण्टरमीडिएट तक के लोगों का प्रमोशन किया गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम इसको शीघ्र निस्तारित करवा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, माननीय तस्लीन अहमद जी एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना माननीय हरिदास जी की है जो उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पाने के लिए पिता की अधिकतम आय से सम्बन्धित है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़ी जाति, ओ०बी०सी० के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके बच्चे जो जाते हैं, उनको वजीफे का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे प्रदेश में जो इनकी कटआफ आय रखी है, वह 45 हजार रखी है। मान्यवर, यह सरकार नहीं चाहती है कि छोटे लोग या ओ०बी०सी० के लोग आगे बढ़ें और अपने लोगों को उच्च शिक्षा दे पायें। जो गरीब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चूंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी वेतन 20 हजार रुपया मिल रहा है। इसकी आय सीमा कम से कम ढाई लाख रुपये होनी चाहिए। सरकार उदारता का परिचय देगी। आज पिछड़ी जाति में जो असंतोष फैला हुआ है हमारे उत्तराखण्ड प्रदेश में, जो हमारे बराबर के प्रदेश हैं आज एक लाख या डेढ़ लाख रुपये से कम आय की सीमा पिछड़ी जाति की नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा और मांग भी करूंगा कि आज पिछड़ी जाति के लोग हैं उनमें रोष है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। चूंकि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उनको वजीफा नहीं मिल रहा है। इसलिए इस सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।

समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, माननीय हरिदास जी ने ओ0बी0सी0 छात्रों के वजीफा बढ़ाने की बात कही है।

श्री अध्यक्ष–

वजीफा बढ़ाने की बात नहीं कही है, बल्कि उनके माता–पिता की आय सीमा को बढ़ाने की बात कही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माता–पिता की आय सीमा बढ़ाने की बात है, इसमें मेरा कहना है कि यह योजना केन्द्र सरकार से सहायतित योजना है। पूरा पैसा केन्द्र सरकार से आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश ने वर्ष 2001–02 में ₹ 25 लाख 92 हजार की माँग की। हमको उसके सापेक्ष ₹ 25 लाख 92 हजार की धनराशि मिली, वर्ष 2002–03 में ₹ 53 लाख 01 हजार की माँग की गयी थी, जिसमें से शून्य रुपया मिला। वर्ष 2003–04 में ₹ 46 लाख 51 हजार की माँग थी, जिसमें से ₹ 37 लाख मिला, वर्ष 2004–05 में ₹ 98 लाख की माँग थी, उसके सापेक्ष ₹ 62 लाख 31 हजार मिला, वर्ष 2005–06 में ₹ 1 करोड़ 07 लाख 98 हजार की मांग थी, इसके सापेक्ष ₹ 72 लाख मिला, वर्ष 2006–07 में ₹ 1 करोड़ 28 लाख 46 हजार की माँग थी, उसके सापेक्ष ₹ 81 लाख 93 हजार मिला, वर्ष 2007–08 में ₹ 45 लाख की मांग थी, उसके सापेक्ष शून्य रुपया मिला, वर्ष 2008–09 में ₹ 9 करोड़ 41 हजार 203 की मांग थी, उसके सापेक्ष ₹ 01 करोड़ 04 लाख मिला। इस प्रकार मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार से जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं आया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, पूरी बात तो आने दीजिए। माननीय गोपाल सिंह राणा जी आप हर एक बात पर खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार की यह सहायतित योजना है, अगर केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी तो फिर हम कैसे काम करेंगे। मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश सरकार ने इसमें क्या किया है, इसको भी सुन लीजियेगा। वर्ष 2008–09 में 18 हजार 701 छात्रों को छात्रवृत्ति दी थी, जिसमें से खर्च हुआ ₹ 06 करोड़ 29 लाख। (व्यवधान) वर्ष 2009–10 में 17 हजार 19 छात्रों को छात्रवृत्ति दी थी, उसमें से खर्च आया ₹ 7 करोड़ 46 लाख 46 हजार (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उच्च शिक्षा के बारे में आप बता दीजिए।

श्री गातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उच्च शिक्षा में कह रहा हूँ कि केन्द्र सरकार जितना पैसा दे रही है उससे ज्यादा पैसा हमारी सरकार दे रही है। मान्यवर, सरकार के पास संसाधन नहीं हैं और केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश हैं कि 44 हजार 5 सौ आय सीमा अभिभावक की होगी, उसी छात्र को छात्रवृत्ति दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न यह नहीं है। जबकि माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि आय सीमा बढ़ायी जा रही है या नहीं बढ़ायी जा रही है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी एवं समाज कल्याण मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

महाकुम्भ के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत 400 करोड़ रु0 को प्रदेश सरकार द्वारा बिना निविदायें आमंत्रित कर कार्य स्थगित कराये जाने से सम्बन्धित माननीय दिनेश अग्रवाल, माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय केदार सिंह रावत, माननीय जोत सिंह गुनसोला की सूचना प्राप्त हुई है। चूंकि माननीय दिनेश अग्रवाल जी और माननीय जोत सिंह गुनसोला जी ने एक और सूचना में अपने विचार रख दिये हैं, इसलिए मैं माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी से निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात रखें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, महाकुम्भ के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को निर्गत किया गया और बहुत दिनों से हल्ला मच रहा है कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूँगा कि जो इस समय पैसा जारी हुआ, सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनायीं स्थायी कार्य करने की, लेकिन कोई भी कार्य टेण्डर पद्धति से नहीं हो रहा है, सारे काम जो हो रहे हैं, वे सेलेक्शन बाण्ड से हो रहे हैं, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही ? सरकार की सेलेक्शन बाण्ड में करने की एक ही मंशा रही कि इसमें भारी कमीशनखोरी और बहुत से कार्य बिना टेण्डर के इस समय हो रहे हैं। दूसरा, जो कार्य हो भी रहे हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, आपको मानना पड़ेगा कि हरिद्वार में बहुत एकता है, चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों। (हँसी)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इससे प्रतीत होता है कि जब सरकार ने वहाँ के जन समुदाय के दबाव में थर्ड पार्टी जाँच करायी तो उसमें बहुत से कार्य निम्न स्तर के पाये गये। यह सरकारी महकमा, ये सरकारी मंत्री उस समय क्या कर रहे थे, जब वहाँ कार्य हो रहे थे ? और आज जब नेशनल इंस्टीट्यूट से यह जांच करायी गयी है तो कार्य निम्न स्तर के पाये जा रहे हैं। क्या सरकार ने उसके बाद जब ये निम्न स्तर के पाये गये, बतायेगी अपने जवाब में कि कितने कार्य निम्न स्तर के पाये गये और किसी भी अफसर को या किसी भी ठेकेदार को काली सूची में डाला गया हो, जिन कार्यों पर थर्ड पार्टी ने जांच की है और निम्न स्तर के कार्य पाये गये हैं ? मान्यवर, इसी प्रकार बहुत ऐसे कार्य जो आवश्यक थे जैसे बाईपास का काम है, पुलों का काम है और मात्र एक महीना भी नहीं बचा है और कार्य अपूर्ण पड़े हुये हैं। जिस कार्य के लिए केन्द्र से जो पैसा सरकार को मिला है, कार्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, हमें डर है कि आने वाले कुम्भ मेले में इतनी बड़ी संख्या में लोग आयेंगे, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से यह सरकार कर पायेगी। लक्सर रेलवे ओवर ब्रिज बस सेवा जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ है, ज्वालापुर में मार्ग निर्माण हेतु लागत 20 करोड़ रुपये है, अनेक इस तरह की अनियमिततायें इस सरकार के कार्यों की मिली है। कार्य समय से पूर्ण नहीं हो रहा है, निम्न स्तर है, बिना टेण्डरों के काम हो रहे हैं यही अनियमितता है। थर्ड पार्टी की जाँचों में निम्न स्तर की रिपोर्ट आ रही है और उसके बाद सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, ठेकेदारों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहाँ के लोग आक्रोशित हैं, वहाँ की जनता आक्रोशित है। उन्होंने सड़कों को उखाड़कर दिखाया कि सीधे रेत पर डामर पड़ा है, तो अनेक–अनेक लीपापोती और अनियमितता हो रही है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की आस्थाओं का प्रश्न है, इसलिए मैं सरकार के सारे कार्यों को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने नियम–58 के अन्तर्गत कुम्भ से सम्बन्धित अपनी सूचना को दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ नहीं हैं और हमारे माननीय अग्रवाल जी कह रहे थे कि हम सदन में जो बोल

रहे हैं सच बोल रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं तो आज की तारीख तक में 4 सौ करोड़ नहीं मिले, अब पता नहीं ये कौन सा सच बोल रहे हैं ? दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब उधर बैठे थे और ये लोग इधर बैठे थे तो माननीय तिवारी जी कोई योजना लाते थे तो हम लोग खुलकर बधाई करते थे कि देखो माननीय तिवारी जी राज्य के लिए कुछ लेकर आये हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री निशंक जी 4 सौ करोड़ रुपया केन्द्र से लेकर के आये हैं तो ये लोग बधाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं ? हम स्वागत करते थे माननीय तिवारी जी का कि इस प्रदेश के लिए कुछ लेकर आये। आप वर्ष 2004 में क्यों नहीं लेकर आये और आज यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यह पैसा हम केन्द्र सरकार से लाये हैं। वास्तव में इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जो यह 4 सौ करोड़ रुपया महाकुम्भ के लिए ले आये हैं। मान्यवर, कुम्भ केवल प्रदेश का आयोजन नहीं है यह सम्पूर्ण देश का आयोजन है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को आज की कार्यसूची में जो कार्य हैं, जब तक यह कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए बढ़ाता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह एक ऐसा आयोजन है, जिसमें सबकी बराबर की जिम्मेदारी है आज जब हमारे प्रतिपक्ष के मित्रगण समाचार–पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से केवल इस प्रकार का प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि हरिद्वार में कोई कार्य नहीं हुआ है। हरिद्वार में पुल नहीं बने हैं, हरिद्वार में अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं और हरिद्वार में अभी तक अमुक कार्य नहीं हुए हैं। जैसा मैंने कहा है कि यह आयोजन केवल प्रदेश सरकार का नहीं है, इसका संदेश इस प्रकार से दिया जाना अपने आप में उचित नहीं है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वर्तमान में हरिद्वार की स्थिति क्या है, कितने कार्य हुए हैं। इस महा कुम्भ के लिए कितना पैसा आया है, यह पैसा कहां खर्च हुआ है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और हम कहां पर खड़े हैं। चूंकि जब इस तरह से बयानबाजी होती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ता है। इससे राज्य की साख पर भी प्रभाव पड़ता है। केवल मात्र कह देने से कि यह नहीं हुआ है वह नहीं हुआ है ठीक नहीं है। आज हमारे किसी भी मित्र ने एक शब्द भी यह नहीं कहा कि यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, अमुक कार्य में यह कमी पायी गयी। मान्यवर, केवल भाषण बाजी से काम चलने वाला नहीं है मैं निश्चित रूप से आंकड़ों के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, आंकड़े सर्कुलेट कर दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अभी एक–एक प्रति सबके पास भिजवा दूँगा। मान्यवर, हमने जो 276 काम अभी तक स्वीकृत किये हैं और उसमें 527 करोड़ रुपये टोटल लागत है और अभी तक हम 385 करोड़ रु० दे चुके हैं। मैं एक–एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। महाकुम्भ हो रहा है, यह आयोजन केवल राज्य सरकार का नहीं है, इसे गम्भीरता से लीजिए। गंगा प्रदूषण के केवल हमने 15 कार्य स्वीकृत किये हैं, जो 41 करोड़ 43 लाख रु० टोटल लागत के हैं, जिसमें 39 करोड़ 22 लाख रु० हम अवमुक्त कर चुके हैं और अभी तक 36 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, लगभग 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मान्यवर, सिंचाई विभाग के टोटल 61 काम हैं, इसके लिए 81 करोड़ 85 लाख 88 हजार रु० हैं, इसमें से 56 करोड़ रु० शासन द्वारा अवमुक्त हुए हैं और 33 करोड़ 58 लाख रु० व्यय हो चुके हैं। इसमें अस्थायी प्रवृत्ति के जो कार्य वर्तमान में हैं, वे 31 तारीख तक पूरे होने हैं, वे लगभग पूरे होने की स्थिति में हैं। चूंकि अस्थाई काम 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। मान्यवर, शक्तिनहर खण्ड का कार्य 88 लाख रु० का है, सारा टेम्परेरी वर्क है। पॉवर कारपोरेशन में 44 करोड़ के काम हैं, इसमें 37 करोड़ 96 लाख रु० दे चुके हैं। इसमें 23 लाख 49 हजार के जो परमानेन्ट कार्य हैं, वे पूरे हो चुके हैं। जो अस्थाई कार्य हैं, वे वर्तमान में 31 तारीख तक पूरे हो जायेंगे। मान्यवर, आपने कहा है इसलिए मैं सारे विभागों के आंकड़े दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी होते तो उनका आभार प्रकट करता। सारे अच्छे–अच्छे विभाग हरिद्वार के हिस्से आए। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय तिलक राज जी को सुनने में भी परेशानी है। कह रहे हैं कि विधायक निधि हमारे पास पहुँची नहीं है, बताईये हम क्या करें। हमने कहा प्रस्ताव अरविन्द पाण्डे जी को दे दो, स्वीकृत होकर आ जाएगी, वहाँ भी देने को तैयार नहीं हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हम तो अपने जनपद का मुख्यमंत्री अरविन्द पाण्डे जी को ही मानते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हैं ही, मानते क्या हैं। अरविन्द पाण्डे जी आपके नेता हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अरविन्द पाण्डे जी की दरख्वास्त में 'ना' लिखने की हिम्मत किसी भी माननीय मंत्री की नहीं है। आपकी भी नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम क्यों लिखेंगे, हमारे मंत्री हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, किसी अधिकारी की भी हिम्मत नहीं है, 'ना' लिखने की। हमसे क्या कह रहे हैं। हमारे जिले के विधायक हैं, इसलिए हम तो उनका ऐसे ही सम्मान करते हैं। दूसरी बार के विधायक हैं, इसलिए सम्मान करते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अरविन्द पाण्डे जी के पास प्रस्ताव भिजवाओ स्वीकार होने की गारण्टी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक जी, यह क्या बात है ऊधम सिंह नगर की ? पिछली बार अरविन्द पाण्डे जी वह बात करते थे। आज वही भाषा आप बोल रहे हैं। जब आप मंत्री थी, तब अरविन्द पाण्डे जी इधर थे। उस समय वे भी यही बात कहते थे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली बार ऐसी कोई बात ही नहीं उठती थी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, सारे विभागों के आंकड़े मैं सभी माननीय सदस्यों को भिजवा देता हूँ। लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण बात कुम्भ की है, उसकी बात जरूर करना चाहता हूँ। मान्यवर, 1998 में पूर्ण कुम्भ हुआ और 2004 में अर्द्ध कुम्भ हुआ। उन दोनों में एक अन्तर इस रूप में जरूर हम लोगों को देखना चाहिए। आज दिसम्बर का महीना चल रहा है। 1998 में केवल 54 करोड़ रुपये दिसम्बर माह तक खर्च किये गये थे, बाकी उसके बाद खर्च हुए थे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 1998 में तो आप ही थे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप थे या हम थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान) आपने कहा कि वहाँ काम नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान) आज से पहले 2009 तक केवल 5 किलोमीटर घाट थे। इस वर्ष, 2010 के महाकुम्भ में 5 किलोमीटर अतिरिक्त घाटों का निर्माण हुआ, केवल महाकुम्भ के लिए। आप रेलवे की बात कर रहे हैं। रेलवे का जो आर0ओ0बी0 है, उसमें राज्य सरकार को जो काम करना था, आज से 15 दिन पहले वह सारा काम हम कम्प्लीट कर चुके हैं। रेलवे को जो काम करना है, कल उनके सचिव भी आए हैं, हम लोगों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, भारत सरकार में जाकर वार्ता हुई है। भारत सरकार के सचिव आए, रेलवे के चीफ इंजीनियर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो काम उन्हें करना है, उसको वे तत्काल पूरा करें। उन्होंने हमें जनवरी तक का समय दिया है कि हम उसको पूरा कर देंगे।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना में मेरे भी साईन हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुम्भ मेला करोड़ों करोड़ भारत वंशियों की आस्था का केन्द्र है। कुम्भ मेले से सिर्फ हरिद्वार ही प्रभावित नहीं है बल्कि कुम्भ मेले के लिए जो देश और विदेश से करोड़ों करोड़ लोग आते हैं। वे चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी जिज्ञासा बताईये।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी और सरकार इस कुम्भ मेले के बजट से उन चार धामों में भी यात्रियों की अवस्थापना सुविधाओं के लिए कोई स्थायी परिसम्पत्तियाँ बनाने जा रही है या नहीं और यदि बनाने जा रही है तो कितने प्रतिशत चार धाम में व्यय होगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कल इस सम्बन्ध में एक प्रश्न लगा हुआ है तब इस विषय में बात आ जाएगी। (व्यवधान) मान्यवर, कुम्भ का नोटीफिकेशन होता है, एरिया का भी नोटीफिकेशन होता है कि कुम्भ का एरिया कितना है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बहुत बड़ा काम इस बार हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने प्लान किया था कि हरिद्वार में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। हम लोगों ने पानी और सीवरेज, इन दोनों के निर्माण के लिये वर्ष 2050 को आधार माना है। 2050 तक हरिद्वार की पापुलेशन कितनी बढ़ेगी, फ्लोटिंग कितनी बढ़ेगी, यह दोनों व्यवस्थाएं हमने 2050 को आधार मानकर कम्प्लीट की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, बहुत संक्षिप्त बातें हमने रखी, उचित होगा कि माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में उन्हीं बिन्दुओं का उत्तर दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप लोगों को कुम्भ के बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कुम्भ केवल प्रदेश का नहीं पूरे देश का है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है, उन बिन्दुओं पर आप बता दीजिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी इन्होंने हिल बाईपास की बात की, इसका कार्य पिछले 10 साल से रूका हुआ था। 10 साल से उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा था, उसका काम बन्द पड़ा था, उसके लिये यह सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने अनुमति प्राप्त की कि हिल बाईपास का निर्माण किया जाय और वर्तमान में जितना एक्सटेंशन होना है, उसको छोड़कर टोटल का निर्माण कार्य कम्प्लीट हो चुका है लेकिन हिल बाईपास को थोड़ा आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने का जो कार्य करना है, वह बाद में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसकी अनुमति हमें अब प्राप्त हुई है। लेकिन जो पिछला वर्क है, जिस वैकल्पिक मार्ग की हम बात करते हैं, वह हिल बाईपास से अब सॉल्व हो जायेगा। दूसरे मार्ग की बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिडकुल है, उसकी नहर के किनारे पर एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो भगवानपुर होकर सहारनपुर और दिल्ली को जायेगी। इससे जो हमारा हाई वे है, उसे हम खाली रखना चाहते हैं, ताकि कुम्भ के समय में जो वाहन आयेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यह एक बड़ा काम है, जिसे कुम्भ के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके बारे में माननीय सदस्यों को बताया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पुल सारे पूरे हो गये हैं और सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है आपने पुलों की बात की कि पुल नहीं बने, चार स्थाई पुलों का निर्माण इस बार किया गया है जिसमें से दो पुल कम्प्लीट हो चुके हैं और दो पुल कम्प्लीट होने की स्थिति में हैं। जो उनको समय सीमा दी गई है, उससे पहले ये हमें मिल जायेंगे। (व्यवधान) चार पुल जो बने हैं, उनमें से एक हर की पैड़ी पर, एक डाम कोठी पर बना है, एक सिंह द्वार के पास और एक घनौरी में बना है, ये स्थाई पुल हैं, अस्थाई तो ज्यादा बने हैं।

मान्यवर, एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के सभी मित्र हमारे यहां पर बैठे हैं। अभी भारत सरकार के योजना आयोग की सचिव, सुधा पिल्लई हरिद्वार आई थी, उन्होंने भ्रमण करने के बाद कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार को एप्रिशियेट करती हूँ कि जो कामों की गुणवत्ता मुझे नजर आ रही है, वह गुणवत्ता मुझे कहीं और नजर नहीं आई। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, गवर्नर साहब की बात पर भी मैं आता हूँ, अगर आपको लगता है कि भारत सरकार की सचिव सही नहीं बोल रही हैं तो आप भारत सरकार से बातचीत करिये।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, क्या उनका कोई सर्टिफिकेट या कोई लैटर इस सम्बन्ध में आपके पास आया ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की ....(व्यवधान) उन्होंने यह भी कहा कि जो थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस हमने किया है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि इस राज्य ने पहली बार इस तरह की व्यवस्था की है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ कि एक उत्तम व्यवस्था इस राज्य ने की है। ....(व्यवधान) महामहिम राज्यपाल के दौरे की चर्चा आपने की, महामहिम राज्यपाल हरिद्वार में गईं, मैं महामहिम जी के साथ था, खुद महामहिम जी ने कहा कि आप और मैं साथ–साथ रहेंगे। पहले मैंने उनसे पूछा था कि मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि आप भ्रमण पर आ रही हैं और कुम्भ के कार्यों का निरीक्षण भी करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो काम किये जा रहे हैं, मान्यवर, और जो एक अखबार के माध्यम से कुछ लोगों को मैंने अखबर में पढ़ाया, निश्चित रूप से दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। उन्होंने कहा कि कामों की बहुत अच्छी स्थिति है और काम समय पर पूरे हो जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार को कहीं यह नहीं कहा कि काम ठीक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अगले दिन एक अखबार में देहरादून से छपा दूसरे दिन महामहिम राज्यपाल ने इसका खण्डन किया कि ये समाचार भ्रामक है, गलत है और ऐसा मैंने नहीं कहा। मेरे मित्रगण बताएं अगर राज्यपाल ने कहा, बताएं न राज्यपाल ने क्या कहा, राज्यपाल ने अखबार में कहा है, राज्यपाल ने हरिद्वार में कहा है, राज्यपाल ने देहरादून में कहा है। (व्यवधान) अब मीडिया झूठ बोल रही है मुझे नहीं मालूम, महामहिम राज्यपाल जी ने क्या कहा, वो मैं बता सकता हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मैंने कहा कि एक अखबार में ऐसा समाचार छपा। महामहिम राज्यपाल ने अगले दिन उसका खंडन किया।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम ने क्या कहा वो बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने सचिव, भारत सरकार की बात बताई।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम की बात भी आयी है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो पूछा उसका जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान) अब गुणवत्ता की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। मान्यवर, नियोजन विभाग के माध्यम से हम लोगों ने थर्ड पार्टी अश्योरेंस क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए श्रीराम इंस्टीट्यूट और एक दूसरी जो टी०यू०वी०एस०यू०डी०, ये जर्मन की कोई कम्पनी है। हमने इन दो को इंगेज किया है नियोजन विभाग के माध्यम से। 1186 नमूने अब तक प्राप्त किये हुए हैं और 1186 में से मौके पर दो गये, अगर उन्होंने कहीं पानी में कमी पायी तो तत्काल वहीं अधिकारी आये कि ये पानी खराब है इसको चेंज कराईये, रेत खराब है तो रेत को तुरंत चेंज करिये, ईंट खराब है, इसको चेंज करिये, छोटी बजरी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी को बदलवाईये। तत्काल वहीं मौके पर अधिकारियों के माध्यम से जो थर्ड पार्टी की पूरी 25 आदमियों की टीम है, उसने तत्काल मौके पर उसका निवारण किया 1186, ये तो फर्स्ट टाईम उसने किया। सेकेंड टाइम जो काम मौके से हटवाने के बाद तुरन्त सही कराया, लेकिन 225 में से थर्ड पार्टी ने कहा कि यदि इसमें भी पानी की कमी है तो, यदि कोई चीज है तो कटौती की गयी। अभी तक केवल 5 लाख 73 हजार रुपये की संस्तुति उसने की कि अमुक विभागों से कटौती कर ली जाय। तत्काल उसकी कटौती कर ली गयी। अब ये थर्ड पार्टी में इनका विश्वास नहीं है, सचिव, भारत सरकार पर विश्वास नहीं है, महामहिम राज्यपाल की बात पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मैं आपको भेज देता हूँ तो मुझे बताईये कि ये होगा कैसे। आखिर ये जो आयोजन है, ये आयोजन केवल राज्य सरकार का नहीं है, यह सम्मान की बात है, पूरे देश के सम्मान की बात है, पूरे हिन्दुस्तान के सम्मान की बात है। इसलिए केवल अखबारों के माध्यम से कह देना, यह ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने मित्रों से आज के बाद जो बात आपको आंकड़ों के आधार पर प्राप्त हो उस पर ही बोलना चाहिए इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी की बात सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं और मेरा दल सरकार के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से वाक–आउट करता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन का वाकआउट कर बाहर चले गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस आ गये।)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम–58 के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में जो अभी मजदूरी मिल रही है, उसको बढ़ाने के सम्बन्ध में यहाँ पर विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस समय स्थिति है, एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा जो सूखा पड़ा है, उसकी वजह से गाँव समाज का अन्तिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसका जीवन निर्वाह सम्भव नहीं हो पा रहा है। आज के दिन अगर आप बात करें तो अरहर की दाल 120 रुपये किलो मिल रही है। मान्यवर, अगर हिसाब लगायें तो एक परिवार में, हम 06 सदस्य भी नही लगाते है, 04 ही सदस्य लगायें तो उसको महीने में 833 रुपये मिल रहे हैं और अगर खर्चा देखें तो कम से कम, जिसको कहते है कि पानी पर जीना, तो उस आदमी का एक दिन में कम से कम 129 रुपया का खर्चा आ रहा है। अगर दाल कम और पानी ज्यादा हो तो भी उसका चार सदस्यों का एक दिन का खर्चा 129 रुपया आ रहा है। इस तरह से हम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वह भी समय से गाँवों में श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा है तो 10 हजार रुपये आप एक वर्ष में, मैं मानता हूँ, उतने से ज्यादा की हमारे मुख्यमंत्री शेरवानी पहनते हैं, शायद उससे ज्यादा की होगी। मैं एक दिन पंत जी के साथ जा रहा था, इन्होंने कृपा की और मुझे गाड़ी में उत्तराखण्ड निवास जाने के लिए लिफ्ट दी तो मैंने देखा जितने में हमारे यहाँ उस श्रमिक को तनख्वाह मिलती है साल भर की उससे डेढ़ गुना तो उनके जूते की कीमत होगी, मान्यवर, पता नहीं आज उन्होंने पहना है कि नहीं पहना है। तो मान्यवर, इतना बड़ा अन्तर है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पन्त जी, आप किन लोगों के साथ जाते हैं, जिनका ध्यान जूते की तरफ रहता है। (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, वह गरीब व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य और उसके जो रोजमर्रा के कामों के लिए भी, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, कैसे अपना घर बनायेगा। पहनने के लिए कपड़े कैसे उपलब्ध करायेगा ? मान्यवर, यह बहुत जरूरी हो गया है ऐसा नहीं है कि यह हाल केवल उत्तराखण्ड का ही है। मान्यवर, हरियाणा में दैनिक मजदूरी तय की है, जो लोग नरेगा के अन्तर्गत काम कर रहे हैं, 141 रुपया है। चण्डीगढ़ में 140 रुपये मजदूरी निर्धारित कर रखी है। मेरा कहना यह है कि सरकार को समाज के अन्तिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है और फौज खड़ी करने के बजाए, गलत संदेश भी जा रहा है उस संदेश को भी हमको ठीक करना है। आज हम विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए बिल ला रहे हैं और बिल पास भी हो रहा है। सांसदों ने पहले कर दिया है। मान्यवर, जिनके ऊपर इस प्रदेश की देश की जिम्मेदारी है, जब उनके वेतन भत्ते बढ़ सकते हैं, जब हम कार्मिकों के वेतन बढ़ा सकते हैं, अधिकारियों के वेतन बढ़ा सकते हैं तो गाँवों के श्रमिकों का वेतन-भत्ते क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं ? जहाँ भी जाइये मान्यवर, हमारे विपक्ष के सदस्य भी हैं, हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी हो, ट्रेजरी बेंच की अपनी मजबूरी हो सकती हैं लेकिन उनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका सामना करना पड़ता होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, तभी तो हमारी सरकार ने 73 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, आपने 100 रुपये बढ़ाने की बात कही है। माननीय कण्डारी जी आप 500 रुपया रोज का लीजिए और अपना परिवार चला लीजिए और जो आपको मिलता है गाँव वालों को दे दीजिए। मान्यवर, इतने गम्भीर और इससे बहुत से लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। मान्यवर, यह किशोर उपाध्याय के घर का या माननीय श्री हरक सिंह रावत ही के घर का मामला नहीं है। मान्यवर, वास्तव में जो गरीब आदमी की स्थिति है, एक किलो दाल जितने में आती है, उतना भी पैसा हम उसको नहीं देंगे तो वह अपना परिवार कैसे चलायेगा। मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूँ कि आपने 73 रुपये से 100 रुपये किया। हमने तो 120 रुपये करने की घोषणा की थी। कम से कम आप उस पर टिके रहते कि हम भी 120 रुपये देंगे। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर) मैं ज्यादा समय नहीं दूँगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव विधान सभा से होना चाहिए। मैं

इसमें यह भी नहीं कह रहा हूँ कि इस पर काम रोक कर चर्चा करायें। यह सर्वसम्मत प्रस्ताव होना चाहिए कि जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना है उसमें श्रमिक मजदूरी बढ़ा करके कम से कम 150 रुपये कर देनी चाहिए, अगर उसको दाल रोटी घर में खानी है। मैं अपने भाई प्रेमचन्द अग्रवाल जी का आभारी हूँ कि इन्होंने और बड़ा दिल दिखाया क्योंकि वह ट्रेजरी बैंच के सदस्य हैं, सरकार को राजी कर देंगे। उन्होंने दो अंगुली दिखाई है तो इसका मतलब है 150 नहीं 200 कर देनी चाहिए। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूँ। माननीय सदस्य इस मामले में काफी संजीदा हैं, एक स्वर में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करेंगे। पन्त जी मुस्करा रहे हैं ऐसा लगता है कि पन्त जी निश्चित रूप से यह प्रस्ताव पारित करेंगे। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार में मजदूरी बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मान्यवर, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य के अन्दर वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम वर्ष, 1948 जो केन्द्रीय अधिनियम है, जिसको राज्य ने यथावत लागू किया है, उसके तहत श्रमिकों के और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत् कार्मिकों का न्यूनतम वेतन अधिनियम के द्वारा होता है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत बोर्ड का गठन प्रस्तावित है और हम प्रयास कर रहे हैं चूंकि जैसाकि श्री किशोर उपाध्याय जी ने बताया, वास्तव में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना अतिआवश्यक होगा। पूरे राज्य के अन्तर्गत संगठित और असंगठित कार्मिकों और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने को हम बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। क्योंकि बाध्यता न्यूनतम वेतन अधिनियम वर्ष, 1948 की है हमें उस बोर्ड के माध्यम से ही संशोधित करना होगा। इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। इसके लिए हम न्यूनतम मजदूरी के जो वर्तमान में मूल्य सूचकांक हैं उसको संशोधित करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आज हरिद्वार में लाठीचार्ज हुआ था उसके बारे में बता दें। चूँकि उसका जवाब सरकार के पास आ गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज ही कर लेंगे।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि यह विधेयक सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है यह बहुत छोटा सा विधेयक है। चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में ऐसे जल विद्युत गृह हैं जिनमें उत्पादन विद्युत की लागत 80 पैसा प्रति यूनिट से कम है और दस वर्षों से उत्पादनरत हैं। इसमें विक्रय योग्य विद्युत से 30 पैसा प्रति यूनिट की दर से सेस (CESS) के रूप में धनराशि वसूल की जाती है इस धनराशि का उपयोग जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और पारेषण तंत्र विकास के लिए किया जाय, इन अपेक्षाओं के साथ उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 की स्थापना की गयी थी। इस निधि में, पूर्व के मूल विधेयक में यह प्राविधानित नहीं था कि इस निधि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाय और उसमें प्राविधानित किया गया था कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसके लिए राज्य सरकार समय–समय पर शासकीय गजट में अधिसूचित करे, के लिए किया गया है। इसमें थोड़ा सा हम संशोधन कर रहे हैं, जिसके आधार पर राज्य सेक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र के लिए निर्माण और विद्युत पारेषण तंत्र के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी, और ऐसी योजनाओं और परियोजना के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी इसमें संशोधन डाला है। इसको डालने का तात्पर्य यही है कि जो इस सेस के माध्यम से एकत्रित धनराशि है, उसका उपयोग इसी क्षेत्र में हो सके अन्य क्षेत्र में न हो सके, ऐसा इसके माध्यम से प्राविधानित किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सम्मानित सदन से निवेदन है, इसको सर्वसम्मति से पारित करें। श्रीमन्, आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करते हैं कि इस छोटे से विधेयक को मंजूरी दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहता है ?

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–3, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या   वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

2. (1) उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 में धारा 7 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) राज्य सैक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र के निर्माण तथा विद्युत पारेषण तंत्र के विकास "के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह भी एक छोटा सा विधेयक है और अनर्हता निवारण विधेयक जो पूर्व में सम्मानित सदन ने मंजूर किया था, जिसमें 54 विभिन्न निकाय अन्तःस्थापित किये गये थे उसके साथ 3 और अन्तःस्थापित करने का ये विधेयक है। चूंकि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों व परियोजनाओं को समुचित गति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह महसूस किया जा रहा है कि कतिपय अन्य निकायों का गठन किया जाय। अतः इस विधेयक को, आपके माध्यम से सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसे मंजूरी दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– 2009)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, है।

(2) यह 22 अगस्त, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (ण) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(55) सभा सचिव,

(56) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी,

(57) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।"

निरसन 3. उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–02 वर्ष, 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष, 2009)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 01 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–दो

धारा 2 की उपधारा (1) का संशोधन 2. (1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह हजार रुपये" रख दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) अधिनियम, 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) अधिनियम, 2009 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को एक प्रस्ताव पारित करके विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिए जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर विचार किया, संस्तुति प्रदान की और इन संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, में कतिपय संशोधन किये गये हैं और उन संशोधनों को इसमें उल्लिखित किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायकों के वेतन और भत्ते की वृद्धि का प्रस्ताव विधेयक सदन के सम्मुख रखा गया है, माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि 2 वर्ष पूर्व जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गई थी तो उस समय विधान मण्डल दल के नेताओं की बैठक में सभी दलों के नेताओं ने यह विषय रखा था और उस पर यह विचार किया गया कि बार–बार विधायकों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने को लेकर चर्चा होती है। अतः विधान सभा की एक समिति लोक सभा की तरह जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा गठित कर दी जाए और वह समिति समय–समय पर माननीय विधायकों के वेतन भत्ते के सम्बन्ध में विचार कर अपनी संस्तुतियाँ करे। माननीय अध्यक्ष जी, उस निर्णय के आधार पर इस सदन की समिति का गठन हुआ और इस वित्तीय वर्ष का पिछला जब बजट सत्र था, उससे पूर्व इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय विधान सभा की समिति की रिपोर्ट को सदन के सम्मुख

नहीं रखा जा सका और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस समय सरकार ने यह निर्णय लिया और सरकार ने सदन के सम्मुख माननीय विधायकों के वेतन भत्ते की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। माननीय अध्यक्ष जी, जब मंत्रिमण्डल ने ये वेतन-भत्ते की वृद्धि का निर्णय लिया और अपनी सिफारिशें की तो एक भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में समाचार-पत्रों के माध्यम से गई थी कि माननीय विधायकों ने अपने लिए एकाएक वेतन में बड़ी भारी वृद्धि की है। अभी जब हम प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर रहे थे तो यही बात चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, ये सभी हम से पूछने लगे, अगर वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के पास धन है तो हमारी समस्याओं के निवारण के लिए धन क्यों नहीं है ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, चूंकि माननीय विधायकों के वेतन में जो वृद्धि हुई है, वह मात्र दो हजार रुपये की हुई है। माननीय विधायकों का तीन हजार वेतन था, अब पाँच हजार कर दिया गया है। जो चिकित्सीय भत्ता था माननीय अध्यक्ष जी, वह छः हजार से कटौती करके एक हजार रु० कर दिया गया है सचिवीय भत्ता जो छः हजार था, उसको घटाकर एक हजार कर दिया गया है। इस प्रकार से दस हजार की कटौती माननीय विधायकों के सचिवीय और चिकित्सीय भत्ते में की गयी है। जो वेतन वृद्धि का समाचार प्रदेश के समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता में गया है मान्यवर, जिस तरह से हम डीजल और पैट्रोल पर खर्च करते हैं चूंकि वह तो विधायक का वेतन नहीं है, चूंकि विधायक अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने विधान सभा का भ्रमण करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है। विधायक जनता के बीच में बराबर बना रहे, गतिशील रहे, लोगों के दुःख-दर्दों में सम्मिलित रहे, इसके लिए यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में की गयी है। चूंकि उत्तर प्रदेश में रेलवे कूपन माननीय विधायकों को दिये जाते थे और चूंकि हमारे प्रदेश में रेल यातायात कम है, इसलिए हमारे माननीय विधायकों को रेल यातायात का उपयोग कम करना पड़ता है, इसलिए यह निर्णय इस सदन और प्रदेश ने लिया कि रेलवे कूपन के बजाय माननीय विधायकों को पेट्रोल और डीजल फ्यूल के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, जो दूसरी वृद्धि की गयी है, वह निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में की गयी है। क्योंकि जब हमारे माननीय विधायक जब अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं तो कहीं रामलीला का, कहीं क्रिकेट का, कहीं महिला मंगल दल का उद्घाटन करते हैं, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हैं। मान्यवर, इसके लिए विधायक कहीं पर दो हजार, कहीं पर चार हजार रु० पुरस्कार स्वरूप देते हैं, हमारे माननीय विधायक सामाजिक जीवन में हैं। हमारे पास कोई उद्योग धन्धा और कोई व्यवसाय नहीं है। हमारे प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अधिकतर हम लोग बहुत छोटे परिवारों से आये हुए हैं। छोटे परिवार का आशय परिवार नियोजन से नहीं है, बल्कि गरीब, निर्धन परिवार से है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का

का निर्वहन ठीक से कर सकें, इसलिए उत्तर प्रदेश में, जिसका हम हिस्सा रहे हैं, यह विचार किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता विधायकों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस स्कूल में हम जाते हैं, जिस क्रिकेट या वॉलीबॉल मैच का हम उद्घाटन करते हैं, या सम्मिलित होते हैं। वे तो हम लोगों को बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं। जब दूरस्थ ग्रामों में हम लोग जाते हैं तो वे लोग हमको खुदा से कम नहीं समझते। वे लोग समझते हैं कि भगवान हम लोगों के बीच में आए हैं। जब भगवान के रूप में हम विधायकों को हमारे गाँव के भोले-भाले लोग देखते हैं तो वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल के कार्यक्रम में 15 अगस्त या 26 जनवरी को माननीय विधायक जी आए हैं तो हमारे बच्चों के लिए मिठाई के लिए कुछ न कुछ पैसा अवश्य देंगे। 2 हजार, 5 हजार, जितनी विधायक की सामर्थ्य है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता तो हम अपने कार्यकर्ताओं से उधार मांग कर देते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है कि गाँव का जो रिटायर्ड सूबेदार है, वह जब घोषणा करता है कि 2100 रुपया बच्चों की मिठाई के लिए मेरी ओर से दिया जा रहा है। उस स्थिति में 2100 न दे पाएं तो 1100 देना हमारी मजबूरी हो जाती है। कभी-कभी हमारी जेबों में पैसे रहते ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मेरी जेब में देख लीजिए, एक रुपया नहीं है।

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

मान्यवर, दूसरी वाली दिखाईये।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, उसमें भी नहीं है। देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह कोई शेरवानी तो है नहीं। शेरवानी में होती है, इधर की जेब, उधर की जेब, लेकिन चूँकि मैं तो विपक्ष का नेता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा जेब बनाने की भी जरूरत नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, भले ही इस बात को हम मजाक में ले रहे हों लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि हमारी जेब में पैसा होता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं एक दौरे से लौट कर सीधे एक शादी में चला गया, वहाँ शगुन देना होता है, मैंने सोचा मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, अब शगुन कैसे दूँ। मैंने सोचा कोई परिचित कार्यकर्ता मिल जाएगा तो उससे मैं कहूँगा कि मुझे 500 रुपया दे दो, मेरी तरफ से न्यौता लिखवा दो। कोई परिचित मिला ही नहीं। मैं ढूँढता रहा, वे लोग मुझे मंच पर ले गये, फोटो खिचवाने के लिए। मैंने कहा, नहीं अभी मैं सबसे मिलता हूँ, उसके बाद फोटो खिचवाता हूँ। मैंने सोचा इस बीच कोई परिचित मिल जाए, तो उससे ले लूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जिस लड़की की शादी थी, उसका चाचा मिल गया मुझे परिचित। कन्धारी जी, हमारे रिश्ते में एक शादी थी, आप उसमें नहीं आ पाए। ये तो रिश्तेदारी कम निभाते हैं। कन्धारी जी रिश्तेदारी पर कम विश्वास करते हैं। तो उस लड़की का चाचा मिल गया। मैंने उसको कहा, यार मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी तरफ से 500 रुपया न्यौता लिखवा देना। माननीय अध्यक्ष जी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने स्वयं महसूस किया होगा। लखनऊ की सड़कों पर जून की उस तपतपाती धूप में हम रिक्शे में बैठे होते थे और कभी जवाहर भवन, कभी श्रम निदेशालय, कभी ऊर्जा निदेशालय जाने में पसीना बहता रहता था। कभी–कभी हम सोचते थे कि हमसे अच्छी स्थिति तो चपरासी की है। हमारी मजबूरी होती थी। उस तपतपाती धूप में हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी निभाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि प्रदेश की जनता के सम्मुख यह आना आवश्यक है, नहीं तो बाहर यह चर्चा होती है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच वैसे तो रोज बहुत धींगामुश्ती होती है, झगड़ा तो नहीं कहूँगा, कोई हम झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन वाकपटुता होती है, तर्क–वितर्क होते हैं। कोई एक–दूसरे की बात पर सहमत नहीं होता, लेकिन जब विधायकों के वेतन भत्तों की बात आती है तो सारे लोगों के सुर मिल जाते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, अमृता जी चूंकि प्रवचन करती रहती हैं, इसलिये उनको ज्यादा पता रहता है। मान्यवर, अगर यह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता बढ़ाया गया है, तो यह विधायक की जेब में नहीं जा रहा है, वह विधायक को नहीं मिल रहा है जो दैनिक भत्ता है, जिसमें वृद्धि की गई है, वह भी विधायक की जेब में नहीं जा रहा है। मान्यवर, इसलिये यह भ्रम प्रदेश की जनता के बीच में साफ होना चाहिये, मैं आपके माध्यम से अपने पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आप डीजल–पैट्रोल, आवास आदि को भी वेतन में जोड़ेंगे तो वह दिखाने में ऐसा लगता है कि 90 हजार हो गया है, ऐसा अखबारों में छपा था। इसलिये मैं आपके माध्यम से पत्रकार मित्रों से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये कि वेतन मात्र दो हजार बढ़ा है, बाकी जो वृद्धि की गई है, वह ऐसे भत्तों में की गई है, जो हम जनता के प्रति अपने कर्तव्य के लिये, जनता की सेवा के लिये प्रयोग करते हैं। माना कि आप हमें टेलीफोन नहीं देंगे, आप कहेंगे कि विधायकों पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, टेलीफोन नहीं मिलना चाहिये, आप कहेंगे कि विधायक को आवास नहीं मिलना चाहिये। यदि विधायक के पास आवास नहीं होगा, टेलीफोन नहीं हो, उसकी गाड़ी में पैट्रोल या डीजल की व्यवस्था नहीं होगी, ड्राईवर की व्यवस्था नहीं होगी, तो निश्चित रूप से उसकी गतिशीलता में और जनता के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसमें कमी आयेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं भी एक विधायक हैं, आप तो देहरादून के लोकल विधायक हैं, आपको इन स्थितियों से ज्यादा गुजरना पड़ता है। घर में यदि पानी नहीं आ रहा है या बिजली चली गई है तो लोग हमको फोन करते हैं कि रावत जी छः घण्टे हो गये, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है। इसलिये विधायक की गतिशीलता बनी रहे, विधायक अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सके, इसलिये इन भत्तों में जो सुविधायें जनता के प्रति हमारे कर्तव्यों के लिये दी गई हैं, वह उचित हैं और मैं सोचता हूँ कि सभी विधायक संतुष्ट होंगे और प्रदेश की जनता भी संतुष्ट होगी कि हमारे विधायकों को हमारी सेवायें करने के लिये वह सुविधायें दी जानी चाहियें।

*चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, शायद इसमें एक क्लेरिकल मिस्टेक है, इसकी धारा 8 में लिखा है कि 'अधिनियम की धारा–20 में पेंशन की धनराशि ₹ 6,000.00 के स्थान पर ₹ 10,000.00 कर दी जाय और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये ₹ 1,000.00 प्रतिमास की जाय और न्यूनतम पेंशन ₹ 10,000.00 की जाय।' इससे तो मान्यवर, पेंशन पहले साल में 32 हजार हो जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह व्यवस्था की गई है कि जब एक वर्ष का कार्यकाल रहेगा, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक वर्ष से कम उसका कार्यकाल रहे तो उस परिस्थिति में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये मिलेगी। इसके बाद जितने साल उनका कार्यकाल बढ़ेगा, 1,000 रुपये की वार्षिक दर से उनकी पेंशन बनेगी। जैसे किसी माननीय सदस्य ने पांच साल का कार्यकाल पूर्ण किया तो पहले वर्ष के लिये 10,0000 और शेष चार वर्षों के लिये 1000 रुपया प्रतिवर्ष की दर से कुल 14,000 रुपये पेंशन उन्हें मिलेगी।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक और विषय है कि जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे वह पी0एम0आई0 हो या जौलीग्रान्ट हो, जब वहां पर हमारे परिजन जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अधिकारी से प्रमाण–पत्र लेकर आओ। तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि जिस भी हॉस्पिटल में हम या हमारे परिजन जायें, उनसे पैसा न लिया जाय और वह पैसा सीधे विधान सभा से ले लें। यह जो बीच की औपचारिकतायें हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाय और ऐसी ही व्यवस्था दिल्ली के हॉस्पिटल चाहे वह फोर्टिस हो या अपोलो हो, वहां पर भी लागू होनी चाहिये।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें रखी, मैं उन बातों का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आज ही समाचार–पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि दिल्ली विधान सभा में सदस्यों का जो टोटल पैसा है, वह 45 हजार था और आज डेढ़ लाख रुपया कर दिया गया है, वहाँ 45 हजार से डेढ़ लाख करने का प्रस्ताव किया गया है तो यहां तो उसके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी मैं यह कहना चाहता हूं जैसे व्हीकल लोन के अन्दर आज जो व्यवस्था है उसमें जो हमारा व्हीकल लोन या होम लोन है, विधान सभा से जो हम होम लोन या व्हीकल लोन लेते हैं, वो महंगा है। उसको स्टेट बैंक से किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं होना चाहिए और आप जो सब्सिडी लास्ट में सादे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन परसेन्ट की देते हैं, वो पूर्ववत् रहनी चाहिए। एक तो उसमें यह निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। (व्यवधान) वो भी नहीं दी जा रही है, एक तो वो देने के लिए मतलब पूर्णतः उसको दिया जाय और जो स्टेट बैंक का लोन परसेन्टेज है, स्टेट बैंक का जो लोन देने की प्रक्रिया है उससे ज्यादा किसी भी कीमत पर यहां लोन नहीं दिया जाना चाहिएं एक बात तो ये इसमें इन्श्योर करनी चाहिए और दूसरी बात माननीय चौधरी साहब ने कही है अपोलो, फोर्टिज, एस्कॉर्ट इनको यहां पर स्पेसिफिक करना चाहिए तथा इसमें इन्क्लूड कर दिया जाय तो उससे सुविधाजनक स्थिति बनी रहेगी। ये दो बातें मैं कहना चाहता था। इसमें चाहे सरकार द्वारा डायरेक्ट वहां हॉस्पिटल में पैसा भेज दिया जाय या जो हम बिल रेज करें, जो व्यवस्था है उसको रिम्बर्स करने की, उसको करा जाय, लेकिन लोन के मामले में निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसको उसमें (संशोधन कर) एड कर लिया जाय तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। (व्यवधान)

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि ड्राईवर तो हर एक विधायक के साथ रहता है, मंत्री के साथ भी रहता है कोई अपने हाथ से तो गाड़ी चलाता नहीं, कोई होगा एक–आध और ड्राईवर का खर्चा सभी को पता है कि कितना है तो इसमें कम से कम सात हजार रुपये बढ़ने चाहिए। ड्राईवर का खर्चा कम से कम है सात हजार।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक ✓

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या- वर्ष, 2009)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा–2 के, जो कि सन् 2009 के अप्रैल माह के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

अध्याय–दो

धारा–3 की उपधारा (1) का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–3 की उपधारा (1) में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिए जायेंगे।

धारा–4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा–4 में शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा–11 की उपधारा (1) का संशोधन 4. (1) मूल अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) में शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (3) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा–12 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा–12 में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा–15 का संशोधन 6. (1) मूल अधिनियम की धारा–15 शब्द "पाँच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(2) धारा–15 में निम्नवत् परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रति संदत्त कर दिया गया हो तो उस

सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिए भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।"

धारा-17 के खण्ड (क) का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा-17 के खण्ड (क) में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा-20 का संशोधन

8. (1) मूल अधिनियम की धारा-20 की उपधारा (1) में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार" रुपये रख दिये जायेंगे।

(2) मूल अधिनियम की धारा-20 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

"परन्तु जहाँ किसी व्यक्ति ने, उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक हजार रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा दस हजार रुपये होगी।"

नई धारा-23-क का अन्तःस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा-23 के पश्चात् एक नई धारा 23-क, अन्तःस्थापित कर दी जायेगी अर्थात् :-

"23 क(1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो उसके आश्रित को उसके सदस्यताकाल पर आगणित उसे देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।

(2) यदि किसी पूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रित को उसे देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।

स्पष्टीकरण

सदस्य तथा पूर्व सदस्य के सम्बन्ध में आश्रित से ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता या माता अभिप्रेत है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष, 2009)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि उत्तराखण्ड में 01.10.2005 से पुरानी व्यापार कर व्यवस्था के स्थान पर उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 द्वारा मूल्यवर्धित कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई है और इस नई व्यवस्था को लागू करने के साथ–साथ इसको और अधिक पारदर्शी, सरल और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम में कुछ संशोधनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुख्य रूप से राज्य सरकार को विशेष परिस्थिति में पाँच वर्ष के लिए अतिरिक्त कर लगाने का प्राविधान किया गया है। साथ ही अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया जा रहा है कि किसी वस्तु के ऐसे पार्ट्स, स्पेयर्स, ऐसेसरीज, जिनकी कर दर मूल अधिनियम में कहीं अन्यत्र परिभाषित न हो, ऐसे वस्तुओं पर देय कर मूल वस्तु के अनुरूप ही होगा। मान्यता प्रमाण–पत्र धारक उत्पादनकर्ताओं के लिए कच्चे माल की खरीद की दर केन्द्रीय बिक्री कर के स्थान पर दो प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ आगे चल करके केन्द्रीय बिक्री कर की दर शून्य प्रतिशत होने पर कच्चे माल की खरीद पर दो प्रतिशत की कर देयता बनी रहेगी। साथ ही विनिगमणांत कर के स्टॉक ट्रांसफर के द्वारा बिक्री कर दिये गये माल के रॉ

मैटीरियल पर देय कर तथा रियायती दर से की गयी कच्चे माल की खरीद के अन्तर के स्थान पर दो प्रतिशत कर देयता का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक पक्षीय आदेश को खोले जाने से पूर्व वार्षिक विवरणी पूर्ण और सही रूप से दाखिल किये जाना प्रस्तावित है। करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उन्हें आयात घोषणा–पत्र डाउन लोड करने की सुविधा का प्राविधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कर मुक्त वस्तुओं की खरीद और बिक्री का व्यापार कर में अथवा विशेष प्रवर्ग के माल का पश्चावर्ती बिक्री करने वाले करदाताओं के लिए प्राविधानित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दाखिल करने की अनिवार्यता समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह से हमारी मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली को और पादर्शी, सरल और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से ये संक्षिप्त से प्राविधान किये जा रहे हैं। मैं सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन प्राविधानों के साथ इस विधेयक को मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आज सरकार द्वारा जो वैट की दरों को परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा 01–10–2005 में वैट लागू किया गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का इसमें घोर विरोध रहा और यह लागू हुआ उसके बाद लगातार जो संग्रह था कर संग्रह वाणिज्य कर संग्रह के अन्तर्गत उसमें वृद्धि हुई और अपने आप में यह एक सफल योजना साबित हुई। इसके पीछे मंशा यह थी कि पूरे देश के अन्दर टैक्स में और जीन्सों के टैक्स में एक रुपया हो और पूरे देश में एक ही तरह का वाणिज्य कर का एक्ट है, उसमें एक रुपया हो। पिछले दिनों जब बजट सत्र आया तो सरकार ने आटा, सूजी, मैदा पर जीरो प्रतिशत टैक्स किया, उसमें मैंने बात उठायी थी कि इसमें जीरो प्रतिशत टैक्स करने से जो जीन्स हैं और महगी हुई हैं। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ये सस्ती हुई, तब निशंक जी ने कहा था कि इसका जवाब बाद में दे देंगे, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया गया, यह खेद का विषय है। अभी यह प्रचारित किया जा रहा है कि जीरो प्रतिशत टैक्स करके ये जीन्स सस्ती हो जायेगी और इन पर टैक्स कम हो जायेगा। वस्तुस्थिति यह है कि जीन्सों पर टैक्स ज्यादा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस सदन में मैं जवाब दूँगा, उसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। अब जो ये परिवर्तन किया जा रहा है इसमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से टैक्सों की भारी बढ़ोत्तरी इस सरकार द्वारा इस प्रदेश की जनता के ऊपर की जा रही है। पहले सी०एस०टी० 4 प्रतिशत था। केन्द्र सरकार ने कहा इसे धीरे–धीरे कम किया जायेगा, पहले 2 प्रतिशत किया जायेगा फिर एक प्रतिशत किया जायेगा और उसके बाद जीरो

प्रतिशत किया जायेगा। उसके एवज में सरकारों को जो आर्थिक हानि होगी उसकी भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।

अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब जीरो प्रतिशत हो जायेगा उससे इन्डस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर जीरो प्रतिशत भी होगा, केन्द्रीय कर बिक्री दर शून्य प्रतिशत होने पर भी कच्चे माल की खरीद पर दो प्रतिशत बिक्री कर देयता बनी रहेगी, यानि दो प्रतिशत बिक्री कर थोप दिया गया है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसमें इनपुट टैक्स बैनीफिट होगा। जो इन्डस्ट्री की हमारी 100 प्रतिशत बिक्री प्रदेश से बाहर है, इनपुट बैनीफिट भी उन्हें मिलेगा। डेढ़ साल तक तो पहले वह टैक्स देंगे फिर उसके बाद आवेदन करेंगे, उसके ऊपर रिइम्बर्समेंट होगा, रिइम्बर्समेंट किस तरह होगा यह भली–भाँति आप भी जानते हैं। यह एक बेमतलब जो यह इनको परेशान करने की सरकार की योजना है इससे कोई लाभ टैक्स के रूप में सरकार को नहीं होने जा रहा है, सरकार को इसको विड्रा करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक ट्रांसफर की बात है, स्टॉक ट्रांसफर पर रॉ मैटेरियल खरीदा जाता था तो फार्म 11 पर छूट के अन्तर्गत दो प्रतिशत रॉ मैटीरियल पर टैक्स लिया जा रहा है। अब सरकार ने इसमें यह कहा है कि मान्यवर, यह जो कच्चा माल है इसमें दो प्रतिशत का अतिरिक्त कर, जिसमें पहले छूट मिलती थी, यह जो टैक्स है वह इनुपट बैनिफिट टैक्स से बाहर रख दिया गया है करदाताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानि उन पर दो प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया गया है। मान्यवर, आर्टिकल–286 जो काफी अहम है, इस सम्बन्ध में मैंने आज अधिकारियों के संज्ञान में लाने का प्रयास भी किया। हमारे संविधान का 286 एक्ट कहता है कि राज्य की कोई विधि, माल के क्रय या विक्रय पर, जहाँ ऐसा क्रय या विक्रय राज्य के बाहर हो, वह विधि उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति दरों और अन्य प्रसंगतियों के सम्बन्ध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे। जो संसद के कॉन्स्टीट्यूशनल एमेन्डमेंट द्वारा डायरेक्शन हो उसी के अनुरूप राज्य वर्क कर सकता है। अब जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है जाहिर है वह दूसरे राज्य में जायेगा और दूसरे राज्य में जाकर उसकी बिक्री होगी और जब दूसरे राज्य में बिक्री होगी तो उस पर टैक्स उसके खरीद पर, बिक्री पर उसके रॉ मैटीरियल पर अगर आप टैक्स लगायेंगे तो वह संसद द्वारा पास होना चाहिए। जबकि संसद द्वारा ऐसा कोई निदेश पारित नहीं हुआ है तो क्या यह अपने आप में एक संवैधानिक संकट नहीं होगा ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वह न हो कि आज सरकार द्वारा जल्दबाजी में यह विधयेक पारित हो जाए और कल को उच्च न्यायालय में और माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको चैलेंज किया जाए। इस में बहुत अधिक अन्तर्विरोध है। संविधान की जो मूल भावना है उसके अन्तर्विरोध में इस एक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है। मान्यवर, इसी प्रकार बहुत चालाकी से जो इसके मुखपृष्ठ पर नहीं है, धारा–3(क) के अन्दर जो रेट ऑफ टैक्स डिफाइन

करती है बहुत सी वस्तुयें जिन पर 4 प्रतिशत टैक्स है। स्लेब जीरो प्रतिशत, 4 प्रतिशत और साढ़े बारह प्रतिशत है। चार प्रतिशत वाली वस्तुओं पर बड़ी चालाकी से यह कह दिया गया कि देय कर के साथ 5 प्रतिशत अनधिक दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। यानि 4 प्रतिशत जैसे हम कभी कह रहे थे इनसे कि इसमें कम कर दो तो यह कहते थे कि इम्पावर्ड कमेटी का डिसीजन है, 4 प्रतिशत से कम नहीं कर सकते हैं। अब जब इम्पावर्ड कमेटी भारत सरकार ने बनाई जिसके निर्देशों में यह वैट का कानून बना उसने यह कहा कि यह स्लैब चार प्रतिशत होना चाहिए फिर भी सरकार ने यह परिवर्तन कर दिया। चुपके से कर दिया। चार से पाँच प्रतिशत करने का एक शासनादेश आयुक्त वाणिज्य कर ले आयेगा और चुपके से चार से पाँच कर लेंगे। पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से कुछ सीन कुछ अनसीन ऐसे चेन्जेज लाये गये हैं जिसके द्वारा इण्डस्ट्री को चट्ट करने का कार्य किया है। पहले ही यहाँ पर कोई औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। बहुत से उद्योग बन्द करके चले गये। इस तरह के कार्यों से जो उद्योग आना भी चाह रहे हैं या जो थोड़ा बहुत चल रहे हैं पता नहीं उनको भी बन्द करने का प्रयास यह सरकार क्यों कर रही है। इसी प्रकार सैक्शन–25 सब सैक्शन–3 उसमें सैल्फ एसैसमेंट में कुछ अच्छा काम किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी तरफ आप देखें तो हरिद्वार में व्यापारियों द्वारा सैल्फ एसैसमेंट स्कीम के अन्तर्गत 376 कैसेज दायर किये गये और अभी तक फैसला हुआ मात्र–5 का। रुड़की में सैल्फ एसैसमेंट के 269 कैसेज दायर हुए फैसला हुआ मात्र–5 पर, श्रीनगर में 23 केस, फैसला जीरो, चमोली में 13 केस, फैसला जीरो और मान्यवर, कोटद्वार में 23 फैसले थे, जिसका रिजल्ट शून्य रहा, सैल्फ असिसमेंट का जो एक लाभ इस प्रदेश में व्यापारी को मिलने जा रहा था। मात्र दो प्रतिशत केस का असिसमेंट यहां के वाणिज्य विभाग ने पारित किया। इस तरह से लगातार इस सरकार द्वारा और वाणिज्य कर के अधिकारियों द्वारा यहां के व्यापारियों एवं उद्योगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा मानना यह है कि इसमें बहुत सी चीजें हैं जैसे संविधान के अनुच्छेद–286 का उल्लंघन हो रहा है, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स बढ़ा रही है, जिससे हमारे प्रदेश की जनता पर भार पड़ेगा। ऐसे हालात में जब वाणिज्य कर का जो संग्रह है वह प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने 20 प्रतिशत तक बढ़ाया और सरकार ने बजट में जो लक्ष्य निर्धारित किया उससे ज्यादा संग्रह यहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किया है। क्या ज्यादा संग्रह देने का प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगपतियों को यह खामियाजा भुगतना पड़ा जो सरकार उन पर बहुत टैक्स थोप रही है ? जबकि उनको संग्रह बढ़ाने पर आवार्ड मिला चाहिए था, उसके ऊपर एक पनिशमेंट दिया गया। इसलिए मेरा मानना है कि इस विधेयक को सरकार वापस ले और प्रवर समिति के सामने रखा जाए और

इस पर विधिक राय ली जाय। इस बिल को पास न करें। इस प्रकार की भावना मेरी नहीं पूरे सदन की होनी चाहिए। चूंकि इसका प्रभाव आम जनता और उद्योग पर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति को दिया जाय और इसकी विधिक राय ली जाय। जल्दीबाजी में इस बिल को पास नहीं किया जाय। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। चूंकि आपने संविधान के अनुच्छेद–286 का उल्लेख किया। मैं आपके माध्यम से सदन में इसका संज्ञान लाना चाहूँगा। वह अनुच्छेद राज्य की कोई विधि माल के क्रय–विक्रय, जहाँ पर ऐसा क्रय–विक्रय राज्य के बाहर भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात और उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है, उस पर अधिरोपित नहीं करेगी यह उल्लेख इसमें है। श्रीमन्, इसमें जो व्यवस्था की गयी है वह राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए है। हम किसी दूसरे राज्य पर जाने वाले किसी भी प्राविधान के लिए अधिरोपित नहीं कर रहा हैं और न ही केन्द्रीय विक्रय कर व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी दखल इसके माध्यम से कर रहे हैं। केन्द्रीय सेलटैक्स के प्राविधानित जिन वस्तुओं पर टैक्स लगता है उससे हटकर के जो ऐसी वस्तुएं हैं, उस पर यह टैक्स का प्राविधान किया गया है, इसको प्राविधान करने की आवश्यकता इसलिए थी कि समय–समय पर ऐसी व्यवस्था करने के लिए हमको राजपत्र में घोषणा करना या उसके आधार पर इसकी अनिश्चितता को दूर करने के लिए यह प्राविधान किया गया। श्रीमन्, मूल वस्तु पर टैक्स का प्राविधान था। लेकिन उसके पार्ट्स, स्पेयर और ऐसेसिरीज जिनके सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था इसलिए इसमें उल्लेख करने की आवश्यकता थी। जहाँ तक आपने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों से सलाह ले ली जाती, वह सलाह उन्हीं के माध्यम से आयी है। उन्हीं के माध्यम से उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधियों, कर अधिवक्ता के स्तर पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस तरह की व्यवस्था की जाय तो सरलीकरण हो जायेगा। यह इस व्यवस्था के माध्यम से इस टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और सरलीकरण करने के उद्देश्य से किया गया है। यह किसी भी संविधान के अनुच्छेद के विरुद्ध नहीं है और केन्द्र सरकार के किसी कानून के विरुद्ध नहीं है। इसलिए इस विधेयक को अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, क्या 4 या 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, बढ़ोत्तरी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–11, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या- वर्ष, __________)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) का अग्रेतर संशोधन के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

धारा–2 की उपधारा (46) का संशोधन

2\. उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है कि धारा–2 की वर्तमान उपधारा (46) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

(46) "कर" से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा–7 के अधीन यथा उपबन्धित विक्रय धन पर देय वास्तविक कर की धनराशि के बदले एकमुश्त धनराशि (समाधान धनराशि), विलोम इनपुट टैक्स और धारा–3(क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि भी सम्मिलित है।

धारा–3 के बाद एक नयी धारा–3(क) का जोड़ा जाना

3\. मूल अधिनियम की धारा–3 में–

धारा–3 के बाद निम्नलिखित धारा–3(क) जोड़ दी जायेगी, अर्थात्–

3(क) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण–

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी प्रत्येक व्यौहारी अधिनियम के किसी

अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कर योग्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद या दोनों के आवर्त पर देय कर के साथ पाँच प्रतिशत से अनधिक की दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिये दायी होगा। विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग-अलग कर दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न पर कोई अतिरिक्त कर उद्ग्रहीत/भुगतान नहीं किया जायेगा-

(क) अनुसूची-I, II(क) तथा III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री या खरीद या यथास्थिति दोनों के आवर्त पर,

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं के विक्रय या क्रय या यथास्थिति दोनों, के आवर्त पर,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-4(6) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय या किसी वर्ग के व्यौहारियों द्वारा किये गये वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि धारा-6 के प्राविधानों के अनुसार "इनपुट टैक्स क्रेडिट" हेतु ग्राह्य होगी।

(4) कोई व्यौहारी जो धारा-7 (2) के अन्तर्गत समाधान योजना का लाभ ले रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी समाधान योजना के लाभ के लिये पात्र होगा।

(5) इस धारा के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पाँच वर्ष बाद से प्रवृत्त हो जायेगा।

धारा-4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नये खण्ड का जोड़ा जाना

4. मूल अधिनियम की धारा-4 में-

उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) जोड़ दिया जायेगा ; अर्थात्-

"(ग) किसी वस्तु के ऐसे पार्ट्स, स्पेयर्स एवं एसेसरीज जिनकी कर दर मूल अधिनियम में कहीं अन्यत्र परिभाषित न हो, पर कर की दर वही होगी जो कि मूल अधिनियम के अनुसार उस वस्तु पर देय है।"

धारा-4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक एवं खण्ड (ग) का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा-4 में-

(एक) उपधारा (7) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से" के स्थान पर शब्द "2 प्रतिशत की दर से" रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा (7) के खण्ड (क) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से" के स्थान पर शब्द "2 प्रतिशत की दर से" रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (7) के वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ग) रख दिया जायेगा-

(ग) यदि किसी व्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी स्थिति हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कृत सामग्री से निर्मित "माल" या ऐसी संवेष्ठन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा व्यौहारी स्टॉक ट्रान्सफर या इस प्रकार के संव्यवहार की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

धारा-6 की उपधारा (3) के परन्तुकों तथा उपधारा (8) के खण्ड (ड) का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में-

(एक) धारा-6 की उपधारा (3) के प्रथम तथा द्वितीय, दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्द "केन्द्रीय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक" के स्थान पर शब्द "2 प्रतिशत से अधिक रख दिये जायेंगे।

(दो) धारा-6 की उपधारा (8) के खण्ड (ड) के बाद उल्लिखित प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक" के स्थान पर शब्द "2 प्रतिशत से अधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा-25 की उपधारा (3) का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा-25 में-

वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (3) रख दी जायेगी-

"(3) व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की प्राप्ति विहित रीति से सम्यक् रूप से स्वीकार की जायेगी। जो मामले उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन छानबीन के बाद शेष रह जाते हैं उन्हें स्वतः निर्धारण के लिये रखा जायेगा और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी सहित सभी विवरणियाँ दाखिल की गयी हैं तथा तात्विक विशिष्टताओं में सही तथा पूर्ण हैं तो व्यौहारी उस वर्ष के लिये स्वतः निर्धारित समझा जायेगा और वार्षिक विवरणी की प्राप्ति यथा निर्धारित कर निर्धारण की प्रति समझी जायेगी तथा ऐसी विवरणी में उल्लिखित तथ्य तथा आंकड़े ऐसे कर निर्धारण आदेश के भाग माने जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवरणी तात्विक विशिष्टिताओं में पूर्ण न हों, व्यौहारी को उन्हें पूरा करने का एक अवसर दिया जायेगा और कर निर्धारण प्राधिकारी, वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने और/या गणित सम्बन्धी त्रुटि, यदि कोई हो, के ठीक किये जाने और फलस्वरूप देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान किये जाने के पश्चात् इस मामले में आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण : कोई विवरणी तात्विक विशिष्टताओं में पूर्ण है, यदि इसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना समाहित है, गणितीय रूप से सही है और इसके साथ कानूनी सूचियाँ, अभिलेख और देय कर के भुगतान का सबूत और व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दावाकृत कटौतियाँ (जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर कटौतियाँ भी सम्मिलित हैं), छूट और कोई अन्य रियायत या रिबेट के सम्बन्ध में इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 में अपेक्षित समर्थक घोषणा-पत्र, प्रमाण-पत्र या साक्ष्य हैं।

धारा-31 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

8. मूल अधिनियम की धारा-31 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) रख दी जायेगी-

"(1) किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हो, व्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के

तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और उस मामले पर पुनः विचार करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह पर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के एक पक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यौहारी द्वारा सभी सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणीपूर्ण एवं सही रूप में दाखिल न की गयी हो और उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे व्यौहारी ने स्वीकार किया हो, भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।"

धारा-36 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (3) के वर्तमान परन्तुक के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी पाठ रख दिया जायेगा-

"परन्तु यह कि यदि मामले, जो कि धारा-25 की उपधारा (3) के अनुसार स्वतः कर निर्धारित मान लिये गये हैं, में कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो रिफन्ड वाउचर, उस विशिष्ट कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख, जिसमें विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की समाप्ति के एक वर्ष समाप्त हो जाने के एक माह के भीतर भेजा जायेगा।"

धारा-48 की उपधारा (1) के बाद एक नये परन्तुक का जोड़ा जाना

10. मूल अधिनियम की धारा-48 की उपधारा (1) के परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा-

"प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत वर्ग के करदाता कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा विहित श्रृंखला तथा क्रमांक के आयात घोषणा-पत्र स्वयं डाउनलोड करके माल के आयात हेतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।"

धारा-62 की उपधारा (2) के बाद परन्तुक का जोड़ा जाना

11. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा-62 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा-

"प्रतिबन्ध यह है कि व्यौहारी जो अधिनियम के अन्तर्गत केवल करमुक्त वस्तुओं की खरीद और बिक्री का व्यापार करते हैं अथवा ऐसे व्यौहारी को, जो विशेष प्रवर्ग के माल की पश्चात्‌वर्ती बिक्री करते हैं, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राविधानित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नही है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–11, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूलयवर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, भारत का संविधान के अनुच्छेद–345 राज्य की राजभाषा का उपबंध करता है। इसमें उल्लिखित है कि अनुच्छेद–346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य में देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यापक प्रयोग होता है, इसके अतिरिक्त राज्य में संस्कृत शिक्षा देने के लिए भी प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कॉलेज एवं कई विश्वविद्यालय हैं। अतः हिन्दी को राजभाषा एवं संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाये जाने का पूर्ण आधार है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 प्रवृत्त है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में वहां की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य का अपना राजभाषा अधिनियम बनाया जाना आवश्यक है।

श्री किशोर उपाध्याय-

मानननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो विधेयक यहाँ पर विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने विधेयक बनाने से पहले इस विधेयक पर समुचित ध्यान दिया है। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि यह ठीक है कि हर भाषा को संरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा को संरक्षण तभी मिलेगा जब उससे वह रोजगार उन्मुख हो। आपने संस्कृत को द्वितीय राज भाषा के रूप में यहाँ पर दर्जा देने की बात की, हिन्दी की बात की तो आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में, यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आप यह बतायें कि आप जिस भाषा में शिक्षा दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों में उनकी क्या स्थिति है ? इस पर विचार किया जाना चाहिए कि कितने सरकारी विद्यालयों से पढ़के कितने बच्चों को रोजगार मिल रहा है, आज के दिन में। आप छोटे से छोटे कस्बे में भी चले जायें उसमें अधिकतर लोग पब्लिक स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और उसका एक मात्र कारण है कि जिस तरह का परिवेश आज बन रहा है अधिकतर लोग आंग्ल भाषा की ओर भाग रहे हैं, उसकी शिक्षा चाहते हैं। स्थिति यह है कि मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक पत्र हिन्दी में एक सचिव, भारत सरकार को लिखा और उसके बाद उस विभाग के माननीय मंत्री सचिव के साथ आये तो मैंने कहा कि मैंने एक पत्र महत्वपूर्ण विषय पर लिखा है तो उन्होंने कहा आपने किस भाषा में पत्र लिखा है, तो मैंने कहा हिन्दी में लिखा है और कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, राज भाषा है तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में होता तो हमारी नजर में आ जाता। अगर आप जानना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी का नाम भी बता सकता हूँ और सचिव का नाम भी बता सकता हूँ। मान्यवर, पहले विधेयक में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, माननीय मंत्री जी यदि सदन में विधेयक के साथ यह लेकर आते कि हम 2–3–4–5 प्रतिशत जो सरकारी नौकरी है उसमें बच्चे को लगा देंगे तब तो बात बनेगी। खाली आप कहें कि हमारी सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राज भाषा का सम्मान दे दिया है और जनता में जाने के लिए और कुछ लोगों को लुभाने के लिए ये विधेयक लाये हैं तो मेरे ख्याल से यह अनुचित है। आप संस्कृत को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ? आप शिशु मन्दिरों में चले जाएं वहाँ भी सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हो रही है, वहाँ भी वही हालत है। मान्यवर, आप संस्कृत को लाये, यहाँ बड़ी संख्या में लोग उर्दू भाषी भी हैं क्या आप उसके लिए अलग से विधेयक लायेंगे, क्या उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए ? आप गढ़वाली और कुमाऊँनी जो दो भाषायें हैं, हमारी यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको इसमें सम्मिलित करते, उसके लिए भी प्राविधान करते तो निश्चित रूप से हम इस विधेयक का स्वागत करते।

शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)-

मान्यवर, गढ़वाली और कुमाऊँनी बोली है, भाषा नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप क्या बात कर रहे हैं, लोग गढ़वाली और कुमाऊँनी में चिट्ठी लिखते हैं। आपकी और हमारी मानसिकता में यही अन्तर है हम गढ़वाली और कुमाऊँनी को भाषा मानते हैं और आप उसे बोली मानते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, गढ़वाली और कुमाऊँनी बोली हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपकी मानसिकता यहीं पर से स्पष्ट हो जाती है कि उत्तराखण्ड के लोगों के प्रति और उत्तराखण्ड के प्रति आपकी कितनी आस्था है आप आज ही प्रस्ताव लाईये गढ़वाली और कुमाऊँनी को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाय। (व्यवधान) मान्यवर, जिस तरीके से प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूँ और मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को वापस लें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पुरातन काल से उत्तराखण्ड देवभूमि के रूप में प्रतिस्थापित रहा है और यह सौभाग्य हमारी माननीय निशंक जी की सरकार को मिल रहा है कि हम देश में एक ऐसा राज्य बनाने जा रहे हैं कि जिसे संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाने का दर्जा प्राप्त होगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी दो बार इसके लिए प्रस्ताव लाया था। (व्यवधान) लेकिन जिस हिसाब से इसे आना चाहिए था, नहीं आया। इसमें लोगों को रोजगार का प्राविधान होना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें जब तक हम इनको अभिसिंचित नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हम इसे लाये हैं। चूंकि उत्तराखण्ड की पहचान देवभूमि के रूप में है। संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यकार महाकवि कालीदास की यह जन्म भूमि है। आज से 1600 साल पहले लिखे गये स्कन्ध पुराण में इन बातों का उल्लेख है। यह संस्कृत उत्तराखण्ड की अपनी भाषा है, अपनी बोली है। वर्तमान में लगभग सभी विद्यालयों में संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है। इसमें संभाषण करने की व्यवस्था हमारे प्रदेश के अन्दर बच्चों से लेकर बड़ों में है। यहां पर जितने भी हिन्दी रीतिरिवाजों से संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को संस्कृत के माध्यम से ही कहा जाता है, जितने भी मंदिरों में पूजा-अर्चना होती है, वह संस्कृत के माध्यम से ही की जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और इस विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या सन् 2009)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिये प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिये व्यवस्था करने का

विधेयक

संविधान के अनुच्छेद-345 और अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए जो इस अधिनियम में आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।

इसलिये भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं आरम्भ 1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना 2. संविधान के अनुच्छेद-346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद-213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश ;

(2) भारत का संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आदेश अधिसूचना नियम, विनियम और उपविधि ; और

(ख) राज्य के सभी या कोई शासकीय प्रयोजन ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

संस्कृत का प्रयोग 3. संस्कृत भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायं।

निरसन एवं अपवाद 4. (1) उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, जब संस्कृत को राजभाषा का दर्जा मिल गया है तो कितना अच्छा होता कि सदन की कार्यवाही कम से कम एक घंटा संस्कृत भाषा में चलनी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह समय भी आयेगा। आप और हम संस्कृत में चर्चा करेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–14, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या सन् 2009)

उत्तराखण्ड राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन करने के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप से अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में,

(अ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय दरों और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है, और

(आ) "परिवार" से किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन अभिप्रेत है, जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों,

(इ) "मंत्री" से उत्तराखण्ड सरकार के मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य उप मंत्री भी हैं,

(ई) "सभा" से उत्तराखण्ड विधान सभा अभिप्रेत है।

वेतन 3. (1) मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त पन्द्रह हजार रुपए प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक राज्यमंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चौदह हजार रुपए प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त बारह हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियां भी हैं) के सम्बन्ध में आयकर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

निवास स्थान

4. (1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये देहरादून अथवा जहां राजधानी हो, में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक मंत्री जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन देहरादून अथवा जहां राजधानी हो, में निवास स्थान की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे वास-स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस वास-स्थान का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

(3) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो या वह उक्त उपधारा के लाभ को उपभोग न करे, वहां वह दस हजार रुपये प्रतिमाह की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

सवारी

5. (1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये चालक (शोफर) की व्यवस्था की जायेगी, जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं।

यात्रा भत्ता

6. (1) उपमंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु उस दर पर और उन शर्तों पर जो विहित की जाय, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री–

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ अपने सामान्य निवास स्थान से देहरादून अथवा जहां राजधानी हो, के लिये यात्रा करने के सम्बन्ध में, और

(ख) पद त्याग करने पर देहरादून अथवा जहां राजधानी हो, से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिए यात्रा–भत्ते का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी मंत्री को धारा–5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सर्किट हाउस आदि का उपयोग

7. प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन या अन्य विश्राम गृहों का उपयोग करने का हकदार होगा।

चिकित्सा सुविधाएं

8. प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में उपचार अवधि के दौरान निःशुल्क स्थान और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो राज्य सरकार के उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों हेतु विहित किये जाय, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना

9. जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या मंत्री नहीं रहता है, उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या मंत्री नहीं रह गया।

कोई वृत्ति करने का निषेध

10. कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या व्यापार या पारिश्रमिक के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2008 के अधीन सुविधाएं

11. प्रत्येक मंत्री, जो सभा का सदस्य हो, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 4, 7, 11, 16, 17 और अध्याय ग्यारह के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

वेतन आदि का त्याग

12. कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

13. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा–14 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय।

निरसन एवं व्यावृत्ति

14. (1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, यथासंशोधित अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–14, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन,भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन,भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों के निरन्तर जलस्राव की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में दिनॉक 15 जुलाई, 2009 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–01 के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, जिस तरह से उत्तराखण्ड की प्राणदायिनी नदियों में, पवित्रतम नदियों में, जिनकी कि हम पूजा करते हैं और यहाँ तक कि जिन नदियों को हमारे धर्म में माना जाता है कि चाहे लोगों ने विशेषकर मंत्रियों ने कितने ही पाप किये हों लेकिन अगर एक बार वे इन नदियों में स्नान कर लेते हैं (व्यवधान) तो वे पाप मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं मान्यवर, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, शरीर की बात छोड़िये। अगर उसकी अस्थियाँ भी उन नदियों में प्रवाहित हो जाती हैं तो वह स्वर्ग का भागीदार बन जाता है मान्यवर, हमारी जो उत्तराखण्ड की नदियाँ हैं, ये लगभग 130 करोड़ लोगों

को, सारे प्रदेश के लोगों को जीवन दान देती है, अन्न दान देती है, जल दान देती है और हर तरह से उनको समृद्धशाली बनाती है। मान्यवर, आज जो स्थिति पैदा हो रही है, जब हम यह कह रहे हैं कि हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। मान्यवर, अगर नदियों में जल रहेगा तभी हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बन सकता है। इतना बड़ा टिहरी बांध मेरे क्षेत्र में बना है, मुझे आज यह चिन्ता नहीं है। मैं तो घोषित रूप से बड़े बांधों के खिलाफ हूँ। लेकिन जब उस नदी में जल ही नहीं रहेगा तो ये बांध किस काम आएंगे ? क्या ये बांध इस काम आएंगे कि हमारी जो सबसे उपजाऊ धरती थी, जो हमारे लाखों-लाख लोग थे, उनको उजाड़ने का हम लोगों ने काम किया। मान्यवर, आज अगर आप आंकड़े देखें, पूरे प्रदेश की नदियों में जल स्राव कम होता जा रहा है। आज सुबह भी इस पर चर्चा हो रही थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नदी का नाम लिया कि उसमें जल स्राव कम होता जा रहा है। पिछले साल और इस साल के आंकड़ों को देखें, तो भागीरथी नदी में 50 प्रतिशत जल स्राव कम हुआ है। अगर माँ गंगा की बात करें तो उसमें 47 प्रतिशत जल स्राव कम हुआ है। शारदा नदी की बात करें तो उसमें 15 प्रतिशत जल स्राव कम हुआ है। अगर टौंस की बात करें तो बड़ी चिन्ता का विषय है कि उसमें 75 प्रतिशत जल स्राव कम हुआ है। मान्यवर, अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में हमारा क्या होगा। हमने तो एक आन्दोलन आपकी कृपा से चलाया है, हिमालय बचाओ, गंगा बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ। जितने भी मध्य हिमालय के राज्य हैं, हर जगह लगभग यही स्थिति है। मान्यवर, मंत्री जी का जो सरकारी उत्तर आता है, निश्चित रूप से उसी तरह से आएगा। इन नदियों का संरक्षण तब हो सकता है, इन नदियों में जल स्राव तब बढ़ सकता है जब वहाँ का जीवन, चाहे वह मानव जीवन हो, चाहे जल का जीवन हो या वन्य जीवन हो या पेड़-पौधे हैं, जब तक उन सबका संरक्षण नहीं होता, तब तक गंगा का संरक्षण भी नहीं हो सकता है, तब तक यमुना का भी संरक्षण नहीं हो सकता है। मान्यवर, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और आजकल तो हर समाचार-पत्र और हर चैनल में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से हिमालय के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, किस तरह से हिमालय की नदियों में जल कम होता जा रहा है। यदि 20-25 साल में पानी नहीं आयेगा तो हम तो बाल्टी लेकर भागीरथी में चले जायेंगे, 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर अपना जीवन बचा लेंगे। लेकिन 130 करोड़ लोग, हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के लोग हैं, उनका जीवन कैसे बचेगा ? इसलिये यह एक बहुत ही गम्भीरतम सवाल है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड की नदियों का बचना बहुत जरूरी है, मैं आपका भी आभारी हूँ कि जब यह तारांकित प्रश्न विधान सभा के समक्ष उपस्थित हुआ तो आपने कृपा करके, माँ गंगा की कृपा से इस विषय पर यहां चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। मान्यवर, इसके दो ही तरीके हैं, एक तो हम वहां के जीवन

का संरक्षण करें, चाहे वह किसी भी रूप में हो या दूसरा तरीका यह है कि जितना भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, वहां के निवासियों के लिये, विशेषकर मानव जीवन के लिये कहीं और व्यवस्था कर दें। आज जिस तरह से विकास की अंधी दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं, पहले ग्लेशियर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका तराई के वनों की होती थी। वह जंगल मैदान से आने वाली हवाओं को ठण्डा करने का काम करती थी, लेकिन आज सारी तराई जंगलविहीन हो गई है। मान्यवर, आज भी पर्वतीय क्षेत्र की 75 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है, जिस तरह से सूखा पड़ रहा है, हम क्यों नहीं एक नई पहल करते हैं कि वहां के लोगों को, जो पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, जो जल का संरक्षण कर रहे हैं, जो देश और दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको क्या छोटी–मोटी सुविधायें भी नहीं दे सकते। जैसे बिजली की सुविधा है, मैं यह नहीं कहता कि उनको मुफ्त में बिजली दे दो, लेकिन सब्सिडी तो दे सकते हैं। जंगल न कटें, इसके लिये क्या हम उनको गैस में सब्सिडी नहीं दे सकते ?

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारी विधान सभा से प्रस्ताव जाना चाहिये कि जो वहां के नौजवान हैं, पढ़ी–लिखी बहनें हैं, क्या इस देश का दायित्व नहीं बनता है कि वे गंगा को बचायें या हिमालय को बचायें ? मध्य हिमालय के क्षेत्रों में एक जैसी ही स्थिति है, तो क्यों न विधान सभा एक प्रस्ताव करे कि इस सारे क्षेत्र को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाय। मान्यवर, मैंने गांव में हल भी चलाया है, खेती के जितने भी काम होते हैं, वह सब किये हैं, आज हमारे यहां के कृषक जिस खेती पर काम करता है, यदि मार्केट में उसकी कीमत 50 रुपये है तो वहां पर श्रम की कीमत लगभग 1000 रुपये पड़ती है। प्रदेश में हम क्यों नहीं एक नई धारा को बढ़ाने का काम करें कि हम पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों को कहें कि जल को बचाना है, जंगल को बचाना है, गंगा को बचाना है, यमुना को बचाना है, तो आइये हम लोग पेड़ों की खेती करते हैं। इस तरह के पेड़ों की खेती करते हैं, जिससे कि जल स्राव बढ़े। जो पेड़ बरसात में जल को रिटेन करने का काम करता है, जब जल की कमी होती है तो उसे जल प्रदान करने का काम करता है, तो इस तरह की कोई समग्र नीति बननी चाहिये। मान्यवर, और मुझे पूरा विश्वास है मान्यवर, कि इस सदन में जिस तरह से हमारे सदस्य बहुत ही विद्वान जो कि पर्यावरण से, पानी से, जल से, जंगल से बहुत प्रेम करते हैं निश्चित रूप से मेरी बात पर ध्यान देंगे, एक सर्वसम्मत प्रस्ताव से हिमालय और गंगा को बचाने के लिए। हम जब पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में गये, इस दौरे पर उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बड़ा विलम्ब कर दिया है, इन मामलों में। आप लोगों को पहले से ही इसमें अगुवाई करनी चाहिए थी। जब हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि हम अगले महीने सारे हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं। इसकी पहल इस देवभूमि की गंगा से होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कहां सो रही है, कहीं

गोद में है मान्यवर, ये समझ में नहीं आ रहा है। मान्यवर, आप कहेंगे तो मैं काफी लम्बा-चौड़ा भाषण आपकी कृपा से दे सकता हूँ। आपके हाथ को देखकर मुझे बड़ी चिंता होती है।

श्री अध्यक्ष-

आप चिंता मत करिये।

श्री किशोर उपाध्याय-

मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से और हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी निश्चित रूप से हम सबको जिससे हम प्रसन्न हो जाएं, यहाँ के देवता प्रसन्न हो जाए, यहाँ की गंगा प्रसन्न हो जाय, यमुना प्रसन्न हो जाय, सारी नदियाँ खुश हो जाएं, सारा हिमालय प्रसन्न हो जाय, इस तरह की कुछ न कुछ कार्ययोजना लेकर मान्यवर, आज सदन के सम्मुख उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए साधुवाद। आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने एक बहुमूल्य प्रस्ताव, जिस पर चर्चा हो रही है हिमालय जनजीवन, प्राकृतिक संसाधन और इसका समावेश करते हुए कि गंगा, हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली तमाम पवित्र नदियाँ, उन सबके संरक्षण के साथ-साथ पूरे मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जो चिंता आज इस सदन के माध्यम से इसके प्रस्ताव को आदरणीय माननीय सदस्य यहां लाये लगभग वही चिंता आज पूरे विश्व को है। पर्यावरण के संरक्षण की बात, उसके उन तमाम पहलुओं की बात, कार्बन के उत्सर्जन की बात से आज पूरी दुनिया चिंतित है। कोपेनहेगन में इसी पर पूरी दुनिया के देश इस विचार में लगे हैं। मान्यवर, आज इस हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए समझी जा रही है कि माननीय अध्यक्ष जी, ये ज्योलॉजीकल सर्वे के अन्दर सबसे यंग जिसको कहते हैं, इसकी उम्र दराज मात्र 50 वर्ष है, सबसे यंग हिमालयी जो क्षेत्र है इसको जाना जाता है। स्वयं में इसके संरक्षण की आवश्यकता है और जब हिमालय और उससे लगे हुए क्षेत्र का संरक्षण होगा तो स्वाभाविक है मानवता पर पड़ने वाले विपरीत कुप्रभाव उनसे प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक तरीके से उन सब संसाधनों का, उन नदियों का, उन तमाम वन उपज का अगर हम वैज्ञानिक तरीके से दोहन करेंगे और उसके वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर पहले नजर डालेंगे कि इनकी आवश्यकतायें मनुष्य के लिए पहले है तो शायद हमारा जन जीवन, पूरी मानवता सुरक्षित हो सकती है। आज हम सब विकास के उन आयामों को सामने रखते हुए सबसे पहले विकास की जो हम अवधारणा रखते हैं, स्वयं का विकास कभी स्वयं से नहीं हो सकता

है, स्वयं के विकास के लिए उसकी ओर चारों तरफ जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वह भी उस विकास के लिए सार्थक होती हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आप कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

श्रीमन्, सुझाव भी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम मात्र वन को अलग करके देखेंगे, पर्यावरण को अलग करके देखेंगे, विकास को अलग नजरिये से देखेंगे, वहाँ के सामाजिक संरचना को अलग करके देखेंगे तो शायद हो सकता है कि अन्तरद्वन्द हो जायेगा, सबमें कहीं एक दूसरे में विरोधाभास हो जायेगा। हम सबको वहाँ की सामाजिक संरचना को भी देखना है तो हम वहाँ की सामाजिक संरचना को वन और पर्यावरण पर केन्द्रित करके देखें। हम विकास की बात को लें तो उसको भी वन और पर्यावरण पर केन्द्रित करते हुए विकास की बात करें। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है कि वन में एक नीति बनी, वन नीति के तहत विषय बहुत महत्वपूर्ण आया, उस पर कहा गया कि वनों पर निर्भर लोगों को वनों से बाहर कर दिया जाय, चाहे वह घुमंतू जाड हों, जिनको भोटिया जाति कहा जाता है, जो अपने भेड बकरी को चुगान करते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चला जाता है, चाहे वह वन गुजर की बात हो, लेकिन एक बात इस परिप्रेक्ष्य में आयी। जो फूलों की घाटी सेवन वन्डर्स में शामिल कर दी गई। इसमें विभिन्न प्रजातियों के फूल वहाँ पर उपलब्ध होते थे। जैसे ही वन जाड, भोटियाज को जाने से रोका गया, उनके परमिट को रोक दिया गया, ठीक उसी के विपरीत कुछ समय बाद उसी फूलों की घाटी में कुछ हद तक कई प्रजातियाँ विलुप्त होती चली गई। विश्व के पर्यावरणविदों ने फिर यह सोचा कि यह प्रजातियाँ विलुप्त कैसे हो रही हैं, इसका क्या कारण है तो उसके केन्द्र में जाने का उन्होंने प्रयास किया तो यह पाया कि जब भेड़ बकरियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो खुरों से खुदाई और निराई का काम करती थी। खाद भी उनके द्वारा फूलों को उपलब्ध हो जाया करती थी। उनके बाल उनके पराग के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। तब कुछ समय बाद उनको मनन करना पड़ा कि वाकई हवाओं के साथ हमारा यह सुझाव देना भी इसलिए सार्थक है कि उन तमाम पहलुओं पर हवाओं के साथ, पानी के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के साथ, प्रकृति के साथ हम संतुलित तरीके से विकास की बात रखें, मानव जीवन को त्रस्त न करें। मैं माननीय सदस्य की इस भावना से आश्वस्त भी हूँ कि जब तक अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेविल रिचार्ज के सिस्टम में नहीं आयेगा तो एक दिन ठीक वही परिस्थिति पैदा हो जायेगी जैसा कि हमारा जो पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश था उसके कुछ ऐसे क्षेत्र थे। जहाँ पहले 200–250 फुट ग्राउण्ड लेविल पर वाटर लेबिल था, जो क्षेत्र बहुत आबाद क्षेत्र

था, गन्ने का कलस्टर क्षेत्र था, जिसे कमाण्ड क्षेत्र भी कहते हैं। आज वहीं 300 फुट पर भी ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं वही परिस्थिति यहाँ भी पैदा न हो जाए। मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा, भवन बनाने की शैली और आवास नीति में इस सुझाव का समावेश किया जा सकता है, जो भवन बनाये जायें उनके आँगन और पिछवाड़े के भाग को कच्चा रखा जाए जिससे वहां पर वर्षा के पानी का जल सम्बर्द्धन किया जा सके। लेकिन हम अपने आँगन को और पिछवाड़े को पक्का कर देते हैं। आज हमारी नीति सड़कों के बारे में जो बनी है उसके अन्तर्गत वॉल–टू–वॉल कारपेट कर दिया जाता है जितनी सड़क की चौड़ाई हो। जबकि ठीक उसके विपरीत कम से कम चार फुट सड़क के दोनों तरफ कच्चा छोड़ ही देना चाहिए। ताकि उस एरिया में प्राकृतिक संसाधनों और वृक्षों के पोषण के लिए जल रिचार्ज होता और मान्यवर, जन–जीवन सामान्य रहता। कुछ हम सुविधायें ले रहे हैं लेकिन उन सुविधाओं के विपरीत हमको कई चीजों के लिए त्याग करना पड़ेगा और इस त्याग के लिए संभवतः हो सकता है कि हमारे सदन के विद्वान लोग इस बात को कहीं न कहीं पर रखें या कहीं न कहीं पर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज एक ओर समग्र विकास की बात है उसके लिए संतुलित पर्यावरण, प्रदूषण और इसको भी आधार बनाना चाहिए जैसा अभी श्री किशोर जी ने कहा हम इसमें जितना विलम्ब करते हुए चले जायेंगे और मैंने यहाँ पर कहा था और कहना भी स्वभाविक है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजापुर गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया और बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बना है। जब हमने उसको देखा तो हमने कहा था की रेन वाटर के लिए इसको एड कर दो जिससे कहीं न कहीं उस पानी के उपयोग की आवश्यकता पड़े। यदि वह रिचार्ज हो जाय तो यही हमारे लिए एक मॉडल बन जायेगा और उपयोगी सिद्ध हो सकता है यह बहुत ज्यादा रूचिकर विषय नहीं है, लेकिन इस विषय में वास्तविकता है और हम में से कोई नहीं नकार पायेगा। ठीक है, सोचने के पहलू अलग–अलग हो सकते हैं। आप इमारत कैसे ही बनाये उसको यहीं जमीन में मिलना है। मैं अधिक न कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ और किशोर जी ने बहुत महत्वपूर्ण लोकमहत्व का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय किशोर जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दोनों विषय हिमालय का संरक्षण और नदियों के जल स्राव में जो कमी आ रही है यह चिन्ता का विषय हैं। लेकिन हमको इन दोनों चिन्ताओं के प्रति सोचना होगा कि इनके ऊपर आखिर क्या निर्णय लिया जाय, जिससे इनकी

समस्या का समाधान हो सके। हिमालय संरक्षण और नदियों के स्राव में कमी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े बिन्दु हैं। हिमालय की चोटी पर बर्फ में धीरे-धीरे आ रही कमी, नदी के स्राव में कमी का कारण बन रही है। 50 साल पहले हमारा तराई क्षेत्र पूरा जंगल हुआ करता था। उस समय वहाँ पर बहुत ठण्ड होती थी और कितनी बरसात होती थी, आज के समय में न तो वह बरसात रही और न ही ठण्ड का मौसम रहा। जिसकी वजह से हिमालय की संरचना के प्रति तब्दीली आ रही है, जिसकी हमें चिन्ता करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, तराई क्षेत्र में जब जंगल था। हम जानते हैं कि देश में बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं, जिनमें पेड़ पौधे और जंगल न होने के कारण वहाँ बरसात नहीं होती, वह इलाके धीरे-धीरे एक रेगिस्तान का रूप ले चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चीमा जी एक मिनट, चर्चा के तीस मिनट निर्धारित थे और वह तीस मिनट हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी भी कुछ कहना चाहेंगे या तो चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय। इसलिए समय 7:20 तक चर्चा का विषय बढ़ाया गया।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

आज हमारे प्रदेश का तराई क्षेत्र जंगल के रूप में नहीं, जलवायु के रूप में नहीं, बल्कि अन्न के रूप में बहुत बड़ा अंश है। लेकिन ये जंगलों में जो कमी आई है, इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो हमारी बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं पहले वे नदियाँ अपनी जलधारा को बदलती थी और बहुत बड़ा एरिया इनके किनारे रहता था। उस एरिया में जब नदियाँ इधर से उधर अपना रूख बदलती थी तो बचे भाग में पेड़ पौधे पैदा हो जाते थे और जंगल का रूप ले लेते थे। आज उन नदियों के किनारे जो जमीन है, उसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब आदमियों को पट्टे पर दे दी जाती है। मेरा कहने का भाव यह नहीं है कि उनको जमीन नहीं मिलनी चाहिए लेकिन चूंकि उनको पट्टे काट कर हम वो सारी जमीन धीरे-धीरे अलाट करते चले जा रहे हैं और उन गरीबों के साथ एक तो उनके ऊपर पहले गरीबी और दूसरी गरीबी की जो मार पड़ रही है कि जिन खेतों को वे नदियों के किनारे बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं और जब नदियाँ अपना रूख बदलती हैं तो गरीबों की सारी खेती और जमीन कटकर चली जाती है और वे अत्यंत गरीब हो जाते हैं। मेरा इस पर सुझाव है कि उन गरीबों को जमीन अच्छे स्थानों पर दी जाए। जहाँ वे अपनी खेती की उपज ले पाएं और अपनी जीविका का पालन-पोषण इस विश्वास के साथ कर सकें कि ये जमीन हमें अन्न देगी और हमारा और हमारे बच्चों का लालन-पालन होगा। नदियों के किनारे जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र है इस पर पेड़ लगवाए जाएं। पेड़ लगवाने से दो फायदे होंगे, एक हमारा वन क्षेत्र बढ़ेगा और दूसरा नदियों का कटाव रूकेगा। नदियों का कटाव हमारे बहुत बड़े क्षेत्रों को,

जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें विघ्न पैदा कर रहा है। दूसरा चाहे हमारे प्रदेश का खनन आय का स्रोत है लेकिन हमारी इन नदियों का खनन गलत तरीके से हो रहा है, इसको सही ढंग से संचालित करना होगा, अन्यथा खनन की वजह से ये नदियाँ अपना रूख बदलती हैं और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों का खनन की वजह से दिशा परिवर्तन हो जाता है, इस दिशा परिवर्तन से हमारी जो उपजाऊ भूमि है उसको भी नदियां साथ बहा कर ले जाती हैं। जलस्तर नीचे जाने की समस्या के प्रति मैं एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के नीचे पानी को रोकने के लिए तुमड़िया, बौर, बैगुल, नानकसागर बहुत बड़े डैम बने हैं और डैम में होता यह है कि जब बरसात ज्यादा पड़ती है पहाड़ों पर तो कभी-कभी डैम में पानी इतना आ जाता है कि उस पानी की वजह से डैमों को बचाने हेतु अचानक उनके दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जिससे यहाँ के जो आसपास बसे हुए लोग रहते हैं वे आबादियों सहित बह जाते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे पहाड़ से आने वाली मिट्टी और पत्थर से डैमों का स्तर ऊँचा होता चला जा रहा है, उनकी क्षमता कम होती जा रही है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि कई शहरों के पास से निकलने वाली नदियाँ उनके कस्बों को साथ में बहा ले जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि इस पानी को जो बरसात के मौसम में एक्सिस वाटर है, हम इनके सामने 8 इन्ची, 12 इन्ची के बड़े-बड़े बोरिंग कर दें जो मात्र 40 फुट और 60 फुट की गहराई तक होंगे, किये जायें जिससे एक्सिस वाटर जिसको हम बहाते हैं, वह सारा पानी नीचे स्टेट में जमीन के अन्दर चला जायेगा, जिससे जल स्तर ऊँचा आयेगा।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ और माननीय किशोर जी का भी कि जिन्होंने इस सदन के सम्मुख केवल इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और उस पर सुझाव के लिए, यहाँ विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आपने अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से उत्तराखण्ड में जो नदियों में कमी आ रही है, जल में जो कमी आ रही है, उसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो उत्तराखण्ड के स्तर पर जो विकास और तमाम जो एक-दूसरे के पूरक हैं और दूसरा जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय चीमा जी ने कहा कि हिमालय में जो ग्लेशियर बर्फ पिघल रही है उसमें कमी आ रही है। इस विषय पर हम समाचार-पत्रों और मीडिया में देख रहे थे कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए नेपाल की सरकार ने एवरेस्ट में अपने देश की कैबिनेट की बैठक आयोजित की, उसके पीछे उनका मकसद यह था कि जो हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, नदियों में पानी का जल स्तर घट रहा है, उसका ध्यान पूरी दुनिया की

ओर आकर्षित किया जा सके और सम्पूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी माननीय गुनसोला जी और माननीय चीमा जी को सुन रहा था और निश्चित रूप से जब हम कल्पना करते हैं आने वाले भविष्य की तो ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत भयानक सपना देख रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, वह सपना ही हो तो तब भी ठीक है, लेकिन यह भयानक सपना नहीं है, वह परिस्थितियाँ निश्चत रूप से आने वाले समय में पैदा होंगी और अगर हमने आज से प्रयास नही किया तो हमारी यह पीढ़ी भी चली जायेगी, हो सकता है कि हमारी इस पीढ़ी तक जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम तक वह भयानक स्थिति जिससे आने वाली मानवता और सभ्यता को गुजरना पड़ेगा, हो सकता है कि हमारे सम्मुख न आये, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आयेंगी। अभी जब माननीय चीमा जी कह रहे थे और माननीय गुनसोला जी कह रहे थे तो मैं खुद महसूस कर रहा था। मैं जब गाँव से श्रीनगर आता था पढ़ने के लिए इण्टर कॉलेज मान्यवर, तो गदेरे में इतना पानी होता था जो अलकनन्दा में मिलता था। मान्यवर, कई बार जिस दिन तेज बारिश होती थी, उस दिन गदेरे में तेज पानी होता था, उस दिन हम स्कूल नहीं आ पाते थे। अब उसी गदेरे में मैं अभी देख रहा था पानी नहीं है। मान्यवर, पहले जब मैं अपनी नानी के घर जाता था तो जगह-जगह हाथ में चप्पल लेकर और पैजामा ऊपर करके गदेरे को तैर कर जाना पड़ता था। आज अचानक सारे गदेरे सूख गये हैं और यही गदेरे नदियों और ग्लेशियर के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। जब गदेरों में पानी नहीं रहेगा और ग्लेशियर पिघल जायेंगे तो नदियों में भी पानी कम हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने कहा कि दो कारणों से कमियां आयी हैं, एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने अनियोजित विकास किया है और दूसरा कारण हमारे प्रदेश के स्तर पर हुआ है। जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और हमारे देश के वैज्ञानिक भी चर्चा और विचार कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रदेश के स्तर पर किया जा सकता था, नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तब अनियोजित विकास हो रहा था। अब हमारा उत्तराखण्ड बन गया है। इन 09 सालों में कहीं न कहीं हम उत्तर प्रदेश के ढर्रे पर ही चल रहे हैं। मान्यवर, एक बार जब स्वर्गीय चन्द्रमोहन सिंह नेगी जो पर्वतीय विकास मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रावत जी, मूल बिन्दु पर बात करें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैं मूल बिन्दु पर कह रहा हूँ। जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे कहा रावत जी हमारे पूर्वज ऐसी कन्दराओं और चोटियों में

बस गये है कि अब हमें उनके लिए सड़क बनानी पड़ रही है मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि यह बात इसी बिन्दु से जुड़ी हुई है। जो नदियों के स्रोत में कमी आ रही है, इसका मुख्य कारण ही यह है। दो परिवार कहीं ऊपर पहाड़ की चोटियों पर बस गये, अब वे सड़क की माँग कर रहे हैं और हमने उनके लिए सड़क बना दी, पेयजल योजना बना दी, बिजली की लाइनें बिछा दी। इसके कारण आज पूरे पहाड़ प्रभावित हो गये हैं। क्योंकि हमने नेचर से जगह-जगह छेड़-छाड़ की है। माननीय मुनस्योला जी ने विकास के लिए सड़क की बात की। मान्यवर, मैं भी जब कभी-कभी श्रीनगर जाता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि जैसे नैनीताल के लिए पूरी सड़क पक्की की गयी है, ऐसी ही श्रीनगर के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन जब आप कह रहे थे तो मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि आपकी बात में बहुत सच्चाई है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे उत्तराखण्ड का एक नियोजित विकास होना चाहिए। इसके लिए हमें एक ब्लू प्रिंट इन 09 वर्षों में बनाना चाहिए था। नहीं बना पाये देर हो गयी, लेकिन देर आये दुरस्त आये। मान्यवर, आज भी हमको, पूरे सदन को इस बात को महसूस करना होगा कि यदि हमें इस हिमालय को बचाना है, इन नदियों को बचाना है, इनकी पवित्रता को बचाना है तो हमें अनियोजित विकास के रास्ते पर नहीं चलना होगा। अनियोजित विकास के रास्ते पर चलकर हम तात्कालिक रूप से राजनैतिक लाभ अर्जित कर सकते हैं, तात्कालिक रूप से लोगों को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भविष्य को अंधेरे में धकेलने का वह रास्ता होगा। मान्यवर, एक निश्चित ऊँचाई पर हमें आबादी को प्रतिबंधित करना होगा। यह कुछ समय के लिए हमें कठोर कदम लग सकता है एक भावनात्मक लगाव हो सकता है, लोग कह सकते हैं कि यह हमारा गाँव है, यहां पर हमारी पीढ़ियां पली हैं हमने अपने पूर्वजों को यहीं पर दफनाया था, यहीं पर हमारे मठ मंदिर हैं। यहाँ पर हमारा भावनात्मक लगाव है, हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इससे प्रदेश सरकार के धन की भी बचत होगी और भविष्य में इस उत्तराखण्ड के हिमालय और नदियों को हम बचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक निश्चित ऊँचाई पर हमको आबादी को प्रतिबन्धित करना होगा। मान्यवर, इस ऊँचाई पर हम वनीकरण करेंगे, एक निश्चित ऊँचाई पर हम उद्यानीकरण कर सकते हैं, नदियों के किनारे, बिल्कुल किनारे नहीं, जैसा आपने कहा, लेकिन जहाँ समतल भूमि है, वहाँ हमको अगर आबादी का पुनर्वास करना पड़े, उस क्षेत्र में जहाँ जगह है, वहाँ आबादी को व्यवस्थित करना चाहिए। पुनर्वास करना चाहिए। जिससे कि वहाँ सड़क को ले जाने में, बिजली की लाईन को ले जाने में, पानी की लिफ्टिंग योजना बनाने में हमको सुविधा हो। पहाड़ में जब पेड़ होंगे, वनीकरण होगा, उससे हमारी नदियों का जल स्तर भी बढ़ेगा। यह कदम हमको आज उठाना होगा। क्योंकि आने वाले 40-50 वर्षों में हमारे इस कदम का लाभ हमारे इस उत्तराखण्ड की नदियों को मिल सकता है। अगर हमने यह नियोजन कर

दिया, इस तरह के कदम हमने उठा दिये जो पूरी दुनिया हमारे रास्ते पर चलेगी। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस चर्चा का समय 5 मिनट और बढ़ाता हूँ।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी को बधाई देता हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कोपनहेगन में जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और आप यहाँ इस विषय पर चर्चा करवा रहे हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष डा० हरक सिंह रावत जी का आभार प्रकट करता हूँ, माननीय जोत सिंह जी का और माननीय धीमा जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मान्यवर, यह जो परिवर्तन हो रहा है, पानी का जल स्तर गिर रहा है, नदियों में पानी की मात्रा कम हो गयी है और हमारी जमीन का जो पानी है, वह 10 मीटर जमीन के नीचे चला गया है इसका कारण है, वर्षा न होना, बर्फ का न पड़ना, ग्लेशियर का घटना और विकसित देशों का औद्योगीकरण होना। मैं तो कहूँगा, अपने माननीय किशोर उपाध्याय जी से कि प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वहाँ पर ठीक चर्चा रखिए। कोपेनहेगन में जो चर्चा हो रही है, उसमें ऐसी बात करें कि विश्व में औद्योगीकरण के द्वारा जो वातावरण खराब हो रहा है, उस पर रोक लगायी जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कितनी गंभीरता होनी चाहिए इस विषय पर। माननीय मंत्री जी तो इस विषय का मजाक उड़ा रहे है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, किशोर उपाध्याय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर बोले, जैसे मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। राष्ट्रपति भी निर्वाचित प्रतिनिधि को यह नहीं कह सकते कि वहाँ पर आप यह कहें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अपना सुझाव भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपमें इतनी हिम्मत नहीं है, केवल हमें ही कहेंगे आप। मान्यवर, मुझे यह कहना है, हमारी सरकार जब बनी तो हमारी सरकार ने जल संरक्षण संवर्धन मिशन, 2007 का गठन किया और इस जल संरक्षण संवर्धन मिशन के अन्तर्गत हमने प्रत्येक विभाग को जैसे, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, जल निगम है, जल संस्थान है, ग्राम्य विकास विभाग है, सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है, इन विभागों को निर्देश दिया कि जल संरक्षण संवर्धन में काम करें और 20 प्रतिशत बजट इस मद में खर्च करें। यह पहला निर्णय हमारी सरकार ने लिया। मान्यवर, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि नक्शा पास तब होगा, जब आप अपने भवन के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम की व्यवस्था करेंगे। हमने नक्शा पास करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात् हमारी सरकार वचनबद्ध है कि पर्यावरण को ठीक करें। जल संचय करें, पानी का संचय करेंगे तभी पानी मिलेगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में कितने मकान बन गये, इसका फीड बैक बता दें ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं बताऊँगा। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो बताऊँगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपके क्या विचार हैं, या क्या आदेश हैं, उनकी बात नहीं है, हमें तो फीड बैक चाहिए कि इतने मकान रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से बन गये। इस–इस विभाग ने इतनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम बनाकर उनको क्रियान्वित कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग की मेरे यहाँ जसपुर में जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें मैंने पूछा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपने क्या स्कीम बनायी है। उनके पास न तो नक्शा था और नहीं कोई टैक्निक थी, यह आपके आदेश के बाद की बात है उसके बाद मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, उसे निकलवाया और उसके बाद खुद खड़े होकर बनवाया, आप बतायें कि कितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भवन बने हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अपने आपको नदियों के जल स्तर तक ही सीमित रखें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नदियों के जल के बारे में मुझे यह कहना है कि जैसे माननीय किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि टोंस नदी में 72 से 75 प्रतिशत पानी कम हुआ

है। इसी प्रकार से शारदा नदी में 14 प्रतिशत पानी कम हुआ है। मान्यवर, मैं आप सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जगह तो नहीं जा पायेंगे, लेकिन अग्रवाल जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आज जल भवन, धर्मपुर में जाइये, वहां पर हमने रूफ टाप रेन हार्वेस्टिंग बनाया है, पानी को हमने इकट्ठा किया है और उसके बाद जो फालतू पानी है, वह रिचार्ज होकर जमीन के अन्दर जाता है।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इसी तरह से तो जल स्तर बढ़ेगा (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि हमको सघन वृक्षारोपण करना चाहिये, कंटूर ट्रेंच बनाना चाहिये, चैक डैम बनाने चाहिये, चाल, खाल और तालाब.........। (व्यवधान) मान्यवर, यदि माननीय सदस्य मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन मिशन के अन्तर्गत हमने जलागम के द्वारा 1640 चाल और खाल का निर्माण करवाया, हमने 1860 धारे और नौलों का जीर्णोद्धार किया। 240 पोखर–तालाबों को जलागम के द्वारा पुनर्जीवित किया, 1747 धारों का जीर्णोद्धार किया।............ (व्यवधान) मैं तो आप लोगों के समक्ष आंकड़े पेश कर रहा हूँ, आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो यह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश जी, कृपया माननीय मंत्री जी की बात आने दीजिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 6382 चैक डैम हमने बनाये हैं।..............

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चाल–खाल आदि सब सूखे पड़े हैं, कहीं पर पानी की एक बूंद नहीं है, पानी की बूंद तो छोड़िये उनमें नमी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी हमारे साथ चलें और बता दें कि यह पानी का खाला है, इसमें पानी है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कड़वे शब्द कहना चाहता हूँ कि हमने तो यह काम किये हैं। मगर पांच साल तक आपकी सरकार रही, आपने क्या किया है ? आप हमारे लिये बोलते हैं, मैं तो कम से कम आंकड़े तो पेश कर रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जलागम या वन विभाग इनकी सरकार की देन नहीं है। लगातार इसी तरह के काम हमने भी किये हैं, मैं हमारी सरकार या आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से कड़े शब्दों का प्रयोग किया, जोश में आ गये, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी को अवसर दे रहा हूँ, आपकी बात आ गई है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

मान्यवर, मैं अपने छोटे भाई को कुछ सुनाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

वह आप बाद में सुना दीजियेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, मैं तो जो वास्तविकता है, जो धरातल की बात है, उसके बारे में बात कर रहा था, जो भी ताल-खाल हैं, वह आज सूखे पड़े हैं।

श्री किशोर उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस तरह की गंभीरता की आशा इस सरकार से कर रहा था, लेकिन सरकार इतने हल्के ढंग से इसे ले रही है कि यदि गंगा नदी नहीं रही तो........................।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बातें पहले काफी विस्तार से आ चुकी हैं, यदि कोई स्पष्टीकरण आप चाहें, तो ले सकते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जितनी भी बातें कहीं, एक भी विषय पर माननीय मंत्री जी ने सदन में कोई उत्तर ही नहीं दिया मान्यवर, कि कैसे उस जल स्राव को बढ़ाया जा सकता है। कम न हो जल इसमें, गंगा कैसे बच सके, यमुना कैसे बच सके। जो हमारे पड़ोसी राज्य है, उनसे सरकार बात करेगी कि हमारे अस्तित्व का सवाल है, आईये इकट्ठे होकर गंगा को बचाने का काम करते हैं, यमुना को बचाने का काम करते हैं। (व्यवधान) सदन का इतना कीमती समय बरबाद कर दिया सरकार ने बिना किसी बात को सामने रखे हुए। कैसे मंत्री है, किस तरह का जवाब सदन में दे रहे हैं। क्या किया आपने जलस्राव में कमी के लिए ? जो बातें हमने बताई हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप स्थान ग्रहण करेंगे। जब माननीय किशोर उपाध्याय जी बोल रहे थे तो हमने कोई टोका-टाकी नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सबने इसके महत्व को स्वीकार किया है। सभी माननीय सदस्यों ने इसके महत्व को समझा है और आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। तो माननीय मंत्री जी, मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में कुछ और स्पष्टीकरण देना चाहें तो दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, जल संरक्षण, संवर्धन मिशन जो हमने चालू किया है। उसके अन्तर्गत चाल-खाल का निर्माण 5514, वृक्षारोपण 2 लाख 45 हजार 440, रेन वाटर हारवेस्टिंग 420, कन्टूरटेंच 3 लाख 75 हजार 880, खिंथियों का निर्माण 1448, चेकडैम 15932, रिसाजिंग पिट 125, ये रिसावदार तालाब हमने 449 बनाये और रिसावदार कुएं 58 बनाये, कुल हमने 01 अरब 53 लाख 75 हजार रुपया खर्च किया जल संरक्षण, संवर्धन के लिए। मान्यवर, मैं जरा सा अपने छोटे भाई को कुछ कह दूँ। "ये माना कि हम इस जहां को गुलिस्तां न बना सके, जिस राह से गुजरेंगे, उस राह से कांटे कम करेंगे हम।" (मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में दिनाँक 20 जुलाई, 2009 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-10 के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चर्चा

श्रीमती अमृता रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे विद्युत कटौती के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। जिस प्रकार से हम लोगों के उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हुई और उस समय जब उत्तराखण्ड राज्य बना तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री पं० नारायण दत्त तिवारी जी ने जिस तरह से ऊर्जा प्रदेश इस राज्य को बनाने का सपना देखा था और उसके लिए वो कृत संकल्प भी थे और इसके लिए निरन्तर उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके जाने के पश्चात्, जो ऊर्जा प्रदेश था, ऊर्जा प्रदेश न रहकर अंधकार प्रदेश के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आज के समय में हमारी अनेक वृहद जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण होने के पश्चात् भी आज हमारा प्रदेश विद्युत कटौती से जूझ रहा है। हमारी टिहरी बांध परियोजना, एक हजार मेगावाट की जो परियोजना थी, वो पूरी हुई, उसका राज्यांश हमको प्राप्त हो रहा है। हमारी उत्तरांचल जल विद्युत निगम के द्वारा जो मनेरी भाली फेज-2 का निर्माण हुआ उससे हमें 304 मेगावाट की बिजली प्राप्त हो रही है। हमें विष्णु प्रयाग परियोजना जो कि 400 मेगावाट की थी उससे राज्यांश प्राप्त हो रहा है। धौली गंगा जो 280 मेगावाट की परियोजना थी, वो पूर्ण हुई, उससे हमें राज्यांश प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त अनेक छोटी-छोटी जल

विद्युत परियोजनायें पूर्ण हुई, उसका राज्यांश हमें प्राप्त हो रहा है। उसका पूरा अंश हम लोगों को मिल रहा है, जो हमारी उत्तरांचल जल विद्युत निगम के द्वारा परियोजना बनाई गई, लेकिन इतनी मेगावाट परियोजना बनने के पश्चात् क्या कारण है कि आज भी हमारा प्रदेश विद्युत कटौती से गुजर रहा है ? आज भी हमारा चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऊधमसिंह नगर हो वहाँ पर भी 4-4, 5-5 घंटे बिजली की रोस्टिंग की जा रही है, जैसे कि सुरेन्द्र राकेश जी कह रहे हैं कि 08 घंटे बिजली की वहाँ रोस्टिंग की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में दो से चार घंटे बिजली कटौती निरन्तर की जा रही है और अघोषित कटौती की जा रही है, समाचार-पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है और न कोई समय निर्धारित होता है, जब चाहे विभाग कटौती कर देता है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो या शाम हो। इतने होने के बावजूद भी हम लोगों का प्रयास यह होना चाहिए था कि 24 घंटे बिजली उत्तराखण्ड में उपलब्ध हो। इसके कई कारण भी हैं, जिस कारण से हमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि विभाग हमारे जो लाइन लॉसेस है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, पुराने जो जर्जर तार हो चुके हैं, उन तारों को बदला नहीं जा रहा है जिससे कि उन तारों से बिजली पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती है और पूरी बिजली वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसके अलावा समय-समय पर विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। जहाँ-जहाँ बिजली की चोरी की जा रही है, कटिया का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस की मदद ले करके विभाग द्वारा छापे मारने चाहिए, वहाँ से जो लाइन लॉसेस हो रहा है, जो हमें वहाँ से राजस्व नहीं मिल रहा है, इससे हमें पूर्ण रूप से रेव्हन्यू प्राप्त होगा। हम लोगों के ट्रान्सफार्मर जो हैं, वह नये नहीं लिये गये हैं। जब से यह सरकार आयी है तब से नये ट्रान्सफार्मरों की खरीद नहीं की गई है, जो पुराने ट्रान्सफार्मर हैं वह खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करने में बहुत समय लगता है। आज भी हमारे उत्तराखण्ड के ऐसे-ऐसे गाँव हैं वहाँ डेढ़-डेढ़ साल हो गये हैं ट्रान्सफार्मर खराब हुए। बार-बार विभाग को सूचित करने के बाद भी उन गाँवों के ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, डेढ़-डेढ़ साल से वह गाँव अंधकार में डूबे हुए हैं। अगर माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पौढ़ी जिले के ही कितने ही गाँवों को बता देना चाहती हूँ। बार-बार विभाग को कहने के बावजूद भी आज तक वहाँ पर ट्रान्सफार्मर नहीं बदले गये। जैसे कोटीखाल है, जोदू है, मनमोली है, मनेरी है, थापला है, बरतोला है, कलसी है, नाई है।

श्री अध्यक्ष–

आप गाँवों की सूची उपलब्ध करा दें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, चौपड़िया बाजार है, बरसूड़ है, हमारा पोखड़ा है, बीरोंखाल है, रिखणीखाल है, थलीसैण है। यहाँ के ऐसे-ऐसे गाँव हैं जिनको डेढ़-डेढ़ साल हो गये हैं, इन गाँवों में ट्रान्सफार्मर की शिकायत होने के बावजूद नहीं बदले

जा रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है, जो भी बिजली कटौती है, उसको दूर करने के लिए प्रयास किये जाय, जिससे कि हम लोगों का जो स्वप्न था कि हम उत्तराखण्ड राज्य को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण हम ऊर्जा और पर्यटन से अपने प्रदेश को स्वावलम्बी बना सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें बहुत पीछे हैं, आज हमारा जो ऊर्जा विभाग है करोड़ों रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है इसमें कोई पहल करिये, सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा, जिससे कि हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित हो और उसका विकास हो।

संसदीय कार्य मंत्री (प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक श्रीमती अमृता रावत जी द्वारा इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण किया गया। श्रीमन्, राज्य स्थापना के पश्चात् हम सब इस विषय को स्वीकार करेंगे कि राज्य में बढ़ते हुए औद्योगीकरण के चलते और विकास की निर्बाध गति के चलते विद्युत की माँग में तीव्र गति से वृद्धि आई है और विगत वर्ष शीतकाल में बर्फबारी कम होना और मानसून की अवधि में वर्षा में कमी आने के कारण नदियों में पानी का डिस्चार्ज कम हुआ जिसके कारण उत्पादित ऊर्जा के उत्पादन में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। माह अप्रैल 2008 में जल विद्युत निगम के विद्युत गृहों से 3513 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित हुई। वहीं 2009 में नवम्बर में इस वर्ष 3170 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष में राज्य के स्वयं के स्रोतों से अब तक 343 मिलियन यूनिट कम बिजली का उत्पादन हुआ। इस अवधि में उत्पादन के सापेक्ष माँग में 700 मिलियन की वृद्धि हुई। इस कारण गर्मियों के मौसम में जो बिजली राज्य द्वारा अन्य राज्यों को बैंकिंग के रूप में उपलब्ध कराई जाती थी, वह इस वर्ष उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। प्रत्येक वर्ष बैंकिंग से प्राप्त विद्युत से शीत ऋतु में विद्युत की आपूर्ति है, वह इस वर्ष विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाई। इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद राज्य की सरकार प्रयत्नशील रही कि अधिक विद्युत की आपूर्ति उपभोक्ताओं को हो, चाहे इसके लिए बाहर से ही बिजली क्यों न खरीदनी पड़े और इस प्रक्रिया के तहत माह जुलाई से पूर्व औसतन शहरी क्षेत्र में डेढ़ से तीन घण्टे तक, ग्रामीण क्षेत्र में पाँच घण्टे, पर्वतीय क्षेत्र में दो घण्टे और औद्योगिक क्षेत्र में 4 से 6 घण्टे विद्युत कटौती हुआ करती थी, घोषित विद्युत कटौती। लेकिन जुलाई माह में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि हम विद्युत कटौती को नियंत्रित करेंगे और विद्युत कटौती न हो ऐसा प्रयास करेंगे। उसके चलते हुए जुलाई 2009 में शहरी क्षेत्र में शून्य से आधा घण्टा, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1 घण्टा और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग दो घण्टे तक विद्युत कटौती की गई। यह अघोषित विद्युत कटौती थी जो कतिपय कारणों से की गई। इस तरह से अगस्त,

सितम्बर और अक्टूबर, नवम्बर में लगभग-लगभग आंकड़ा इसी के पास है। चूंकि इस वर्ष नवम्बर माह में 428 मिलियन विद्युत यूनिट बिजली क्रय की गई और हमारा प्रयास रहा कि जो माँग के सापेक्ष विद्युत की आपूर्ति कर पाये। नवम्बर के माध्य से मार्च, 2010 तक सैन्ट्रल पूल से 70 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है और केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि 200 मेगावाट बिजली प्रदेश को उपलब्ध कराई जाय। मान्यवर, इसी तरह से राज्य की वर्तमान सरकार ने कुछ प्रयास भी किये हैं और उन दीर्घकालिक प्रयासों के आधार पर हमारी योजना है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की माँग के सापेक्ष आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत अन्य राज्यों से विद्युत लिये जाने हेतु निविदायें की जा रही है। प्रत्येक जनपद में विद्युत चोरी और अधिक भार प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के परिसरों पर विभिन्न छापे मारी की जा रही है। जिसके चलते हुए लाईन लॉसेज में सुधार हुआ है। जहाँ वर्ष 2006-07 में 38.20 प्रतिशत लाईन लॉस था उसमें काफी हद तक कमी आई है। मान्यवर, वर्तमान लाईन लॉस 30 प्रतिशत हो गया है और हमने लक्ष्य रखा है इस वर्ष के अन्त तक 28 प्रतिशत तक हो जायेगा। राज्य के वितरण तंत्र को अच्छा करने और लाइन लॉस को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाइन लॉसेज को 15 प्रतिशत तक लाना है। विद्युत उत्पादन बढ़े इसके उत्पादन के लिए प्रयासरत् हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के चिन्हित जल क्षमता के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार, केन्द्र, राज्य तथा निजी तीनों क्षेत्रों का सम्यक उपयोग कर रही है। वर्तमान में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को 7302 मे०वा०, राज्य सैक्टर को 2938 मे०वा० तथा निजी क्षेत्र को 1882 मे०वा० क्षमता की परियोजनाएं आवंटित हैं। जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनके पूरे हो जाने के पश्चात् हमारी माँग के सापेक्ष अन्तर समाप्त हो जायेगा। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जल विद्युत नीति घोषित की है। जिसमें पारदर्शी निविदायें पद्धति द्वारा अब तक तीनों चरणों में 1057.50 मे०वा० क्षमता की 15 परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आवंटित हैं। चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य में अन्य सम्भावित परियोजनाओं का चिन्हांकन कर उनके विकासोपरान्त निर्माण हेतु निजी क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया गया है। जन सहभागिता तथा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिये जाने के दृष्टिगत 25 मे०वा० क्षमता तक की स्वयं चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन का कार्य प्रगति पर है उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा अपने विद्युत गृहों की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिगत पुरानी परियोजनाओं में आर०एम०यू० का कार्य प्रस्तावित है। माननीय अमृता रावत जी ने जो वर्ष 2009-10 में पौढ़ी जनपद में 172 जले हुए ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में बताया उनको बदल दिया गया है। पौढ़ी जनपद में ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना आते ही स्टोर से ट्रांसफार्मर निर्गत किया जाता है एवं शीघ्र ही उसको बदला जाता है। ऐसे किसी भी गांव की सूचनाएं

उपलब्ध नहीं है, यदि आपकी जानकारी है तो उपलब्ध करायें ताकि उसको परिवर्तित करेंगे। इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर यदि खराब हैं तो तुरन्त बदलने की व्यवस्था की जाय।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, ट्रांसफार्मर तो बदले नहीं जाते हैं उन्हीं को ठीक करा देते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अनुरोध यह है कि कृपया बिन्दुवार अगर आप कोई स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको समय दिया है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर भाषण आने के पश्चात् अनुपूरक नहीं आता है, केवल स्पष्टीकरण लिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 343 मीलियन यूनिट कम उत्पादन हुआ इस वर्ष, दूसरा बताया कि जो दूसरे राज्यों को बैंकिंग की जाती थी, वह भी नहीं की गयी। तीसरा बताया उपलब्धता कम है मांग अधिक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि लाईन लॉस भी कम हुआ है, उपलब्धता भी अधिक है, माँग कम है, लेकिन फिर भी बिजली हमें कम प्राप्त हो रही है। इसके क्या कारण हैं ? बिजली कटौती क्यों की जा रही है ? कितने संयत्र जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है और कितनी हमारी माँग है ?

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो पावर सारटेज की बात हुई और अभी सिंचाई मंत्री जी ने यह बताया कि जल प्रवाह नदियों में 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत से कम हो रहा है तो आने वाले भविष्य में जल विद्युत परियोजनाओं से नहीं लगता कि इस संकट का हल निकाला जा सकता है, बल्कि और भी मुश्किल हो जायेगी। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा एक सर्वे उत्तराखण्ड में कराया था, जिसके अन्दर भूगर्भीय ऊर्जा के विशाल भण्डार की बात उन्होंने की। विश्व में अनेक देशों में भूगर्भीय ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। उसमें 10 हजार मीटर तक खोदा जाता है, उसमें

भाप निकल कर आती है और उससे बिजली पैदा होती है और उत्तराखण्ड में उसका अपार भण्डार है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस सर्वे के बाद माननीय मंत्री जी ने क्या कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है ? दूसरा मान्यवर, इसी सत्र में मैंने एक प्रश्न रखा कि क्या प्राकृतिक गैस से यह सरकार बिजली उत्पादन के लिए नया संयत्र लगा रही है या कोई योजना है तो सरकार ने कहा कि 'हाँ'। मैंने कहा, क्या इसका कोई प्रस्ताव केन्द्र में भेजा गया है तो सरकार ने कहा कि "नहीं"। तो यह कैसा विचार है, कैसी परिकल्पना है। जिस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में जो नलकूपों के नये कनेक्शन स्वीकृत हो रहे हैं, उनके लिए क्या पुराने ट्रांसफार्मर दिये जा रहे हैं ? क्योंकि नये ट्रांसफार्मर हैं ही नहीं, जो लगाये जा रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर जो हैं, वे पुराने ही हैं, वे नये नहीं हैं। अगर ऐसा है तो उनके विषय में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पहलुओं पर सुझाव आए। एक सुझाव मैं सरकार से चाहता हूँ कि सरकार क्या विद्युत के संसाधनों को बढ़ाने के लिए तापीय बिजलीघर की स्थापना करेगी ? यह हर एक जगह होता है, हर स्टेट में है। क्या इसकी व्यवस्था सरकार करेगी ? क्योंकि माइक्रोहाइडल कम होता जा रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार परमाणु ऊर्जा पर विचार कर रही है ? क्या परमाणु ऊर्जा पर उत्तराखण्ड सरकार कार्य कर रही है ? क्योंकि यहाँ पर इसके लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। यदि परमाणु ऊर्जा के यहाँ पर संयंत्र लगाए जाएं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में यह लग सकता है, चाहे हरिद्वार में लग जाए, चाहे तराई में लग जाए।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, जो इतने ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं, उनके क्या कारण हैं ? उससे पहाड़ में बड़ी परेशानी हो रही है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बात संज्ञान में लाई गई, उससे मैं पूर्णरूप से सहमत नहीं हूँ क्योंकि जिस प्रकार से हमारे विधायक

सुरेन्द्र राकेश जी ने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि बिजली कटौती को भी हमने 40 प्रतिशत से 38 प्रतिशत कर दिया है और दूसरा बैंकिंग करते हैं उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्यों में और जब हमें जरूरत होती है तो हम लेते हैं, जिससे कि हम अपने प्रदेश को सुचारू रूप से विद्युत देते थे और अब हम बैंकिंग भी नहीं कर रहे हैं, कटौती भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लाईन लॉसेस भी नहीं हो रहा है, प्रोडेक्शन भी आपका बढ़ गया है फिर भी हम अपने प्रदेश को 24 घण्टे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, पहले उत्तराखण्ड राज्य सीमावर्ती राज्य जो थे जैसे दिल्ली, हरियाणा आदि से बैंकिंग करती थी और जिस समय बिजली की जरूरत होती थी बैंकिंग से ले लेते थे। लेकिन अब हम बैंकिंग भी नहीं कर रहे हैं, कटौती में भी कमी हुई है, लाईन लॉसेस भी कम हो रहा है और उत्पादन भी आपका बढ़ गया है तो 24 घण्टे बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं ? मान्यवर, देहरादून शहर में हम ट्यूबलाईट जलाते हैं तो वह डिम रहती है जैसे दीपक जल रहा हो, तो इसमें माननीय मंत्री जी अपना बयान देंगे ? देहरादून राजधानी है और राजधानी में बिजली इतनी जो आ रही है तो पर्वतीय क्षेत्र के जो गाँव हैं वहाँ क्या व्यवस्था होगी।

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक मांग के सापेक्ष आपूर्ति उपलब्धता का प्रश्न है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारी जो उपलब्धता है वह लगातार प्रगति पर है, लेकिन मांग में भी बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे इण्डस्ट्रियल एरिया बढ़े हैं तो निश्चित रूप से उसका असर हमारी मांग पर पड़ा है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि वर्ष 2007-08 में हमारी उपलब्धता 6006 और उसके सापेक्ष जो हमारी मांग थी वह 7197.50 मिलियन यूनिट थी और इसी तरह से अगर हम माह दिसम्बर में राज्य की स्थिति देखें तो राज्य का औसत उत्पादन 290 मेगावाट है, सेन्ट्रल पूल का अंश 380 मेगावाट है और कुल उत्पादन 670 मेगावाट है, औसतन मांग 1020 मेगावाट, मांग के सापेक्ष कमी 350 मेगावाट की है और बैंकिंग और क्रय द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो मिली वह 140 मेगावाट है, ओवर ड्राल 150 मेगावाट है, आकस्मिक विद्युत कटौती 60 मेगावाट करना पड़ा।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, 4-5 साल पहले हमारी बिजली का उत्पादन 11 सौ मेगावाट था और उसके विरूद्ध हमारी खपत 8 सौ मेगावाट थी तो इसका मतलब बहुत कमी आयी है मान्यवर, सेन्ट्रल और स्टेट का स्रोत मिलाकर जो क्षमता थी वह 11 सौ मेगावाट थी।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने कहा कि भू-गर्भीय ऊर्जा का सर्वेक्षण करवाया जाये तपोवन में, तो भू-गर्भीय ऊर्जा का सर्वेक्षण तपोवन

में कराया लेकिन टेम्प्रेचर अधिक होने के कारण विद्युत उत्पादन संभव नहीं है और जिस रिपोर्ट की जानकारी आपने दी तो उसका परीक्षण करवाया और वह तपोवन में कराया, चूँकि सफल नहीं हो पाया और इसी तरह से ट्रांसफार्मर जलने का कारण आपने बताया, तो इसके तीन मुख्य कारण हैं–अति भारित होना है, विद्युत चोरी है और अनुमानित लोड से अधिक लोड पड़ना है, ये ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसका हल क्या है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, वर्ष 2007 के बाद से कितने नये ट्रांसफार्मर इस नई सरकार ने क्रय किये हैं और किस दर से बिजली अन्य राज्यों से क्रय कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जहां तक बात कितनी दर से अन्य राज्यों से बिजली क्रय करने की है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर खराब होने का एक व्यवहारिक कारण यह भी है कि हमारे ज्यादातर गाँव सड़क से पाँच किलोमीटर ऊपर-नीचे बसे हुए हैं। इन ट्रांसफार्मर को गाँव में ले जाने के लिए गाँव वाले सक्षम नहीं हैं चूंकि सड़क से नीचे लाने पर इन ट्रांसफार्मर में ऑयल रिस जाता है, जिसके कारण अधिकतर ट्रांसफार्मर गाँव ले जाते समय ही खराब हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ गाँवों की स्थिति यह है कि गाँवों में आदमियों के न होने के कारण उन गाँवों में ये ट्रांसफार्मर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर ले जाने की व्यवस्था विभाग के माध्यम से की जानी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक ट्रांसफार्मर बदले जाने की बात है तो इसके लिए निर्देश दिये गये हैं कि 24 घंटे के अन्दर मैदानी क्षेत्र में और 48 घंटे के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदला जाय।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पिछले तीन महीने से ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्यगणों के संज्ञान में कोई जानकारी है तो उन्हें तत्काल बदलने की कार्यवाही होगी। जैसे माननीय सदस्या अमृता रावत जी ने प्रश्न किया था कि कितने ट्रांसफार्मर खरीदे गये, इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि वर्ष 2008–09 में 2900 हजार नग, 25 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 के खरीदे गये। वर्ष 2009–2010 में लगभग 11400 ट्रांसफार्मर खरीदे गये। मान्यवर, 25 के0वी0ए0 के 3100 ट्रांसफार्मर, 63 के0वी0ए0 के 3800 और 100 के0वी0ए0 के 4500 ट्रांसफार्मर खरीदे गये। यह ट्रांसफार्मर एक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही खरीदे गये हैं। मान्यवर, जिस तरह से वर्तमान में नयी तकनीकी आ रही है, उसका हम परीक्षण करा रहे हैं और इसके लिए जो जल उपलब्धता चाहिए वह प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है। चूँकि इस समय हमारी प्राथमिकता सस्ती जल विद्युत परियोजनाओं की है। हमारे पास 25 हजार मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने की क्षमता है। जिस आधार पर हम जल विद्युत परियोजना की स्थापना कर रहे हैं, जो सबसे सस्ती भी पड़ती है। मान्यवर, हम राज्य को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करने में आगे बढ़ रहे हैं।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री दिनेश अग्रवाल, श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति उत्तराखण्ड सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारियों के संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान को लागू किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा राज्य के प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) जवानों की विभिन्न समस्याओं एवं नया उत्तराखण्ड पी0आर0डी0 एक्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरिदास की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार की गई।

हरिद्वार में कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज तथा गिरफ्तारी की सूचना पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है जो हरिद्वार में कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के ऊपर लाठी चार्ज तथा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। यह सूचना माननीय किशोर उपाध्याय, माननीय तिलकराज बेहड़, माननीय रणजीत सिंह रावत तथा माननीय मनोज तिवारी की है। मैं चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्य इस पर संक्षेप में अपना वक्तव्य रखें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, इस विषय पर केवल मैं ही बोलूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जिले के हमारे कॉंग्रेस के पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, माननीय राजीव रस्तोगी जी, राजीव चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे तमाम कार्यकर्ता, कुम्भ क्षेत्र में जो घटिया स्तर पर काम हो रहे हैं, उनमें गुणवत्ता की भारी कमी है, पुलों का, सड़कों का, पार्किंग का समय पर निर्माण नहीं हो पाया है, इन तमाम समस्याओं को लेकर और शिलान्यास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रियों द्वारा हरिद्वार जनपद में किये जा रहे हैं, कुम्भ क्षेत्र में किये जा रहे हैं, उनमें उस क्षेत्र के स्थानीय सांसद और भारत सरकार के श्रम राज्य मंत्री माननीय हरीश रावत जी की उपेक्षा को लेकर जब हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात को कहना चाह रहे थे, तो माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह कल देहरादून में कॉंग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ, उसी तरह हमारे निहत्थे कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से हरिद्वार क्षेत्र की समस्याओं को सांसद की मर्यादा को, उनके सम्मान की रक्षा को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तो अचानक कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी आन्दोलन में यह हमेशा होता है कि जब प्रदर्शनकारियों, आन्दोलनकारियों को रोकने की कार्यवाही की जाती है तो चेतावनी देने के लिए पहले पानी की बौछार की जाती है, तब भी अगर कार्यकर्ता आन्दोलित हों, आक्रोशित हों तो उनको नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तीसरे चरण में लाठीचार्ज किया जाता है और बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में हवाई फायर किया जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार आयी है। इस तरह की बातें बेमानी हो गयी हैं। वहाँ तो वैसे भी पानी की बौछार और अश्रु गैस के गोले छोड़े जाने की नौबत ही नहीं आयी थी। ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी नहीं हुई थी कि वहाँ लाठी चार्ज करने की नौबत आती, अश्रु गैस के गोले छोड़ने की नौबत आती, पानी की बौछार छोड़ने की नौबत आती। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने आज सुबह कहा कि हम इस सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार में हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकार को आईना दिखाया कि आपका चेहरा विकृत हो गया है।

पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष दिल से नहीं कह रहे हैं। रावत और रावत की लड़ाई हो रही है वहाँ किसी और की, यहाँ किसी और की। हाऊस में बोल तो रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कह रहे हैं।

श्री रणजीत रावत–

माननीय कौशिक जी, बहुत दिल पढ़ रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मदन कौशिक जी से कहना चाहता हूँ कि हम कॉंग्रेस के लोग हैं। खूब गुटबाजी दिखाएंगे। लोक सभा का चुनाव आएगा तो एकजुट हो जाएंगे और पाँचों सांसद जीत जाएंगे और जब विधान सभा के चुनाव आयेंगे, तब भी यही होगा। यहीं लॉबी में एक दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कोश्यारी जी मुझसे कह रहे थे कि रावत जी, तुम कॉंग्रेसियों में पता नहीं क्या कारण है, वैसे तो तुम लोगों के बड़े गुट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, तुम लोग एकजुट हो जाते हो तो मैंने उनसे कहा कि हम कॉंग्रेस के लोग हैं, जिस तरह से भारत वर्ष के लोग चीन या पाकिस्तान से लड़ाई के समय, जाति, धर्म, मजहब के मतभेदों को भुलाकर एक हो गये थे, एकजुट होकर देश की ताकत के रूप में खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से वैसे ही हम लोग भी युद्ध के दौरान एक हो जाते हैं, क्योंकि कॉंग्रेस ने देश को आजाद करवाया है, कॉंग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर व्याख्या की जरूरत नहीं है, यदि किसी माननीय सदस्य ने चुटकी ली है, तो उसका जवाब चुटकी से दे दीजिये। (घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी के नाम का प्रभाव है, उनका नाम मदन है। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, अभी मैं हरिद्वार गया था, हरिद्वार के लोगों ने माननीय कौशिक जी का एक उपनाम रख दिया है, बोल दूँ कौशिक जी ? अगर कौशिक जी कहें तो नहीं बोलूंगा।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, लग रहा है कि लड़ाई तो आप लोगों की है और यहाँ पर आप इसे दिल से नहीं उठा रहे हैं। अगर दिल से कहते तो यहाँ आकर कहते_____। मान्यवर, कल जरा सा कुछ हुआ था तो आप यहाँ 'वेल' में बैठे थे और आज इतना बड़ा आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ता अरेस्ट हुये हैं, तो वहाँ से बोल रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, माननीय कौशिक जी को बहुत उत्सुकता है कि हरिद्वार के लोगों ने उन्हें क्या उपनाम दिया है तो यह मेरी भी मजबूरी है कि मैं चाहते हुये भी आपसी भाईचारा नहीं निभा पा रहा हूँ कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी कोढ़ा हो गये हैं। (व्यवधान) यह कोढ़ा क्या हुआ ....। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह आपको कोढ़ा क्यों कह रहे हैं।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, यह आपस की लड़ाई में ऐसा कर रहे हैं। (हँसी)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष, विषय पर आ जायं, आप कृपया विषय पर आ जायं।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप लोग और हंसोगे और सुनोगे, अभी तो मैंने केवल हरिद्वार की बात की है, अगर ज्यादा हंसोगे और छेड़ोगे तो मैं यह बता दूँगा कि कोटद्वार के लोग रमेश जी के बारे में क्या--क्या कह रहे हैं, इसलिये नगर विकास तक ही सीमित रखें। मान्यवर, आज जब हरिद्वार में कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो कि नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, श्री राजीव चौधरी जी, जो हमारे युवा कॉंग्रेस के नेता हैं और श्री राजीव रस्तोगी जी और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकरण में वही बात हुई है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस। उन लोगों को मारा भी गया और जेल भी भेज दिया गया। कौशिक जी, मैंने पहले भी कहा था ....।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, दोपहर में आपने कहा था कि जो करा सकते हो, करा लो। तो मैंने कहा कि भई हमने क्या करना है, जो गलत होगा, उसे पुलिस देखेगी। आप अपने कार्यकर्ताओं को फोन करते तो मामला वहीं पर निबट जाता, लेकिन आप भी चाहते थे कि वहाँ पर कुछ हो जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, इस घटना को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं।............

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर देते कि वहाँ पर तोड़–फोड़ क्यों कर रहे हो, ऐसा न करो, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती।..............

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अब वह संशोधन कर रहे हैं, जब हमने पकड़ लिया और माननीय मंत्री जी को माननीय प्रकाश पन्त जी ने इशारा किया तो वह चुप हो गये। उनका इशारा यह था कि सदन के अन्दर आपका जो भी बयान होगा, वह सरकार का बयान कहा जायेगा, आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो।....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुझे कोई इशारा नहीं हुआ। ....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, गरीबों की आवाज को, दबे–कुचले लोगों की आवाज को, गरीबों की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारे कार्यकर्ता आवाज उठा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, इस प्रदेश के नौजवानों को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कॉंग्रेस के कार्यकर्ता अगर अंग्रेजों की लाठी, गालियां खा सकते हैं तो ये आपकी लाठी–गोलियाँ भी खा सकते हैं। आपकी गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं के सीने कम नहीं पड़ेंगे। जो नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियाँ भांजी गयी। जो धरने पर बैठे थे, उनको लाठी मारी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। हमने माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार को जनरल डायर की सरकार करार दिया था, लेकिन ये माननीय निशंक जी की सरकार भी जनरल डायर की तरह ही खतरनाक है और इसका भी हश्र वही होगा। इनको भी जनरल डायर की तरह कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मैं मांग करना चाहता हूँ, अभी भी समय है, देर आये, दुरूस्त आये। ये सरकार प्रदेश के गरीबों की आवाज को दबाने का काम न करे। यदि यह सरकार ऐसे काम करेगी तो प्रदेश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। माननीय नगर विकास मंत्री जी, मैंने पहले भी कहा

था कि हरिद्वार के पंडों ने पूरे देश के लोगों का मुंडन किया है, लेकिन उत्तराखण्ड के लोगों का मुंडन आप नहीं कर पाओगे। हम आपसे मांग करते हैं कि इस ज्वलंत समस्या पर आपका निदेश आए, जिससे इस सरकार पर अंकुश लग सके।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, हरिद्वार में लगाये जाने वाले शिलापटों पर माननीय सांसद के नाम नहीं लिखे जा रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए। चेयरमैन का नाम भी नहीं लिखा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चेयरमैन का नाम लिखा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, यह गलत परम्परा है पिछले अर्ध कुंभ में भी इनके नाम अंकित किये गये थे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज दोपहर सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा एक लिखित सूचना दी गई और उसके आधार पर जो उन्होंने सूचना में लिखा श्रीमन्, कि सर्वानन्द घाट (वेद निकेतन धाम) चौक निकट सूखी नदी, ब्रह्मपुरी रेल्वे पुल के नीचे बाईपास रोड, नया पुल प्रेमनगर आश्रम एवं ऋषिकुल आदि पर लगे शिलापटों को समय 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच तोड़ा गया और इसके पीछे जो रिपोर्ट लिखी गयी श्रीमन्, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जिनको इंगित किया गया था, वह कहा गया कि कॉंग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा महाकुंभ हेतु निर्मित सड़कों, पुलों आदि पर लगे शिलापटों पर श्री हरीश रावत, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री जी भारत सरकार का नाम उल्लिखित न किये जाने के विरोध स्वरूप हरिद्वार नगर में महाकुंभ निर्माण हेतु लगे शिलापटों को उखाड़ने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कॉंग्रेस पदाधिकारियों द्वारा मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार से आज दिनांक 22–12–2009 को मिलने का कार्यक्रम था। यह शिलापट तोड़ने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके उपरान्त अभी 22–12–2009 को ही कॉंग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन स्थानों पर शिलापटों को तोड़ दिया गया और सहायक अभियंता, लोक निर्माण, हरिद्वार द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर श्री सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार, श्री राजीव रस्तोगी, प्रवक्ता मा० सांसद हरिद्वार, श्री राजीव चौधरी, जिलाध्यक्ष युवा कॉंग्रेस,

हरिद्वार, श्री रवीश भटिजा, श्री आशीष गोस्वामी, ये पाँच व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और आई0पी0सी0 की धारा–427 और लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम की धारा–3 के तहत इनके खिलाफ निरोधात्मक अभियोग पंजीकृत किया गया, इसके साथ ही 50 अन्य व्यक्तियों को धारा–151 के तहत निरोधात्मक कार्यवाही के तहत पुलिस लाईन, हरिद्वार ले जाया गया था, जहाँ से उन्हें छोड़ दिया गया। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कहीं पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही 8 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून :

दिनाँक 22 दिसम्बर, 2009

महेश चन्द्र,

सचिव,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–42 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सुरेन्द्र राकेश, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 13 के उत्तर का संलग्नक

जनपद	वित्तीय वर्ष	व्यय की गई धनराशि
देहरादून	2006–2007	₹ 9,67,768.00
	2007–2008	₹ 3,25,698.00
	2008–2009	₹ 4,45,262.00
	योग	₹ 17,38,728.00
हरिद्वार	2006–2007	₹ 8,42,831.00
	2007–2008	₹ 3,52,936.00
	2008–2009	₹ 3,64,145.00
	योग	₹ 15,59,912.00
नैनीताल	2006–2007	₹ 79,522.00
	2007–2008	₹ 1,50,054.00
	2008–2009	₹ 2,07,833.00
	योग	₹ 4,38,009.00
उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली	2006–2007	₹ 3,97,269.00
	2007–2008	₹ 92,371.00
	2008–2009	₹ 1,53,254.00
	योग	₹ 6,42,894.00
	कुल योग	₹ 43,79,543.00

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–50 पर)

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल में वर्ष, 2008–09 एवं 2009–10 में स्थापित हैण्ड पम्पों का विवरण।

क्रमांक	वर्ष जिसमें हैण्ड पम्प लगाया गया	स्थान का नाम	विकास खण्ड	टिप्पणी
1.	2008–09	बेदीखाल	बीरोंखाल	पानी चालू
2.	तदैव	सर्गाधार	तदैव	पानी चालू
3.	तदैव	जोगीमढ़ी (कालेज)	तदैव	पानी चालू
4.	तदैव	ढंगवालखोला	तदैव	पानी चालू
5.	तदैव	बैजरों	तदैव	पानी चालू
6.	तदैव	ककरोड़ा	तदैव	पानी चालू
7.	तदैव	लुकई	तदैव	पानी चालू
8.	तदैव	मैठाणाघाट	तदैव	पानी चालू
9.	तदैव	मरोलीखाल	तदैव	पानी चालू
10.	तदैव	सिरौली	तदैव	पानी चालू
11.	तदैव	ढौंड	तदैव	पानी चालू
12.	तदैव	जगरियाखाल	पोखड़ा	पानी चालू
13.	तदैव	पुनोड़ीधार	तदैव	पानी चालू
14.	तदैव	मसमोली हरिo बस्ती	तदैव	पानी चालू
15.	तदैव	प्रेमनगर चमनाऊ	तदैव	पानी चालू
16.	तदैव	जयकोट	तदैव	पानी चालू
17.	तदैव	नौगांवखाल	तदैव	पानी चालू
18.	तदैव	चलकुडिया	तदैव	पानी चालू
19.	तदैव	खचरिसेंधार	तदैव	पानी चालू
20.	तदैव	कूण्जखाल	तदैव	पानी चालू
21.	तदैव	पणखेत	एकेश्वर	पानी चालू
22.	तदैव	कमेड़ी गात्री सैंड	तदैव	पानी चालू
23.	तदैव	क्षणाखाल	तदैव	पानी चालू
24.	तदैव	सिमारखाल	तदैव	पानी चालू
25.	2009–10 (30–11–2009 तक)	बस्यूर	पोखड़ा	पानी चालू
26.	तदैव	पाली	तदैव	कार्य उपरान्त ड्राई बोर।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–17 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–52 पर)

मिक्यासैन में वर्ष, 2006–07 से वर्ष, 2008–09 में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की स्थानवार सूची

क्रमांक	विकासखण्ड	वर्ष	स्थल का नाम	हैण्डपम्प की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	भिक्यासैंण	2006–07	बाजन	चालू
2.	भिक्यासैंण	2006–07	चौड़ा	चालू
3.	भिक्यासैंण	2006–07	तारानगर	चालू
4.	भिक्यासैंण	2006–07	खोपड़ा गिल्लेख	चालू
5.	सल्ट	2006–07	महणा	चालू
6.	भिक्यासैंण	2006–07	दयोना मिनार बैण्ड	बन्द
7.	सल्ट	2006–07	बसेढ़ी	चालू
8.	भिक्यासैंण	2006–07	इण्डा	चालू
9.	भिक्यासैंण	2006–07	जैनल ग्राम	चालू
10.	स्याल्दे	2006–07	जैराज द्वितीय	चालू
11.	स्याल्दे	2006–07	नैल	चालू
12.	चौखुटिया	2006–07	पुडखिला	चालू
13.	स्याल्दे	2006–07	कल्याणपुर जैठनईया	चालू
14.	भिक्यासैंण	2006–07	पाली	चालू
15.	द्वाराहाट	2006–07	जालली बाजार	चालू
16.	स्याल्दे	2006–07	कलझीपा	चालू
17.	स्याल्दे	2006–07	मलली दुघोली	चालू
18.	स्याल्दे	2006–07	वलमरा	बन्द
19.	स्याल्दे	2006–07	तुराचौरा	बन्द
20.	भिक्यासैंण	2006–07	नौबाढ़ा	चालू
21.	भिक्यासैंण	2006–07	नौला	चालू
22.	स्याल्दे	2006–07	वलमरा द्वितीय	चालू
23.	भिक्यासैंण	2006–07	दौला	चालू
24.	भिक्यासैंण	2006–07	धमेढ़ा	चालू
25.	भिक्यासैंण	2006–07	पुपुली	चालू
26.	स्याल्दे	2006–07	छियाणी	चालू
27.	स्याल्दे	2006–07	देघाट	चालू
28.	स्याल्दे	2006–07	पालमपुर हरिजन बस्ती	चालू

1	2	3	4	5
29.	स्याल्दे	2006–07	एरोड़ी रजवार	चालू
30.	स्याल्दे	2006–07	पोखाल	चालू
31.	स्याल्दे	2006–07	इ0 कालेज, स्याल्दे	चालू
32.	स्याल्दे	2006–07	ग्वालीगाँव	चालू
33.	द्वाराहाट	2006–07	जालली	बन्द
34.	द्वाराहाट	2006–07	जालली डाक बंगला	चालू
35.	चौखुटिया	2006–07	मासी मुख्य चौराहा	चालू
36.	चौखुटिया	2006–07	चौना	चालू
37.	चौखुटिया	2006–07	सोमनाथ कालोनी, मासी	चालू
38.	भिक्यासैंण	2006–07	उत्तमछानी	चालू
39.	भिक्यासैंण	2006–07	पाटियाचौरा	चालू
40.	भिक्यासैंण	2006–07	मासी	चालू
41.	स्याल्दे	2006–07	हाईफिल गेट, स्याल्दे	चालू
42.	सल्ट	2006–07	डुंगना	चालू
43.	सल्ट	2006–07	बजों	चालू
44.	सल्ट	2006–07	डिग्री कालेज, मानिला	चालू
45.	सल्ट	2006–07	सदर बाजार	चालू
46.	सल्ट	2006–07	तल्ला मानिला	चालू
47.	सल्ट	2006–07	प्रा0वि0, सैणामानुर	चालू
48.	भिक्यासैंण	2006–07	पनपोला	चालू
49.	भिक्यासैंण	2006–07	बाढीकोट	चालू
50.	भिक्यासैंण	2006–07	तारा बैण्ड	चालू
51.	भिक्यासैंण	2006–07	सिनार	चालू
52.	भिक्यासैंण	2006–07	कानीखेत	चालू
53.	भिक्यासैंण	2007–08	भिनेगधेरा	चालू
54.	स्याल्दे	2007–08	मल्ली ग्वालगाँव	चालू
55.	स्याल्दे	2007–08	बड्डफोडा	चालू
56.	स्याल्दे	2007–08	घट बगड़	चालू
57.	स्याल्दे	2007–08	बजवाड पुल	चालू
58.	स्याल्दे	2007–08	रोटा पानी	चालू
59.	स्याल्दे	2007–08	तल्ला धनेटा, कल्याणपुर	बन्द
60.	चौखुटिया	2007–08	कबडोली	चालू
61.	भिक्यासैंण	2007–08	चौढाखाल	चालू
62.	द्वाराहाट	2007–08	जालली शिशु मन्दिर	चालू

1	2	3	4	5
63.	भिक्यासैंण	2007–08	नोबाड़ा शम्भूसिंह के मकान के पास	चालू
64.	भिक्यासैंण	2007–08	नागार्जुन पिलखेत	चालू
65.	चौखुटिया	2007–08	जैरासी बाजार	चालू
66.	स्याल्दे	2007–08	चिन्तौली हरिजन बस्ती	चालू
67.	स्याल्दे	2007–08	नागचुला खाल	चालू
68.	भिक्यासैंण	2007–08	भिक्यासैंण तहसील मार्ग	चालू
69.	भिक्यासैंण	2007–08	रिखाड़ी धौबीतुरी	बन्द
70.	भिक्यासैंण	2007–08	किनारी बाजार	चालू
71.	भिक्यासैंण	2007–08	सिनोड़ा	चालू
72.	भिक्यासैंण	2007–08	कमेटपानी	चालू
73.	भिक्यासैंण	2007–08	रा0इ0का0, भिक्यासैंण	चालू
74.	भिक्यासैंण	2008–09	मुसलमान बस्ती, भिक्यासैंण	चालू
75.	भिक्यासैंण	2008–09	ब्लॉक कार्यालय, भिक्यासैंण	चालू
76.	भिक्यासैंण	2008–09	जैतखोला	चालू
77.	भिक्यासैंण	2008–09	तल्ली पाली	चालू
78.	चौखुटिया	2008–09	ढकढकी	चालू
79.	स्याल्दे	2008–09	विकास खण्ड का0, स्याल्दे	चालू
80.	स्याल्दे	2008–09	अटेलिया	चालू
81.	स्याल्दे	2008–09	बैरा बाखली	चालू
82.	स्याल्दे	2008–09	चम्पा नगर	चालू
83.	भिक्यासैंण	2008–09	हाईफिल गेट मासी	चालू
84.	भिक्यासैंण	2008–09	साड़ी संसार मासी	चालू
85.	भिक्यासैंण	2008–09	तहसील परिसर, भिक्यासैंण	चालू
86.	भिक्यासैंण	2008–09	तल्ला जालली	चालू
87.	स्याल्दे	2008–09	भाकुड़ा	चालू
88.	सल्ट	2008–09	मानिला मन्दिर, शक्ति पीठ	चालू
89.	सल्ट	2008–09	मल्ली मानिला	चालू
90.	सल्ट	2008–09	गहणाखाल	चालू
91.	सल्ट	2008–09	बीनगर (उप्रता कवैराला)	चालू
92.	सल्ट	2008–09	दन्तूड़ा	चालू

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–44 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–70 पर)

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–

विकास खण्ड–विण

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	आय प्रतिमाह				
1.	01.03.2009	श्रीमती जमना देवी	श्री खेट राम	लेजू (मडगाव)		ग्रामीण	800/– प्रतिमाह		स्वीकृत	विण	15,000.00
2.	01.03.2009	श्री हरी राम	श्री भानू राम	लेजू		ग्रामीण	900/– प्रतिमाह		स्वीकृत	विण	15,000.00
3.	01.03.2009	श्री दीवानी राम	स्व0 फकीर राम	नागरं (कार्कीगांव)		ग्रामीण	900/–		स्वीकृत	विण	15,000.00
4.	06.03.2009	श्रीमती गौरी देवी	श्री इन्द्र प्रसाद	किमीगाव		ग्रामीण	401/14787/15		स्वीकृत	विण	15,000.00
5.	16.04.2009	श्री राजेराम	श्री जटा राम	किमीगाव		ग्रामीण	73/1759/15		स्वीकृत	विण	15,000.00
6.	16.04.2009	श्री वीर राम	श्री बच्ची राम	ऐंचोली (तोक स्यालटी)		ग्रामीण	900/–		स्वीकृत	विण	15,000.00
7.	16.04.2009	श्री जगत राम	स्व0 दुर्गाराम	भरकोट		ग्रामीण	700/–		स्वीकृत	विण	15,000.00
8.	17.04.2009	श्री कालू राम	स्व0 रामी राम	लेजू		ग्रामीण	2491/4001		स्वीकृत	विण	15,000.00
9.	19.06.2009	श्री दिलीप कुमार	स्व0 श्री फकीर राम	मणाकोट		ग्रामीण	2000/–		स्वीकृत	विण	15,000.00
10.	19.06.2009	श्रीमती गीता देवी	श्री फकीर राम	मटियाल		ग्रामीण	800/–		स्वीकृत	विण	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–

विकास खण्ड–मूनाकोट

क्रम सं०	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी०पी०एल० क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	ग्राम प्रतिशत				
1.	01.03.2009	श्रीमती लीला देवी	श्री चंचल राम	ग्राम सिलौनी		ग्रामीण	3668/1851		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
2.	01.03.2009	श्रीमती सुनीता देवी	श्री दीपक राम	ग्राम सिलौनी		ग्रामीण	3621/11228		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
3.	01.03.2009	श्रीमती देवकी देवी	श्री मदन राम	घटेडी		ग्रामीण	1969/–अतिवाह		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
4.	01.03.2009	श्रीमती रेखा देवी	श्री जगदीश राम	कुंगा (सिलिंग)		ग्रामीण	2646/11136		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
5.	01.03.2009	श्रीमती गीता देवी	श्री रमेश राम	घटेडी		ग्रामीण	449/5828		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
6.	01.03.2009	श्रीमती लीला देवी	श्री कुन्दन राम	देवदार		ग्रामीण	812/6639		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
7.	01.03.2009	श्रीमती गीता देवी	श्री भुवन राम	देवदार (सिलिंग)		ग्रामीण	795/6855		स्वीकृत	मूनाकोट	15,200.00
8.	01.03.2009	श्रीमती बबीता देवी	श्री किशन राम	चौड़ीहाट		ग्रामीण	1211		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00
9.	08.03.2009	श्री दीपक राम	श्री पुष्कर राम	सल्मोड़ा		ग्रामीण	3157/5386		स्वीकृत	मूनाकोट	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–
विकास खण्ड–कनालीछीना

क्र० सं०	आवेदन तिथि	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी०पी०एल० क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	आय प्रतिशत				
1	01.03.2009	श्री नरेश राम	श्री रामी राम	सिरौली		ग्रामीण	4999/2222		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
2	01.03.2009	श्रीमती कलावती देवी	श्री टीकाराम राम	क्वीकोट		ग्रामीण	3246/8280		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
3	01.03.2009	श्री मनोज कुमार	श्री कल्याण राम	क्वीकोट		ग्रामीण	3274/11649		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
4	01.03.2009	श्री जगदीश कुमार	श्री मनी राम	बिलून (जरौल)		ग्रामीण	900/–प्रतिमाह		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
5	01.03.2009	श्री खड़क राम	श्री केशर राम	जामगांव		ग्रामीण	13/7347		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
6	02.03.2009	श्रीमती निर्मला देवी	श्री जगदीश	रिंग		ग्रामीण	1401		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
7	02.03.2009	श्रीमती बसन्ती देवी	श्री गोपाल राम	कौलपानी		ग्रामीण	5685		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00
8	02.03.2009	श्री महेश राम	श्री फकीर राम	कौलपानी		ग्रामीण	5651		स्वीकृत	कनालीछीना	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–

विकास खण्ड–धारचूला

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	क्रम प्रतिशत				
1.	01.03.2009	श्री गुमानी राम	श्री जोगा राम	मेतली		ग्रामीण	1887		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
2.	01.03.2009	श्री कटक राम	श्री जोगा राम	मेतली		ग्रामीण	1888		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
3.	01.03.2009	श्री तीन राम	श्री जोगा राम	मेतली		ग्रामीण	1348		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
4.	06.03.2009	श्री जय राम	स्व0 गोपाल राम	किमखोला		ग्रामीण	4407/19001		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
5.	06.03.2009	श्री धनीराम	श्री तिला राम	किमखोला		ग्रामीण	1880/–		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
6.	18.04.2009	श्री गोपाल चन्द	श्री भीम राम	कालिका		ग्रामीण	3678		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
7.	18.04.2009	श्रीमती सुनीता देवी	श्री रमेश राम	रौंकी		ग्रामीण	1000/–		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–

विकास खण्ड–डीडीहाट

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	आय प्रतिमाह				
1.	23.07.2009	श्री लछम राम	श्री केशर राम	चुनेती		ग्रामीण	1000/–प्रतिमाह		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00
2.	23.07.2009	श्री गणेश राम	श्री फकीर राम	मिर्दी		ग्रामीण	5008		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00
3.	23.07.2009	श्री गम्भीर राम	स्व0 घुत्रा राम	खेतार कन्याल		ग्रामीण	900/ प्रतिमाह		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00
4.	23.07.2009	श्री गोपाल राम	श्री शेर राम	खेतार कन्याल		ग्रामीण	900/–प्रतिमाह		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00
5.	25.07.2009	श्री पवन राम	श्री गोपी राम	पल्ली धुरा		ग्रामीण	800/– प्रतिमाह		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00
6.	25.07.2009	श्री रघुराम	श्री गोपी राम	पल्ली धुरा		ग्रामीण	900/– प्रतिमाह		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00
7.	25.07.2009	श्री दलपत राम	श्री सोहन राम	लेजम		ग्रामीण	7367		स्वीकृत	डीडीहाट	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–
विकास खण्ड–बेरीनाग

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	आय प्रतिमाह				
1.	01.07.2009	श्रीमती द्रोपदी देवी	स्व0 राम लाल	जामहाट		ग्रामीण	80/4700/19वी		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
2.	17.07.2009	श्रीमती आनन्दी देवी	श्री आनन्द राम	सेलीपाख		ग्रामीण	5109/2888		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
3.	17.07.2009	श्री राम प्रसाद	श्री कुंती राम	बेलताखामर		ग्रामीण	3829/15		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
4.	17.07.2009	श्री लाल राम	श्री गंगा राम	बेलकोट		ग्रामीण	351/871/13		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
5.	17.07.2009	श्री जीवा राम	श्री धन राम	(मिनिगाढ़) बेरीनाग		ग्रामीण	900/– प्रतिमाह		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
6.	17.07.2009	श्री हरीश राम	स्व0 गजीराम	खाण्डे		ग्रामीण	3101		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
7.	17.07.2009	श्री हयात राम	श्री हरी प्रसाद	कलेत		ग्रामीण	5028		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
8.	17.07.2009	श्री नन्दन राम	श्री किशन राम	बडूँगा सिरतोली		ग्रामीण	001481		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
9.	17.07.2009	श्री हरीश राम	श्री पदम राम	कालाकिला		ग्रामीण	001481		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00
10.	17.07.2009	श्री राजन राम	स्व0 केशर राम	सानीखेत		ग्रामीण	4887		स्वीकृत	बेरीनाग	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ़

अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–
विकास खण्ड–गंगोलीहाट

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	[illegible]				
1.	20.01.2009	श्री भूपेन्द्र भारती	श्री राजेन्द्र प्रसाद	चकलानी		ग्रामीण	6324/3830		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
2.	11.09.2009	श्रीमती चम्पा देवी	स्व0 श्याम लाल	हाट		ग्रामीण	4340/11273		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
3.	11.09.2009	श्रीमती शान्ति देवी	स्व0 श्री किशनराम	जजूट		ग्रामीण	4536/10872		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
4.	11.09.2009	श्रीमती जयन्ती देवी	स्व0 गुसाईंराम	किमटा		ग्रामीण	8029/11704		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
5.	11.09.2009	श्रीमती कमला देवी	स्व0 शेर राम	पिरतोली		ग्रामीण	384/11030		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
6.	11.09.2009	श्रीमती इन्द्रा देवी	स्व0 कैलाश राम	डसीलाखोत		ग्रामीण	2639/6441		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
7.	11.09.2009	श्रीमती लछमी देवी	स्व0 धन राम	बिटगल		ग्रामीण	2284/17571		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
8	11.09.2009	श्रीमती बिसुली देवी	स्व0 नवीन राम	जजूट		ग्रामीण	4547/10684		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
9.	11.09.2009	श्रीमती पार्वती देवी	स्व0 गोपाल राम	पोखरी		ग्रामीण	6813/2493		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
10.	11.09.2009	श्री रमेश राम	स्व0 बहादुर राम	डन्डे		ग्रामीण	2576/13977		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
11.	11.09.2009	श्रीमती गोपुली देवी	स्व0 गणेश राम	बलीगांव		ग्रामीण	456/15069		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00
12.	11.09.2009	श्रीमती गोविन्दी देवी	स्व0 दीवान सिंह	दुगरौली		ग्रामीण	6288/2923		स्वीकृत	गंगोलीहाट	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ़।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ़।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ

अनुसूचित जनजातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–
विकास खण्ड–मुनस्यारी

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	आय प्रतिमाह				
1.	17.07.2009	श्री बलवन्त सिंह	श्री दिवान सिंह	धुलकोट		ग्रामीण	4579/178		स्वीकृत	मुनस्यारी	15,000.00
2.	17.07.2009	श्रीमती जयन्तीदेवी	श्री पुष्कर सिंह	घोरा		ग्रामीण	1000/–		स्वीकृत	मुनस्यारी	15,000.00
3.	17.07.2009	श्री त्रिलोक सिंह	स्व0 गोवर्धन सिंह	क्वीरी		ग्रामीण	1100/–प्रतिमाह		स्वीकृत	मुनस्यारी	15,000.00
4.	17.07.2009	श्री मान सिंह पपाई	स्व0 भवाे सिंह	क्वीरी		ग्रामीण	1700/–प्रतिमाह		स्वीकृत	मुनस्यारी	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ।

समाज कल्याण विभाग, जनपद–पिथौरागढ

अनुसूचित जनजातियों के लिए अटल आवास योजना की स्वीकृत सूची :–
विकास खण्ड–धारचूला

क्र0 सं0	आवेदन प्राप्ति	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	बी0पी0एल0 क्रमांक			पूर्ण/अपूर्ण	स्वीकृत/अस्वीकृत	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत धनराशि
					शहरी	ग्रामीण	आय प्रतिमाह				
1.	18.04.2009	श्री लाल सिंह	श्री चिन्दू सिंह	गुंजी		ग्रामीण	2865/6848		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00
2.	18.04.2009	श्री दीपक सिंह	स्व0 दीवान सिंह	तीतरकोट		ग्रामीण	6849		स्वीकृत	धारचूला	15,000.00

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
पिथौरागढ।

जिला विकास अधिकारी,
पिथौरागढ।

मुख्य विकास अधिकारी,
पिथौरागढ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–47 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–72 पर)

वार्षिक योजना 2009–10 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 में विभागवार प्रगति का सारांश

माह : नवम्बर, 2009 (धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियां	व्यय
I	II	III	IV	V
1.	कृषि विभाग	596.40	286.47	105.60
2.	उद्यान एवं रेशम विभाग	373.60	153.51	46.74
3.	गन्ना विकास विभाग	33.43	33.43	11.02
4.	जलागम प्रबन्ध	0.00	0.00	404.60
5.	पशुपालन विभाग	114.28	72.97	2.19
6.	दुग्ध विकास विभाग	171.29	0.00	0.00
7.	मत्स्य विभाग	102.75	102.75	1.80
8.	वन विभाग	1920.00	159.67	120.35
9.	खाद्य एवं रसद विभाग	0.00	0.00	0.00
10.	सहकारिता विभाग	254.99	253.00	157.15
11.	ग्राम्य विकास विभाग	6742.24	4063.61	856.30
12.	पंचायती राज विभाग	1369.81	0.00	0.00
13.	लघु सिंचाई विभाग	4300.00	0.00	0.00
14.	राजकीय सिंचाई विभाग	871.53	729.86	48.70
15.	ऊर्जा विभाग, जल विद्युत निगम, उरेडा	7178.71	889.09	273.52
16.	उद्योग एवं खनिज विभाग	46.12	46.12	6.75
17.	लोक निर्माण विभाग	4900.00	4700.45	3106.33
18.	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00
19.	पर्यटन विभाग	258.55	0.00	0.00
20.	बेसिक शिक्षा विभाग	1250.99	1447.14	1447.14
21.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1571.02	1267.01	593.85
22.	उच्च शिक्षा विभाग	500.00	0.00	0.00
23.	तकनीकी शिक्षा विभाग	352.67	0.00	0.00
24.	खेल विभाग	45.00	20.00	1.33
25.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक	510.00	260.00	77.32
26.	कला एवं संस्कृति विभाग	47.00	1.00	0.00
27.	ऐलोपैथिक	725.60	0.00	0.00
28.	होम्योपैथिक	11.00	5.50	0.00
29.	आयुर्वेदिक	30.00	10.50	0.00
30.	पेयजल विभाग	744.00	128.15	250.39

I	II	III	IV	V
31.	नगर विकास विभाग	8194.60	1586.63	0.00
32.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	8.01	8.01	0.00
33.	समाज कल्याण विभाग	10891.97	10016.25	6254.66
34.	बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग	806.50	534.15	230.44
35.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग	83.18	0.00	0.00
36.	स्थानीय निकाय एवं पी०एस०ई०	0.00	0.00	0.00
	योग :	66005.26	26755.27	13996.18

वार्षिक योजना 2009–10 के अन्तर्गत टी०एस०पी० में विभागवार प्रगति का सारांश माह : नवम्बर, 2009 (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियां	व्यय
I	II	III	IV	V
1.	कृषि विभाग	167.75	77.17	25.91
2.	उद्यान एवं रेशम विभाग	82.49	70.68	19.71
3.	गन्ना विकास विभाग	15.50	15.50	3.56
4.	जलागम प्रबन्ध	0.00	0.00	54.63
5.	पशुपालन विभाग	115.46	73.91	18.88
6.	दुग्ध विकास विभाग	35.10	0.00	0.00
7.	मत्स्य विभाग	20.00	20.00	0.00
8.	वन विभाग	160.00	33.33	33.33
9.	खाद्य एवं रसद विभाग	0.00	0.00	0.00
10.	सहकारिता विभाग	38.40	23.40	22.92
11.	ग्राम्य विकास विभाग	1285.49	732.03	175.97
12.	पंचायती राज विभाग	125.20	0.00	0.00
13.	लघु सिंचाई विभाग	180.00	0.00	0.00
14.	राजकीय सिंचाई विभाग	466.22	191.21	16.57
15.	ऊर्जा विभाग एवं उरेडा	878.66	98.84	25.90
16.	उद्योग एवं खनिज विभाग	45.00	31.77	24.69
17.	लोक निर्माण विभाग	2250.00	2101.00	994.13
18.	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00
19.	पर्यटन विभाग	11.37	11.37	0.00
20.	बेसिक शिक्षा विभाग	140.00	46.67	46.67
21.	माध्यमिक शिक्षा	286.27	233.26	96.93
22.	उच्च शिक्षा	50.00	36.00	0.00
23.	तकनीकी शिक्षा	135.01	0.00	0.00
24.	खेल	11.01	11.00	0.00
25.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल	28.80	28.80	7.28
26.	कला एवं संस्कृति	20.00	0.00	0.00
27.	ऐलोपैथिक विभाग	367.30	0.00	0.00
28.	होम्योपैथिक विभाग	10.22	9.90	3.46
29.	आयुर्वैदिक विभाग	30.46	0.00	0.00
30.	पेयजल विभाग	250.00	80.57	38.54

I	II	III	IV	V
31.	नगर विकास	204.84	74.34	0.00
32.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	2.51	2.51	0.00
33.	समाज कल्याण	3748.88	2011.76	865.28
34.	बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण	503.00	185.16	110.42
35.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	35.90	0.00	0.00
36.	स्थानीय निकाय एवं पी0एस0ई0	0.00	0.00	0.00
	योग :	11700.84	6199.98	2574.78

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधान सभा/265–28-06-2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।